महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(झाँसी शहर के सन्दर्भ में)

समाजशास्त्र विषय में पी०एच०डी० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोधार्थिनी

रश्मि वर्मा

शोध निर्देशक

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद निमेष

एम०ए०, पी०एच०डी०

ऐसो० प्रोफेसर समाजशास्त्र

डॉ०बी०आर० अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, उ०प्र०

2008

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधकत्री रश्मि वर्मा शोध पंजीकरण संख्या : बुवि/प्रशा/शोध-1563 दिनांक : 29-11-2003 बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी ने अपना अनुसंधान कार्य, "महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : झाँसी शहर के संन्दर्भ में" शोध शीर्षक पर मैरे मार्ग दर्शन में पूर्ण किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. मैरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में यह मौलिक कार्य है।
2. अपने विभाग में 24 महीने से अधिक समय उपस्थिति होकर अपना अनुसन्धान कार्य पूर्ण किया है।
3. आप पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कुछ देय अवशेष नहीं है।
4. मैने यह शोध समिति के अनुसार तथा शोध संक्षिप्तिकी के अनुरूप ही पूर्ण कराया है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में, मैं इस शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की प्रबल संस्तुति करता हूँ।

दिनांक :- 02.06.2008

(डा0 राजेन्द्र प्रसाद निमेष)
एसो. प्राफेसर
डा. बी.आर.अम्बेडकर समाज विज्ञान
संस्थान बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी।

उपोद्घात

किसी देश की प्रगति को जांचने का सबसे बढ़िया तरीका उन सकारात्मक परिवर्तनों को देखना है जो उस देश के मानव संसाधनों की सूची में दर्शित है। ऐसा विशेषतः उन देशों के सम्बन्ध में सत्य है जहाँ ऐसे परिवर्तन समाज के कमजोर वर्गो, विशेष रूप से महिलाओं में दिखाई देते हैं। सभी सरकारो ने महिलाओं का कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही के माध्यम से तथा उन विभिन्न संस्थानों को सुदृढ बनाकर किया है जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा न्याय दिलाने में कार्य में लगी हुई हैं। भारत वास्तव में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सदैव अग्रणी रहा है। भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आन्तरिक स्तर पर भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में कमजोर वर्गो के प्रति विशेष ध्यान दिया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का विकास हो।

मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाऐं है और वे इस प्रकार देश की आर्थिक सम्पदा के आधे हिस्से की मालिक हैं। यदि मानव संसाध्न के इस आधे हिस्से की उपेक्षा की जाए तो देश की प्रगति में रूकावट अवश्य मानी होगी। भारत सरकार ने विकास गति विधियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है और उनके लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के रूप में कई सकारात्मक कदम उठाए है ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार के इन कदमों में से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में प्रत्यक्ष बदलाव दिखाई पड़ने लगा है। महिलाओं की साक्षरता दर जो 1951 में केवल 8.86 प्रतिशत थी 2001 में बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई है। 1981 में महिलाओं की कार्य सहभागिता जहां 13.7 प्रतिशत थी, 2001 में बढकर 25.7 प्रतिशत हो गई है। डांटावेश उन

क्षेत्रों की ओर भी इशारा करता है जिनमें प्रगति धीरे हुई है लेकिन बिगड़ी नहीं है। 0-6 वर्ष के बच्चों में लिंग अनुपात 1991 में 945 से गिरकर 2001 में 927 रह गया है। इस गिरावट से यह संकेत मिलता है कि हमारा समाज अभी भी लड़कियों को ना पसन्द करता है और लड़के ही उसकी पहली पसन्द हैं। लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही शादी के बन्धन में बध जाती हैं। इसके अतिरिक्त, 57.9 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं और 56.2 प्रतिशत विवाहित महिलाएं रक्तअल्पता से पीड़ित हैं। मातृत्व मृत्यु दर बहुत अधिक है, वर्ष 2006 में 1,00,000 जीवित बच्चों के पीछे 301 माताओं की मृत्यु हुई है।

औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के आगमन के साथ महिलाओं ने घर और कार्यस्थल दोनों जगह अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी संभाली है। यह महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में दर्शाया गया है जो 1981 में 19.7 प्रतिशत थी और 2001 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई है। तथापि यह पुरूषों की कार्य सहभागिता दर की तुलना में अभी भी कम है जो 1981 में 52.6 प्रतिशत थी और 2001 में 51.9 प्रतिशत थी।

31 मार्च, 2001 को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 4.95 मिलियन थी जिससे 2.86 मिलियन महिलाऐं सार्वजनिक क्षेत्र में और 2.09 मिलियन महिलाऐं निजी क्षेत्र में काम करती थी। 31 मार्च, 2005 को यह संख्या बढ़कर 5.0162 मिलियन हो गई है। इनमें से 2.921 मिलियन सार्वजनिक क्षेत्र में और 2.0952 मिलियन महिलाऐं निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन : "झाँसी नगर में महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति" का समाजशास्त्रीय अध्ययन शोधार्थिनी द्वारा किया गया है जिसके मुख्य उद्धेश्य महिला कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा स्वास्थ्य स्थिति के अध्ययन को मुख्य रूप से उद्धेश्य था। सहायक उद्धेश्यों के रूप में अध्ययन के जो उद्धेश्य निरूपित किए गये वे इस प्रकार थे :-

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन तथा उनकी प्रस्थिति से जुड़ कुछ विशेष मुद्दे आदि।

उपरोक्त शोध अध्ययन की विषय वस्तु को निम्न अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है :- (1) शोध की प्रस्तावना व उद्देश्य, (2) सम्बन्धित साहित्य का पुर्नावलोकन, (3) शोध पद्धति, (4) महिला कर्मचारियों की सामाजिक प्रस्थिति, (5) आर्थिक प्रस्थिति, (6) राजनैतिक एवं स्वास्थ्य स्थिति, (7) प्रस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, (8) महिला कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे तथा (9) सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता आदि।

प्रस्तुत शोध अध्ययन सुक्ष्म तथा विस्तृत रूप में महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति पर प्रकाश डालता है। यह शोध अध्ययन बुन्देलखण्ड के झाँसी मण्डल के झाँसी शहर से सम्बन्धित जो अपने आप में प्रथम एवं मौलिक अध्ययन है। इस शोध के आशातीत फलों का प्रयोग महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति सुधार कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में किया जा सकता है। इस शोध अध्ययन द्वारा आत्मसात परिणाम उपयोगी होगे जिनके हस्तक्षेप से उनकी प्रस्थिति में ऐच्छिक परिवर्तन लाने में समाज कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इस शोध अध्ययन से प्रापत निष्कार्षो का प्रयोग समाज सुधार, समाजशास्त्रियों, जिला नीति नियोजकों और वे भी जो महिला सशक्तिकरण के अभियानों में संलग्न है, उनके लिए उपयोगी होगें। अध्ययन से प्राप्त बहुमूल्य सूचनाऐं उनके लिए भी उपयोगी होगी जो भविष्य में महिलाओं के उन्नयन में सर्वेक्षण तथा क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। इस शोध के निष्कर्ष महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में कार्यो को कर रहे है।

शोधार्थिनी
Rashmi Verma
(रश्मि वर्मा)

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की समाजशास्त्र विषय में "डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी" की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस शोध प्रबन्ध की आधार शिला रखने हेतु सर्व प्रथम बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की शोध समिति बधाई की पात्र है, जिसने प्रथम दृश्या शोध की रूप रेखा/शोध संक्षिप्ति अनुमोदित करके अनुसन्धान कार्य हेतु मार्ग प्रस्तुत कर मेरा उत्साहवर्धन किया।

प्रत्येक नवीन कार्य के लिए कोई न कोई प्रेरणा स्रोत अवश्य होता है। मुझे अनुसन्धान कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रेरणा स्रोत अंकुरित करने का श्रेय मुख्य रूप से मेरे पति श्री जय प्रकाश आर्य की है जिन्होंने मेरी भेंट गुरूवर डॉ0 आर0पी0निमेष ऐशोसियट प्रोफेसर समाजशास्त्र, डॉ0 बी0आर0अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से कराई। आपने सहर्ष शोध शीर्षक चयन कर मेरी रूचि का शीर्षक अनुमोदित ही नहीं किया अपितु मेरा मार्ग दर्शन करना भी सहज स्वीकार कर लिया, जिसके लिए मै अपने मानस के गहरे भाव से आभार प्रगट करती हूँ। अपने निरन्तर मार्गदर्शन के साथ विषम परिस्थितियों में मुझे उत्साहित किया तथा जब भी आपसे अपेक्षा की आपने मुझे पर्याप्त समय और मार्ग पर्यवेक्षण के प्रति अपना आभार प्रगट करती हूँ तथा अपने आपको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपके जैसे विद्वान गुरू का शिष्यत्व मुझे प्राप्त करने का अवसर मिला।

इस शोध की पूर्णता में शोधार्थिनी की स्वर्गीय मां अनुराधा वर्मा, सासू श्रीमती फूलादेवी आर्या, पिताश्री हरिश्चन्द्र वर्मा जी की आर्शीवाद तथा बहिन कु0 नीतू वर्मा के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे साधुवाद के पात्र हैं।

इस मंजिल तक के सफर में, मेरे पतिश्री जय प्रकाश आर्य के सांया का अवलम्बन यदि नहीं आत्मसात होता तो शोध का प्रारम्भ एवं अन्त ही सम्भव न होता। उनकी मै जीवन ऋणी हूँ।

अन्त में उन सभी उत्तरदातागण तथा कमप्यूटर तकनीशियन को साधूवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर तथ्य एकत्र करने में तथा टाईपिंग करने में मुझे सहयोग किया।

शोधार्थिनी
Rashmi Verma
(रश्मि वर्मा)

विषय वस्तु

संलग्न -तालिकाओं की सूची

♣♣♣

अध्याय-1

प्रस्तावना एवं शोध उद्देश्य

अध्याय - 1

प्रस्तावना

शोध विषय के अध्ययन की महत्ता :

महिला की सामाजिक एव आर्थिक प्रस्थिति मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में पारसन्स (1952:182) ने स्पष्ट करते हुऐ कहां कि "सामाजिक व्यवस्था आपस में अन्तःक्रिया करने वाले एकाधिक वैयक्तिक कर्त्ताओं से सम्बन्धित है। अनेक व्यक्ति परस्पर जब अन्तःक्रिया करते हैं तो उनकी वे अन्तक्रियाएं जिस व्यवस्था को उत्पन्न करती हैं उसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था किसी एक सामाजिक मानव (पुरूष) की क्रियाओं पर निर्भर नहीं, उसे उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यक्तियों (स्त्री-पुरूषों) की अन्तक्रियाऐं आवश्यक है"।[1]

महिला की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यो को सरल बना देती है, इससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है, ये बच्चों/किशोरों तथा युवाओं का समाजीकरण करने में योग देते हैं, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति उनकी क्रियाओं का मार्ग दर्शन करती है तथा उन्हें बताती है कि प्रस्थिति के अनुसार कैसी भूमिका करें या न करें? महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के द्वारा हम अनेक व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, एक प्रस्थिति और उससे सम्बन्धित भूमिका उनमें एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को जन्म देते हैं, उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति महिलाओं में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, प्रस्थितियों का अध्ययन

---

1 टालाकॉट पारसन्स (1952:182) द सोसल रिसटम, द फ्रीप्रेस, गिलीनको इलीओयस.

इस लिए भी महत्वपूर्ण होता है कि वे महिलाओं को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है और प्रयत्नों के कारण ही उनकी प्रगति सम्भव हो पाती है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि महिला की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का वैयक्तिक स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर प्रस्थिति एवंम् भूमिका में सन्तुलन बनाकर रखा जाय है और वे बदलती हुई सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिका निभाती रहें।

महिला के सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के अध्ययन की यह महत्ता है क्योंकि वह स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। समाज या परिवार के कार्यो को उनके मध्य में विभाजन कर दिया जाता है ताकि महिलाएं अपने निश्चित कार्य को कुशलता से करके मानव आवश्यकता पूर्ति में सहयोग प्रदान कर सके। महिलाओं की सामजिक-आर्थिक प्रस्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य यह है कि वह उन्हें आर्थिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। समाज में महत्वपूर्ण पदों पर समाज द्वारा अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रसिद्ध पाने और तथा बड़ा बनने की इच्छा होती है। इस इच्छा को पूरा करने एवं उच्च पद पाने के लिए स्तरीकरण व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने को प्रेरणा देती है। महिला की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति समाज में संघर्ष पैदा नहीं होने देती, सभी लोग सहयोग द्वारा संस्थान का कार्य सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं, ओल्सन मानते हैं कि महिला की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति उनकी मनोवृत्तियों का निर्धारण करती है। व्यक्ति जिस जाति-वर्ग एवं प्रस्थिति समूह का सदस्य होता है उसके विचार क्रियाएं एवं मनोवृत्तियां भी उसी प्रकार की होती है, महिला की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ताकि शक्ति सन्तुलन बना रहें। समाज में पुरूषों के पास महत्वपूर्ण प्रस्थितियां होती है महिलाओं पर कम। यदि महिला की सामाजिक एवं आर्थिक

प्रस्थिति उन्हें उनकी शक्ति दुरूपयोग करने से रोकती हैं । महिला के सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन का महत्व समूह के लिए भी पर्याप्त होता है । एक सामान्य धारणा है कि सामाजिक प्रस्थिति परिवर्तन विरोधी है । परन्तु यह प्रदत प्रस्थिति में ही । सामाजिक व्यवस्था में अर्जित व्यक्ति की प्रस्थिति सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन प्रदान करती है । इसका कारण यह है कि प्रत्येक महिला अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसके द्वारा रिक्त हुए स्थान को नयी महिला द्वारा ग्रहण किया जाता है, साथ ही नयी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के अनुरूप महिला अपने व्यवहार सम्बन्ध, रहन-सहन, विचार एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाती है।

यदि हम महिला के सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन न करें तो परिवार की संस्था में विभिन्न समूहों (पुरूष-स्त्री) में अधिकारों एवं कार्यो का विभाजन सम्भव नहीं होगा, तथा परस्पर संघर्ष कम नहीं होगा । इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुरूप, प्रस्थितियों, कार्यो व सुविधाओं एवंम् पुरस्कारों के वितरण के कारण भी संघर्ष की स्थिति से बचा जा सकता है तथा महत्वपूर्ण प्रस्थिति योग्य व्यक्तियों को ही सौंपी जायेंगी।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन इसलिए भी उपयोगी होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रस्थिति को बनाए रखने के लिए जागरूक रहता है और प्रस्थिति से सम्बन्धित सामाजिक मापदण्डों का पालन करता है । ऐसा न करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है । सामाजिक स्तरीकरण में ऊँचे एवं नीचे पदों की प्रायः व्यवस्था होती है । महिलाएं उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, उस प्रस्थिति प्राप्त हेतु कठिन परिश्रम करती हैं इससे समाज में निर्माण का कार्य होता है, नवीन अविष्कार होते हैं और समाज प्रगति करता है।

शोध विषय की व्याख्या :

समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन को दृढ बनाये रखना होता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में भिन्न-भिन्न योग्यता और कुशलता के प्राणी अपने अनुरूप पदों पर रहकर कार्य करें और अपने पद से सम्बन्धित उन दायित्वों को पूरा करें जिनकी समाज आशा करता है। इस प्रकार समाज में व्यक्ति की एक प्रस्थिति होती हैं। कुछ लोग समाज में उच्च प्रस्थिति पर आसीन होते हैं जब कि कुछ को उनकी तुलना में निम्न प्रस्थिति प्राप्त होती है । एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रस्थिति ग्रहण करता है। फिर भी उससे आशा की जाती है कि वह प्रत्येक दशा में अपनी सामाजिक प्रस्थिति और भूमिका का संतुलन रखेगा।[1]

इलियट और मैरिल (1985:9)ने प्रस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा कि, "प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा विशेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है।[2]

आगवर्न एण्ड निमकॉफ (1957:208) ने बताया कि, "प्रस्थिति व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है ।"[3] तथा पी0गिसवर्ट (1959:306) के अनुसार सामाजिक प्रस्थिति समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के सम्बन्धों द्वारा सम्बद्ध होते है।"[4]

शोध समस्या की व्याख्या :

प्रस्तुत शोध विषय "महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति" है जिसका सरल अर्थ समाजशास्त्रीय भाषा में अर्जित प्रस्थिति होता है। जो आर्थिक

---

1. अग्रवाल, गोपाल कृष्णा (1986:338) :मानव समाज,आगरा बुक स्टोर, आगरा.
2. इलियट एण्ड मैरिल (1985:9): सामाजिक विघटन
3. आगवर्न एण्ड निमकॉफ (1957:208) : ए हेण्डबुक आफ सोशियोलोजी.
4. पी0 जिस्टवर्ट (1959:306): फन्डामेन्टल ऑफ सोशियोलोजी, ओरिन्ट लोगमेन्स बोम्बे.

दशाओं सामाजिक परिवर्तन, सम्पत्ति के संचय, व्यक्तिगत प्रयत्न, सामाजिक नियमों के पालन तथा सांस्कृतिक व्यवस्था आदि के साथ घनिष्ठ से सम्बन्धित है।

(1) आर्थिक दशाएं : व्यापार की सुविधाएं, श्रम-विभाजन तथा विशेषीकरण आदि ऐसी दशाएं है जिनके आधार पर महिला समाज में एक विशेष प्रस्थिति अर्जित कर सकती है। व्यापार से वह आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकती है। विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन किसी विशेष योग्यता वाली महिला को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान करता है और उसकी सहायता से महिला अक्सर उच्च प्रस्थिति प्राप्त कर लेती है। उच्च जीवन स्तर अथवा नगरीय वातावरण जहां पग-पग पर महिला को तरह-तरह की परिस्थितियों से अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न होती है, वहां मनुष्य को समाजीकरण की शिक्षा प्रदान करता है। इसकी सहायता से महिला ऊँची प्रस्थितियों को प्राप्त करने में योग्य हो जाती है।

(2) सामाजिक परिवर्तन : सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज में नवीन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें महिलाएं अपनी योग्यतानुसार प्राप्त करती हैं। कोई महिला चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, लेकिन यदि समाज में नई-नई प्रस्थितियों की आवश्यकता महसूस न की जाये, तो महिला उन्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकती है। प्रस्थितियों की अनुपस्थिति में उनको अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) सम्पत्ति का संचय : वर्तमान युग में सम्पत्ति का संचय भी अर्जित प्रस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। आज सभी समाजों में सम्पत्ति के द्वारा उच्च प्रस्थिति को प्राप्त कर सकती है। इसका कारण यह है कि सम्पत्ति का संचय महिला की योग्यता का एक स्पष्ट माप नहीं है बल्कि इसके द्वारा वह उच्च प्रस्थितियों से सम्बद्ध सभी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकती है। इसके साथ ही यह ध्यान रखना

आवश्यक है कि यदि सम्पत्ति को वैध साधनों और सम्मानित ढंग से अर्जित करने के लिए महिला को सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य करना भी आवश्यक है। एक महिला जब इस प्रकार के कार्य करने लगती है जिन्हें साधारण तथा दूसरे महिला नहीं कर पाते, सभी वह उच्च प्रस्थिति अर्जित कर पाती है।

(4) व्यक्तिगत योग्यता तथा कुशलता : कुछ समाज ही इस प्रकृति के नहीं होते जहां अर्जित प्रस्थितियों का महत्व अधिक होता है, बल्कि कुछ प्रस्थितियों की प्रकृति स्वयं इस प्रकार की होती है जिन्हें व्यक्तिगत योग्यता तथा कुशलता के आधार पर केवल अर्जित किया जा सकता है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने आप किसी व्यक्ति को महान वैज्ञानिक संगीतज्ञ, गणितशास्त्री, अभिनेता, लेखक तथा पुरस्कार विजेता नहीं बना सकती। इनको तो व्यक्ति केवल अपने प्रयत्नों से, व्यकितगत रुचियां योग्यता के द्वारा ही अर्जित कर सकता है। इसी प्रकार कोई परिवार एक व्यक्ति को डाक्टर, वकील, अथवा प्रोफेसर का प्रशिक्षण देकर उसे यह प्रस्थिति प्रदान नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने निजी प्रयत्नों के द्वारा ही इन प्रस्थितियों को अर्जित कुशलता, योग्यता तथा प्रयत्नों पर आधारित हैं।

(5) सामाजिक मूल्यों का पालन : अर्जित प्रस्थिति कभी पूर्ण तथा स्वतंत्र नहीं होती बल्कि इसे अनेक सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के नियमों का ध्यान रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। सर्व प्रथम महिला से यह आशा की जाती है कि वह अपनी योग्यता को उन्हीं कार्यो में लगायेगी जिससे सामान्य कल्याण में वृद्धि की जा सके। एक महिला बहुत योग्य और प्रतिभा सम्पन्न होने पर भी यदि लोगों को धोखा देकर धन अर्जित कर ले अथवा विनाशकारी प्रविधियों का अविष्कार करे तो वह उच्च प्रस्थिति अर्जित कर सकती है। सामाजिक व्यवस्था उन व्यक्तियों को भी उच्च प्रस्थिति अर्जित करने से रोकती है जो बुद्धिमान होते हुए भी अनुत्तरदाई व्यक्तियों के हाथों में रहकर कार्य करते हैं।

(6) सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था : प्रत्यके समाज में अर्जित प्रस्थिति के आधार पर समान नहीं होते, बल्कि इनका निर्धारण एक विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थानुसार होता है। उदाहरण के लिए कुछ आदिम समाजों में उच्च प्रस्थिति का आधार भयानक पशुओं का शिकार करना, गहरे समुन्द्रर में मछली मारना तथा युद्ध में कुशलता प्राप्त करना हैं। इन समाजों में महिला चाहे कितनी भी योग्य हो, वह कितनी भी सम्पत्ति एकत्र करले, लेकिन इन कार्यो में सफलता प्राप्त किए बिना वह उच्च प्रस्थिति अर्जित नहीं कर सकती। इसी प्रकार जिन समाजों की संस्कृति विचार प्रधान है, वहां महिला की अर्जित प्रस्थिति का प्रमुख आधार इसका मौलिक चिन्तन होता है जबकि भौतिकवादी संस्कृति में महिला की अर्जित प्रस्थिति का निर्धारण इस बात पर होता है कि उसने कितनी सम्पत्ति का संचय कर लिया है। इस प्रकार अर्जित प्रस्थिति की धारणा को विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के संदर्भ में ही समझा जा सकता है।

सारांश में, महिला जिसने अपनी व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक दशाओं, सामाजिक मूल्यों का पालन कर भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में शिक्षा एवं व्यवसाय तथा उपलब्धियों के आधार पर जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में अर्जित सामाजिक एवं आथिक प्रस्थिति प्राप्त करली है उसे इस शोध में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति (प्रतिष्ठा एवं श्रेणी) मानकर अध्ययन किया गया है।

सामाजिक प्रस्थिति :

सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को समझने के लिए हम प्रस्थिति के आवश्यक तत्वों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो निम्नलिखित है : (1) प्रत्यके समाज में महिला कर्मचारियों की प्रस्थिति का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारणों एवम् मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही यह निशचित करती है

कि कौन-सी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति प्रदान की जायेगी और उसकी वे क्या भूमिका निभायेगी। (2) महिला कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति को दूसरे व्यक्तियों के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति एवं भूमिका का सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों की प्रस्थितियों से होता है जो उनसे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए घर में मां की प्रस्थिति को बच्चों की व पति की प्रस्थिति व भूमिका के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। (3) एक ही प्रस्थिति का निर्वाह पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने ढंग से किया जाता है जैसे किसी संस्थान में वर्तमान प्रधानाचार्या की प्रस्थिति उससे पूर्व हुई प्रधानाचार्यो की प्रस्थिति से भिन्न रहती है। (4) प्रत्येक प्रस्थिति व्यक्ति के सम्पूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। महिला समाज में कई प्रस्थितियां प्राप्त करती है और विभिन्न अवसरों पर उसके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है यथा-एक महिला अपने परिवार में मां, मामी, पत्नी की भूमिका पृथक-पृथक ढंग से निर्वाह करती है। (5) प्रस्थिति के आधार पर सम्पूर्ण समाज विभिन्न प्रस्थिति समूहों में बंटा होता है। एक प्रस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं, विशेषताऐं, स्वार्थ आदि। अपने स्वार्थो की रक्षा के लिए कभी-कभी एक ही प्रस्थिति समूह में संगठन भी पाया जाता है यही कारण है संस्थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन पाये जाते हैं। (6) प्रत्यके सामाजिक प्रस्थिति के साथ एक मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे महिला की मां की प्रस्थिति उसकी समस्त प्रस्थिति से ऊँची है। (7) एक महिला कर्मचारी जब एक समय में कई प्रस्थितियां धारण करती है तो वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता से नहीं कर पाती है। एक व्यक्ति समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार जितने उचित ढंग से कार्य करता है उसकी समाज में उसी अनुपात में प्रतिष्ठा होती है। (8) समाज में उच्च एवं निम्न सामाजिक एवं आर्थिक

प्रस्थितियों के कारण ही सामाजिक स्तरीकरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है जो उदग्र या क्षैतिज रूप में सामाजिक गतिशीलता के रूप में हो सकता है तथा (9) समाज में कुछ प्रस्थितियां प्रदान है जो व्यक्ति का समाज प्रदान करता है और दूसरी ओर कुछ प्रस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता व प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है।

(3) प्रस्थितियों का संगठन : महिला कर्मचारियों की सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति अकेली नहीं होती वरन् वह अन्य प्रस्थितियों से सम्बन्धित एवं प्रभावित भी होती है। समाज में महिला का मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न प्रस्थितियों का धारण करने एवं उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है। प्रस्थितियों को समझने के लिए किंगसले डेविस (1986:73-77) ने प्रस्थिति से सम्बन्धित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है, वे हैं 'आफिस', 'स्थिति', 'सकुल' तथा 'स्तर'।

I. आफिस डेविस का मत हैं कि सामाजिक प्रस्थितियों का सम्बन्ध जनरीतियों एवं रूढियों से होता है, ये सामान्य होती है तथा इनका ज्ञान सभी को होता है। दूसरी ओर कुछ प्रस्थितियों का सम्बन्ध विशिष्ट सामाजिक संस्थानों, समितियों, एवं संगठनों से होता है जिनका दायरा सीमित होता है और जिनका ज्ञान थोड़े से व्यक्तियों को होता है। ऐसी प्रस्थितियों के लिए आफिस शब्द का प्रयोग किया गया है। 'आफिस' ऐसी प्रस्थिति है जो प्रदान न होकर अर्जित होती है। इस प्रकार आफिस किसी औपचारिक संगठन में बनाया गया पद है जिस पर सीमित तथा विशेष नियमों का अधिकार एवं नियंत्रण होता है और जो सामान्यतः प्रदान न होकर व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जाता है। आफिस एक विशिष्ट प्रस्थिति का सूचक है जबकि प्रस्थिति सम्पूर्ण ढांचे में एक सामान्य स्थिति है। एक आफिस पर होने से एक व्यक्ति को एक प्रस्थिति ही प्राप्त होती है

किन्तु प्रत्येक प्रस्थिति व्यक्ति को आफिस प्रदान नहीं करती। एक ही पद एवं आफिस दोनों ही हो सकता है जैसे-जैसे झाँसी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रोनिक्स के प्रोफेसर का पद आफिस एवं प्रस्थिति दोनों एक ही है।

II. स्थिति-संकुल : डेविस कहते हैं एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही प्रस्थिति या आफिस ग्रहण नहीं कर सकता है वरन् अनेक प्रस्थितियां एवं आफिस प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा प्रदान इन विभिन्न प्रस्थितियों एवं आफिस के योग को ही स्थिति-संकुल कहते है। इस प्रकार स्थिति-संकुल अनेक प्रस्थितियों एवं आफिसों का एक गुच्छा है जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। जहां एक प्रस्थिति या आफिस किसी व्यक्ति की स्थिति का उसकी सीमित सामाजिक अन्तक्रियाओं के सन्दर्भ में स्पष्ट करता है, वही स्थिति-संकुल सामाजिक संरचना में व्यक्ति की सामान्य प्रस्थिति (व्यक्ति की प्रमुख-प्रस्थितियों की समग्रता) को सम्मिलित करता है। इस प्रकार स्थिति-संकुल एक सीमा तक स्थायित्व रखने वाली प्रस्थितियों का योग है।

III. स्तर : स्तर का सम्बन्ध एक ही प्रकार के स्थिति-संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है। स्तर का तात्पर्य एक समाज में करीब-करीब समान स्थिति-संकुल अर्थात् समान प्रस्थितियों तथा पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जनसमूह से है। अन्य शब्दों में, एक प्रकार की स्थिति-संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते है। उदाहरण के लिए सभी लिपिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रमिक आदि मिलकर अपने-अपने पृथक स्तर का निर्माण करते है। स्तर किसी भी सामाजिक ढांचे का प्रमुख आधार होता है और समूह की विशेषताओं को प्रगट करता है। यह समाज का स्तरीकरण को जन्म देता है। एक स्तर के लोगों के स्वार्थ, समस्याऐं एवं विश्व दृष्टिकोण समान होते

है। कभी-कभी उनमें दृढ़ता दिखाई देती है। एक स्तर के लोग दूसरे स्तर के लोगों से अपनी रक्षा के लिए नियम एवं संगठन बनाते हैं। उनमें एकता पाई जाती है जिसे स्तर दृढ़ता या स्थिति-समूह दृढ़ता कहते है।[1]

(4) प्रतिष्ठा-सम्मान तथा श्रेणी : प्रस्थिति के समान अर्थों में कई बार प्रतिष्ठा-सम्मान तथा श्रेणी का प्रयोग भी किया जाता है, किन्तु इन सभी भी स्पष्ट अन्तर है। यहां इन अवधारणाओं की व्याख्या इस लिए अनिवार्य है कि शोध विषय की समस्या ही, ''महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन''। इस अध्ययन में यह अवलोकन किया गया है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा, सम्मान तथा श्रेणी में क्या अन्तर आया है।

I. प्रतिष्ठा : समाज में प्रत्येक प्रस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती हैं, एक मूल्य होता है। समाज में किसी प्रस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है किसी को कम, किसी को अच्छी तो किसी को बुरी, किसी को उन्नतिशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक प्रस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग-अलग मात्रा पायी जाती है, उसे ही उस प्रस्थिति की प्रतिष्ठा कहते है। उदाहरण के लिए समाज में डाक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक एवं उद्योगपति की प्रतिष्ठा एक अकुशल श्रमिक एवं चपरासी से अधिक होती है। एक प्रस्थिति को धारण करने पर व्यक्ति उससे सम्बन्धित-प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। प्रतिष्ठा का सम्बन्ध व्यक्ति से न होकर प्रस्थिति से है। समाज ही किसी प्रस्थिति का मूल्याकन कर उसे कम या अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

II. सम्मान : एक ही प्रस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते अतः उनकी प्रतिष्ठा समान होते हुए भी उनके सम्मान में अन्तर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, दक्ष एवं दयालू डाक्टर का सम्मान साधारण डाक्टर से एक परिश्रमी अध्यापक

---

1. किग्स्ले डेविस : ह्यमन सुसाईटी।

का सम्मान एक पर पर कार्य कर रहे व्यक्ति की सफलता-असफलता, दक्षता-अदक्षता एवं कार्य करने की क्षमता से होता है। इसलिए एक व्यक्ति ऊँची प्रस्थिति पर होते हुए भी कम सम्मानित हो सकता है, यदि वह कर्त्तव्य परायण और साथ ही अपने कार्य में दक्ष होता हो। इस प्रकार प्रतिष्ठा सम्बन्ध किसी भी प्रस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता, क्षमता, कर्त्तव्य-परायण एवं सफलता से है।

III. श्रेणी : समाज में पाई जाने वाली समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी ही समाज में स्तरीकरण की प्रकृति को तय करती है तथा यह बताती है कि एक व्यक्ति किस सीमा तक अपनी प्रस्थिति में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है।

IV. प्रस्थिति के प्रकार : वर्ष 1936 में राल्फलिण्टन ने समाज में पाई जाने वाली प्रस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों में प्रदान तथा अर्जित में विभक्त किया। हम यहां इन दोनों का उल्लेख करेंगे - प्रदत्त प्रस्थिति : समाज में कुछ सामाजिक प्रस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये प्रस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेना व परम्परा आदि के कारण प्राप्त होती है और बच्चे को उस समय प्रदान करदी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। समाज में प्रदत्त प्रस्थितियां पहले से ही मौजूद होती है जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान करती जाती है। प्रस्थितियां बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली प्रस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त प्रस्थितियां पाई जाती हैं। प्रदत्त प्रस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता, जैसे स्त्री या पुरूष होना, बालक या युवा होना, सुन्दर या कुरूप तथा लम्बा या छोटा होना। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध या

अवैध सन्तान, परिवार के बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता-पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद, आदि व्यक्ति की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखते हुए उसको एक प्रस्थिति प्रदान करते हैं । इन सबके आधार पर प्राप्त प्रस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम एवं परम्परागत समाजों में प्रदत्त प्रस्थितियां अधिक पाई जाती है । आर्जित प्रस्थिति : यह वह प्रस्थिति होती है जिन्हें महिला अपने गुण योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ग्रहण करती हैं । ये अर्जित प्रस्थितियां कहलाती हैं । हर्टन एवं हंट के अनुसार, "एक सामाजिक पर जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा या प्रतिस्पर्दा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित प्रस्थिति के नाम से जाना जाता है ।" अर्जित प्रस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्दा पायी जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन प्रस्थितियां को प्राप्त कर लेते हैं । शिक्षा व्यवसाय, सम्पत्ति संचय, विवाह, श्रमविभाजन आदि का सम्बन्ध अर्जित प्रस्थितियों से ही है। आधुनिक समाज में जहां जन्म के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्जित प्रस्थितियां पाई जाती हैं।

जिन आधारों पर अर्जित प्रस्थिति का निर्धारण किया जाता है वे निम्नलिखित है : (1) शिक्षा : अशिक्षित की तुलना में शिक्षित का तथा कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में बी.ए., एम.ए. तथा अन्य डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्राप्त महिला की प्रस्थिति ऊँची होती है, (2) व्यवसाय महिला की सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति निर्धारित करता है, आई.ए.एस., डाक्टर, इंजीनियर आदि का पद निरीक्षकों, लिपकों तथा चपरासियों से ऊँचा माना जाता है, (3) सम्पत्ति भी व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक है। सम्पत्ति पर अधिकार होने या न होन के आधार पर व्यक्ति की ऊँची या नीची प्रस्थिति होती है। अक्सर दरिद्र की तुलना में धनवान की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति ऊँची होती है । आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख-सुविधाएँ अधिक है, वे ऊँचे माने जाते है, (4) राजनैतिक सत्ता के

आधार पर ही शासन एवं शाषित में भेद किया जाता है। साधारण जन की अपेक्षा सत्ता एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की प्रस्थिति ऊँची होती है, (5) विवाह भी महिला की प्रस्थिति में चार-चांद लगा देता है। विवाह करने पर ही पति-पत्नी, माता-पिता अन्य प्रस्थितियों जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि प्राप्त की जाती है तथा (6) उपलब्धियां व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त की जाती हैं। ये उपलब्धियां सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीति तथा खेलकूद के क्षेत्र में हो सकती है। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ-साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि की सामाजिक प्रस्थिति ऊँची होती है।

महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति विभिन्न कालों में :

इस शताब्दी में, हमारे देश में भी 30 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है। वे विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी हैं, वे वर्तमान में चिकित्सक, अभियन्ता, प्रबन्धक, अध्यापक, चालक तथा सैनिक है तथा राजनेता भी। कोई क्षेत्र अवशेष नहीं जहां महिला कार्य न करती हो। वह आज देश की राजनीति में निर्णय अच्छे-बुरे का निर्णय लेती है परन्तु वह अपने बारे में निर्णय लेने में योग्य नहीं। महिला की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में कम बदलाव आया है। आज भी लड़की का जन्म श्राप माना जाता है। नवीन प्रोद्योगिक एवं विज्ञान बच्चे की लिंग की पहिचान जब वह गर्भ में होता है कर देती है। यदि वह मादा है तो उसे गर्भपात करा दिया जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, नौकरी करने के बाद भी वह अपने जीवन साथी का स्वेच्छा से चयन नहीं कर पाती। आज भी भारत में लड़की की शादी पिता की इच्छानुसार की जाती है। पिता के निर्णय के कारण दहेज देना पड़ता है, न देने पर आश्वासन के बाद उसका (लड़की) उत्पीड़न होता है, उसे जला दिया जाता है तथा वह कुछ नहीं करती।

मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं जो शिक्षित होकर कर्मचारी बन जाती हैं तब उसे दोहरी भूमिका - प्रथम घर में तथा दूसरी कार्यालय में प्रदान करनी पड़ती है । कोई घर में उसकी समस्याओं व भावना का नहीं समझता । आज भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है । उसके कार्यो में पति सहयोग नहीं करता न बच्चों के पालन-पोषण में और न गृह कार्य में ।

स्वतंत्रता उपरान्त महिला को समानधिकार प्राप्त है, संविधान में उसे समान प्रस्थिति प्राप्त है । वह देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है यदि वह अपने में वह योग्यताएं व क्षमताएं रखती है जिसकी ज्वलन्त उदाहरण- सरोजनी नायडू, इन्द्रागान्धी तथा किरन बेदी आदि । अब यहां प्रश्न उठता है कि वह किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहती है, किस प्रकार का स्वत्व वह चाहती है और उस मार्ग में अब उसे क्या बाधाऐं है जो उसकी प्रगति रोगे हुऐ है ।

स्पष्ट है कि पुरूष के समान उस विधिक अधिकार प्राप्त है परन्तु उनका उचित क्रियान्वयन नहीं है । उसके इन अधिकारों को अभी सामाजिक पहिचान नहीं हो सकी है यही कारण है कि कुछ महिलाएं ही उन अधिकारों का उपभोग कर रही हैं । परन्तु सामान्यतः आज की नारी आज भी सामाजिक अन्याय तथा भिन्नता से जूझ रही है । अभी वैधानिक अधिकारों को सामाजिक अधिकारों के रूप में परिवर्तन होने में समय लगेगा । हमें निश्चित तौर पर उसकी प्रगति की ओर निर्देश करना होगा । राष्ट्र की सामाजिक नीति में आज भी कमियां है, पर महिला अपने बारे में क्या करें ? स्वतंत्रता प्राप्ती के बावजूद भी, क्या उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता के लिए तैयार किया? इसका कोई उत्तर नहीं । उत्तर स्वाभाविक है कि उसने (स्त्री ने) अपने आप मानव ही नहीं माना, परन्तु फिर भी हमे आशा रखनी चाहिए ।

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति इतिहास के पृष्ठों पर विभिन्न स्वरूपों में चित्रित की गई है। साहित्य में अनेक दृष्टिकोण से भारतीय महिला को प्रस्तुत किया गया है, यथा-महिला दुश्मनों से वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए, महिला को क्रन्दन एवं विलाप करते हुए, पुरूष के हाथों में कठपुतली के रूप में, सास-ससुर के यहां श्रीमती के रूप में आदि। किसी स्थान पर उसकी सामाजिक प्रस्थिति मजबूत तो कहीं निम्न कोटि की। शास्त्रों में पढ़ने को प्राप्त होता है कि "यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" वही पर उन्हें हतोत्साहित तथा अपमान करने के दृश्य भी होते है, भगवान जाने तब उनके पास कौन निवास करता है।

महिला के जन्म पर, माता-पिता अनुभव करते है कि वे वर्बाद हो गये, समाज भी लड़कियां के अभिभावकों के प्रति दया का भाव रखने लगते हैं, जब वह बड़ी हो जाती है तो माता-पिता के सम्मुख एक नवीन समस्या उठ खड़ी होती है। हाय उसका पाणिग्रहण संस्कार कैसे होगा ? दहेज अथवा वरमूल्य कहां से प्रबन्धन किया जायेगा? यदि धन तथा दहेज सामिग्री का प्रबन्धन न हो सका तो उसका पारिग्रहण किसी विकलांग अथवा दीर्घ आयू के पुरूष से कर दिया जायेगा। फिर उसे पति ही परमेश्वर है कि विचार को मानकर सारा जीवन उसी के साथ रहने को विवस होना पड़ेगा।

सुकुमारी भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत समाज और नारी" ने (1992) संस्कृति साहित्य से उद्यृत देते हुए बताया कि "हम बहुत उच्च सांस्कृतिक रूप से अपने भूत काल पर विश्वास करते हैं, हम यह सोचते हैं कि प्राचीन भारत में हमारा समाज एक आदर्श समाज था, जिसमें लैंगिक रूप से कोई असमानता नहीं थी, महिलाओं की वही सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति थी जो पुरूष धारण करते थे।" परन्तु सुकुमारी भट्टाचार्य ने प्रमाणित किया कि प्राचीन समय में पुरूष एंव महिला की सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति में भेद था। प्राचीन काल

में स्त्री, शूद्रों तथा श्वान को एक ही सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त थी। माधवी की कहानी हमे महिला के यथार्थ सामाजिक प्रस्थिति के बारे में बताती है। राजा ययाती एक बार अपने गुरू गालिव के पास गया, गालिव ने विभिन्न चार राजाओं के पास उसे चार वर्ष के लिए गिरवी रखा तथा माधवी के विनमय में उसने धन प्राप्त किया और ऐसा करके उसने अपनी गुरूदक्षणा का भुगतान किया। ऐसा करके गालब व ऋषि ने पुण्य लाभ किया। प्रारम्भ से ही पुरूष के द्वारा स्त्री का कभी एक माध्यम से तो कभी दूसरे माध्यम से प्रयोग किया।"

यदि हम वैदिक काल के साहित्य में महिला की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति की समीक्षा करे तो महिला का चित्र 12 वीं शताब्दी (वी.सी.) से चतुर्थ शताब्दी (ए.डी.) तक अर्थात 1500 वर्ष तक। वेदी के अलावा हमारे यहां अन्य पुरातन धरोबरें है। तपों रामायण तथा महाभारत, पुराण तथा वौद्ध साहित्य उनमें भी महिला का दृश्य कुछ संतोष जनक नहीं है।

यायाबार आर्य जब उत्तर भारत में आये और यहां आकर उन्होंने अपने को स्थापित किया जब उन्होंने द्रविड़ों के साथ शादी-विवाह रचाये, उन्होंने ग्रामों को बसाया तथा अपने घर बनाये, उसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का जन्म हुआ। उनका मुख्य पेशा कृषि करना तथा पशुपालन था।

रिगु वेद के साहित्य में तुलनात्मक रूप से महिला की सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति स्वतंत्र थी। वह अपना पति चयन में किसी सीमा तक अनुमति प्राप्त कर लेती थी फिर भी रिगु वेद की रचना में ऐसे भी उदाहरण है कि महिलाओं का अपहरण किया जाता था, यथा पुरूमित्रा का अपहरण संघा मित्र द्वारा किया गया था। पारिग्रहण में कन्यापक्ष के लोग वरपक्ष को वरमूल्य प्रदान करते थे। उसी साहित्य में वहुपत्नी विवाह के उल्लेख प्राप्त होते हैं। यदि दुल्हन में शारीरिक विकलांगता पाई जाती थी तो उसके पिता को वरमूल्य चुकाना पड़ता था उस

विकलांगता की भरपाई करने में। रिगुवेद काल में 'सती प्रथा' नहीं पाई जाती थी। विधवाओं की पुनः विवाह करने की अनुमति थी।

अर्थ वेद में, यत्र-तत्र सती प्रथा की झलक प्राप्त होती है, यह सम्भवतः सामाजिक परिवर्तन के कारण था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन बड़ा दयनीय हो जाता था इसलिए विवाहित महिला भारतीय साहित्य में कहीं भी यह प्रसंग नहीं आत्मसात होता कि व्यक्ति को कभी-भी विधुर होना चाहिए यह कहा जाता था कि वह व्यक्ति सौभाग्य शाली होता जिसकी पत्नी मर जाती और वह दुर्भाग्य शाली जिसकी गाय मर जाती। इस प्रकार विवाहित महिला की सामाजिक प्रस्थिति गाय में भी निम्न थी जैसा कि गाय क्रय करने में धन देना होता तथा विवाहित धन लेती थी।

यज्ञ के समय, पत्नी अपने पति के साथ बैठती थी परन्तु उसके पास उसे यज्ञ का कोई क्रम का निष्पादन नहीं करना पड़ता था। उसकी भूमिका इतनी नगण्य थो कि श्रीराम ने यज्ञ की पूर्णता सीता की स्वर्णमूर्ति को अपने साथ बिठाकर की थी। गौतम ने अपने धर्म सूत्र में कहा है कि-"महिला का धार्मिक कर्मकाण्डों में सहभागी होने की स्वतंत्रता नहीं थी।"

महिला शिक्षा के सन्दर्भ में, हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए सर्वथा बंद था। रिगुवेद में कुछ महिला सन्तों के नाम उद्यृत किए गये हैं यथा- "विश्ववारा", 'अपाला' एवं 'गोधा'। जब हम अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते है तो हमे ज्ञात होता है शनै-शनै महिलाएं अध्ययन करने के स्वत्व को लोप करती गई। तैतृये अपयका में महिला शिक्षा के बारे में संज्ञान में आता है कि महिला यद्यपि स्त्री लिंग है परन्तु वह पुरूष ही होती है।

रिगु वेद के काल में वहुपत्नी विवाह का अवलोकन होता है। पुरूष व महिला एक से अधिक पति-पत्नी रख सकते थे। परन्तु कुछ समय के बाद स्त्री

का यह अधिकार समाप्त हो गया। 'तैतृय' संहिता में तथा ब्राहण' में यह उल्लेख किया गया है कि ''एक यज्ञ में एक लकड़ी में दो वस्त्रों का बन्धन बाधा जा सकता है इस प्रकार एक पुरूष दो स्त्रीयों को रख सकता है। व्याख्या यह दी गई है कि वस्त्र का टुकड़ा दो शक्त लड़कियों को बन्धन में नहीं बांधकर रख सकता। अतः पत्नी को दो पति रखने का स्वत्व नहीं''। तैतृय संहिता में यह भी उल्लेख प्राप्त होता है विवाह में पिता द्वारा अपनी द्वितीय कन्या को दहेज में नहीं दिया जा सकता परन्तु पति के परिवार को अवश्य। इसके परिणाम स्वरूप आज भी एक परिवार में दो संगी बहिनों के परिग्रहण सम्पन्न हो रहे हैं। आज सासु-सासुर दुल्हन को धमकी देते है कि तेरी बहिन को दूसरे लड़के के लिए विवाह कर ले आयेंगे।

अत्रैय ब्राहाण में एक उत्तम ग्रहणी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है-''जो अपने पति को सन्तुष्ट रखती है, जो पुत्र को जम्न देती है तथा अपने पति के सम्मुख तर्क नहीं करती है? विवाह के मंत्रों में यह कहा गया है कि पत्नी को उसके पति के प्रति भवदीय होना चाहिए, उसे अपने पति के आदेशों का पालन करना चाहिए तथा पति के अनुसार कर्त्तव्य परायण होना चाहिए। किसी भी स्थान पर यह उल्लेख नहीं मिलता कि स्त्री के भी एक दिल होता है कि उसकी भी इच्छाए होती हैं और उसे भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पत्नी की मुख्य भूमिका पुत्र उत्पन्न करना है। यदि वह पुत्र उत्पन्न नहीं करती दस वर्ष तक विवाह उपरान्त तो वह रेगिस्तान हो जाती है। यदि वह पुत्री उत्पन्न करती है तो उसे 12 वर्ष के बाद त्याग देना चाहिए।

'सोमयाग', अंगनी पत्नीवत' में उल्लेख मिलता है कि पत्नी पीटने से कमजोर होती है अतः उसे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता साथ ही अपनी सम्पत्ति पर। वशिष्ट धर्म सूत्र के अनुसार यह कहा गया है कि- जिस प्रकार विवाह का संरक्षण उसके पिता द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार विवाह उपरान्त उसके

पति द्वारा, तथा वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा किया जाता है, वह स्वतंत्र होने हेतु उपयुक्त नहीं है।

धीरे-धीर, जाति तथा सामुदायिक बन्धन कमजोर हुए तब संयुक्त परिवारों का उदभव हुआ। पति परिवार का सौलहआना स्वामी बना तो उसे एक अनेक विवाह करने की अनुमति मिली परन्तु पत्नी को एक से अधिक विवाह करने की कभी-भी अनुमति आत्मसात नहीं हुई। वह किसी अन्य को न देख सकती थी न विचार कर सकती थी तथा ऐसा करना उसके लिए पाप था।

लैंगिक अपराध के मामले में समाज में पुरूष एवंम् स्त्री के बारे में दो पृथक-पृथक मान्यताऐं थी। स्त्री परगमन स्त्री के लिए अपराध था परन्तु पुरूष पर स्त्री गमन अपराध था। एक देश जिसमें पुरूष लिंग न हो वह उसके लिए हम कोई उत्तम आशा नहीं रख सकते।

दो मुख्य पत्नी की परिभाषाएं देखने को मिलती है -(अ) 'पुत्र की मां' (ब) उपभोग की वस्तु'। इस प्रकार स्त्री एक दान की अनुक्रमाणिका में स्थान रखती है। उसे सम्पत्ति के रूप में जाना गया जिसे घूतक्रीड़ा में दांव पर लगाया गया। यह दृश्य रिगु वेद काल के 'महाभारत' में अवलोका जा सकता है।

यह भी परम्परा थी, कि पत्नी को अपने पति को भोजन कराकर उसके उपरान्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पति ने ही उसके लिए खाने हेतु अपने भोजन में से छोड़ा है। यह दृश्य उत्तरवैदिक युग का है। इसके 2000 वर्ष तक स्त्री बन्धन में जकड़ी रही। उसे मात्र सेवक का स्तर प्राप्त हुआ और उसने अपनी स्वतंत्रता गवा दी। यह बात अब और तब वह नहीं ज्ञात कर पाई। स्त्री ने बिना कुछ कहे यह दासता की प्रस्थिति ग्रहण कर ली कि उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। यह कहा गया कि इस शताब्दी में स्त्री अपनी प्रस्थिति के प्रति चेतन्य है।

रिगु वेद , स्त्री के आर्थिक स्वत्व के बारे में पूर्णतः मूक है। वैदिक युग में, स्त्री ऊन काटती थी, पानी ढोकर लाती थी, पशु-पालन करती थी तथा पति के घर के सभी कार्य सम्पन्न करती थी परन्तु इसके लिए उसे कभी वेतन नहीं दिया गया। माता-पिता का विवाह तक उसका भार उठाना पड़ता था। अत्री ने अपनी संहिता में वर्णन किया है कि अविवाहित लड़की को अपने पिता तथा भाई की सम्पत्ति में अधिकार था परन्तु उसका कोई व्यवहारिक उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यथार्थ में स्त्री अनपढ़ थी अतः उसने किसी पेशे को नहीं अपनाया कुछ धर्मो में पुस्तकें उल्लेख करती हैं कि आपत्ति तथा अभाव के समय, पिता की अनुमति से लड़कियां क्रय व विक्रय की जाती थी।

गौतम ने अपने धर्म सूत्र में व्याख्या की है अस्थापित व अविवाहित का पिता की सम्पत्ति में अधिकार था। मनु ने स्मृति में कहा कि गृह की आर्थिक व्यवस्था में अधिकार देना चाहिए, उसे घर का अन्य कार्य भी आवंटन किया जाय।

बच्चों की वैधता की परिभाषा में, यह अनिवार्य हो गया थाि कि पत्नी को कठोर नियंत्रण में रखा जाय और इसके लिए एक निहायत प्रक्रिया अपनाई गई कि उसको हर समय कार्य में संलग्न रखा जाय। इस काय्र हेतु उसको भुगतान न किया जाय तथा सदैव वह पति के परिवार पर भार बनी रहे।

पति की मृत्यु के बाद, स्त्री परिवार के लिए भार थी। कृषि समाज में जहां संयुक्त परिवार अस्तित्व में थे। उस समय सम्पत्ति की गई थी - विधवा को जला दो, उसके मृत्यु पति के शरीर के साथ यहां से सती प्रथा प्रारम्भ हुई थी।

1. प्राचीन भारत में महिलाऐं : महिलाओं की प्रस्थिति पूर्व वैदिक काल की अवधि में एक समान थी। यह विश्वास किया जाता है कि जब आदमी पूर्व इतिहास काल में रहता था तब वह घुमक्कड़ था। भोजन एकत्र करना उसका मुख्य व्यवसाय था। संस्कृति तथा सभ्यता उससे दूर थी वह भोजन लाने वाला बन गया था तथा उसने

धीरे-धीरे भोजन एकत्र करने की शैली में परिवर्तन किया । व्यक्ति ने नदियों की घाटियों में ठहरना प्रारम्भ किया । सिन्धु घाटी की सभ्यता जो भारत की प्रथम सभ्यता कही जाती है वह 25 वी शताब्दी में (बी.सी.) सब्जबाग थी । इस सभ्यता के अर्न्तगत, एतिहासिक प्रमाण बताते है कि लोग प्रकृति शक्ति की पूजा करते थे । जो सन्दर्भ मिलते है उनमें देवियों की पूजा मिलती है । उनका स्वभाव मां जैसा पाया जाता है । सिन्धु घाटी सभ्यता में माताऐं (देवी) के रूप में व्यक्ति के द्वारा पूजी जाती है । इन तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिन्धु सभ्यता मौलिक रूप में मातृात्मक थी । मां का उसके बच्चों पर नियंत्रण था । एक पत्नी विवाह की परम्परा बाद में विकसित हुई तथा पुरूष की भूमिका एक पिता के रूप में नहीं पहिचानी गई ।

यहां अनेक प्रमाण हैं जिनसे विश्वास किया जाता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में लिंग असमानता नहीं थी । पूर्व ऐतिहासिक भारत में बहुपति विवाह मातृत्मक समुदायों में था । बच्चे के जन्म में पिता का पता नहीं चलता था । इसलिए महिलाएं ही घर की स्वामी हुआ करती थी जो बच्चों तथा तरूणों द्वारा सम्मानित थी तथा वे उन पर नियंत्रण रखती थी । बहुत अधिक पुरानी विश्व सभ्यताओं में मातृत्मक परिवार ही पाये जाते थे । पूर्व ऐतिहासिक युग में समुदाय स्थाई रूप से नहीं बसे थे, वे भोजन की तलास में यहां से वहां घूमा करते थे । इसमें उनका पर्याप्त समय व्यतीत होता था । उस समय पुरूष तथा स्त्री दोनों का समय भोजन की तलास में लगता था । बस यही एक आर्थिक उनका कार्य था । इसलिए यहां अनेक कारण है कि यह विश्वास करना पड़ता है कि पुरूष तथा स्त्री का आर्थिक जीवन में समान भागीदारी थी ।

2. वैदिक साहित्य में महिला की छवि : वैदिक काल ऐतिहासिक विकास का साक्षी है मनुष्य कितना सभ्य था, जिसमें वह घुमक्कड़ से एक स्थान पर निवासी बना । पूर्व

वैदिक काल की अवधि में अनेक ऐसे प्रमाण मिलते है जिनसे विदित होता है कि घरेलू कार्यो में महिलाओं का सम्मान तथा अवसर दिए जाते थे। वह अपने बच्चों की जननी, रक्षक तथा शिक्षक के रूप में स्वीकार की जाती थी। महिलाओं को अपने पतियों के साथ बलि प्रदान करने का अवसर प्राप्त था। व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता था जब तक वह धार्मिक कार्यो में अपनी पत्नी को नहीं शामिल करता था। क्वारों के द्वारा प्रदान की गई सेवाऐं देवता स्वीकार नहीं करते थे। उस काल में सती प्रथा नहीं थी। विधवा माताऐं उनके पुत्रों के द्वारा सुरक्षित थी रिगुवेद वैदिक साहित्य की प्रथम लिखित ग्रन्थ है जो भारत में आये लोगों के ऊपर प्रकाश डालता है वे घुमक्कड़ ही थे। उस समय समाज कृषि का कार्य नहीं करती थी। वे केवल भोजन एकत्र करने वाले थे। रिगुवेद काल में समाज विशेष रूप से गड़रिया के रूप में था जो अतिरिक्त नहीं पैदा करता था जो किसी अन्य को अपनी अधीनिस्तता में रख सखे सके अथवा उत्पादन की प्रक्रिया से भी अलग नहीं किया जा सकता था। उस समय पुरूष स्त्री दोनों भोजन एकत्र करते थे और आंशिक रूप से संजीवनी हेतु संघर्ष करते थे। प्रत्येक परिवार एकल आर्थिक ईकाई था। उनमें लिंग के आधार पर तथा विशिष्ठता के आधार पर कोई भेद नहीं था। पुरूष और महिला, राजनीति, अर्थ तथा धार्मिक मामलों में समानता से सहभागिता करती थी। जो संगठन के रूप में प्रकार्यात्मक सरलता थी। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में महिलाओं की तुलनात्मक अच्छी दशा थी। शिक्षा, धर्म, अधिकार, स्वतंत्रता तथा अभिमान के उपागम में उसकी समान पहुँच थी।

धीरे-धीरे मातृत्मक परिवार पितृात्मक परिवारों में परिवर्तन हुये और समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आया। वैदिक साहित्य - ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों में महिला की सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक सीमा निश्चित होती लिखी गई है। इसके अनुसार स्त्री को इन ग्रन्थों में लिखे नियमानुसार जीवन व्यतीत करना

पड़ता था । उपनिषदों में ऐसे उल्लेख आये हैं । हिन्दू संस्कृति जिसके द्वारा परम्पराओं से स्त्री जीवन मार्ग दर्शित होता था। जब तक मध्य युग नहीं आया।

उपनिषदों ने महिलाओं के बारे में अति उत्तम रूढ़ियों का निर्माण भारत में किया। ब्राह्मणयक उपनिषद में याज्ञ बक कहता है कि महिला का आभूषणों, वस्त्रों से भोजन से उनके पति के द्वारा सम्मान होना चाहिए, बहनोई द्वारा तथा उसके ममेरे रिस्तेदारों द्वारा। स्त्री के लिए उसका पति स्वामी है तथा सर्वश्व है। पति के लिए उसे स्वामी भक्ति होना चाहिए तथा उसे ही प्यार करना चाहिए । स्त्री को उसके प्रति कर्त्तव्य परायण होना चाहिए तथा उसका सम्मान करना चाहिए। सबसे नम्र एक महिला का कर्त्तव्य है कि उसे मातृत्व का धर्म निभाना चाहिए।

ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषद वैदों के संलग्नक टिप्पणी हैं जो पूर्वोत्तर वैदिक युग पर प्रकाश डालते हैं ब्राह्मण ग्रन्थों में स्त्रीयों की परम्परागत प्रस्थिति को सीमित करते हैं उसके सामाजिक जीवन में सिर्फ धार्मिक क्रिया कलापों को छोड़कर। इस काल में स्त्री की राजनैतिक स्वतंत्रता कम कर दी गई थी। उसका जीवन चार दीवारी में बन्द कर दिया गया।

3. उत्तर वैदिक युग में महिलाओं की प्रस्थिति : रामायण एवं महाभारत भारत के महान ग्रन्थ हैं। मानव जीवन की शैली जो इन ग्रन्थों में वर्णित की गई है उसमें समकालीन सामायिक तथा आर्थिक वास्तविकता दर्शायी गई है । महाभारत जो आनुमानित रूप से रामायण के बाद की कृति है । रामायण व महाभारत में जो सामाजिक जीवन चित्रित किया गया है वह प्रथम लिखित अभिलेख है कि हिन्दू कैसे रहते थे। विवाह का जो लोकप्रिय रूप हमे दिखाई देता है वह 'स्वयंम्बर' था, विशेषकर उच्च जातियों में। इस प्रकार की प्राचीन शादियों में महिलाओं को अपने पति को चयन का अधिकार था । सीता रामायण में तथा द्रोपती महाभारत में 'स्वयंम्बर' विवाह के द्वारा ही व्याही गई। आधुनिक युग में 'स्वयंम्बर' दुल्हन को

चयन करने की स्वतंत्रता नहीं देता क्योंकि उसके पति चुनने की स्वतंत्रता सीमित थी। स्वयंवर संस्थान में महिला विवाह के लिए वाध्य होती थी प्रतियोगिता में विजेता के साथ शादी करने के लिए'

रामायण व महाभारत ने भी महिलाओं के धार्मिक स्वरूप के पूर्वाग्रह पर अमल किया। जैसा कि उपनिषद में बताया गया था। इन ग्रन्थों ने सीता, कौशल्या, द्रोपती, सावित्री तथा कुन्ती महिलाओं को गुण वती तथा मर्यादा से पूर्ण चित्रित किया जो भारतीय मातृत्व की वेमिसाल मूर्ति थी सीता पतिव्रता थी। राजा जनक ने उसे धार्मिक शिक्षा प्रदान की थी ताकि वह सच्ची सह अर्द्धांगिनी प्रमाणित हो। वह मात्र राम के प्रति वफादार रही तथा क्षमा की मूर्ति थी। यहां सीता ने केवल यही प्रमाणित किया कि उसका आत्मात्मिक मार्गदर्शक उसका पति है। उसमें स्वयं वलिदान करने की प्रवृत्ति, समायोजना का गुण, आस्तिक होने का विश्वास, सरलता, ये सभी गुण उसे अमर सावित करते हैं (पचौरी, 1999:82) आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों महिलाऐं सीता को आदर्श मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह अब भी प्रश्न उठता है कि क्या सीता ने भी राम की भाँति स्वतंत्रता तथा सहजता प्राप्त की थी या नहीं ?यह भी सन्देहपूर्ण है कि सीता ने समानता किस रूप में आत्मसात की। हम असहाय है यह सब जानने के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राम दरबार में रहा। सीता महिला का महान आदर्श रूप था परन्तु शक्ति हीनता का प्रतीक, वह पूर्णरूप से असहाय महिला थी, रामायण युग की। वह अकेली मां थी जिसने अपने गर्भ में पलते गर्भ की रक्षा की।''

सूत्रास : ''सूत्रों का लेखन भी, उपनिषदों के लेखन का समकालीन है। सूत्रों की रचना 500 से 200 वी.सी. शताब्दी में हुई। इन्होंने भारतीय महिला की परम्परागत छवि निर्माण की। धर्म सूत्र जो गृहा सूत्र का प्रसार है बताता है कि

विवाह अग्नि के सम्मुख रचाया जाता था जो अन्तिम सच्चाई का प्रतीक है। इस प्रकार महिला का अस्तित्व पुरूष के साथ जोड़ दिया गया अग्नि को साक्षी मानकर जीवनभर स्वामी के रूप में जीवन व्यतीत करना तथा मृत्यु शरीर को पवित्र अग्नि से जलाकर बुझा दिया जाता था'' (पचौरी, 1999:79)।

मनुस्मृति : हम महिला जीवन की एक मित्र छवि से भी आँखे नहीं मूद सकते जो कि वैदिक ग्रन्थों में वर्णित की गई है प्राचीन भारत में जिसमें महिलाओं की प्रस्थिति का दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है जब हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। मनु के अनुसार, महिला जीवन की हर अवस्था में रक्षा एवं सम्मान करना चाहिए। मनु के अनुसार स्त्री को दिन-रात स्त्री के द्वारा ही पुरूष के नियंत्रण में रखना चाहिए। उसके पिता को उसके (स्त्री) बाल्यकाल का अनुरक्षण करना चाहिए पति को उसकी युवावस्था में रक्षा करनी चाहिए। एक स्त्री अपनी किसी अवस्था में स्वतंत्र जीने योग्य नहीं है। मनु के अनुसार ईश्वर ने ही उसे योग्य बना दिया है जैसे- भूषणों के प्रति प्यार करना, अपवित्र इच्छाए रखना, बेईमानी पर तथा दुराचरण करना। मनु ने उन परिस्थितियों जिनके अर्न्तगत एक महिला को छोड़ देना चाहिए -जब वह मद्यपान करे, अनैतिक लोगों के साथ सहचर्य करे, पति से त्याज्य, खुले में चक्कर मारती हो, बिलम्ब से सोती हो तथा दूसरे के साथ सहवास करती हो ये छः कारण ही उसे भंग कर देते हैं। मनु आगे लिखते है कि- सदैव साथ बने रहने वाले पति की पूजा की जानी चाहिए लेकिन एक बुरी पत्नी को दूसरी पत्नी लाकर पहली को दवा देना चाहिए फिर भी यदि पति दुराचारी हो तो भी उसकी सतत पूजा करनी चाहिए, ईश्वर के समान एक भवदीय पत्नी बनकर। बाँझ औरत को 8 वर्ष के बाद पृथक कर देना चाहिए। एक वह पत्नी जिसके बच्चे मर गये हो दस बार। और वह जिसके एक लड़की हो ग्यारे वर्ष में, लेकिन वह झगड़ालू हो तो उसे बिना बिलम्व किए छोड़ देना चाहिए। एक पत्नी जिसे छोड़ दिया

जाता है क्रोधवस ओर वह पति का घर छोड़ गई हो उसे घर के सम्मुख फैक देना चाहिए।''

गन्धारी, महाभारत की गन्धारी नम्रतम आदर्श नारी थी । उसने सच्ची अर्द्धांगिनी की भूमिका निभाई । उसने अपने अन्धे पति धृतराष्ट्र के जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बाधकर जीवन बिताया। क्या गन्धारी ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी आंखे दुखदायी बनायी ? क्या वह अपने अंधे पति की केवल मार्गदर्शक ही नहीं बनी। यदि वह ऐसा नहीं करती ? परन्तु उसने इस प्रसंग में बहादुरी दिखाई जबकि उसका पति असत्य के पक्ष पर चल रहा था। क्या उसने अन्याय न देखने के लिए अपनी नेत्र ज्योति जख्मी की ?

कुन्ती : महाभारत कालीन यह दूसरी नारी है जिसमें स्वयं बलिदान एवं धैर्य की मूर्ति थी । द्रोपती, महाभारत की मुख्य नायका थी जिसमें साहस था, मर्यादा का जिसको ध्यान था तथा न्याय की उसमें भावना थी। उसकी कोमल आत्मा, उसका कभी-भी असफल होने वाला साहस, दुर्घटना के सम्मुख न टिक सका। उसकी चेतना तथा आत्म बलिदान और इससे भी ऊपर, उसकी मौलिकता व उसकी आत्मात्मिक सत्यनिष्ठा प्राचीन भारत का स्त्रीत्व सब कुछ ढेर हो गया जब उसे दुर्योधन ने अपनी संसद के बीच अपनी गोदी में बैठाया। महाभारत में अभिजात वर्ग की महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है न कि शूद्र महिलाओं का।

भागवतगीता : जो हिन्दुओं की पवित्र पुस्तक है उसमें नारी को वैश्या तथा शूद्रा के रूप में चित्रित किया गया है सभी महिलाओं को पाप जन्मी माना गया है। दण्ड की दृष्टि में शूद्र तथा नारी को एक से अपराध के लिए समान दण्ड की व्यवस्था वहां दिखाई देती है। उस वक्त समाज नारी की प्रस्थिति एक अधीनस्त की ही थी। महिला की राजनैमिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रस्थिति सदा इसकाल में उपेक्षित रखी गई।

हम देखते है कि धीरे-धीरे भारत के वैदिक युग में महिला की प्रस्थिति में ह्रास होता गया। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जातिवाद तथा संस्कारवाद गहरी जगह बन चुका था। बाल विवाह तथा सती प्रथा समाज लोकप्रिय थे। बुद्धिजम एवं जैनिजम एक परिवर्तित धर्म के रूप में जाति विहीन सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रगट हुये। इन दोनों धर्मो ने पुरूष व स्त्री के बीच समानता की भविष्य वाणी की परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कुछ कम प्रभाव पड़ा। जो मेधावी थे उन्होंने इसका शक्ति के साथ जाति व्यवस्था का विरोध किया उस समय तक जब तक मुसलिम नहीं आये। हिन्दू दर्शन उस समय जीवन का मार्ग दर्शन मानी जाती थी। पितृात्म सामाजिक ढांचा वापिस हो गया था धर्म की स्वीकृति के साथ जिसमें लिंग असमानता, आर्थिक, राजनैतिक तथ सामाजिक जीवन से आने लगी थी। वैदिक युग में महिलाओं की शिक्ष स्वीकृति थी, वह अब उसे धीरे-धीरे नकारा जा रहा था और बाद में लडकियों को शिक्षा देना बंद कर दिया गया था। उपनयन संस्कार जो वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व किया जाता था उसे निषेध कर दिया गया था महिलाओं के लिए तथा शूद्रों हेतु मनु के विधान से। इस प्रकार महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बन्द कर दिए थे।

बाल विवाह को संस्कारों की शुद्धता बनाये रखने के लिए स्वीकार कर लिए गया था। महिला ही इस शुद्धता में एक खास भूमिका निभाती थी। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की महिला के साथ सहवास करता है तो उससे महिला की पवित्रता ही नष्ट नहीं होती अपितु उस सारे समुदाय की जिसकी वह घरवाली है। इस प्रकार महिला की रतिक्रीड़ा से पवित्रता जोड़ी गई। इसको बाल विवाह से समाधान करना पड़ा। 18 वी. शताब्दी में विवाह की लड़की की आयु 9 से 10 वर्ष की थी। (पचौरी, 1999:136) पूर्वोत्तर वैदिक युग में विधवाओं की प्रस्थिति बड़ी दयनीय थी। एलवरूनी के अनुसार विधवा पुर्नविवाह निर्षध था।

4. मध्य काल में महिला प्रस्थिति : मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग 500 वर्ष (ऐ.डी.1200 से ऐ.डी. 1700) फैला हुआ है । यह पूर्णरूपेण मुसलिमों का ऐतिहासिक काल है। इस काल में एक नवीन धर्म का उद्भव हुआ । वह था सिख धर्म । जिसका सम्मेलन हिन्दू तथा मुसलिमों के उत्तम तत्वों से हुआ । इस काल में भक्ति आन्दोलन अधिक प्रसिद्ध रहा । इस मध्यकाल में महिलाओं के सशक्तीकरण कार्य हुए। वे जाति विरूद्ध सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन थे।

मोहम्मद साहब ने इस्लाम में महिलाओं को महत्व प्रदान किया । उनके पुत्र नहीं था । मुसलिमों का भारत में आगमन एक लड़ाकू वर्ग के रूप में हुआ । उनके शाषन काल को दो कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम दिल्ली सुल्तानी तथा दूसरा मुगलकाल । दिल्ली की सुल्तानी पर केवल एक ही महिला सिंहासन रूढ हुई जिसे रजिया सुल्तान कहते है। वह केवल बुद्धिमान शाषक ही नहीं अपितु अदम्य साहसी महिला थी । उसने भारत में शसक्त महिला के रूप में भूमिका का निवर्हन किया। अन्य मुसलिम महिलाओं ने भी मध्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की।

मुगल काल में, भारत में सब महत्वपूर्ण महिलाओं ने अपनी प्रस्थिति में वृद्धि की। कुल नगर, बावर की मां ने अपने पुत्र को बड़ी बुद्धिमान पूर्ण सलाह दी। अपने पिता की विरासत को सही सलामत करने के लिय उसने एक विशेष अभियान चलाया था। इतिहास में मिलता है कि नूरजहाँ तथा जहाँनआरा की राज्य के मामलों में पूर्ण सहभागिता की। गुलबदन वैगम में एक असाधारण कवि का व्यक्तितत्व था। उसने हिमायूं नामा की रचना की जिसे हिमायूं के काल की समकालीन मूल्यवान अभिलेख के रूप में पहचान प्राप्त हुई। भारत की मुसलिम रानी के रूप में बिना सन्हेह के नूरजहां ही थी जो एक ओर अद्वितीय सुन्दर तथा सेन्य बहादुरी की वेमिसाल थी। उसे नूर महल की पदवी से अलंकृति किया गया। नूरजहांन (विश्व

की रोशनी)। वह अपने दूसरे पति जिसका नाम जहांगीर था के प्रति स्वामीभक्ति थी। मुमताज महल सौंदर्य की राजकुमारी थी और साथ ही आस्तिक एवं बुद्धि प्रिय। इस प्रकार भारत ने मुसलिम नायिकाओं की भी प्राप्ती थी। चाँद बीबी जो 16 शताब्दी के अर्द्ध में रही, निश्चित रूप से महान थी। वह अरबी और परासियन भाषा की विद्वान थी उसने अनेक प्रसिद्ध प्राप्त लोगों का सम्मान किया। एक को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी बड़े घरानों की महिलाऐं थी। सामान्य दर्ज की महिलाओं के साथ असमानता थी।

मुगलकाल में हिन्दू महिलाओं का सामाजिक जीवन में भीतरी अनेक परिवर्तन आए। हिन्दुओं में पर्दा प्रथा का जन्म इसी काल में हुआ। हिन्दुओं से इस्लाम धर्म में धर्मान्तिरण हुआ। इस प्रकार जिन परिवारों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उनकी महिलाओं की प्रस्थिति वेहतर हो गई थी। तुलनात्मक हिन्दु महिलाओंसे। मुगल शासन के बाद पर्दा प्रथा और शांति हो गई थी। सवर्ण वर्ग की महिलाएं मुसलिमों की पत्नी बनने से पूर्व सती होना बेहतर मानती थी। राजपूत उन दिनों सती प्रथा को कम बुराई मानते थे बजाय उनकी महिलाऐं पकड़ी जाय। सामान्य स्त्री का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में कोई सहभागिता नहीं थी। केवन अभिजात्य वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी तथा राजनीति में भाग लेती थी। दूसरा प्रसिद्ध प्राप्त समूह देव दासियों का था। वैदिक युग के बाद और मध्यकाल के प्रारम्भ में अभिजात्य वर्ग में देवदासियों का समूह बड़ा और उन्होंने कला तथा साहित्य में शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे शाही मेहमानों का मनोरंजन करने में प्रशिक्षित थी।

भक्ति आन्दोलन जो मध्यकाल में फला-फूला, उसने पुरूषों तथा महिलाओं के एक नये समूह को जन्म दिया जिसने लड़कियों की देख-रेख कम की। इस भक्ति काल में महिलाओं की प्रगति की नवीन किरण विकीर्ण हुई जिसे मध्यकाल

के सन्तों ने फैलाया। उन्होंने भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त की बात कही। उसके लिए पंडितों तथा पुरोहितों की आवश्यकता हुई। भक्ति आन्दोलन ने मीरा जैसी महिला को जन्म दिया। इस प्रकार महिलाएं बिना किसी जाति, रंग तथा मजहव के इन आन्दोलनों में सहभागिता करती थी। भक्ति आन्दोलनों तथा सत्संगों ने महिलाओं को समानता से भाग लेने का दरवाजा खोला। आश्चर्य की बात नहीं भक्ति आन्दोलन ने महिला सन्त मीरा को जन्म दिया पश्चिम में लल्ला को। परन्तु भक्ति आन्दोलन सामाजिक संरचना में बराबरी नहीं ला पाया, और वैयक्तिक रूप में मोक्ष दिलाता रहा।

सिख धर्म मध्य युग का अविष्कार है। गुरू नानक द्वारा इसका पोषण इसी काल में किया गया। प्रारम्भ में यह एक अध्यात्मिक आन्दोलन ही था। जिसे व्यक्ति ईश्वर का साक्षत्कार करता था। यह एक ओर से इस्लामिक दर्शन का अनुकूलन था। सिक्खों का ईश्वर इस्लाम जैसा ही था। परन्तु सिख धर्म का आचरण हिन्दुओं के नजदीक था। भारत के संविधान में सिख, वौद्ध तथा जैन को हिन्दू छतरी के नीचे ही माना है। सिखों की महिलाऐं हिन्दू महिलाऐं जैसी ही हैं। उनकी भी वही समस्याऐं हैं जो हिन्दू स्त्रीयों की।

5. आधुनिक काल की महिला की प्रस्थिति : आधुनिक भारत का समय ऐ.डी. 1700 से ऐ.डी. 1947 माना जाता है। 18 एवं 19 वीं शताब्दी के आध्यात्मिक पृष्टभूमि में पूरे विश्व में यह मांग उठ खड़ी हुई कि स्वतंत्रता को स्थापित किया जाये और सम्यक समाज की रचना की जाय जिसमें महिला की पुरूष के समान सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति हो। भारत में जाति व्यवस्था को चुनौती दी गई। निवेशवाद भंग हुआ। भारत की अर्थ व्यवस्था में सभी कार्मिक इधर से उधर हुए और उन्होंने ग्रामों से नगरों तथा महानगरों की ओर प्रवजन करना प्रारम्भ किया आधुनिक कारखानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए। नवीन भूमि राजस्व ने

ग्रामीण तथा जन जातियों महिलाओं के परम्परागत अधिकार जो जंगलों से, समुदाय की सम्पत्ति से, कृषि भूमि से जुडे थे, कम हुए क्योंकि उन्हें विक्रय किया गया, दूसरे के नाम बेचा न किया गया तथा जोतों से पृथक कर दिया गया। परिणाम स्वरूप नयाएक मध्य वर्ग, इससे उदित हुआ जिन्हें जमींदार कहा गया, जिन्होंने उपनिवेशी लोगों से हाथ मिलाया और कृषकों को मजबूत किया।

भारत का आधुनिकीकरण यूरोपियन के आगमन से प्रारम्भ हुआ। यद्यपि यूरोपियन भारत में 15 शताब्दी के पूर्व से ही उपनिवेशों में उपस्थिति थे। जिनका प्रभाव 19 वीं शताब्दी में दिखाई देता था जब विक्टोरिया की विट्रिस सरकार उपनिवेश शक्ति को स्थापित कर चुकी थी। विट्रिस शाषन के प्रारम्भ में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति निम्नस्तर की थी। सती प्रथा प्रमाण के रूप में व्यवहार में थी। मुसलिम महिलाओं पर पर्दा शक्ति से थुपा हुआ था। लडकियों का नृत्य-गायन चलता-फिरता एक व्यवसाय था। प्रत्येक हिन्दू मंदिर में देव-दासी प्रथा थी। बिना संदेह यह कहा जा सकता है कि विट्रिस शाषन ने इन सब बुराईयों पर नियंत्रण किया।

बिट्रिस जीवन शैली भारत वासियों को प्रभावित करने लगी। बिट्रिस सरकार ने जाति सामाजिक प्रथा का सुधार किया। उस समय कुछ विद्वान भारतीय थे जिन्होंने विट्रिस सरकार के सुधार कार्यक्रमों को जो दमनकारी सामाजिक व्यवस्था थी, उसका सर्मथन किया। जिसमें कानून बनाकर सती प्रथा का अन्त किया गया मानवीय आधार पर 4 दिसम्बर 1892 का विट्रिस सरकार ने यह विधेयक पारित किया जिसके अनुसार सती प्रथा को एक अपराध घोषित किया गया, जुर्मानें के साथ जेल तथा दोनों एक साथ। राजाराम मोहन राय ने इसके लिए भरपूर आन्दोलन किया। उसने तर्क दिया कि सती प्रथा धर्म की स्वीकृति नहीं है।

सती प्रथा का प्राकृतिक प्रभाव यह हुआ विधवाओं को पुर्न विवाह करने का अधिकार मिल गया।

सुधार आन्दोलन में अनेक खामियां थी जिनके कारण आन्दोलन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इन सुधार आन्दोलनों की कुछ सीमाऐं थीं। सुधार आन्दोलन एक समान थे भूत काल की प्रसिद्धि के बारे में, उसमें सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा सामान्य रूप से मुद्दे थे। जिनको अब वैदिक समर्थन प्राप्त न था। वैदिक युग की महिलाऐं तुलनात्मक अधिक शिक्षित तथा उन्हें सम्पत्ति का अधिकार था। मध्य काल में महिलाओं की प्रस्थिति से ह्रास हुआ। सुधार आन्दोलन का प्रभाव इस्लाम एवं इसाई धर्मालम्बियों पर भी पडा। इतिहासकारों ने प्रमाणित किया कि वैदिक युग की महिला की प्रस्थिति उत्तम होना एक मिथ्या ही थी। वैदिक युग में महिला की सामाजिक प्रस्थिति मध्ययुग से बेहतरन थी। इसके अनेक प्रमाण है यथार्थ में बहुत बुरी स्थिति थी।

अधिकांश सुधार आन्दोलन (ब्रह्म समाज 1825, प्रार्थना समाज, 1867 और आर्य समाज 1875) का नेतृत्व पुरूषों के द्वारा किया गया था जिन्होंने महिला की स्वतंत्रता तथा विकास की सीमा बांध दी थी। इन सुधारकों ने केवल उन्हीं प्रथाओं के ऊपर प्रहार किया जो अत्यन्त क्रूर थी और हिंसक जो मात्र सवर्ण जाति की महिलाओं को प्रभावित करती थी। कभी-भी रिस्तेदारी की संरचना में नहीं लागू हुई, विवाह की स्वीकृति, परिवार, लैंगिक श्रम-विभाजन महिला सुधारक पंडिता रमाबाई, रूकमाबाई तथा ताराबाई शिन्दे ने अपने समकालीन सुधारको की गलतियों पूर्वाग्रह की आलोचना की। थियोसोफकल सुसाइटी चैनई में डा. ऐनीबीसियन्ट द्वारा स्थापित की गई जिसने यूरोप से आकर इसे स्थापित किया। इसने सामान्य सुधार कार्यक्रमों का विकास किया। इसमें कोई विशेष लिंग समानता नहीं थी।

सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में सुधार आन्दोलन का एक महान उपलब्ध के रूप में माना जाने लगा। विधवा विवाह का एक कारण था उसे बनाये रखने में। दायबाग व्यवस्था में, विधवा मृत्यु पति की सम्पत्ति मानी जाती थी, यदि उसके पास बच्चा होता। सती प्रथा इस प्रकार उसका बचाव था। कानून ने सती को गैरकानूनी घोषित किया और विधीय सती को स्वीकार किया आन्दोलन अर्थात स्वेच्छा से सती होना। यह अधिनियम इस प्रकार विधवा का .... सरकारी सममति थी जो यथार्थ में इस प्रथा को बढ़ावा देता था (दत्ता, 1988:19)।

विधवा पुर्नविवाह 1856 के कानून के रूप में अस्तित्व में आया। विधवा पुर्नविवाह सवर्ण जाति का मुद्दा है जबकि विधवा पुर्नविवाह निम्नजाति के आचरण में पाया जाता है। विधवा वि Levirati स्वरूप में हरियाना के जाटों में स्वीकारा जाता है। इस प्रकार की परम्परागत शादियों में, विधवा को विवाह करने के निर्णय की प्रक्रिया में नहीं पूछा जाता। घर का मुखिया विधवा पुर्नविवाह का निर्णय लेता है जो अक्सर विधवा के विरुद्ध होता है। इस नव अधिनियम ने विधवा विवाह की घटनाओं को कम कर दिया। क्योंकि इसके आचरण से मृत्यु पति की सम्पत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता और बच्चों को उसके पति के सम्बन्धियों को प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार वह एक द्वविधा में फस जाती है कि बच्चे छोड़े अथवा पुर्नविवाह रचाये। निम्न जातियों की महिलाओं के साथ भी यही समस्या आती है जो विधवा को निर्भर बना देती है जो अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद कम विधवा पुर्न विवाह होतें हैं, वे विवाहित, विधवा जो किशोरी होती हैं, जिनके बच्चे नहीं होतें, विधवा जो किशोरी नहीं होती वे पुनः विवाह नहीं रचाती'' (कुमार, 1993:19)।

महिला शिक्षा साक्षरता को, ऐच्छिक प्राथमिकता के रूप में पहिचान प्रदान की गई। ईसाई मिशनरियों ने इस प्रसंग में अगुआई की और भारत में आधुनिक

शिक्षा प्रदान की। महिला प्रस्थिति की प्रौन्नति में ईसाई मिसनरियों ने सहायता की विशेषकर साक्षरता के प्रोत्साहन में, चिकित्सालय बनाने में तथा चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने में। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में तथा अन्य सामजिक सेवाओं के कार्यक्रमों जो गरीबों को उत्थान करने में, कुछ शिक्षित भारतीय जिसमें फ्रान्ससीना सौरावजी, रामाबाई रानाडे, उनमें प्रमुख थे। जो महिलाओं की शिक्षा हेतु कटिबद्ध थे। परिणाम स्वरूप वर्ष 1917 प्रथम महिला विश्वविद्यालय पूना में बनाया गया है।

सुधार के आन्दोलन में महिला शिक्षा एक सत्य तथा आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। किशोरिया प्रथम बार घर की चार दीवारी से बाहर शिक्षा ग्रहण हेतु आई। वर्ष 1927 में अखिलभारतीय महिला सम्मेलन हुआ जिसमें महिला शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा महिला के राजनैतिक अधिकार पर विचार विमर्श हुआ। महिलाओं को जो शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान किए गये उन्हें धन्यवाद दिया जाये जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। फिर भी वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था की कमियों को नजरान्दाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा को लड़कियों की मूर्ति के बारे में बनी परम्परागत विचार को साफ करने का यंत्र बनाया गया। पाठयक्रम में लड़कियों के कार्य एवं दायित्व को रखा गया, तथा वे कुशल ग्रहणी कैसे बने, बताया गया। परन्तु महिला के क्या अधिकार होता है, यह भी बताया गया।

विवेकानन्द के अनुसार, महिला का आदर्श उसके प्रथम मां तथा अन्त में मां मानने का है। हिन्दुओं के मन में मां का नाम ऊंचा है उसके मातृत्व का भगवान कहा जाता है। उन्होंने महिला को धर्म, कला, विज्ञान, गृहविज्ञान, स्वच्छता आदि की शिक्षा देने पर बहुत बल दिया है। वे बाल विवाह के शक्त विरोधी थे। वे इस बात को मानते थे कि महिला को स्वतंत्रता, स्वयं निर्णय एवं नायका बनने के मूल्य

को सिखाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत की दुर्दशा महिला की निम्न पद स्थिति तथा उसे दो नम्बर का नागरिक बनाने से हुई है। राम-किशन मिशन ने पुरूष एवं महिला के लिए समाज कार्य के सम्यक रूप से दरवाजे खोल दिए हैं। अनेक स्त्रीयों ने मिशन में प्रवेश लिया है तथा वे अपनी सेवाऐं स्वैच्छिक रूप से पूरे समय प्रदान कर रही है गरीबों व रोगी भाइयों को भारत में। इस मिशन ने महिलाओं में गतिशीलता की तथा सहभागिता में बृद्धि की है।

गांधी जी ने महिला सुधार के लिए पर्याप्त कार्य किया। वे महिला को अहिंसा का अवतार मानते थे। व्यापक प्रेम की मूर्ति जिसका अर्थ होता है कि व्यापक रूप से दुखों को वर्दास करने की क्षमता रखने वाली। वह और कौन केवल महिला है जिसमें अतुल दुख सहन की क्षमता है। हमे उसे नहीं भूलना चाहिए। वह अपना उच्चतम स्थान पुरूष के साथ मां के स्वरूप में, नेतृत्व उभारने में रखती है। उसे अधिकार है कि वह शांति को सिखाये इस अशान्त विश्व को (पचौरी, 1999:110) गांधी जी महिला को आत्म बलिदान का मानवीकरण मानते थे।

भारतीय महिला कांग्रेस : प्रथम राजनैतिक दल, जिसे वर्ष 1985 में ए.ओ. हूम ने स्थापित किया, ने महिला की सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के लिए कदम उठाये। कांग्रेस ने अनेक राष्ट्रीय महिला नेताओं को तैयार किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी आन्दोलनों में उन्होंने जमकर भाग लिया। कांग्रेस के नेता उनके बारे में पवित्र सम्मान रखते थे और उन्होंने स्वतंत्रता के आन्देालन में बढ़चढ़ कर भाग लेने को प्रोत्साहित करते थे जैसे कि सत्याग्रह एवं अवज्ञा आन्दोलन। कांग्रेस में स्वतंत्रता के पूर्व अनेक नीतियों के दस्तावेज तैयार किए जिसमें लिंग भेद नहीं किया गया जैसे कि 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा विजय लक्ष्मी का बनाने मे। नेहरू राजनीति में महिलाओं को समानता के अधिकार को स्वीकार करते थे

तथा उन्होंने आधारभूत अधिकारों में यह ध्यान में रखा जो कांग्रेस दल द्वारा पारित कराये।

जी.के.देवधर, जो सरवेन्ट आफ इन्डियन सुसाइटी के संस्थापक थे, ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग महिला की प्रस्थिति वृद्धि करने में व्यतीत किया। वी.के. कार्वे विधवा पुर्नविवाह के सशक्त पक्षधर थे जिन्हें महिलाओं की शिक्षा पर जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने महिला विश्वविद्यालय खोल कर हजारों महिलाओं की अज्ञानता का निवारण किया। आज के सन्दर्भ में उन्होंने समाज कार्य के क्षेत्र में एक महान प्रथम कार्य किया। इस विश्वविद्यालय ने सम्पूर्ण भारत में नव प्रकाश की ज्योति जगाई।

6. समकालीन भारत की महिलाऐं : भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन जो 1857 से पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था उससे समाज के निवासियों में बड़ी तेजी से सामाजिक परिवर्तन आया। इसमें पुरूष तथा महिलाओं ने भाग लिया गांधीजी के नेतृत्व में सभी जाति, धर्म की महिलाओं ने राष्ट्रीय इस राजनैतिक आन्दोलन में भाग लिया। इस प्रकार, इस राष्ट्रीय आन्दोलन ने महिलाओं को सामाजिक एवं राजनैतिक तौर वर सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया। इस आन्दोलन के बाद अनेक महिलाओं ने राजनैतिक रूप से कार्यकाल, सशक्तिकारण एवं प्रकाशमान रहा। स्वतंत्र भारत में अनेक महिलाओं को राजनैतिक क्षितिज पर उठने का अवसर प्राप्त हुआ। इन महिलाओं ने 20 वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकारण की नींव रखी।

नायका के माडल में महिला सशक्तिकरण का एनीवीसेन्ट ने उदाहरण प्रस्तुत किया। वेनकता सुव्वाराय, डा. मुथुलक्ष्मी रेडी, रूकमनी लक्ष्मीपति, श्रीमति दुर्गाबाई देसमुख, श्रीमती रूकमनी देवी, मदर टरेशा, सरोजनी नायडू, कमला नैहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, पुतलीबाई, एण्ड कस्तूरी बाई। उपरोक्त जिन महिलाओं का सन्दर्भ दिया गया है उनके अतिरिक्त उसमें मेडम कामा, बहिन

निवेदिता, पंडिता रमाबाई, मनीवैन पटेल, सुचेता कृपलानी, प्रभावती देवी आदि थी। जिन महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया उसमें दुर्गा मामी, सत्यावती देवी, खुॅशदवैन, लाड़ो रानी जुतसी, अरूना असरफ अली, ऊषा मेहता, प्रीति लता वाढेदर तथा अम्मू स्वामीनाथन मुख्य थी (खुल्लर, 2001)।

सरोजनी नायडू, जो महात्मा गांधी के अत्याधिक नजदीक थी, उन्हें जन्म जाति कवित्री तथा लेखक माना जाता था। उनका जीवन मैधावीय गुणों से सम्पन्न था। उसने क्रन्दन भारत की गरिमा को अपने गीतों में लेखन में तथा भाषणों में प्रस्तुत किया। कमला देवी एक विद्रोही के रूप में उतरी। उनका साहस, धैर्य एवं शक्ति युवाओं के लिए प्रेरणासूत्र बने। वह प्रथम महिला थी जिसने गांधी जी के साथ सर्वाज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। कमला नेहरू जो नेहरू की पत्नी थी वे चरित्र की धनी महिला थीं। उसने अपनी प्रसन्नता अपने पति के साथ बलिदान की विशेषकर नेहरू जब जेल में रहे अपने सम्पूर्ण जीवन भर। पुतलीबाई जो गांधी जी की मां थी तथा कस्तुरीबाई जो उनकी पत्नी थी, ये दो महिलाऐं जिन्होंने गांधी जी को महात्मा बनाया अपने जीवन काल में। ऐनीवीसेन्ट जो यद्यपि भारतीय नहीं थी, भारत की परम्पराओं का प्रतिनिधित्व में अभिन्न अंग थी। वे उपरोक्त सभी स्टटमेन की भांति प्रसिद्धि लेखक थी। भारत को स्वतंत्रता दिलाना उनका जीवन का मिशन था। उन्होंने उचित महिलाओं को प्रस्थिति प्रदान करने में अपनी भूमिका का निवर्हन किया और पुरूषों की भांति महिलाओं के लिए फ्रेंनचाइज हेतु मांग की।

अन्य महिलाऐं जिन्होने अपने आपको विभिन्न क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित किया उनमें वेनकता सुव्वाराव ही मद्रास सेवा सदन की संस्थापक थी तथा डा. मुथुललक्ष्मी रेडी जो प्रथम रूप में विट्रिस भारत की विधायका थी। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्य किया तथा हिन्दू सामाजिक विधानों में अनुकूल संशोधन हेतु दिए। अन्य विधायिकाओं में श्रीमती एस.

एम्बूजामल तथा श्रीमती एम्म् स्वामीनाथन, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो आन्ध्र प्रदेश की महिला सभा की संस्थापक थी तथा अन्य कल्याणकारी संगठनों की देश के अन्य प्रान्तों की। कला के क्षेत्र में श्रीमती रूकमनी देवी का योगदान बड़ा विचित्र था। उन्होंने कला क्षेत्र में भारतीय कला को जीवित रखने का भरपूर प्रयास किया।

विश्व की महान राजदूत के रूप में श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहिन थी के असाधारण स्टेटमेन के रूप में उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया। वे संयुक्त राज्य की प्रथम प्रतिनिधि बनी (1946-48), रूस की राजदूत (147-49) अमेरिका की (1949-51) तथा यू.के.की हाई कमिश्नर (1956-62)। वह विश्व की प्रथम महिला थी जो संयुक्त राज्य की अध्यक्ष बनी (1953-54) तथा बाद में वे (1962-64) महाराष्ट्र की राज्यपाल रही।

मां टरेशा को 'दया की परी' के रूप में उल्लेखित किया गया। वे सदा चमकने वाली देवी थी जो अपने जीवन से सारे विश्व को चमकाती रही। उन्होंने मानवता को प्रेरित किया, मानव मात्र की दृष्टि में, उन्होंने रोगियों की मदद की, पगुओं को, मंद बुद्धि वालों को, वेसहारा बच्चों को तथा भारत की गृह विहीन माताओं को सहारा दिया। भारत उनके मिशन का कार्यक्षेत्र रहा। पोपजोन पोल द्वितीय ने उनके बारे में कहां, "हमारी दूसरों की सेवा में अत्यन्त आवश्यकता है विशेषकर, दरिद्रों की, वेसहारों की। टरेशा समष्टि का प्रकाश थी वे अन्तिम सेविका थी। मां टरेशा को 1979 में नोबिल पुरस्कार प्रदान करते समय कहां गया कि -यह कहना पर्याप्त न होगा, मैं भगवान से प्यार करता हूँ परन्तु में पडौसी से प्यार नहीं करता। तब तुम भगवान से कैसे प्यार कर सकते हो जिसको तुमने नहीं देखा यदि तुम अपने पड़ौसी को प्रेम नहीं करते जिसे तुम देखते हो, जिसे तुम स्पर्श करते हो और जिसके साथ तुम रहते हो (टी.ओ.आई, अगस्त 2003)।

राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में महिलाओं की उद्यृति करने योग्य भूमिकाएें रही। तब से भारत में महिलाओं की प्रस्थिति उत्तरोत्तर आरोही बनी हुई है। निःसंदेह स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ है। इन नायकाओं का जीवन चरित्र निःसन्देह रूप में अन्य महिलाओं को भारत में विशेषकर सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।

भारत की विधानी तथा शिक्षा नीतियों ने महिलाओं ने महिलाओं को अनेक सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य में अपनी पहिचान बनाने हेतु अवसर प्रदान किए। परन्तु महिलाओं हेतु सुविधाएें, भारत के विविध भागों में समान रूप से नहीं वितरित नहीं की गयी। स्वदेश में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलेखनी महिला प्रस्थिति में अन्तर पाया जाता है विशेषकर आर्थिक एवं स्वास्थ्य स्थिा में। नगर क्षेत्रों में महिलाओं की शैक्षिक-आर्थिक एवं स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है। राजनैतिक क्षेत्र में विभेदपूर्ण हैं। प्रायः ग्रामीण महिलाएें नगर की महिलाओं की ओर देखती हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि गत 40 वर्षो की यह है कि शिक्षा के क्षेत्र की है। अनेक नगर की लड़कियां अनेक उत्पादक कार्यो में प्रवेशित हुई। बहुतसी महिलाएें अपरम्परागत कार्यो में लग चुकी थी तथा निर्णय की प्रक्रिया भाग लेने लगी हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने महिला एवं शिशु विभाग की स्थापना की जो सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रमों के समन्वय एवं मूल्यांकन का कार्य करता है। एक दशक पूर्व ही महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हो चुकी है। अभी हाल में ही भारत सरकार ने एक आनन्तिम एवं महत्वपूर्ण घोषणा की वह यह कि महिला सशक्तिकरण 2001 वर्ष के रूप में मनाने की। राष्ट्रीय योजना आयोग ने महिला कार्यक्रमों की कार्य गुजारी हेतु एक कार्यदल गठित किया है

तथा एक पृथक चेप्टर में महिला सशक्तिकरण हेतु बजट का प्रविधान भी किया गया है।

7. उपसंहारात्मक टिप्पणी : ऐतिहासिक परिदृश्य से यह माना जा सकता है कि वैदिकोत्तर काल में महिलाओं की प्रस्थिति अत्याधिक निम्न थी। पूर्व वैदिक काल की महिलाऐं पुरूषों के साथ सहभागिता करती थी। उसके बाद महिला प्रस्थिति वैदिक एवं वैदिकोत्तर काल में ह्रास होती गई। महिला प्रस्थिति मध्यकाल तथा आधुनिक युग में भी कुछ अधिक नहीं सुधरी। वह केवल 20 वीं शताब्दी थी जिसमें महिलाओं हेतु, संघर्ष किया गया। महिलाओं की समानता हेतु संघर्ष प्रथम वैयक्तिक स्तर पर फिर बाद में संस्थात्मक संघर्ष में बदल गया। आर्य समाज, ब्रह्मसमाज तथा प्रार्थना समाज इत्यादि ने महिलाओं के कारण संगठित प्रयास किए पर महिला सशक्तिकरण उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था।

उपरोक्त महिला प्रस्थिति में महत्वपूर्ण प्रगति होने के वावजूद भी आज भी उनकी प्रस्थिति विश्व के अन्य देशों से तुलना करने लायक नहीं है। भारत लिंग के मुद्दे में आज भी निम्न स्तर पर है। भारत में विशेष रूप से महिलाओं की निम्न स्थिति के अनेक कारण हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जिसमें पितृात्मक परिवार, संस्कारवाद, दुग्मवाद, वैवाहिक परम्पराऐं (अनुलोम-प्रतिलोम विवाह, जातिवाद सभी ऐतिहासिक कारक है जो महिला की प्रस्थिति का निर्धारिण करते हैं। इनमें से बहुत सी परम्पराऐं हजारों वर्ष पुरानी हैं और उनका प्रभाव समाप्त होना दुर्वल है। ये परम्परागत कारकों की जड़े संस्कृति में विद्यमान है जिसके लिए नव पीढ़ी के हेतु किए गये समाजीकरण उत्तरदाई है। वह समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरूष एवं महिला अपनी स्वयं की मूर्ति विकसित करते हैं बचपन से और पूर्वाग्रह से लेकर अन्त में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे ऐसी मानसिकता को लेकर चलते हैं जो उन्हें यथार्थ को स्वीकार करने को मना करती है और

उचित रूप से सोचने नहीं देती। भारतीय मानस में लैंगिक समानता कभी सोचने वाली बात बन चुकी है परन्तु सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा इसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बहुत वर्षो के बाद भारत सरकार के ऊपर तथा नागरिक समाज के ऊपर उत्तरदायित्व है कि महिला की प्रस्थिति में आमूल चूल प्रगति करनी है। मध्य वर्गीय शिक्षित महिलाएं विशेषकर नगरी क्षेत्रों में प्रेरणाऐ है जो स्वतंत्र होकर गतिशील है तथा कार्यरत है वे महिलाओं की प्रस्थिति उन्नति हेतु प्रभावी कदम उठा सकती है। आज प्रमाण के तौर पर अनेक क्षमता सम्पन्न महिलाऐं है जो महिलाओं के बारे में बनी निम्न मानसिकता का निवारण कर सकती है। जैसे छोटे कस्बो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर मलिन आवासों में महिलाएं आज में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित हैं। लघु कस्बों तथा ग्रामों में उच्च वर्गीय महिलाऐं आज भी घरों तक सीमित है तथा घर के सम्बन्धितों की सेवा में लगी रहती हैं, जिसमें अनुसुचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का तो हाल बुरा ही है। आज भी ये महिलाऐं दीर्घ समय तक कार्य करती है जंगलों से लकड़ी लाती है तथा बहुत दूर से पानी का प्रबन्ध करती हैं। यह बात सभी को विदित है।

उपरोक्त इन कटु यथार्थ के हमारे यहां कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाली महिलाऐं है जिन्होंने निम्न वर्ग की महिलाओं की प्रस्थिति में प्रौन्नति के लिए प्रकाश की किरण विकीर्ण की हैं। उनमें से कुछ ने तो राजनीति में कदम रखा है कुछ समाचार माध्यमों से जुड़ी है, यथा- मेघा पाटेकर, किरण वेदी, लता मंगेशकर, मेथेम सोनिया गांधी, बहन मायावती, शीला दीक्षित, अन्जू जोर्ज, फूलनदेवी, जय ललिता, अरून्धती राय, श्रीमती जन वसुन्धरा, श्रीमती बीना माजूमदार, श्रीमती राबरी देवी, ममता बनर्जी आदि (टी.ओ. आई.,9 मार्च, 2003)।

डा. गोरीसेन भारतीय नेशनल आर्मी की सदस्य है तथा 80 वर्ष की है ने गति रोग तथा प्रसूति विज्ञान नई दिल्ली में एक चिकित्सालय खोला है को 2001 में कार्य के लिए पदम भूषण का सम्मान दिया गया। सुनीता शर्मा जो क्रिकेट की कोच हैं राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान नई दिल्ली की, ने 200 रनजी ट्राफी के खेलने वालो को प्रशिक्षित किया। केप्टन इन्द्रामनी सिंह प्रथम एशियन महिला बनी जो एयरबस-320 में उड़ी। मनीषा भसीन जो मेरीयर वेलकम होटल दक्षिण दिल्ली ने 5 स्टार अधिशाषी मुख्य होने का पद प्राप्त किया। अरून्धती घोष जो यू.एन. की स्थाई प्रतिनिधि है ने टेस्टवेन संधि को अस्वीकृति कर दिया वर्ष 1999 के सत्र में (हिन्दुस्तान टाइम, 8 मार्च, 2002) प्रत्येक यह याद रखना चाहिए महिला उन सभी कार्य को कर सकती है जिसे पुरूष करता है। उसका परम्परागत कार्य ही पर्याप्त है, उसे समान प्रस्थिति भोगने दो।

कर्मचारी महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न होने के कारक :

महिलाऐं और पुरूष विश्व में कही भी बराबर प्रस्थिति नहीं रखते क्योंकि भारत में विभिन्न विचारणीय अवसर पुरूष एवं महिलाओं के मध्य पाये जाते हैं। ये भिन्नताऐं स्पष्ट रूप से कार्य में, रोजगार में, उपार्जन में, शिक्षा प्राप्ति में, स्वास्थ्य स्थिति में, निर्णय लेने की शक्ति में अवलोकनीय हैं। यह पूग्र तथ्य पूर्ण ही है कि गरीबतम वर्ग में महिलाओं का औसत विकासशील देशों में उठ रहा है। इसे गरीबी का महिलाकरण कहते हैं। किसी भी प्रकार के विकास में पुरूष तेजी से दौड़ता है, अवसरों को अधिक प्राप्त करता है जबकि महिलाऐं पहुँच बनाने में अयोग्य होती हैं क्योंकि उनके साथ लिंग भेद किया जाता है। इस प्रकार विकास में मुद्दे से लिंग भेद का मुद्दा अधिक गम्भीर है। महिलाओं का संघर्ष द्वमुखी है। प्रथम कल्याणकारी तथा विकासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा दूसरी लिंग भेद की आवश्यकताऐं लिंग की आवश्यकताऐं लिंग समानता को विकास की प्रक्रिया में

सन्दर्भित करती है । स्वदेश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिदृश्य में अनेक चुनौतियां हैं जिन्हें एक महिला को अपने अधिकार एवं समानता को स्थापित करने में मुकाबला करना पड़ता है । सरकार तथा अन्तराष्ट्रीय अभिकरणों तथा नगर समाजों द्वारा बड़े पैमाने पर मुद्दे का गतिशील बनाया जाय । परन्तु महिला सशक्तिकरण की चुनौती तथा रणनीति दोनों ही ग्रंथिपूर्ण घटना है । भारत में महिलाऐं जाति, वर्ग, ग्रामीण, नगरीय, शैक्षिक, व्यवसायिक पृथक-पृथक हैं । वंचितों के रूप में उनके कार्य की पहिचान नहीं की जाती जैसे कि आर्थिक क्रियाऐं । कृषि क्षेत्र में उनके कार्य का मूल्य कम लगाया जाता है । भूमिहीन महिलाए अक्सर भवन निर्माण में लग जाती हैं, संगठित क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा हेतु पहुंच नहीं होती । उनके और नियुक्ति कर्त्ताओं तथा सहकार्मियों के द्वारा उन पर कटाक्ष किया जाता है । कौशल एवं प्रशिक्षण के अभाव में उनमें निम्न स्वयं को मूल्यांकन के भाव तथा हीनता का भाव पनप जाता है, असहाय की भावना भर जाती है, कामकाजी महिलाओं में निर्भरता आ जाती है विशेषकर जिनकी निम्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति होती है ।

महिलाऐं शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षित रहती हैं । उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी प्रभावित होती है खासकर जीवन प्रत्याशा दर में । पश्चिमी देशों की महिलाओं की तुलना में भारत की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न होती है । लिंग भेद तथा अन्य सांस्कृतिक कारक उनके अनुकूल नहीं होते । भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक रूप से उन्हें निम्न समझा जाता है । भारतीय विरासत में उन्हें सदैव दो नम्बर पर रखा जाता है पुरूष की तुलना में । भारत में माताऐं पुरलिंग को जानना प्राथमिकता देती हैं । लड़कियों के साथ भेद किया जाता है । प्रत्येक आयु वर्ग में महिलाओं की मृत्यु दर पुरूषों की तुलना में अधिक होती है । पालन-पोषण में, शिक्षा प्राप्त करने तथा रोजगार प्राप्त करने में, उनके साथ भेद

किया जाता है । पुरूष सदैव प्रभुत्व का क्षेत्र रखता है । उन्हें मानवधिकार प्राप्त करने में अनेक बाधाओं को सहन करना पड़ता है । आज भी केन्द्रीय संसद तथा राज्य विधान सभाओं मेंउनको 9 प्रतिशत से अधिक भागीदारी प्राप्त नहीं हुई ।

1. महिला प्रस्थिति का वर्तमान विश्लेषण :

भारत विश्व में चायना के बाद दूसरा देश है जिसकी आवादी एक अरब से अधिक है । जनगणना-2001, जो 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2001 के अनुसार भारतीय जनसंख्या को 1,027,015,247 अनुमानित किया गया था । भारत लिंग अनुपात के मायने में भी उत्तम नहीं है क्योंकि जनगणनानुसार यहां 933/1000 महिलाऐं पाई जाती है । ''महिलाओं की पुरूषों की तुलना में दो नम्बर (सहायक) की प्रस्थिति है उसका कारण प्रमाण में लिंग अनुपात है । यद्यपि भारत विश्व के कम देशों में एक है जिसकी जनसंख्या लगभग समान ही है परन्तु आर्थिक विकास के बावजूद भी लिंग अनुपात शनै-शनै गिर रहा है (बीना माजूमदार एण्ड एन. कृष्णा जी) ।

(अ) महिलाओं का कार्य : गृहकार्य का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता । यह तो उसका उसके घर का कार्य समझा जाता है । पहाड़ी क्षेत्रों में तो उसे एक लम्बी दूरी से पानी भरकर लाना पड़ता है । राज्यों के अनुसार इस कार्य में उसे अलग-अलग घंटे लगते हैं । पर इतना अवश्य है कि पुरूष की तुलना में उसे अधिक घंटे कार्य करना पड़ता है फिर चाहे वह बाजार या गृहकार्य ही क्यों न हो'' (क्रेनी,2001) चतुर्थ विश्व सम्मेलन, जो महिलाओं को लेकर बीजिंग में, 1995 में हुआ उसके अनुसार दो से तीन मिलियन लोग भारत में जंगलों तथा जनजातिय क्षेत्रों में अपने सिर पर बोझ ढोकर अपनी जीविका कमाते हैं । उनमें 90 प्रतिशत महिलाऐं होती है । वे लम्बी दूरी तक लकड़ी बैचने जाती है । इस प्रकार महिलाऐं सघन एवं

असघन रूप से अर्थ व्यवस्था को चलाती है। इस प्रकार वे मध्यस्तों के लाभ का सौदा या रोगी दर बढ गई हैं तथा पतियों तथा समुदाय की।

(ब) घरेलू कार्य : खाना पकाना, कपड़े साफ करना, बच्चों की देखभाल करने के अतिरिक्त उन्हें कृषि कार्य तथा घर के बाहर कार्य करना पड़ता है। एम. लक्ष्मी नरसिंहा (2001) के विश्लेषण के अनुसार, "ग्रामीण क्षेत्रों का तो ग्रन्थिपूर्ण घटना है, गरीबी; उसकी गतिशीलता तथा गरीब कम करने वाले कार्यक्रमों की; बालश्रम की समस्या, जनसंख्या बृद्धि तथा उनमें न दिखने वाली असमानता। महिला का बेहताशा निम्न प्रस्थिति है। परम्परागत रूप से गरीबी दूर करने की रणनीतियां तो क्रियान्वयन की जाती है परन्तु उसकी शक्तिहीनता का निवारण करने की नहीं तथा उसके सहायक के पद की। जो सत्य मुद्दा है। यदि विकास का उद्धेश्य यह है, कि लोगों की चयनता का विस्तार किया जाय, लोगों की क्षमताओं का निखार किया जाय ताकि वे अपनी चाहों को अभ्यास में लाये। ऐसी कही कोई प्रतियोगिता नहीं अपितु महिलाओं को डाटा-फटकारा जाता देखा जा सकता है। काम के मामले में विश्व में महिलाओं की प्रस्थिति पुरूष की प्रस्थिति से निम्न ही है।

(स) महिला साक्षरता : संक्षिप्त में यदि एशियन देश पर दृष्टिपात करे तो हम पाते हैं कि वियतनाम में 92 प्रतिशत, श्री लंका की 90 प्रतिशत, मलेशिया की 84 प्रतिशत, इन्डोनेशिया की 84 प्रतिशत, म्यामवार की 74 प्रतिशत तथा भारत की 65.4 प्रतिशत (2001) साक्षर दर थी।

यदि हम भारत के कुछ चुने हुए राज्यों में साक्षरता दर का अवलोकन करे तो वह निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित की गई है -

क्रमांक	राज्य	महिला साक्षरता दर	पुरूष साक्षरता दर
1.	केरल	88 %	94 %
2.	मिजोरम	86 %	91 %
3.	लक्ष्यद्वीप	82 %	93 %
4.	राजस्थान	44.3 %	76.5 %
5.	अरूणाचल प्रदेश	44.2 %	64 %
6.	उत्तर प्रदेश	43 %	70 %
7.	जम्मू कश्मीर	42 %	66 %
8.	झारखण्ड	40 %	68 %
9.	बिहार	33.6 %	60.3 %
10.	भारत (अनुमानत)	54 %	76 %

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि प्रत्येक राज्य में महिला साक्षरता कम है जो उसकी सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति पर कुप्रभाव डालती है।

(द) पितृात्मक धारणाऐं : पितृात्मक दृष्टिकोण के कारण ही आज भी महिलाऐं पर्दा प्रथा की शिकार हैं। वे पुरूषों से बात नहीं कर सकती। धर्म तथा संस्कृति की रूढ़िवादिता उन्हें घर की चार दीवारी में बन्द रखती है। यदि हम बौद्धिक रूप से उनकी आदर्शनीय असमानता पर विचार करे तो प्रत्यक्ष रूप से उसके परम्परागत भूमिकाएं हमारे सामने आती है। यह उन्हें असंतोषजनक लगता है जो उनकी प्रस्थिति में सुधार चाहते हैं। इस प्रकार धर्म तथा संस्कृति की स्वीकृतियां पितृात्मक के प्रमुख को बढावा देती हैं। जो परिवार के मूल्यों में, राज्य की नीतियों में तथा कानूनों में परलक्षित होती है। हाँ कानून ने स्त्री को सहायक बनाया है।

देखे- हिन्दू लॉ के पैराग्राफ 44 जिसमें कहा गया है- पत्नी अपने पति के साथ रहने को बाध्य है और वह पति के अधिकार में रहे (लीमागोन स्लेष, 2001:33)।

(ई) लड़की बच्चा : लड़कियां जन्म से दिन प्रति दिन अवमूलन की शिकार होती है। उन्हें उपेक्षा भरा पर्यावरण दिया जाता है- अधिक कार्य का आवन्टन तथा दुर्व्यहार उसे उत्तरदायित्व माना जाता है साथ ही घर की सम्पत्ति ले जाने वाली (दहेज के रूप में) उन्हें उसके भाई से कम खाना दिया जाता है, कठिन से कठिन कार्य को बाध्य किया जाता है। कम पढ़ाया जाता है तथा उसे पुत्र की तुलना में उपचारित नहीं किया जाता। किशोरियां तो अक्सर बलात्कार व भगाकर ले जाई जाती हैं। लगभग 25 प्रतिशत बलात्कार 16 वर्ष की लड़कियों के साथ होते हैं। गरीबी के कारण वे भीख मांगती हैं तथा वेश्यावृत्ति करती हैं। उनके बाल विवाह कर दिए जाते हैं। वे सर्वाधिक भारत में कुपोषित है।

2. महिला शक्तिहीनता के उत्तरदाई कारक : उपरोक्त उल्लेख से विदित होता है कि भारत में महिलाऐं शक्तिहीन है। वे सरलता से आदमी की शिकार तथा शोषण बन जाती है। शक्ति एवं अधिकार का सिद्धांत महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित है। "शक्ति अधिकार से सम्बन्धित है, प्रभुत्व से सम्बन्धित है तथा शोषण से सम्बंधित है जिसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह रखता है। महिला शोषण सशक्तिकरण का परिणाम, महिला द्वारा शक्ति संचय, यथा-वस्तुओं में स्वयं चयन की योग्यता। शक्ति का अर्थ है, यथा-उच्चस्तर की पहुंच तथा नियंत्रण रखने के यंत्र होना, शक्ति के साथ व्यक्ति के साथ शक्ति का बटवारा। इस प्रकार 'शक्ति' के दो केन्द्रीय पहलू होते हैं (1) संसाधनों के ऊपर नियंत्रण (भौतिक, मानव, बौद्धिक, वित्तीय), (2) विचार धारा के ऊपर नियंत्रण (विश्वास) मूल्यों तथा धारणाओं पर)" "शक्ति एक व्यक्ति की क्षमता होती है जो दूसरो पर

नियंत्रण रखती है। जैसे जब यह क्षमता हो जाती है तब वह अधिकार बन जाती है (जूलिन, 1968:37)।

(अ) शक्तिसोपान : महिलाऐं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति एवं अधिकार रखती हैं; क्योंकि प्रायः वे निम्न स्तर पर आती हैं। इस प्रक्रिया का निर्धारण उस सामाजिक समूह के द्वारा किया जाता है जो शक्ति अपने हाथों में रखते हैं तथा समाज की मुख्यधारा को सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर नियंत्रण करते हैं, साथ ही राजनीति तथा अर्थ व्यवस्था को (रॉय, 2001:12) महिलाऐं कभी इस शक्ति सोपन पर प्रतिक्रिया नहीं करती और इच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेती है विशेषकर परिवार की निष्ठा तथा स्थायित्व बनाए रखने के लिए महिलाऐं घर में शक्तिहीन ही नहीं अनुभव करती अपितु बहुआयामी सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक संस्थानों में अन्तक्रिया करते समय भी।

(ब) अज्ञानता : महिलाऐं अपनी अज्ञानता, जागरूकता की कमी तथा सूचना तथा ज्ञान के अभाव के कारण शक्तिहीन रहती हैं विशेषकर बाजार तथा बाजारू निपुणता के क्षेत्र में। क्योंकि उनमें अन्तिम रूप से सम्मान, आत्म विश्वास, धनाभाव, अवसरों की कमी उन्हें निर्भर बना देती है। वे सदा अज्ञानता के सागर में डूबी रहती है। (क्रेनी, 1999) अज्ञानता तो दूसरे की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मानवधिकार के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाय विशेषकर मानव जीवन, समानता, स्वतंत्रता तथा मानवीय प्रतिष्ठा के बारे में (भारत सरकार, 1999:35) भारत में महिलाओं की आधीनता के कारण शिक्षा की कमी, घर से बाहर जाने की मनाई तथा आगे को पढ़ाने से कुछ नहीं होता का पूर्वाग्रह। इससे महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में प्रौन्नति अवरूद्ध हो जाती है।

(स) वैयक्तिक महिलाओं की आकांक्षाओं : का समाज में महिला प्रस्थिति तथा भूमिका निर्धारण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है । लोग अपने लक्ष्यों के अनुसार वस्तुओं का चयन करते हैं । वह चयन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का सूचक होता हैं साथ ही साथ उनके इतिहास, अभिरूचि तथा प्राथमिकताओं का । भारतीय महिलाओं के सम्बन्ध में समानता तथा उनका सशक्तिकरण अव्यवहारिक होता है । सामाजिक प्रस्थिति एक सम्बन्धित घटना है । महिला की प्रस्थिति पुरूष प्रस्थिति की तुलना की वस्तु समझी जाती है । यही कारण है कि उसकी महत्वपूर्ण प्रतिछाया समाज में दृष्टिगोचर होती है (रोजारियो, 2001) । महिला सशक्तिकरण यथार्थ में पुर्न पारिभाषित करने का प्रश्न है । स्वतंत्र महिला की प्रस्थिति धीरे-धीरे पहिचानी जा रही है । जन्म जाति विवाहित स्त्री की प्रस्थिति व्यक्ति के (पति) के अनुसार समाज में आंकी जाती है । कुछ प्रस्थितियाँ धर्म, जाति तथा प्रजाति से निर्धारित की जाती है तथा बाकी प्राप्त स्थितियां शिक्षा, रोजगार तथा धनवानी से निश्चित होती है । महिला की प्रस्थिति उसकी आय, आयु, स्वास्थ्य, प्रजननता तथा उसके द्वारा घर में, समुदाय में तथा समाज में निभाई गई भूमिका के द्वारा मानी जाती है । लिंग पर आधारित असमानता, सामाजिक भूमिका तथा सामाजिक प्रस्थिति सभी समाजों में भिन्न-भिन्न पाई जाती है । भारत में महिला गलत जीवन शैली का चयन करती है । वे स्वयं अपने आपको पुरूष की आधीनता में रहने के लिए प्रशिक्षण, मानसिकता तथा शरीर श्रृंगार करती हैं इसीलिए उनको शोषण किया जाता है तथा उनसे भेद किया जाता है।

3. महिलाओं की शक्तिहीनता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक : यहां महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति प्रौन्नति में अनेक कठिनाईयां है । ये कठिनाईयाँ महिला सशक्तिकरण में सीमाऐं मानी जा सकती है । कालडेट,

(1990:61) महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में बाधाओं की एक मुख्य श्रृंखला सामाजिक परम्पराओं तथा मूल्यों में पाई जाती हैं जिसमें पर्दा प्रथा, सनातन धर्म, सांस्कृतिक धारणाऐं महिलाओं के बारे में तथा उनके सम्बन्ध में। इन सबका आशय महिला को अधीनिस्त प्रस्थिति प्रदान करना होता है। अव शिक्षित महिला आज गृह संसार से निकलकर आई है उससे नगर क्षेत्र में वैवाहिक समायोजन की समस्याऐं उठ खड़ी हुई है।''

(द) महिलाओं के लिए राजनैतिक क्षेत्र प्रतिबन्धित है : सारभोमिक रूप से यह अनुभव सही साबित हुआ है कि राजनैतिक क्षेत्र आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रतिबन्धित है। पति की सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में एक महिला की भूमिका अधिक शक्तिशाली होती है फिर भी उन्हें सरकारी परिषदों में सहभागिता नहीं दी जाती । इस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व राजनैतिक नियंत्रण नहीं कर पाता। इसे सामाजिक श्रम विभाजन में देखा जा सकता है जिसे हर कार्य गृह क्षेत्र का व कृषि व्यवस्था सभी महिलाओं को करना है और कोई मुद्दा बाहर से जुड़ा हो तो वह पुरूष क्षेत्र में आता है। कपूर, प्रेमिला, (2002:3) अत्यन्त आर्थिक मुफलिसी समाज में, नकारात्मक, मानसिकता, अस्वस्थ धारणाऐं पुरूष की स्त्रीलिंग के साथ बनी ही रहती है।''

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति सम्बन्धी नीति -2001 :

इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को उनके जीवन में आगे बढ़ाना, उनका विकास करना तथा उनका सशक्तिकरण करना है। नीति का व्यापक रूप में प्रचार एवं प्रसार किया गया ताकि महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति से जुड़े कार्यक्रमों तथा योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके ; जो निम्नलिखित हैं -

1.1 सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों द्वारा एक ऐसे पर्यावरण का सृजन करना ताकि महिलाओं का पूर्ण विकास किया जा सके तथा वे इस योग्य हो जाये कि वे अपनी क्षमताओं को अनुभव कर सके,

1.2 महिलाओं को अधिशाषी एवं न्याययक मानवधिकार रोजगार के क्षेत्र में प्राप्त करने की स्वतंत्रता तथा पुरूष के बराबर समानता के अवसर जीवन के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं में हासिल हो,

1.3 सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक मामलों की निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता की पहुँच हो,

1.4 प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य की देखरेख समानता से उप व्यवसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि,

1.5 महिलाओं के विरूद्ध होने वाला सभी तरह की असमानता का उन्मूलन करने वाली न्याययक व्यवस्था को मजबूत बनाना,

1.6 सामाजिक धारणाओं एवं समुदायक आचरण में परिवर्तन लाना ताकि पुरूषों के साथ महिला चुस्त सहभागिता कर सके,

1.7 विकास की प्रक्रिया में लिंग दृष्टिकोण को विचार हेतु मुख्यधारा में लाना,

1.8 महिलाओं, लड़कियों तथा बच्चों के विरूद्ध होने वाली हिंसा को समाप्त करना, तथा

1.9 नगर समाज के साथ महिला संगठनों की विशेष रूप से सहयोगी पन को मजबूत बनाना।

अनुच्छेद : 2 न्यायक व्यवस्था :

2.1 न्यायक व्यवस्था को और अधिक उत्तरदायी तथा लिंग जागरूकता की वृद्धि करना, महिलाओं की आवश्यकतानुसार, विशेषकर घरेलू हिंसा एवं वैयक्तिक पुरूष द्वारा उन पर प्रहार करने के सन्दर्भ में,

2.2 नीति को इस सीमा तक उत्साहित करना, परिवर्तन लाना ताकि परसनल लॉ में जो विवाह, तलाक, संरक्षण, अभिवहाव जिसे महिला के प्रति होने वाले भेद को कम किया जा सके,

2.3 नीति का यह भी उद्देश्य है कि कानूनी व्यवस्था में परिवर्तन लाना, सम्पत्ति के अधिकारों के प्रसंग में, विरासत के प्रसंग में, एकमत्यता का विकास कर ताकि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेद न किया जा सके।

अनुच्छेद :3 निर्णय लेना :

महिलाओं को सशक्तिकरण के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्तर पर समानता से अधिकार में बटवारा करना ताकि वे निर्णय लेने तथा राजनैतिक प्रक्रिया में निर्णय लें।

अनुच्छेद : 4 लिंग दृष्टिकोण के विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना :

प्रत्येक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं के मुद्दों को मुख्य धारा में विचार के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा व्यवस्थाओं को स्थापित करना जैसे - मध्यस्तता मिलना-जुलना। जहां भी रिक्तता हो, कार्यक्रमों में, नीतियों में विशेषकर महिलाओं के सन्दर्भ में, उन्हें पाटने के लिए हस्तक्षेप करना।

अनुच्छेद : 5 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :

5.1 गरीबी उन्मूलन : गरीब महिलाओं को गतिशील बनाने, उन तक सेवाऐं पहुंचाने के कदम उठाये जायेगे, उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक अवसर देकर साथ ही उनकी क्षमताओं में विकास करने के लिए आवश्यक रूप से समर्थन देना।

5.2 सूक्ष्म साख : उपभोग तथा उत्पादन में, साख सुविधाओं की वृद्धि करना ताकि महिलाऐं उन तक पहुंचे और उनके मध्य नये साख के यंत्र स्थापित करना तथा उन्हें मजबूत बनाना ताकि वे वित्तीय रूप से उनका पोषण हो।

5.3 महिला और अर्थव्यवस्था : महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान जैसे-(1) प्रक्रियात्मक तथा कार्मिक रूप में औपचारिक तथा अनऔपचारिक क्षेत्र में पहिचान की जायेगी घर पर कार्य करने वाली महिलाओं की भीड़ और उपयुक्त महिलाओं के रोजगार के सम्बन्ध में नीतियां तथा कार्य दशाओं के बारे में नीतियां बनायी जायेगी उनमें परम्परागत रूप के कार्यो को पुनः पारिभाषित करना, जहां भी आवश्यक हो, जनगणना में जिसमें महिलाओं का योगदान परलक्षित होता हो, (2) राज्य के प्रकाश में राष्ट्र के स्तर पर लेखाओं को तैयार करना, (3) उपयुक्त कार्य पद्धति का विकास तथा क्रियान्वयन करना आदि।

5.4 ध्रुवीकरण : महिलाओं की क्षमता में उभार लाने हेतु कार्य रणनीतियों को पुर्न प्रारूपित किया जायेगा तथा उन्हें सशक्त बनाया जायेगा तथा उनके नकारात्मक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव को कम किया जायेगा। जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया से हो रहा है।

5.5 महिलाऐं एवं कृषि : जहाँ तक महिलाओं का कृषि क्षेत्र में तथा अन्य सहायक क्षेत्र में महिलाओं के प्रकार्य का सम्बन्ध है जिसमें प्रक्रियात्मक व केन्द्रित प्रयास किए जायेंगे ताकि प्रशिक्षण एवं प्रसार के कार्यक्रमों के लाभ तक पहुँचा जाये ओसतन रूप में महिलाओं को।

5.6 प्रशिक्षण-भूमि संरक्षण : सामाजिक वनकी, दुग्ध विकास तथा अन्य व्यवसायों में जैसे पेड़-पौधे, फूल उगाना, मछली पालन आदि को बढ़ाया जायेगा ताकि महिला कर्मी लाभान्वित हो, कृषि क्षेत्र में।

5.7 महिलाऐं तथा उद्योग : महिलाओं द्वारा यांत्रिक क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य परिसकरण में, कृषि-उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, जो कार्य किया गया है उसके क्षेत्र का विकास करना। महिलाओं को श्रम विधानों, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य

सेवाओं में समर्थन देना ताकि वे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सहभागिता कर सके।

5.6 रात्रि की पारी में कार्य : वर्तमान में महिलाऐं रात की पारी में कार्य नहीं कर सकती कारखानों में चाहे वे इच्छा करे, अनुकूल प्रयास किए जायेगे ताकि वे राज की पारी में कारखानों में कार्य कर सके। इसको, सुरक्षा तथा परिवहन के साधन जुटाये जायेगे।

5.7 समर्थक सेवाऐं : शिशु देख-रेख में, कार्य दशाओं में पालना तथा घर पर शैक्षिक संस्थाऐं वृद्धजनों तथा विकलांगों को सर्मथक सेवाऐं उपलब्ध कराई जायेगी ताकि उन्हें सुयोग्य बनाने का पर्यावरण निर्मित हो सके और वे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में सहयोग सुनिश्चित कर सके।

अनुच्छेद : 6 महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण :

6.1 शिक्षा : महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति हेतु पहुँच करने हेतु प्रयास किये जायेंगे। सारभौमिक रूप से शिक्षा प्रदान करना, असमानता कम करना, निरक्षरता का उन्मूलन करना, शिक्षा व्यवस्था में लिंग समानता को गतिशील बनाना, स्कूल में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ावा व स्कूल से पढ़ाई बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, सतत सीखने की प्रक्रिया के लिए सुविधाऐं देना तथा महिलाओं की व्यवसायिक तथा तकनीकी कौशल का विकास करना। लिंग असमानता को कम करना माध्यामिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्य ध्यान देने का क्षेत्र होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक की लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। लिंग भेद समाप्त के लिए शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर लिंग भेद के बारे में पूर्वाग्रहों तथा असमानता को समाप्ति के हेतु पाठ्यक्रम का विकास किया जायेगा।

6.2 स्वास्थ्य : सभी पद्धतियों को यौगिक स्वास्थ्य व्यवस्था को महिला स्वास्थ्य प्रौन्नति तथा स्वास्थ्य अनुरक्षण जिसमें उनके लिए पोषण सेवाऐं भी शामिल होगी की पहुंच का क्रियान्वयन किया जायेगा। शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर का कम करना जो मानव विकास का गम्भीर संकेत है उसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा।

6.3 बाल विवाह : शिशु एवं मातृत्व मृत्युदर को प्रभावी ढंग से कम किया जायेगा। जन्म, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण की सूचनाऐं सूक्ष्म रूप से एकत्र की जायेगी।

6.4 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) के संकल्प के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण की जायेगी तथा ध्यान रखा जायेगा कि स्त्री व पुरूष सुरक्षित व प्रभावी गर्भ निरोध को उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि वे अपनी इच्छानुसार निरोध का चयन कर सके ताकि जनता बाल विवाह का निषेध करे तथा दो संतानों के मध्य समयान्तर लाये। बालिका समवृद्धि योजना द्वारा बाल विवाह रोके जाये और 2010 तक बाल विवाह का उन्मूलन हो सके।

अनुच्छेद - 7 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा :

सभी तरह की महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा- शारीरिक एवं मानसिक फिर चाहे वह घरेलू हो या समाज में या परम्पराओं के कारण उत्पन्न हुई हो उन्हें शक्ति से निपटाया जाय तथा उनकी घटनाओं को कम किया जाय। ऐसी घटनाओं को समाप्त करने के लिए संगठनों तथा योजना को बनाया जाय तथा संगठन खड़े किए जाए तथा शारीरिक एवं बलात्कार के मामले से उन्हें निरोध दिलाया जाय।

दहेज प्रथा को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाये। जो महिलाऐं शोषित की गई है उनका पुर्नावास हो तथा हिंसको के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

किशोरियों तथा महिलाओं के अपहरण की घटना को कम करने हेतु एक विशेष जोर दिया जाय तथा कार्यक्रम चलाये जाये।

अनुच्छेद - 8 स्त्री बच्चे का अधिकार :

सभी स्वरूपों में होने वाली लड़की बच्चे के साथ असमानता तथा उसके अधिकारों का हनन रोकने के लिए व उनकी मात्रा कम करने के लिए, सुधारात्मक तथा दण्डनीय शक्त कदम उठाये जाये। इसके लिए शक्त कानून बने ताकि, जन्म के समय उनकी लिंग की जांच न की जाय तथा भ्रूण हत्या रोकी जाय, कन्या हत्याऐं न हो, बाल विवाह, बाल दुर्व्यवहार तथा वैश्यावृत्ति न कराई जाय।

रोग उपचार के मामलों में लड़कियों के साथ भेद करना रोका जाय, घर में तथा बाहर तथा लड़की बच्चे की बाहर आदर्श मूर्ति स्थापित की जाय। लड़कियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा उनके स्वास्थ्य-शिक्षा पर तथा व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाय। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में बाल श्रम पर नजर रखी जाय विशेष कर लड़की बालश्रम पर।

अनुच्छेद - 9 मास मीडिया :

महिलाओं व लड़कियों के व्यक्तितव को सम्मानीय रूप में प्रदर्शित किया जाय। नीति में कहा गया है कि महिला को अर्थहीन, नकारात्मक परम्परावादी पूर्वाग्रिह से मुक्ति रखा जाय। प्राइवेट क्षेत्र के सूचना केन्द्रों को इस कार्य से जोड़ा जाय।

अनुच्छेद - 10 कार्य क्षेत्रीय रणनीतियाँ :

10.1 कार्य योजना : केन्द्र तथा समस्त राज्य के मत्रमंडल एक समय निर्धारित योजना का निर्माण करेगे ताकि नीति को कार्य में परिणित किया जा सके। और उसमें केन्द्रों तथा राज्य सहभागिता करेगें विशेषकर महिला एवं शिशु विकास का विभाग। योजना में मुख्य रूप से शामिल था -

A. मापनीय लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त करने हैं,

B. संसाधनों के संकल्पों की पहिचान करना,

C. कार्य योजना के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व,

D. संरचनात्मक तथा यत्रांत्मक पर पुर्न विचार ताकि अनुश्रवण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। लिंग भेद का प्रभाव जानना आदि।

10.2 कार्यक्रमों तथा नियोजन की बेहतर समर्थन के लिए समुचित संसाधनों का आवंटन, लिंग भेद की समाप्ति माप को का विकास, विकसित किया जायेगा। विशिष्ठता खास अभिकरणों के साथ सहयोग लेना तथा जैन्डर औडिंग करने हेतु मूल्यांकन माप को विकसित करना।

10.3 लिंग भेद सम्बन्धी तथ्यों का संकलन करना, सभी प्राथमिक तथ्य एकत्र करने वाले अभिकरणों द्वारा जो केन्द्र तथा राज्य द्वारा निर्धारित हैं तथा अनुसंधान संस्थानों तथा शैक्षिक संस्थाओं का फिर चाहे वे सरकारी हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की, का कार्य सौंपा जायेगा। इनमें सभी मंत्रालय, सहकारिता तथा वित्त, बैंक आदि संस्थान होगे, को सलाह दी जायेगी कि वे सूचनाओं का संकलन करे, सूचित करे तथा चलाये गये कार्यक्रमों का विवरण रखे तथा बनाये कि लिंग भेद की असमानता कितनी मिटी।

अनुच्छेद – 11 संस्थात्मक उपाय :

11.1 संस्थात्मक उपाय, महिला की प्रौन्नति तथा विकास के लिए जो केन्द्र तथा राज्य स्तर पर स्थापित हैं, उन्हें मजबूत किया जायेगा। ये सभी संस्थान हस्तक्षेप के द्वारा, जितने समुचित होगें। समुचित संसाधनों का प्रविधान प्रशिक्षण तथा परामर्श, क्षमता व निपुणता उजागर करना, माइक्रो नीतियों को, विधानों द्वारा, कार्य करना ताकि महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति की प्रौन्नति की जा सके।

11.2 राष्ट्रीय तथा राज्य परिषदे नीतियों के नियमित क्रियान्वयन पर दृष्टि रखेंगे। केन्द्र की परिषद प्रधान मंत्री तथा राज्य परिषद को मुख्य मंत्री के मुख्य

होगे । इन परिषदों मेंसम्बन्धित विभागों के मंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य कमीशन (महिला), सोसल वेलफेयर बोर्ड, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, महिला संगठन, श्रम संगठन, प्रकार्यात्मक संगठन । समाज कार्य के विशेषज्ञ आदि भी शामिल होगे । ये संगठन कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रभाव पर पुर्नविचार करेगें वह भी वर्ष में दो बार ।

11.3 राष्ट्रीय तथा राज्य संसाधन केन्द्र महिलाओं हेतु स्थापित किए जायेगे सुचनाओं का संकलन तथा अधिसूचन करेगें, अनुसंधानों का आयोजन करेगे, पशिक्षण को आयोजित करेगे ताकि समाज में जागरूकता लाई जा सके । इन केन्द्रों को महिला अध्ययन केन्द्रों से जोड़ा जायेगा साथ ही अन्य अध्ययन तथा अनुसंधार केन्द्रों से, समुचित सूचना तंत्र से ।

11.4 जिला स्तर पर संस्थानों को मजबूत किया जायेगा तथा जमीनी तंत्र को, महिलाओं सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी । इनके द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों से जैसे- स्वयं सहायता समूह, आंगन बाड़ी, गाँव/नगर स्तर पर । महिला समूहों की सहायता संस्थागत रूप से पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा प्रदान की जायेगी ।

अनुच्छेद – 12 संसाधनों का प्रबन्धन :

समुचित वित्तीय, मानवीय तथा बाजारीय संसाधनों की उपलब्धि नीति के क्रियान्वयन द्वारा की जायेगी । आगे नीति का प्रबन्धन सम्बन्धित विभागों, वित्तीय क्रेडिट संस्थानों, बैंको, प्राइवेट सेक्टरों, सिविल सुसाइटीज तथा अन्य सम्बन्धित संस्थानों द्वारा किया जायेगा । इस प्रक्रिया में शामिल होगें -

12.1 लाभों की समीक्षा जो महिला के लिए किए जायेगे तथा वे फण्ड जो महिला उत्थानात्मक कार्यक्रमों पर व्यय किए जायेगे विशेष कर लिंग भेद मिटाने के लिए

समुचित नीतिगत परिवर्तन किए जायेगें ताकि महिला समर्पित योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।

12.2 जो नीतियां बनाई गई है उनके विकास तथा उन्नयन के लिए पर्याप्त संसाधनों का आबन्टन किया जायेगा सम्बन्धित विभागों को।

12.3 ग्रामीण आंचलों में स्वास्थ्य कार्मियों तथा ग्रामीण विकास में लगे कार्मिकों के बीच में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

12.4 क्रेडिट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर बैठके आयोजित की जायेगी अनुकूल नीतियां का निर्माण करके तथा विकास के अन्य अभिकरण स्थापित करके, महिला विकास विभागों से समन्वय करके।

12.5 महिला विकास की रणनीति को नवीं पंचवर्षीय रोजना में ग्रहण किया गया है जिसमें 90 प्रतिशत फण्ड मंत्रालयों को महिला प्रस्थिति विकास पर व्यय किया जायेगा ताकि महिलाओं के स्वार्थ तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय के नाते सभी मंत्रालय के कार्य की समीक्षा करेगा कि कार्य गुणात्मक तथा संख्यात्मक हुआ अथवा नहीं राष्ट्रीय योजना आयोग के सहयोग से।

12.6 प्राइवेट सेक्टर के निवेश को जोड़ा जायेगा इसके लिए विशेष प्रयास किए जायेगे। ताकि महिला विकास कार्यक्रमों का समर्थन प्राप्त हो और महिलाओं की सामजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में उन्नति हो सके।

अनुच्छेद - 13 सामाजिक विधान :

सामाजिक नीति को जो विभाग क्रियान्वयन करते हैं उनके द्वारा वर्तमान में पाये जाने वाले सामाजिक विधानों पर पुर्नविचार करना तथा अतिरिक्त विधायिकी उपाय, महिला प्रौन्नति के किए जाये जिसमें सम्मिलित होगे - परसन लॉ, परम्परागत लॉ, जनजाति लॉ, आधीनता में रखने वाले कायदे-कानून, लिंग

विषमताओं को कम करने सम्बन्धी। इस प्रकार की प्रक्रिया 2000-2003 में नियोजित की जायेगी।

13.2 विधानों के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से प्रौन्नति किया जायेगा; समुदाय तथा नगर परिषदों को जोड़कर। यदि आवश्यक हुआ तो कानून में समुचित परिवर्तन किए जायेगे ताकि माहिलाओं की सामाजिक व आर्थिक प्रस्थिति का उन्नयन किया जा सके।

13.3 उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य उपाय किए जायेगे ताकि कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सकें -

(अ) शक्ति तरीके से बने कानूनों को क्रियान्वयन करना, उन्हें गति देना ताकि मामले सुलझाये जाय विशेषकर महिलाओं के हिंसा तथा अत्याचारों से जुड़े।

(ब) कार्य दशाओं में होने वाले बलात्कारियों को कठोर दण्ड देना। महिलाओं का संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करना, जैसे समान कार्य के हेतु समान जमदूरी, तथा मिनीमम वेज एक्ट के बारे में।

(स) महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उनकी दर, उन पर निरीक्षण, उनके विरूद्ध मुकद्में चलाना आदि पर सतत पुर्नविचार किया जायेगा तथा जनपद राज्य तथा केन्द्र स्तर पर खुले सम्मेलनों का आयोजन, स्थानीय संगठनों की पहिचान जो इस प्रसंग में मुकद्मे दायर करेगें। उनको पंजीकरण में सुविधाऐ देना विशेषकर लड़कियां व महिलाओं के सम्बन्ध में।

(द) महिला कोष्ठों, पुलिस थानों, परिवार न्यायालय, महिला न्यायालय, परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायता केन्द्रों, न्याय पंचालयतों को मजबूत करना, उनका विस्तार करना तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों को कम करना।

(प) महिला के कानूनी अधिकारी, मानवधिकारों तथा अन्य जिनकी महिलाऐं उपभोग कर सकती हैं। उनका व्यापक रूप से संचार करना, नवीन साक्षर साधनों द्वारा, कार्यक्रमों द्वारा तथा योजनाओं द्वारा।

अनुच्छेद - 14 लिंग पर ध्यानाकर्षण :

राज्य के अधिशाषियों, विधायिका तथा न्याय पालिका की शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है विशेषकर उन लोगों पर जो नीति का निर्माण तथा क्रियान्वयन करते है, विकास अभिकरणों का, कानून क्रियान्वयन यंत्र का साथ ही गैर सरकारी संगठनों का, कि वे जेन्डर सेन्सीटाइजेशन का ध्यान रखे। इसके अतिरिक्त अन्य जो उपाय किए गये है वे निम्नलिखित हैं -

(अ) महिलाओं के अधिकारों तथा लिंग के मुद्दे के बारे में लोगों की सामाजिक जागरूकता की प्रौन्नति की जाय,

(ब) महिलाओं के अधिकार तथा लिंग शिक्षा के पाठ्यक्रम पर पुर्न विचार किया जाय,

(स) कानूनी तंत्रों में तथा जन अभिलेखों में उन सन्दर्भो को हटाया जाय जो महिलाओं की मर्यादा मर्दन करते हैं,

(द) महिलाओं सशक्तिकरण तथा सामाजिक एवं आर्थिक समानता के बारे में जन सम्पर्क माध्यमों से सामाजिक सम्प्रेक्षण किया जाय।

अनुच्छेद - 15 पंचायत राज्य :

संविधान के 73 वे परिवर्द्धन जो वर्ष 1993 में किया गया था उसमें पंचायती संगठन में सम्यक भागीदारी करने के लिए महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि राजनीति में उन्हें प्रत्यक्ष प्रवेश दिया जाय। यह आरक्षण निश्चित रूप से उनके सार्वजनिक जीवन में उनकी केन्द्रीय भूमिका का विस्तार करेगा। आज

पंचायती राज संस्थानों में तथ्य नगर परिषदों ने महिलाओं को सहभागिता प्रदान करने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन में ताकि जनतंत्र की जमीनी सतह तक उनका उत्थान हो सके।

अनुच्छेद - 16 स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी :

स्वैच्छिक संगठनों, समितियों, संघों, श्रम संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा महिला संगठनों तथा उन संस्थानों को जो शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कर रहे है तथा वे कोष्ठ कार्यक्रमों का नियोजन, संगठन, क्रियान्वय तथा मूल्यांकन कर रहे है तथा प्रभावित कर रहे है, उन्हें जोड़ा जायेगा। इस लक्ष्य की ओर, वे समुचित समर्थन दे सकते हैं विशेषकर संसाधनों, क्षमता निखार में सहयोग तथा सहभागिता में सुविधाऐं दे सकते हैं, महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति उन्नयन की प्रक्रिया में।

अनुच्छेद -17 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति के उन्नयन हेतु, नीति का यह भी उद्देश्य होगा कि नीति के क्रियान्वयन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार मागे जायेगे कि कार्य को किस विधि से किया जाये। जैसे - महिलाओं के साथ होने वाली सभी स्वरूपों में असमानता के बारे में। महिला सशक्तिकरण में क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहयोग लिया जायेगा। अनुभवों, विचारों तथा तकनीकी का आदान-प्रदान किया जा सके ताकि महिला विकास के कार्य को तीव्र गति प्रदान की जा सकें।

8. महिला प्रस्थिति प्रौन्नति हेतु सरकारी प्रयास :

सामाजिक विधान, राजनैतिक इच्छा शक्ति को प्रतिनिधित्व करते है, साथ ही महिलाओं की परिस्थितियों में सामाजिक सहमति को भी। सामाजिक विधान सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रारम्भ करते है। परिवर्तन सामाजिक शक्तियों

के द्वारा समर्पित किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक विधान कानूनी प्रविधान ही होते है जो सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा लिंग न्याय को करते हैं। सामाजिक विधानों के माध्यम से राज्य कल्याण कार्यो के लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो प्रजातंत्र का अन्तिम उद्धेश्य होता हैं इनका उद्भव समानता के सिद्धांत से होता है। ये सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते है ताकि कल्याणकारी राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक फलों को सामान्य रूप से सभी में बांटा जा सके। महिलाओं के मुद्दे जो सामाजिक विधानों से जुड़े होते है तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने जो समय-समय पर जो सामाजिक एवं विधीय विधान पारित किए उनकी अनुक्रमणिका निम्न लिखित हैं -

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति प्रौन्नति हेतु सामाजिक विधानों का निर्माण एवं क्रियान्वयन :

क्रमांक	सामाजिक विधान का शीर्षक	
1.	गार्जियनस एण्ड वार्ड एक्ट,	1860
2.	क्रिश्चियन पजि एक्ट,	1872
3.	द वर्कस मैन कम्पेनसन एक्ट,	1923
4.	इन्डियन सक्सेशन एक्ट,	1925
5.	चायल्ड पजि रेस्ट्रन एक्ट,	1929
6.	पेमेन्ट आफ वेज एक्ट,	1936
7.	मुस्लिम परसनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट,	1937
8.	कारखाना अधिनियम एक्ट,	1948
9.	मिनीमम बेज एक्ट,	1948
10.	ई. एस. आई. एक्ट,	1948

11. प्लान्टेशन लेवन एक्ट, 1951
12. द साइमटो ग्राफ एक्ट, 1952
13. द स्पेशलें पजि एक्ट, 1954
13. हिन्दू पजि एक्ट, 1955
14. हिन्दू एडप्सन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट, 1956
15. हिन्दू मायनोरिटीज एण्ड गारजियनशिप एक्ट, 1956
16. हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956
17. इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट, 1956
18. मेटरनिटि बेनीफिट एक्ट, 1961
19. डावरी प्रोहीवीजन एक्ट, 1961
20. बीड़ी एण्ड सिगार वकरस एक्ट, 1966
21. फौरिने परिज एक्ट, 1969
22. इन्डियन डायवोर्स एक्ट, 1969
23. मेडीकल टरमीनेशन आफ प्रगनेन्सी एक्ट, 1971
24. कोड आफ क्रीमीनल प्रोसीडोर एक्ट, 1973
25. द वोनडेड लेवर सिस्टम एक्ट, 1976
26. द इकुल रिमूनरेशन एक्ट, 1976
27. द इन्टर स्टेट माइग्रेन्ट वर्कमने एक्ट, 1979
28. द कान्ट्रेक्ट लेवर एक्ट, 1979
29. द चाइल्ड लेवर एक्ट, 1986
30. दै मजी कोर्ठ एक्ट, 1986
31. द इन्डीसेन्ट रिप्रेजेन्टेशन आफ वूमेन एक्ट, 1986
32. द कमीशन आफ साल्ट एक्ट, 1987

33. द नेशनल कमीशन आफ वूमेन एक्ट, 1990

34. द इन्डियन मिल्क सबस्टीटयूट फीडिंग बोतल फूड एक्ट, 1992

35. द प्री-नेटल डायग्नोसटिक टेक्नीक एक्ट, 1994

36. द जुविनाइल जस्टिस एक्ट, 2000

37.

"हम दृढं संकल्प है व्यक्तियों का केन्द्रीय वहनीय विकास के लिए जिसमें उनकी वहनीय आर्थिक वृद्धि वह भी बेसिक शिक्षा, सतत शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल महिलाओं के लिए", - अनुच्छेद -27, बीजिंग घोषणा, 1995

भारतीय सरकार की अक्सर इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि उसने आज तक को जन विकास का कार्य नहीं किया गया। परन्तु हमारी योजना तथा नीतियां पर्याप्त रूप से व्यापक रही कुछ कमियों के साथ। एक परिस्थिति जन्य विशलेषण सरकारी पहुंचों का कार्य रणनीतियों का तथा कार्यक्रमों का जो महिलाओं की प्रस्थिति उन्नयन हेतु चलाये गये। स्वतंत्रता के 20 वर्षो तक हमारी नीति पूर्ण रूप से आर्थिक वृद्धि से सम्बन्धित रही। तृतीय दशक में समानता तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में बीता। इस अवस्था में लिंग का मुद्दा उदय हुआ क्योंकि संसाधनों के अभाव में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नहीं हो पाया। गत 10 वर्ष में यह पहिचान की गई कि गरीबों में अधिकांश महिलाऐं ही हैं और संरचनात्मक रूप से हमारे सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम पुरूष समर्थक हैं। यह कभी पहिचानी गई और इस कार्य को दूर करने हेतु सरकार ने सुधारात्मक अनेक नीतियों तथा कार्यक्रमों का विकास किया।

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम : वर्ष 1952 में सरकार द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति उन्नयन के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ किया। वर्ष 1954 में 2 ग्राम से विकास प्रत्येक विकास खण्ड में नियुक्ति की गई महिला

सामाजिक शिक्षा अधिकारी को सहायता करने के लिए। इसी प्रकार शिशु देखभाल तथा सम्पूरक आहार गर्भवतियों के लिए भी नियोजित किए गये।

वर्ष 1974 में महिला प्रस्थिति कमेटी ने समानता विषय अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें बड़ी निराशाजनक तथ्य सामने आया कि लिंग अनुपात बड़ी तेजी से देश में गिर रहा है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा रेखा भी छोटी है, महिला शिशु, मृत्युदर भी अधिक है तथा महिलाओं में अत्याधिक निरक्षरता है। एक अनुसंधान से यह भी पता चला कि एक बंचितों का वर्ग भी उभर रहा है। जिसमें महिलाऐं सर्वाधिक हैं। इस तथ्य ने नई नीति निर्धारण का मार्ग प्रसस्त किया।

वर्ष 1980-85 (छटवीं पंचवर्षीय योजना) जब देश में प्रारम्भ हुई तो महिलाओं के कार्यक्रमों में परिवर्तन किया गया। इनमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सवल बनाने के कार्यक्रमों को तरजीव दी गई साथ ही उनके हेतु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के कार्यक्रमों पर। इससे प्रयत्न किया गया कि महिलाऐं 1/3 लाभार्थी बने। वह भी प्रशिक्षण आफ ग्रामीण युवा स्वयं रोजगार के लिए योजना (ट्राईसेम) द्वारा।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महिला लाभार्थी की संख्या सतत रूप से बड़ी - वर्ष 1985-86 में जो 9.8 प्रतिशत थी वह 30 प्रतिशत से अधिक हो गई। सात ही पंचवर्षीय योजना में 450 लाख रूपयों का बजट रखा गया रोजगार परख महिलाओं के समर्थन कार्यक्रम (स्टेप) पर महिला एवं शिशु कल्याण विभाग द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चयनित सेक्टरों - कृषि, दुग्ध, मछली पालन, पशु, ग्रामीण उद्योग, हेण्ड लूम, हेण्डीक्राफ्ट तथा रेशम पालन में, महिलाओं की आय वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। द्वारकरा योजना का तो

उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुंच में वृद्धि करना था । इस योजना के अन्तर्गत 15-20 महिलाओं के समूह का निर्माण करना था।

महिला मण्डल कार्यक्रम वर्ष 1954 में प्रारम्भ हुआ जिसका उद्देश्य था कि-गृहकार्य के प्रबन्धन का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाय । महिला विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य था कि महिलाओं को सूचना, शिक्षा तथा प्रशिक्षण देकर सवल बनाना ताकि वे समाज में सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति वृद्धि में योग्य हो सके । महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1977 में केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसमें अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा स्वदेशी अर्न्तराष्ट्रीय विकास प्रविधिकरण में भी सहयोग किया । इस प्रकार सभी मिलाकर महिलाओं हेतु भारत में 15000 संस्थाओं की स्थापना की गई।

महिलाओं को दृष्टि में रखते हुऐ वर्ष 1988-2000 (एन.पी.पी.डब्ल्यू) भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया। इसमें यह समीक्षा की गई कि महिला किसी सीमा तक विकास से जुड़ चुकी है तथा उन्हें कितनी समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो चुका है क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बजट से महिला विकास की समस्या हल नहीं होने की थी। एन.पी.पी.डब्ल्यू ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु कई परियोजनाओं का क्रियान्वय किया जिसमें उनके रोजगार तथा बेसिक सुविधाओं की बात कहीं गई । प्रोग्राम के अर्न्तगत महिलाओं के आरक्षण की भी वकालत की। महिला विकास कार्यक्रमों का मुख्य झुकाव गरीब, तथा जरूरतमन्द महिलाओं पर था साथ ही विधवा व बृद्ध महिलाओं पर "महिलाओं में प्रारम्भ से ही वर्ग, प्रस्थिति तथा राजनैतिक शक्ति की पुरूषों की तुलना में असमानता थी। यह पितृात्मक धारणा का फल था जिसको मानस में रखकर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया था। जिसने लिंग मुद्दे को चुनौती दी । छटवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से महिलाओं की उन्नति के लिए

समार्पित रही ताकि संयुक्त दशक के लक्ष्यों को पाया जा सके जिसमें भारत सरकार विश्व महिला कार्य योजना पर एक हस्ताक्षरी थी ।'' (गनस्टेव, 2001:32). ''इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दृष्टिगत योजना (1988) ने राष्ट्रीय योजना आयोग को सिफारिस की कि, प्रत्येक मंत्रालय में एक महिला कोष्ठ की स्थापना की जाय और वह यह देखे कि महिला की प्रस्थिति सुधार के लिए जो योजनाऐ चलाई गई है उनका क्या प्रभाव पड़ा '' (खन्ना, 1998:65)।

2. केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड :

इस बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने वर्ष 1953 में की थी। जिसके निम्न लिखित उद्देश्य निर्धारित किए गये थे :-

I. महिला कल्याण के क्रिया कलापों को प्रौन्नति करने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ,

II. स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बच्चों तथा विकलांग बच्चों को पुर्नवास कराना,

III. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक विचित्र निकाय है जो भारत ने स्वतंत्रता पश्चात स्थापित किया जिसका मुख्य ध्येय था लोगों की महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन की सहभागिता प्राप्त की जाय,

IV. वर्तमान में 1800 गैर सरकारी संगठन बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

कार्य - इस समय बोर्ड द्वारा जो कार्य महिला उन्नति के कार्य किए जा रहे है उनमें सामाजिक- आर्थिक तथा असहाय महिलाओं की सहायता से सम्बन्धित है,

- बोर्ड असहाय महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा भी प्रदान करने का कार्य करता है,

- बोर्ड बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सलाह, कल्याणकारी प्रसार परियोजनाए भी चलाता है विशेषकर बोडर क्षेत्र में।
- बोर्ड, बालवाड़ी केन्द्र, पाटना तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भी चलाता है।

एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम -1975

यह योजना बच्चों तथा महिलाओं में कुपोषण पर नियंत्रण करने हेतु वर्ष 2 अक्टूबर 1975 को प्रारम्भ किया गया। जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे -

1. 0-6 वर्ष के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य प्रस्थिति को उन्नति करना है।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक-शारीरिक तथा सामाजिक विकास की आधार शिला रखना।
3. बच्चों में मृत्युदर, रोगदर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण दर को कम करना।
4. शिशु/बाल विकास के हेतु सभी विभागों से समन्वय स्थापित करना।
5. माताओं की क्षमताओं व योग्यताओं में इतनी वृद्धि करना ताकि वे बच्चों की स्वास्थ्य तथा पोषण की आवश्यकताओं का समझे।

उपरोक्त योजना की निम्न सेवाओं का प्रविधान किया गया :

1. स्वास्थ्य जांच,
2. बच्चों को सम्पूरक आहार,
3. गर्भवती तथा धात्री माताओं को सम्पूरक आहार,
4. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा,
5. सन्दर्भ सेवाऐं,
6. अनौपचारिक शिक्षा।

कार्यक्रम का संगठनात्मक ढांचा : इस कार्यक्रम के संरचनात्मक ढांचे में आंगनबाड़ी कार्यकत्रीयों से, सेक्टर पर मुख्य सेविकाऐं, विकासखण्ड पर शिशु विकासधिकारी तथा जनपद पर परियोजनाधिकारी सभी की सभी महिलाऐं रखे जाने का प्रविधान किया गया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम से महिला स्वास्थ्य प्रस्थिति के साथ-साथ उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

महिला समाख्या (1989): महिला समाख्या कार्यक्रम महिला की शिक्षा का कार्यक्रम है ताकि महिला की प्रस्थिति में पुरूषों के बराबरी आ सके। ये कार्यक्रम गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के 10 तथा 10 जनपदों में प्रारम्भ किए गये। जिसके मुख्य निम्न उद्देश्य थे :-

1. महिलाओं में आत्म छवि तथा आत्म विशवास बड़ाना,
2. एक ऐसे पर्यावरण का सृजन करना जिसमें महिलाऐं अपनी भागानुसार सूचनाए व ज्ञान प्राप्त कर सके तथा स्वयं सशक्तिमान बनने की भूमिकाऐं स्वयं के विकास में निभा सके,
3. अनौपचारिक शिक्षा संरचना का सृजन करना जो महिलाओं को सम्मान दिलाये तथा कृषि मौसमों के अनुसार उनकी मांगपूर्ति हो सके,
4. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना उनकी स्वयं की तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए,
5. महिलाओं के केन्द्रों का सृजन करना ताकि वे ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित कर सके ताकि महिलाओं हेतु चलायी गई परियोजनाओं हेतु ग्रामों में अनुकूल पर्यावरण की रचना सम्भव हो,

महिला समाख्या की विशेषताऐं :

1. महिला सहभागी ग्रामों में मंच निर्माण को, उसके स्वाभाव, विषयवस्तु, तथा प्रशिक्षण क्रिया कलापो को स्वयं ग्राम में निर्धारण करें,
2. ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से उत्तरदाई होगे। नियोजन, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तथा योजनओं की मूल्यांकन प्रक्रिया में,
3. शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में समझना जो महिलाओं को सुयोग्य बनायेगी कि उन्हें क्या, कब, क्यों, कहाँ तथा कैसे करना है शिक्षा मात्र साक्षरता न हो,
4. महिलाओं द्वारा दी गई सीखने की प्राथमिकताओं का सम्मान करना,
5. महिलाओं की वर्तमान ज्ञान, अनुभव तथा कुशलता के आधार पर ही शैक्षिक प्रक्रिया तथा विविधियों का चयन किया जाय तथा
6. प्रक्रिया मेंसहभागिता द्वारा चयन किया जाय ताकि परियोजना में सभी कार्मिक संकल्प के साथ कार्य करे गरीब महिलाओं के बीच तथा उन्हें जाति पूर्वाग्रहों से मुक्ति होना चाहिए।

महिला समख्या द्वारा महिलाओं के समूह को संघ कहा जायेगा। सहयोगनी मुख्य कार्मिक होगी। वहीं ग्रामीण महिलाओं में कार्य को प्रारम्भ करेगी कुछ कह कर, उनकी समस्यओं पर विचार विमर्श होगा। वह उन्हें उत्साहित करेगी कि वे एक साथ मिल समूह में आये और एक दूसरे को सहयोग करे कि वे ग्राम में किस प्रकार अपने लिए सम्मान की प्रस्थिति उत्पन्न करे। इस प्रकार सहयोगिनी संघ की प्रत्येक महिला किस प्रकार मजबूत बनायेगी ये महिलाऐं ग्राम के प्रत्येक विकास अभियान को शक्ति देगी संघ फिर समूह में से दो महिलाओं को सखी कि वे अन्य ग्राम में जाये तथा शिक्षा प्रदान करे बारी-बारी के ताकि पूरे गांव की महिलाऐं सहवाकिस बन जाये आपस में। फिर सखी जनपद में बाहर निकलेगी

और परियोजना का आगे विस्तार करेगी ग्राम में होने वाली क्रियाओं को। सहयोगिनी एवं सखी के सहयोग से संघों का निर्माण होने लगेगा धीरे-धीरे। ऐसा स्वाभाविक रूप से होगा। सामूहिक प्रयासों द्वारा अधिक महिलाऐं इनसे जुड़ेगी।

जन शिक्षा निलय अथवा महिला शिक्षा केन्द्र इस परियोजना के अन्तर्गत शिक्षित तथा कुशल महिला को प्रदान करेगा। चल साक्षरता दल के रूप में जैसे कि कर्नाटक में चल रहे हैं। संयोगिनी तथा सहावाकिस कुशलता से कार्य करेगी महिला शिक्षा केन्द्र के रूप में। वे जनपद स्तर से पुस्तकों को एकत्र करेगी अपनी मासिक बैठको की अवधि में। बाद में, वे ग्रामीण महिलाओं के बीच वितरण करेगी पुस्तकों तथा अन्य सामग्री ताकि वे आसानी से सभी महिलाओं को उपलब्ध हो जाये। दूसरी मासिक बैठक में पुस्तकों को बदल दिया जायेगा, वहां की महिलाओं के बीच जहाँ पुस्तको की आवश्यकता होगी इस परियोजना में पूरे दिन कार्य के लिए कत्रियों की प्रेरक के रूप में प्रविधान किया गया है।

6. इन्द्रा महिला योजना : अभी कल के प्रयासों से एक रणनीति का विकास हुआ जिसके द्वारा सम्पूर्ण देश में एक संगठनात्मक आधार तैयार किया ताकि देश की समस्त महिलाएं साथ हो सके। विश्लेषण किया गया है कि केन्द्रीय तथा राज्यों के वर्तमान विकास कार्योक्रमों से कैसे महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में उन्नयन किया जाय। उस रणनीति को इन्द्रा महिला योजना का नाम दिया गया। इसके उद्देश्य थे -

I. अनेक क्षेत्रों में चलते कार्यक्रमों की धन राशि को जनपद स्तर पर एकत्र करना ताकि महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

II. इन्द्रा महिला केन्द्र खोलना वह भी आंगनबाड़ी स्तर पर।

III. प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम को आपस में समन्वय करना आंगनबाड़ी स्तर पर ताकि जमीनी महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार किया जा

सके। यह देश के भिन्न भागों में अनुभव किया गया कि महिलाओं का समूह एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। पुरुष धारणा में परिवर्तन लाने के लिए तथा अन्य विविध मामलों में।

IV. महिलाओं को सूचना, ज्ञान तथा संसाधनों से मजबूत बनाना।

V. नगर एवं ग्रामीण मलिन आवासों की महिलाओं में जागरूकता पैदा करना।

VI. महिलाओं को उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के अनुसार समूह बनाने के लिए प्रोत्साहन करना। ग्राम पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

VII. महिलाओं का जन तंत्रात्मक ढंग से चयन करना।

VIII. इन्द्रा महिला योजना के संरचना में योजना का महिलाओं द्वारा नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन।

IX. सरकारी कर्मचारियों को विविध योजनाओं में सहयोग करना। गैर सरकारी संगठनों को समूह निर्माण में जोड़ना तथा उन्हें सुविधा प्रदान कर आदि।

पायलट परियोजना के आधार पर इन्द्रा महिला योजना 200 विकास खण्डों में क्रियान्वयन की गई। उनमें से आधौ ने अपनी-अपनी सुसाइटी पंजीकृति करा ली विकास खण्ड स्तर पर। 7000 महिला समूहों का निर्माण किया गया आंगनबाड़ी स्तर पर और उन्होंने आगे क्रेडिट कार्य किया।

7. राष्ट्रीय महिला कमीशन : राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक स्टेटुएरी निकाय के रूप में जनवरी 1992 को हुआ था। वह भी राष्ट्रीय महिला कमीशन एक्ट 1990 के अर्न्तगत। जिसका उद्देश्य था -

I. सम्बैधानिक एवं कानून तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर पुर्नविचार करने के लिए।

II. महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों के सुझाव देना।

III. सरकार को महिलाओं की आफतों को दूर करने हेतु उन सभी मामलों में जो महिलाओं को प्रभावित करते है सुझाव दे।

रचना :-

I. आयोग में एक चेयर जो केन्द्रीय सरकार से चयन किया जायेगा।

II. पांच सदस्यों को नामित किया जायेगा केन्द्रीय सरकार के द्वारा उन लोगों से जिनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित होती, उनमें योग्यता होगी तथा जिन्हें कानून की जानकारी होगी, ये सदस्य श्रम संगठनों के भी होगें, उद्योगों में मेनेजर भी शामिल किए जायेगे तथा स्वैच्छिक संगठन के भी सदस्य होगे विशेषकर महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत तथा एक सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति का होगा।

III. एक केन्द्रीय सरकार द्वारा मेम्बर सचिव होगा जो प्रबन्धन समाजशास्त्री या सिविल सर्विस का रिटार्यड व्यक्ति होगा

कार्य :-

I. संविधान तथा कानून के अर्न्तगत जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है उसका निरीक्षण एवं परीक्षण करना।

II. सुरक्षात्मक किए गये कार्यो का विवरण केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखना जब वह चाहे,

III. ऐसे प्रतिवेदन तथा सुझाव तैयार करना ताकि सुरक्षात्मक कार्यो को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हो सके,

IV. समय-समय पर किए गये प्राविधानों पर पुर्नविचार करते रहना तो महिला प्रस्थिति को प्रभावति करते हैं तथा आवश्यकता होने पर उनमें परिवर्द्धन करना,

V. महिला हिंसा के कैशों को लेकर यह देखना कि आयोग के प्रविधानों के अनुसार उन मामलों का निपटारा किया गया है अथवा नहीं। तथा वह उपयुक्त अधिकार प्राप्त व्यक्ति ने ही किया है।

VI. नीचे लिखी शिकायतों को देखना :

1. महिलाओं के अधिकारों को हनन सम्बन्धी शिकायतें,
2. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों पर अमल नहीं किया गया हो,
3. समानता तथा विकास में पैदा करने वाली बाधाऐं,
4. महिला के कल्याण, राहत, पहुंचाने वाले नीति सम्बन्धी निर्णय तथा मार्ग दर्शनों को क्यों नहीं पालन किया गया है।

VII. महिलाओं के विकास की सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया के नियोजन में सहभागिता करना तथा परामर्श प्रदान करना,

VIII. केन्द्र तथा केन्द्र शाषित राज्यों में महिलाओं के बारे में कितनी प्रगति तथा विकास किया गया है का मूल्यांकन किया गया हैं,

IX. जेल तथा रिमाण्ड होम का निरीक्षण करना तथा अन्य स्थान जहां महिलाऐं बंद कर रखी जाती है तथा वहाँ के अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करना।

X. महिला को प्रभावित करने वाले मुकदमे तथा अन्य मुद्दे को यह देखना कि वे वैधानिक है अथवा नहीं तथा

XI. महिलाओं के बारे में सामयिक प्रतिवेदन तैयार करना तथा केन्द्र सरकार को आवश्यक सूचना तथा कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।

अन्य कार्य :-

1. सरकार ने 2001 वर्ष को महिला वर्ष मनाने की घोषणा की तो आयोग ने इस अवधि में कार्य का एजेन्डा तैयार किया।
2. आयोग ने 2001-2010 तक महिला दशक उनके सशक्तिकरण के रूप में सुझाव दिया,
3. आयोग कानूनी जागरूकता के शिविर लगाता है तथा सामाजिक न्याय कैसे पाया जाय यह तो भी बताया जाता हैं,
4. आयोग ने वर्ष 2001 में उन महिलाओं को पारितोषक तथा मानपत्र भेंट किए जिन्होंने उन क्षेत्रों में कार्य किया जो सरकार के द्वारा महिला विकास में छूटे हुए थे।

फूड एण्ड पोषण बोर्ड :-

यह बोर्ड वर्ष 1993 को केन्द्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिया, राष्ट्रीय पोषण नीति के तहत। इस बोर्ड का नियमित कार्य है -

1. पोषण कार्यक्रमों का प्रदर्शन करना।
2. एकीकृति पोषण शिक्षा के शिविर आयोजित करना।
3. पोषण सम्बन्धी महिलाओं के लिए अनुस्थापन शिविर लगाना।
4. घर पर दो माह तक खाद्य पदार्थो को सुरक्षित रखने के प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. मास जागरूकता के शिविर लगाना तथा सूचनाऐं देना।
6. आंगनबाड़ी केन्द्र पर रखे खाद्य पदार्थो का अनुश्रवण करना तथा उनमें खाद्य गुणवत्ता की जाँच करना।

7. नये कार्यो में बोर्ड राष्ट्रीय पोषण नीति के पश्चात वर्ती कार्य को भी करने लगा है।
8. इस समय बोर्ड 187 जनपदों तथा 18 राज्यों का कार्य देख रहा है तथा भारतीय पोषण प्रोफाइल तैयार की है।
9. बोर्ड बाल कुपोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा माइक्रो नूटरेन्ट कुपोषण कन्ट्रोल सम्बन्धी कार्य कलाप में संलग्न है।
10. राष्ट्रीय पोषण मिशन का विकास किया गया है जिसने कुपोषण उन्मूलन का बीड़ा उठाया है, जागरूकता शिविर आयोजन करना, जनपद स्तर पर पोषण कार्यक्रमों में यह मिशन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता हैं, कुपोषण खोजी सर्वे करता है आदि मिशन के मुख्य क्रिया कलाप है।

राष्ट्रीय महिला कोष :

इस कोष का प्रारम्भ वर्ष मार्च 30, 1993 में हुआ था। इसमें 31 करोड़ का फण्ड रखा गया था। जिसके मुख्य उद्देश्य थे -

1. अनौपचारिक सेक्टर में गरीब महिलाओं की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूर्ण करना।
2. इसकी स्थापना समाज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अर्न्तगत किया गया था जिसका संचालन सरकारी बोर्ड के 16 सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
3. इस कोष का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री होगा। यह कोष वर्ष 1999 तक के लिए स्वीकृति हुआ था 66.12 करोड़ के कर्ज से 31584 महिलाओं को 406 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए।

4. इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह को बनाये रखना था। जिसमें बिना ब्याज के कर्जा देने का प्राविधान था, 25 स्वयं सहायता समूह के निर्माण के लिए एक करोड़ रूपया रखा गया था।
5. कुछ निश्चित दशाओं में कर्ज ग्रान्ट में परिवर्तन करने का भी प्रविधान किया गया था।
6. 137 गैर सरकारी संगठनों को 3786 स्वयं सहायता समूहों को रू0 106. 51 लाख वितरण करने को दिए गये थे।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1999) : कार्यक्रम का प्रारम्भ 1999 में हुआ जिसके मुख्यतः लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएँ ही थी। इसके तीन प्रभाग थे- (1) राष्ट्रीय वृद्धा पैंशन योजना, (2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा (3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। मातृत्व लाभ योजना के अर्न्तगत गर्भवतियों को दो बच्चों के प्रजनन तक रू0 500 पोषण हेतु प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय वृद्ध पैंशन योजना में रू0 75 प्रतिमाह महिलाओं जो अब जो 65 वर्ष के ऊपर की है को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय लाभ योजना के अर्न्तगत रू0 10000 की सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा बहादुर परिवारों में पुरूष की मृत्यु होने पर दिया जाता है तथा उनको भी जिनकी मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती है।

"क्रेडिट एवं सहयोग राशि योजना के अर्न्तगत ग्रामीण आंचलों में आवास हेतु 60 % फण्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाता है विशेष कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों को तथा जो वो बन्धक श्रम से मुक्ति से मुक्त हुए है।"(गोयल, 2004, 313-316)।

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को उन्नयन हेतु योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभाव को मापने हेतु दसवी पंचवर्षीय योजना में निम्न संकेत को चुना गया है -

1. वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत गरीबी की दर कम करना तथा 15 प्रतिशत वर्ष 2012 तक।
2. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का प्राइमरी स्कूल में प्रवेश।
3. पांच वर्षीय बच्चों का 2007 तक प्रवेश करना।
4. वर्ष 2007 तक शिक्षा के क्षेत्र में लिंग दर को तथा मजदूरी दर को 50 प्रतिशत कम करना।
5. वर्ष 2001 तक 16.2 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना।
6. दस वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शिक्षा दर को 75 प्रतिशत करना।
7. वर्ष 2007 तक 45/1000 शिशु मृत्युदर लाना तथा 28/1000 2012 तक लाना।
8. वर्ष 2007 तक मातृत्व मृत्युदर को 2/1000 तक लाना तथा 1/1000 वर्ष 2012 तक लाना।
9. वर्ष 2007 तक सभी ग्रामों में शुद्ध जलापूर्ति करना।

इस दसवीं पंचवर्षीय योजना में विधायकी में, कार्यपालिका में, न्याय पालिका में, स्थानीय स्वशाषन निकायों में, परामर्श दात्री परिषदों में महिलाओं को समानता का आश्वासन तथा निर्णय की प्रक्रिया में उनकी बराबर की भागीदारी पूरी कर ली जायेगी। समयवाद आरक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार प्रशाषनिक संरचना में महिलाओं की सहभागिता प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर ली जायेगी।''(गोयल,2004:35-36)।

बालिका समवृद्धि योजना : इस योजना का प्रारम्भ देश में अक्टूबर, 1997 में किया गया था। इसमें जो लड़की बच्चा 15 अगस्त, 1997 के बाद पैदा हुआ है तथा उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है तो उसे रू0 500/- प्रदान किया जाता है। यह सुविधा उपरोक्त शर्तो वाली मां को दो प्रसवों तक ही देय

है। इस रकम को बैंक में जमाकर दिया जाता है। इसमें रू0 300/- कक्षा एक तक तथा रू0 1000/- कक्षा 10 तक जमा किया जाता है। बाद में लड़की 18 वर्ष की होती है तब उसके नाम से जमा होने वाला मूलधन तथा ब्याज उसके विवाह के समय प्रदान कर दिया जाता है ताकि दहेज के उत्पीड़न से वह बच सके।

स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (1997) : यह योजना वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई क्योंकि निम्न योजना रोजगार को लक्ष्य मानकर पृथक-पृथक चल रही थी जो इस प्रकार हैं -

I. शहरी गरीब उन्मूलन का कार्यक्रम
II. नेहरू रोजगार योजना
III. प्रधानमंत्री एकीकृति नगर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
IV. अरबन बैसिक सरविसेज फार पूअर्स, को एकीकृत करते हुए तथा 75% केन्द्र की भागीदारी करते हुए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का प्रारम्भ हुआ।

इस योजना के निम्न उद्देश्य थे :-

1. महिलाओं में स्वरोज की क्षमता का सृजन करना।
2. महिलाओं को क्रेडिट सुसाइटी बनाना।
3. नगर बासियों को लाभकारी रोजगार खोलना।
4. स्वयं रोजगार के अवसर खोलना।
5. समुदाय को सशक्तिमान बनाने के कार्यक्रम करना

प्रकार्य :-

1. नगर स्वःरोजगार कार्यक्रम।
2. नगर स्वः मजदूरी कार्यक्रम।
3. महिलाओं के विकास की योजनाऐं।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999) इस योजना का प्रारम्भ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे :-

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का वित्तीय मदद।
2. स्वयं सहायता समूहों का निर्माण - सामाजिक गतिशीलता, प्रशिक्षण तथा महिलाओं में क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाना। इस योजना से गरीब महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में बड़ा प्रभाव पड़ा है।

इस योजना की वित्तीय व्यवस्था में केन्द्र की 75 तथा राज्य की 25 प्रतिशत राशि का प्रविधान किया गया है अधिकतम राशि रू0 700/- अनुसूचित जाति के लिए। रू0 10000/- स्वयं सहायता समूह को जिसमें 50/- का अंश सहयोग होता है। प्रत्येक जनपद को ग्रामीण विकास अभिकरण सहायता समूहों पर प्रशिक्षण पर तथा रिवोल्बिंग फण्ड पर व्यय करती है। अपनी आर्थिक क्रियाओं के रूप में।

महिला समृद्धि योजना (2003) : यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यवतीत करने वाली अनुसूचित जाति महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति सुधार के लिए प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत रू0 40000/- ग्रामीण क्षेत्रों में तथा रू0 55000/- नगर क्षेत्रों में राष्ट्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का प्रारम्भ 2 अक्टूबर ,2003 को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें रू0 25000/- किसी भी आय वृद्धि योजना हेतु 4% ब्याज पर प्रदान किया जाता है तथा रू0 10000/- इसमें सहयोग राशि होती है तथा शेष रकम की अदायगी तीन वर्षो में करनी पड़ती है (टाइम्स आफ इन्डिया, अक्टूबर, 2003)

9. महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति उन्नयन में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास :

हम दृढ़ संकल्पित है महिलाओं का पूर्ण रोजगार तथा लड़की (बाल) के रक्षण के लिए समस्त मानवधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रता प्रदान करने के हेतु तथा इनकी स्वतंत्रता तथा मानवधिकार उल्लंघन के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए।

अनुच्छेद, 23 बीजिंग घोषण1995,

महिलाओं का संघर्ष, वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में अपने अधिकारों के उपभोग करने के लिए तथा प्रदान करने के लिए, कटिवद्ध है। भारतीय महिलाओं ने यह सीखा कि बलिदान तथा स्वयं त्याग महान बनने का मूल्य है। परन्तु तथ्य बदल चुके हैं। आज अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त की प्रतियोगिता है और भारतीय महिलाऐं भी आज सहभागिता चाहती है।

जिस अध्याय पर 26 जून, 1945 को संयुक्त राज्य ने हस्ताक्षर किये थे उसमें महिलाओं के अधिकारों को सम्मान प्रदान किया गया। बिना प्रजाति, लिंग, भाषा तथा धर्म का विभेद किए। अध्याय के सात अन्य अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के मानवधिकारों के समर्थन की घोषणा की तथा मानवधिकार आयोग की 1945 में स्थापना की। कमीशन ओन बूमन स्टेटस की एक वर्ष बाद नियुक्ति की गई क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 1945 में लिंग असमानता की पहिचान की और 1948 की सारभौमिक मानवधिकार की घोषणा की। वर्ष 1949 के सम्मेलन में महिलाओं को ले जाकर बलात्कार करने तथा उनके साथ वैश्यावृत्ति करने पर प्रतिबन्ध लगाया। वर्ष 1952 के सम्मेलन में महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों की वकालत की गई। वर्ष 1967 में महिलाओं के साथ होने वाली असमानता को समाप्त करने के लिए घोषणा की गई। यह सब 1976-85 महिला दशक मनाने से पूर्व किया गया।

संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की घोषणा की। उसी वर्ष प्रथम विश्व सम्मेलन महिला मेक्सिको नगर में हुआ। इस में 6000 महिलाओं ने सहभागिता की और महिला विकास के लिए विश्व का प्रथम योजना बनाई गई जो समानता विकास तथा शन्ति पर आधारित थी। संयुक्त राष्ट्र की जनरल ऐ सम्बनी ने 1976-85 को महिला दशक के रूप में मनाने की घोषणा की जिसका उद्देश्य था महिला समानता विकास तथा शान्ति की स्थापना करना। महिलाओं के साथ सभी तरह की वर्ती जाने वाली असमानता वर्ष 1979 का मुख्य मुद्दा था महिला समानता के रास्ते का।

दूसरी संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1980 में डेनमार्क में सम्पन्न हुयी जिसमें 8000 महिलाओं ने सहभागिता की इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, रोजगार तथा शिक्षा को ऐजेन्डे में मुख्य स्थान प्रदान किया। इसमें गत 5 वर्षो में की गई प्रगति पर भी पुर्न विचार किया गया। तथा आगे 5 वर्षो योजना का प्रारूप तैयार किया गया।

तृतीय विश्व सम्मेलन वर्ष 1985 में केन्या के नगर नेरौबी में आयोजित किया गया, जिसमें 15000 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें महिला सशक्तिकरण की बनाई गई रणनीति को सहभागी सरकारों ने एकमत से स्वीकार किया।

चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन 1995 में बीजिंग में आयोजित किया गया। जिसमें विश्व की 36000 महिलाओं ने सहभागिता की तथा 10 वर्षीय (1996-2005) का एक प्लेटफार्म आफ एक्शन सम्पूर्ण विश्व में अधिग्रहण किया गया।

संयुक्त राज्य की स्थापना से ये उन पर एक नैतिक दबाव बना कि वे सदस्य राज्यों को महिला विकास कल्याण की योजना बनाये, क्रियान्वयन करे ताकि

महिलाओं को समानता तथा सशक्ति बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है- हम संयुक्त राष्ट्र के लोग निर्धारित करते है मानवधिकार में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान अधिकारों पुरूष एवं महिलाओं प्रदान की जायें फिर चाहे राष्ट्र लघु हो या दीर्घ ताकि असीम स्वतंत्रता, जीवन के वेहतर स्तर तथा सामाजिक प्रगति को प्रौन्नति किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रथम यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसमें लिंग समानता को मानवधिकार माना गया महिला की उन्नति के लिए सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में कि पुरूष व महिलाओं के मध्य समानता के अधिकार को पहिचाना जाय तथा यह प्रयास किए जाये कि महिलाओं को बराबर अवसर प्रदान किए जाए पुरूष के साथ ताकि वे अपने अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रता को महसूस कर सके।

दिसम्बर 10, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल ऐ सेम्बनी ने यूनीवरसल डिक्लरेशन आफ ह्मन राइट्स का अधिग्रहण किया तथा प्रस्ताव रखा कि सभी राष्ट्रों तथा देशों में समस्त मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुए तथा उन्हें समान अधिकार तथा उनकी शान है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र निरंतर इस प्रयास में है कि लिंग समानता को सम्पूर्ण विश्व में स्थापित किया जाय तथा इस तथ्य को स्वीकार किया जाय कि आज भी महिला ने पुरूष समतुल्य समानता प्राप्त नहीं की है, विश्व में आज 70% महिलाऐं गरीबों के रूप में जीवित हैं जिसमें 70% से 80% महिलाऐं शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने शताब्दी विकास के लक्ष्यों को स्वीकारा है कि वर्ष 2015 तक गरीबी को दूर किया जाय तथा लिंग की समानता को।

I. संयुक्त राज्य अभिकरण तथा महिला सशक्तिकरण :-

1. महिला प्रस्थिति आयोग : इस आयोग का गठन प्रकार्यात्मक आयोक के रूप में यू.एन. परिषद के प्रस्ताव (II) के तहत 21जून, 1946 को किया गया। जो राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिला विकास में संदर्भ में रिफारसे के प्रतिवेदन तैयार करेगा। इसका प्राथमिक जोर देना उद्देश्य था कि वह समान अधिकार के सिद्धांत को प्रौन्नति करे व क्रियान्वयन करे। यह आयोग बना तब 15 सदस्य थे परन्तु आज 45 सदस्य इसके सदस्य है। इनका चयन आर्थिक व सामाजिक परिषद ने 5 वर्ष के लिए किया है।

2. संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष : इसका उद्देश्य तथा कार्य यह खोज करना है कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा तथा उनके अधिकार जिनसे महिलाओं की गरीबी दूर हो। इसका ध्येय मनुष्य के बराबर महिलाओं की समान पहुँच हो उत्पादन में वृद्धि करने में, नीतियों में परिवर्तन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाऐ अपने अधिकारों को आचरण में ला रही है तथा स्वयं व परिवार को गरीबी से मुक्त करा रही है वह भी आर्थिक नीतियों की जागरूकता करके मुख्य धारा में बह रही हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र का महिला प्रौन्नति का विभाग : इसका कार्य लिंग के मुद्दे पर सभी को मुख्य धारा में लाने हेतु समन्वय स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन जो महिला लिंग समानता, विकास तथा शांति 21वीं शताब्दी में लाने के लिए लिंग विश्लेषण करना ; 21 क्षेत्रों में, जो महिला विकास के प्लेटफार्म एक्शन में आते हैं।

4. एफ.ए.ओ. महिला विकास की कार्य योजना (1996-2001): इस कार्य लिंग आधारित एकता की प्रौन्नति करना था कि उत्पादन के संसाधनों तक पहुँच बनायी जाय तथा नियंत्रण किया जाय तथा निर्णय की प्रक्रिया में महिला की सहभागिता में वृद्धि की जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का काय्र का

बोझा कम किया जा सके तथा उन्हें स्वरोजगारी बनाने के अवसन प्रदान किए जा सके।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास का कोष :** इस विकास कोष ने लिंग तथा घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की रणनीति तैयार की। कोष के द्वारा यह विश्वास किया गया था कि इसके निवेय से महिलाओं में उत्पादन की क्षमताऐं बढ़ेगी, वे सशक्त बनेगी, अपने समुदायों को मजबूत बनाने में तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सम्पन्न करने में योगदान देगी।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग :** विश्व कार्य के प्रसंग में यह आयोग महिलाओं तथा लिंग के ऊपर विशेष ध्यान दे रहा है वर्ष 1919 से। सबके लिए सर्वोत्तम कार्य के स्वयं में लिंग समानता पर विचार करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग सामाजिक तथा संस्थात्मक रूप से कार्य से समानता पर विशेष बल देता है। विश्व कार्य में आयोग अनेक यंत्रों को प्रयोग कर रहा है ताकि महिला समानता को प्रोत्साहित किया जा सके।

7. **अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान :** यह संस्थान महिलाओं को आगे बढ़ाने मेंसहायता प्रदान करता है ताकि महिलाओं द्वारा किया गया श्रम दिखाई दे, अनुसंधान, प्रशिक्षण, सूचनाओं के एकत्र करने तथा उनका संचार करने से। इस प्रसंग में यह संस्थान सरकार को गैर सरकारी संगठनों को तथा अन्तर सरकारों के संगठनों को सहायता पहुँचाता है।

8. **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों में लिंग की स्थापना 1987 में हुई। इस कार्यक्रम द्वारा महिलाओं का परामर्श, समर्थन तथा सुविधाए प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है विशेषकर लिंग समानता, नीति निर्माण में, वार्ता करने में तथा आचरण में लाने में। इसकी

ईकाई व्यूरो फार डबलपमेन्ट पोलिसी के कक्ष में ही स्थापित है। इसका मुख्यालय लिंग समानता पर मार्ग दर्शन करता है।

9. इसी प्रकार तथा स्वाभाव के महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति सुधार के अन्य संगठन निम्नलिखित हैं :-

1) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक-वैज्ञानिक तथा सांस्कृति संगठन।
2) संयुक्त राष्ट्र जन सख्या क्रिया-कलापों का कोष।
3) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों हेतु उच्च कमिश्नर।
4) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष।
5) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन।
6) संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान सामाजिक विकास संस्थान।
7) विश्व खाद्य कार्यक्रम
8) विश्व स्वास्थ्य संगठन
9) विश्व बैंक।

II. महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेद उन्मूलन का सम्मेलन (1979) :

18 दिसम्बर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र जनरल ऐसेम्बली में एक परम्परा ग्रहण की, "महिला के साथ सभी तरह की असमानता का उन्मूलन करना। जो एक अन्तर्राट्रीय संधि के रूप में अस्तित्व में आया। जो 3 सितम्बर 1981 को हुआ। उस दिन 20 देशों ने इस प्रस्ताव को मान्यता की। बाद में 100 देशों ने प्रविधान को मानने की स्वीकृति प्रदान की। अन्तर्राष्ट्रीय मानवधिकार संधि में, कनबेन्सन ने महिलाअधिकार के प्रति सहानुभूति दर्ज की। इसकी जड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के उन लक्ष्यों में निहित थी जिसमें सभी प्रकार की असमानता को भूला जाये अधिकारों तथा मानव प्रतिष्ठा के सन्दर्भो में" ताकि महिलाए जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता की सहभागिता कर सके।

इसकी प्रस्तावना में, स्वीकार किया गया कि महिलाओं के मामलों में आज भी असमानता बरती जाती है, और इस प्रकार की असमानता मानव शान समानता के मानवीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। कनबेन्सन महिला के द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्यों को पहिचानती है जो उसने परिवार तथा समाज के लिए किए हैं। कनबेन्सन उसके मातृत्व को सामाजिक रूप से पहिचानती है जो उनके द्वारा बच्चों के पालन-पोषण एवं परिवार को ऊँचा उठाने में योगदान करता है। महिला के साथ असमानता का अर्थ होगा - लिंग के आधार पर की गई असमानता, नियंत्रण तथा उपेक्षा महिला की स्वतंत्रता, पहिचान को आहत करती है जबकि मानवधिकार प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में। कनबेन्सन ने समानता को परिभाषित किया तथा यह भी बताया कि उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। ऐसा करने में कनबेन्सन ने केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय विल ही पेश नहीं किया, महिलाधिकारों के बारे में अपितु एक एजेन्डा भी तैयार किया कि सभी देश आश्वासन दे कि महिला अपने अधिकारों को प्रयोग में ला रही है।

III. लिंग विरुद्ध हिंसा में 16 दिवसीय अभियान :

इस अभियान जब 1991 में यह प्रारम्भ किया गया था तब से 800 संगठनों ने 90 देशों में 16 दिवसीय लिंग विशेष हिंसा में अभियान चलाया। इसके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली सभी तरह की हिन्सा को समाप्त करने के लिए रणनीति पर विचार किया गया। इस प्रकार के अभियान ने महिलाओं को विश्व नेतृत्व पर पहुँचाया। इसमें सभी तरह की महिला हिन्सा चाहे वह घरेलू हो अथवा सामाजिक क्षेत्रों में उसे मानवधिकार का उल्लंघन बताया गया। सहयोगियों ने 25 नवम्बर तथा 10 दिसम्बर को इस अभियान के प्रतीक रूप में सम्बन्धित किया। 16 दिवसों को महान तारीखों के रूप में महत्ता प्रदान की गई तथा महिलाओं का

जवाबी हमला माना गया विशेषकर 1981 में लेटिन अमरीका तथा कैरीवियन देश में। इसके द्वारा मीराबल बहिन की मृत्यु जो ट्रूजिलों तानाशाह के द्वारा की उस दिन 25 नवम्बर था, 1960 का दिन था तथा दिसम्बर 1, एड्स दिवस मनाया जाता है। दिसम्बर 6 कि दिन मोनट्रीयल मेशकैरे की जन्म शताब्दी थी, जब एक आदमी ने 14 महिलाओं को जो इन्जीनीयर अनुशाषन की छात्राऐं थी, उन्हें मार डाला था। 10 दिसम्बर, 1948 को सरकारों ने 'मानवधिकार सबके लिए' तथ्य को जाना तथा जीवन सुरक्षा तथा मनुष्य की सुरक्षा, बिना भेदभाव के सभी देशों ने सारभौमिक मानवधिकार घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

IV. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस :

वर्ष 1908 संयुक्त राज्य में समाजवादी दल ने 'महिला राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया कि महिलाओं को विश्व में मानवधिकार प्रदान किया जाय। इस कमेटी ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष महिलाओं को मताधिकार दिया जाय अभियान छेड़ा जाता रहेगा। 8 मार्च 1908 न्यूयार्क नगर में "सामाजिक जनतंत्रात्मक महिला समाज" ने एक विशाल सभा की महिलाओं के अधिकार विषय पर। 1910 में राष्ट्रीय कांग्रेस आफ सोसलिस्ट पार्टी, तब राष्ट्रीय आयोग ने सिफारस की कि हम फरवरी के अन्तिम रविवार का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनायेगें। इसके बाद कोपेन हेन, समाजवादी महिला ने प्रस्ताव का सर्मथन किया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जन्म हुआ।

"महिला दिवस का जन्म तो हो गया परन्तु तिथि निश्चित नहीं हुई। इस मुद्दे पर अनेक अभियान चलाये गये परिणामस्वरूप 8 मार्च तिथि निश्चित हुई। वर्ष 1970 में महिला समर्थक अभियान ने आखिरकार महिला वर्ष की तिथि खोज ही निकाली।" (टी.ओ.आई.,8 मार्च, 2003)।

V. लड़की (बाल) के लिए स्पेशल कार्यक्रम :

सार्क देशों के समूह ने 1990 को लड़की (बाल) दिवस के रूप में घोषणा की। तथा 1991-2000 का दशक लड़की (बाल) के रूप में मनाया गया। इस अवधि में कार्यक्रम के निम्न प्रस्ताव थे।

1. लड़की (वाल) के मूल्य की जनता में जागरूकता में वृद्धि की जाय,
2. लड़की की संजीवन तथा विकास सम्बन्धी वैसिक सेवाऐं प्रदान की जाय,
3. वाल दिवस, स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायद्व
4. उनकी विवाह की आयु में वृद्धि की जाय,
5. सकारात्मक पर्यावरण का सृजन किया जाय तथा लड़की (वाल) को एक उत्पादी तथा विश्वासवीय युवक की भाँति विकसित हो सके।

VI. राष्ट्रीय लड़की (वाल) का क्रिया योजना :

भारत सरकार ने 1991-2000 दशक के लिए एक राष्ट्रीय प्लान आफ एक्शन फोर गर्ल्ड चाइल्ड का प्रारूप तैयार किया। योजना में लड़की (वाल) का समानाधिकार तथा अवसरों की पहिचान की तथा उन्हें भीख, अशिक्षा, अज्ञानता तथा शोषण से मुक्त रखा जाय पर बल दिया गया। लड़की (वाल) के संजीवन हेतु निम्न उद्देश्य रखे गये :

1. लड़कियों के भ्रूण की पहिचान करने पर प्रतिबन्ध,
2. भ्रूण हत्या को अपराध घोषित करना,
3. लड़की मृत्यु दर को कम करना,
4. लिंग असमानता का उन्मूलन करना तथा आचरण में नहीं लाना घोषणा के हस्तक्षेपों में वृद्धि करना, गम्भीर कुपोषण का कम करना। सम्पूरक आहार प्रदान करके तथा किशोरियों को जरूरत पर पोषण प्रदान कराना।

5. लड़कियों में 50 प्रतिशत डायरिया होने वाली मृत्युओं को कम करना 5 वर्ष तक के बच्चों में तथा छः जान लेवा बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना । शुद्ध जलापूर्ति करना तथा उनके घर के पास भोजन, पानी को उपलब्ध कराना ।

VII. लड़की (वाल) की रक्षा :

1. उन लड़कियों को राहत प्रदान करना जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मुहताज है तथा विशिष्ट समूहों की हैं ।
2. स्वैच्छिक संगठनों को जातिमान बनाने कि वे लड़कियों का शोषण, गलत भावना तथा शारीरिक दुर्व्यवहार से मुक्ति दिलाये ।
3. परिवार के पुरूष लिंग को सचेत करना कि वे लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं को पहिचाने और समुचित कार्य करें ।
4. लड़कियों के साथ समान उपचार तथा समान सम्मान परिवार व समुदाय में देना सुनिश्चित करे और उनके दैनिक कार्यो में समर्थन तथा सहायता प्रदान करे और उन्हें स्वयं विकास करने हेतु प्रेरित करें
5. जिन लड़कियों/किशोरियों का शोषण हुआ है उनको पुर्नवास सेवाऐं प्रदान करना तथा सामाजिक बुराईयां- दहेज, बाल विवाह, वैश्यावृत्ति, वलात्कार, छेड़ा-छाड़ी आदि के बचाव करे उनके हक में निर्मित सामाजिक विधानों द्वारा तथा न्यायालय में केश को पंजीकरण करायें''। (गोयल,2004:109-110)

VIII. अन्तर्राष्ट्रीय मातृ दिवस :

सर्वप्रथम मातृ दिवस प्राचीन ग्रीस की महिला रिआ के सम्मान में मनाया गया था । जिसे देवताओं की मां कहां जाता था । 1600 की अवधि में इग्लैंड में एक दिवस मनाया गया था उसका नाम था मदर सण्डे जो लीय ईयर का चौथा सण्डे

था। संयुक्त राज्य में 1872 में जूलिया के नाम से शान्ति को समर्पित था। ऐना जरविस जो फिले डेफिया की थी उसने एक अभियान प्रारम्भ किया ताकि एक राष्ट्रीय मदर दिवस स्थापित हो सके। इसके लिए उसने अपनी मां जो ग्राफटन में पादरी मदर थी। पश्चिमी व रजिनिया मां की द्वितीय सन्डे को पुण्यतिथि पर मदर डे मानते थे। जरविस तथा उसके समर्थको ने मंत्री को पत्र लिखा कि देश में राष्ट्रीय मदर डे स्थापित किया जाय। सफलता मिली 1911 में और सभी स्थानों पर मदर डे मनने लगा। 1914 में प्रेसीडेन्ट बुड्रों विलसन ने मदर डे की सरकारी घोषणा की एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे सन्डे को मनाया जाया करेगा। (टाइम्स आफ इन्डिया, 11मई, 2003)

IX. वीजिंग घोषणा, 1995 :

यह घोषणा ध्रुवीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण को सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्यम था। इसकी घोषणा तथा इसके कार्य का मंच तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्ग दर्शन है। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन अपनी प्रस्तावना में -

(अ) आवश्यकक प्रविधान :

1. हम सरकारे जो चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में सहभागिता कर रही है,
2. वीजिंग में सितम्बर, 1995 में एकत्र हुए है जो संयुक्त राष्ट्र की 50 वीं वर्षगांठ है,
3. निश्चित करते हैं, की शांत, विकास तथा समानता के लक्ष्य को विस्तार करेगें प्रत्येक महिला के लिए मानव के हित में,
4. प्रत्येक स्थान पर महिलाओं की आवाज को पहिचानेगे प्रत्येक स्थान पर तथा उनकी विभिन्नता को अभिलेख करेगे तथा भूमिका की भी, परिस्थितियों की जो उनको सम्मान देती है जो नव कदम उठायेगी आशाओं से प्रेरित होकर विश्व के युवकों के बीच,

5. पहिचान करते हैं, महिला की प्रस्थिति को कि कई मामलों में उनका सम्मान बड़ा है गत दशक में परन्तु प्रगति नहीं हुई। पुरूष व महिला के मध्य आज भी असमानता बनी हुयी है तथा मुख्य बाधाऐ बनी हुई है गम्भीर परिणामों के रूप में, व्यक्तियों की कुशल क्षमता के लिए,
6. यही भी पहिचान करते है कि यह परिस्थिति भी बड़ी हुई गरीबी के कारण है जो दूनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को कुप्रभावित कर रही है, विशेषकर महिला तथा बच्चों को राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में,
7. अपने आपको समर्पित करते है, विश्व में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करेगें। यह शीघ्र प्रयास इसके लिए करने होगें। पक्के इरादे, आशा, सहयोग तथा एकता के साथ। इस संकल्प के साथ हमे नवीन शताब्दी में प्रवेश करने दो।

(ब) संकल्प :

1. सबके लिए समान अधिकार, सभी स्वरूप की असमानता, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा तथा विकास का अधिकार सभी को है।
2. बिना भेद के, मानवधिकार का पूर्ण क्रियान्वयन करेंगे।
3. एकमत्य होकर प्रगति करेंगे संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों चाहे वे नेरोबी 1985, बाल न्यूयार्क-1990, मानवधिकार बीना-1993, जनसंख्या तथा विकास कैरो-1994, सामाजिक विकास को पेनहन-1995, समानता, विकास तथा शांति के उद्देश्य से किए गये को, प्राप्त करेंगे।

उपरोक्त सभी सम्मेलनों में विकसित रणनीतियों को प्रयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे विशेषकर महिला विकास के।

महिला सशक्तिकरण जिसमें महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार, चिन्तन की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वासों, मूल्यों की स्वतंत्रता पुरूष व स्त्री को जिनकी

जरूरत पड़ती है उन्हें प्रदान करने का आश्वासन देते है ताकि व्यक्ति अपनी जीवन शैली को स्वतंत्र रूप में विकसित करे तथा जीवन निर्वाह करे।

(स) हम समझ चुके है कि :

1. महिला का सशक्तिकरण और उनका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता के आधार पर सहभागिता होनी चाहिए। उनकी पहुँच शक्ति अर्जन हो तथा वे निर्णय की प्रक्रिया में भाग ले।
2. महिलाओं के अधिकार मानवधिकार ही है।
3. समान अधिकार, संसाधन को प्राप्ती के अवसर, समान भाग तथा उत्तरदायित्व पुरूष तथा महिला हेतु परिवार के लिए सुखद समझदारी निभाने के लिए तथा जनतंत्र को बनाये रखने के लिए आवश्यक है।
4. गरीबी आधारित वहनीय आर्थिक वृद्धि का उन्मूलन होना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक विकास, पर्यावरण रक्षण तथा सामाजिक न्याय सभी इससे सम्बन्धित हैं। वहनीय विकास के लिए महिला सहभागिता अनिवार्य है।
5. प्रत्येक महिला को स्वस्थ्य रहने, प्रजनन करने न करने का उन्हें अधिकार है।
6. महिला विकास से ही हम स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा विश्व स्तर की शांति स्थापित की जा सकती है।
7. यह अनिवार्य है कि लिंग की असमानता मिटाने हेतु अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समान यंत्र से किए जाये।

उपरोक्त को क्रिया मंच परखने के लिए, इच्छा दृढ़ शक्ति की आवश्यकता है, सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के द्वारा हमे प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सम्मान देने की वृति को पहिचानना होगा तथा महिलाऐं शक्तशाली हो सकेगी।

(द) हम दृढ़ संकल्प है कि :

1. नेरोबी सम्मेलन के लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए सघन कार्य करेंगे,
2. महिलाऐं व लड़कियां मानवधिकारों का पूर्ण मनोरंजन करने को उन्हें सबल बनायेगें,
3. प्रत्येक प्रकार की असमानता के हेतु अनिवार्य उपाय करेंगे,
4. समानता के अभियानों में पुरूष को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेगे,
5. महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रौन्नति करेंगे, रोजगार देगे तथा सतत रहने वाली गरीबी के बोझ से उन्हें मुक्ति देंगे,
6. पुरूषों तक सीमित वहनीय विकास को भंग करेंगे तथा महिलाओं के आर्थिक वहनीय विकास को तेज करेंगे,
7. महिलाओं को शांति तथा बड़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्य करेंगे,
8. महिलाओं के साथ होने वाली सभी तरह की हिंसा का निषेध करेंगे,
9. बीमारी की स्थिति में महिलाओं के पुरूषों के समान उपचार की व्यवस्था करेंगे,
10. महिलाओं व लड़कियों के मानवधिकारों को संरक्षण देगें तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेंगे।

शोध उद्देश्य :-

1. महिला कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक एवं जनाकीय विशेषताओं का अध्ययन करना,
2. महिला कर्मचारियों की सामाजिक प्रस्थिति का अध्ययन करना,
3. महिला कर्मचारियों की आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन करना,
4. महिला कर्मचारियों की राजनैतिक व स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करना, तथा
5. महिला कर्मचारियों की प्रस्थिति से जुडे मुद्दों का अध्ययन करना।

♣♣♣

अध्याय-2

साहित्य का पुनर्विलोकन

अध्याय -2

साहित्य का पुर्नावलोकन

निःसंदेह, सामाजिक अनुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक शोध के प्रमुख सोपानों के अन्तर्गत "साहित्य का पुनरावलोकन" तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षाऐं कर ली जाय तो यह जान लेता है कि प्रस्तुत अनुसांधन कार्य अनुभविक रूप में सम्पादित किए जा चुके है, तथा कौन-कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ व प्रविधियाँ उन में प्रयोग की गयीं, और किस अनुसंधान-अभिकल्प को अपनाया गया; साथ ही तथ्यसम्बन्धित प्रमुख निदान तथा समस्याऐं क्या-क्या रहीं है? यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक सामाजिक समस्या का देश एवं परिस्थियों से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, अतः इस दृष्टि से भी पूर्व अध्ययनों से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करना अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण ही नही होता; अपितु अनिवार्य आवश्यकता होती है। परिवर्ती परिवेश में अपने अनुसंधान कार्य में क्या-क्या समस्याऐं जनित हो सकती हैं? किन पद्धतियों व प्रविधियों से अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा? किन-किन पहलुओं, आयामों तथा कारकों का अध्ययन; पूर्व (अतीत) में हो चुका है? और किन पहलुओं का नहीं; तथा किस दृष्टिकोण से अध्ययन करना अवशेष है? अध्ययन किस भाँति (कैसे) किया जाय; कि अनुसंधान कार्य सरलता, सहजता तथा सुगमता से वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप में पुर्ण हो जाय तथा शोधकर्ता को समय,धन तथा श्रम भी कम अपव्यय करना पड़े; इत्यादि यह सब कुछ एक अध्ययनकर्ता को साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रसंग में प्रो. बेसिन का कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

बेसिन एफ.एच.1 (1962:42) के अनुसार, "प्रत्येक अनुसंधान कार्य में सम्बन्धित साहित्य एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा"[1] अनुसंधान योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान हुआ करता है क्योंकि प्रत्येक अनुसंधान कार्य, आरम्भ में अस्पष्ट होने के कारण दुरूह एवं जटिल प्रतीत होता है। सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन से अनुसंधान की जटिलता एवं अस्पष्टता दोनों ही समस्याऐं लगभग समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि साहित्य के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध अध्ययन के लिए विश्वसनीय, तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन-सामग्री किस भॉति तथा कैसे प्राप्त हो सकती है? साहित्य के पुनरावलोकन तथा समीक्षा करने के कुछ अन्य प्रमुख लाभ इस प्रकार है-

1. अध्ययनकर्ता को शोध समस्या के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान विकसित हो जाता है।
2. अनुसंधान कार्य हेतु अनुसंधान प्रारूप एवं उपयोगी तथा प्रविधियां अनुसंधित्सु को स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन कैसे सम्पादित करना है।
3. साहित्य के पुनरावलोकन से अध्ययनकर्ता को अनुसंधान सम्बन्धी भ्रमात्मक तथा सन्देहात्मक स्थितियाँ सुस्पष्ट हो जाती है; सम्प्रति अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता का शोध स्पष्ट हो जाने की बजह से अध्ययन करने में सरलता हो जाती है। इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से अध्ययनकर्ता को अनुसंधान हेतु शोध-प्रारूप, अध्ययन-पद्धतियाँ तथा प्रविधियों के ज्ञान के अतिरिक्त, दिशा बोध हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से अनुसंधित्सु में अतिरिक्त अभिज्ञान तथा अन्तर्दृष्टि विकसित हो जाती है।

---

1. बेसिन, एफ.एच. (1962): व्यवहारिक विज्ञानों में साहित्य समीक्षाऐं, मैकमिलन कम्पनी (प्रा.लि.)मद्रास,पृष्ठ-40

प्रोफेसर बोर्ग जी.पी. (1963:48) के शब्दों में, "सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन किसी भी अनुसंधानकर्ता को इस योग्य बना देता है कि वह पूर्व में किए हुए अनुसंधान कार्यो का पता लगा सकें, और उनका अध्ययन करके तथ्यसम्बन्धित समीक्षा कर सके ऐसा करने से अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान कार्य के लिए उपयुक्त उपकरणों तथा पद्धतियों इत्यादि का उचित चयन करके अतिरिक्त ज्ञानार्जन का आधार पर अनुसंधान हेतु स्पष्ट दिशा प्राप्त कर लेता है"।[1]

सर्वश्री पुरूषोत्तम (1991:110) के अनुसार "सामान्यतः मानव-ज्ञान के तीन पक्ष-(1) ज्ञान को एकत्रित करना (2) एक दूसरे तक पहुँचाना (3) अतिरिक्त ज्ञान में वृद्धि करना, होते हैं। ये तीनों ही मूलभूत तत्व अनुसंधानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते है, जो कि वास्तविकता के समीप/निकट आने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। अतिरिक्त ज्ञान के अर्जन तथा विस्तृत ज्ञान-भण्डार में इनका योगदान, प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। उसी भाँति अनुसंधान-प्रक्रिया में "साहित्य का पुनरावलोकन" अनुसंधान उपक्रम का एक ऐसा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोपान होता है; जो कि वर्तमान के गर्त में निहित होता है अर्थात् मनुष्य अपने अतीत में संचरित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर अनुसंधान कार्य के माध्यम से नवीन ज्ञान का सृजन करता है।

सर्वश्री सिंह एस. पी. (1975:14) के अनुसार, किसी भी शोध-समस्या का चयन कर लेने के पश्चात, यह आवश्यक ही नहीं; अपितु शोध की अनिवार्य आवश्यकता होती है कि उस अनुसंधान-विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का

---

1. वोर्ग, जी.वी. (1963): सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में साहित्य का सिंहावलोकन, जैन ब्रदर्स एण्ड संस पवलीसर्स एण्ड डिस्ट्री ब्यूटरस बाम्बे, पृष्ठ-48

पुरावलोकन कर; तथ्यसम्बन्धित विषयगत समीक्षाएं कर ली जांये क्योंकि ऐसा करने से-

1. शोधकर्ता के मन पटल में अध्ययन-समस्या के सन्दर्भ में एक स्पष्ट अन्तर्दृष्टि तथा ज्ञान बोध विकसित हो जाता है।

2. शोधकर्ता को अनुसंधान कार्य हेतु उपयुक्त पद्धतियों तथा प्रविधियों का आभास तथा समुचित ज्ञान हो जाता है।

3. साहित्य की समीक्षा; अध्ययनार्थ निर्मित परिकल्पनाओं/शोध-प्रश्नों के निर्माण में सहायक होती है।

4. विभिन्न शोध-अध्येताओं द्वारा एक ही अनुसंधान कार्य को फिर से दोहराने की गलती नहीं हो पाती और अध्ययन-समस्या से सम्बन्धित उन आयामों (पहलुओं) पर, जिन पर अन्य शोध-अध्येताओं ने ध्यान नहीं दिया अथवा अछूते रह गए, या फिर अज्ञानतावश छूट गए; शोधकर्ता को उन समस्त अछूते आयामों का भी आभास हो जाता हैं।

सर्वश्री स्टॉउफर सेम्युल रिब्यू (1962:73) का कहना है कि सम्बन्धित साहित्य के गहन अध्ययन एवं उसकी समीक्षा के अभाव के अभाव में कोई भी अन्वेषण कार्य करना, "अन्धे के तीर" के तुल्य होता है। साहित्य समीक्षा के अभाव में कोई भी अनुसंधान कार्य एक कदम भी प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता; जब तक कि अनुसंधानकर्ता को इस बात का ज्ञान तथा जानकारी नहीं है कि प्रस्तुत अनुसंधान के क्षेत्र में किन-किन पक्षों पर कितना कार्य हो चुका है? कौन-कौन से स्रोत प्राप्त है? तब तक वह अध्ययनकर्ता न तो अध्ययन-समस्या का चयन कर सकता है, और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर, अनुसंधान कार्य को गति प्रदान कर सकता है। इसका मौलिक कारण यह है कि प्रत्येक अनुसंधान कार्य का प्रमुख उद्देश्य; किसी समस्या विशेष पर नवीन दृष्टिकोण से चिन्तन

तथा विचार करके उसमें नवीनता लाना अथवा समस्या की नवीन ढंग से तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त समस्त प्रतिनिधि बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखकर शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान कार्य के सुचारू संचालन तथा सफलता हेतु अध्ययन करने से पूर्व सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करने का प्रयास किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन को उचित दिशा एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो सके"।[1]

भारत में महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य अपेक्षाकृत अत्यन्त ही अल्प हुऐ है फिर भी तत्सम्बन्धित शोध अध्ययनों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

प्रसाद एट आल (1988): ने रिव्यू आफ रिशर्च स्टडीज् में महिलाओं की कार्य क्षमता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि-

"फार्म पर कार्यरत महिलाओं की विशेषताएं जोखिम भरे व्यवसाय में उत्पादन करने वाली, कम आय वाली, जिनके कारण वे पोषण हीन भोजन करती है, कुपोषित रहती है तथा गरीब बनी रहती हैं। जहाँ-जहाँ तक कार्य क्षमता व निपुणता का प्रश्न है तो वे पुरूषों की तुलना में अधिक कार्य निपुण होती है विशेषकर चावल रूपाई में (16%), गेहूँ बुबाई में (7-8%), तथा छाटने में (25%), काटन (रूई) बीनने में (37%) इस प्रकार उनकी निपुणता खैती किसानी में, चाय कार्य की प्रक्रियाओं में भलीभाँति स्थापित है।"[2]

जलाली, रीता (1990): द ग्रास-रूटस वूमेन्स मूवमेन्ट इन इन्डिया के अपने अध्ययन में बताया है कि, "गतदशक दिखाया कि विकासशील देश के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के आन्दोलन उभर कर आये। भारत में जैसे महिलाओं के स्वयं

---

1. सर्वश्री स्टॉउफर सेम्युल रिव्यू (1962:73): ए मैजर स्टैप आफ इन्वेस्टीगेशन इन सोसल साइन्सेज,अमेरिकन सोशियोलोजीकल रिव्यू अंक 23, पृष्ठ-73

2. प्रसाद, सी. सिंह, आर पी. एण्ड कृष्णन, के.एस. (1988): रिव्यू आफ रिसर्च स्टडीज ओन वूमेन इन एग्रीकल्चर इन इन्डिया, आई.-सी.ए. आर न्यू दिल्ली।

सहायता समूहों का गठन दूध उत्पादन करने वालों ने, गलियों में बेचनें वालों ने तथा कृषि श्रमिकों ने गठित किए। नगरी महिलाओं में भी गतिशीलता आई और बन सुरक्षा का अधिकार सुरक्षित किया और गैस तथा जलापूर्ति के लिए आन्दोलन किया। वर्तमान में भारतीय अध्ययन से प्रमाणित होता है कि महिलाओं ने परम्परागत तथा पितृात्मक समाज में अपने संगठनों को स्थापित किया। विकासशाली देशों में महिलाओं से सम्बन्धित संगठनों का मुद्दा मुख्य था। ये संगठन अन्य देशों के संगठनों से किस प्रकार भिन्न हैं और इन संगठनों पर महिलाओं के समर्थन में क्या प्रभाव पड़ा।''[1]

संघी, एन. के. (1990): 'कि रोय टेकन लोजी फार फार्म वूमेन आइडेन्टी फिकेशन के अध्ययन में महिलाओं की आर्थिक जगत में भूमिका बताते हुए कहते है कि ''भारत में महिलाऐं मानव संसाधन के रूप में जन संख्या को 50% भाग हैं, और 23% वे नगर क्षेत्र में तथा 77% ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं। उनकी वह संख्या लघु एवं भूमिहीन परिवारों की होती है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा वैकल्पिक कार्य-कलाप होते हैं। जिसमें वे फसल कताई (कृषि श्रम) में, तथा लगभग 60-70% वे अन्य श्रमिकों के रूप में संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, विशेषकर उत्पादन तथा कृषि भण्डारण की प्रक्रिया में''।

सिरादेन, माइकिल (1991): ''बुक इम्पलीमेन्ट एण्ड सोसल वेलफेयर पॉलिसी'' ने अपने अध्ययन में पाया कि, ''आधुनिक कल्याणकारी राज्य ने रोजगार को सामाजिक कार्यक्रमों को विकास का आधार बनाया है। जिसमें समुचित रोजगार का अभाव है, परिवारों की पारिवारिक आय बहुत कम है तथा ये कार्यक्रम राजनैतिक चपेट में हैं तथा उनमें विना पोषण का भी अभाव है। पूर्ण रोजगार से भी कोई पूर्ण हल नहीं होगा जब तक गरीबी से लड़ने की रणनीति

---

1. जलाली, रीता (1990): द ग्रास रूटस वूमेन मूवमेन्ट इन इन्डिया।

प्रभावी नहीं होगी। जो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं विशेषकर कल्याणकारी कार्यो की वह आधारभूत तौर पर त्रुटि पूर्ण विवेचन ही है आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के बारे में''।[1]

दुर्गा एण्ड राव (1992: 112): जेन्डर आइडोलोजी नामक अध्ययन के निष्कार्षो में बताते है कि, ''क्षेत्र वार महिलाओं की प्रास्थिति में परिवर्तन पाया जाता है साथ ही समुदाय वार भी। जब हम भारत में महिला असमानता की बात करते हैं तो हम ग्रामीण महिलाऐं तथा नगरी महिलाऐं कहते हैं (सूर्या कुमारी, 1990: 24) एक जनजातीय महिला बिना जनजाति महिला की तुलना में अपने जीवन को अधिक स्वतंत्रता पूर्वक सुखद मानती है। यह विश्वास इस तथ्य पर आधारित है कि जनजाति की महिला एक पति को छोड़ दूसरा पति आसानी से बना लेती है। जनजातिय समाजों में, विधवा की भी कोई प्रास्थिति वही होती जैसी कि उसके आर्थिक स्वतंत्रता होती है।''[2]

वसु, अल्का (1992: 53) द कल्चर, द स्टेट्स आफ वूमेन एण्ड डेमोग्रफिक वि हे वियर, के अध्ययन में बताती है कि महिलाओं के प्रति बड़े अपराधों ने भी उसकी सामाजिक प्रस्थिति पर कुप्रभाव डाला है, वे कहती है, ''आज यथार्थ में महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार, दहेज, मृत्यु, उत्पीड़न, छेड़ना की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इससे पूर्व महिलाएं अपने पति की सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर गर्व करती थी परन्तु आज वे महिलाओं के प्रति बढ़ती हिन्सा से अत्याधिक कुंठित तथा निराश है। इस प्रकृति ने महिलाओं को काम पर जाने से रोका है जैसे ही उनकी परिवार की आर्थिक दशा में सुधार आता है।''[3]

---

1. सिरादेन, माइकिल (1991): बुक इम्पलोयमेन्ट एण्ड सोसल बैलफैयर पालिसी।
2. दुर्गा, कनका वी. प्रसाद, राव, एण्ड डी.एल (1992:112): जेन्डर आइड लोजी-ए कम्परेटिन एनालेसिस आफ ट्राइवल एण्ड नोन ट्राइवल वूमन इन चेतन काल बाग, डिसकवरी पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।
3. वसु, अल्का (1992:53): द कल्चर; द स्टेटस आफ वूमन एण्ड डेमोग्रफिक विहेवीयर, किलेरन्ड प्रेस, लन्दन।

कवीर नैला (1995): टारगैटिंग वूमन और ट्रान्सफारमिंग इन्सटीट्यूशन? पोलिसी लेशनस फ्रोम एन जी ओ एन्टी पोवर्टी ऐफर्टस के अध्ययन में पाया कि, "लिंग समानता प्रदान करने के संकल्प में विशेषकर विकास नीतियों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में, पुरूष तथा महिला के मध्य असमानता पाई गई वह भी उपलब्धियों की प्राप्ति के प्रसंग में। गैर संगठनों ने सफलता पूर्वक लिंग समानता की जागरूकता को उत्पन्न किया विशेषकर गरीबी निवारण के हस्तक्षेप में। अधिक महिला संगठनों में महिलाओं में संगठनात्मक अनुभव जब तक महिलाओं को नीति निर्माण में सहभागी नहीं बनाया जाता तथा संसाधनों का उनको आवन्टन नहीं किया जाता तब तक वे विकास की श्रेणी में से वंचित बनी रहेगी।"[1]

वसु रूमकी (1996): 'न्यू इकनोमिक पोलिसीज एण्ड सोसल वेलफेयन प्रोग्रामस इन इन्डिया' ने अपने अध्ययन में सुझाव दिये कि, "भारत निजीकरण एवं बाजार व्यवस्था की ओर मुड़ा है उसने वर्तमान में स्थापित अपर्याप्त सामाजिक ढांचे को पर्याप्त लाभ प्रदान करने वाले श्रोतों को उत्पन्न स्वाभाविक रूप से नहीं किया जिससे गरीबी का उन्मूलन हो तथा अधिक रोजगार की सम्भावनाऐं हो। अतः सरकारी हस्तक्षेप सतत होने चाहिए। जिसमें विविध वर्तमान में उपलब्धता तथा अन्य समाज कल्याण के कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है।

1. गरीबी कम करने तथा रोजगार कार्यक्रम,
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम,
3. प्राथमिक शिक्षा को समर्थन देना,
4. महिला की सेवाऐं एवं बीमा,
5. कृषि कार्य नीति,
6. लघु सीमान्त कृषकों की सहायता,

---

1. कवीर नैला (1995): टारगैटिंग वूमन और ट्रान्सफारमिंग इन्सटीट्यूशन? पोलिसी लेशनस फ्रोम एन जी ओ एन्टी पोवर्टी ऐफर्टस, न्यूडायरेक्शन फोर प्रोग्राम एवाल्यूशन : 1995,65 फाल, 27-37

7. सामाजिक सुरक्षा तथा

8. असंगठित क्षेत्र के हेतु नवीन कार्यक्रम।''[1]

अली शेख मकसूद श्री वारदाना सुशील (1996): 'टूवर्ड ए न्यू पेराडाईगम फोर पोवर्टी इरेडीकेशन इन साऊथ एशिया के अध्ययन में बताया कि, ''साउथ ऐशिया में गरीबी उन्मूलन की सरकारी नीति के उद्विकास पर आधारित है सुझावों की आलोचना एवं प्रसार के ऊपर जिसे साऊथ एशियन कमीशन ने गरीबी कम करने के बारे में प्रस्तावित किया।''[2]

डी.वी.एल.वी.प्रसाद राव (1997-98): ''पोवरटी इलावीऐशन थ्रू सेल्फ इम्पलायमेन्ट के अध्ययन के मुख्य निष्कार्षो पर प्रकाश डालते हुए बताया कि, ''अधिकांश लाभार्थी बुलक पैयर स्कीम के थे जिसमें 44% कल्टीवेटिंग वर्ग था, 14% लोगों ने बैलगाड़ी बनवाई तथा 18% मोटर पम्पसेट योजना के लाभार्थी थे। केवल एक व्यक्ति ने बकरियों को खरीदी, दो ने दूकान चलाने के हेतु कर्ज लिया। योजना वार मासिक आय में वृद्धि पृथक-पृथक थी। टेराटियरी क्षेत्र में लाभ अधिक पाया गया जबकि जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग थे उनको कम लाभ प्राप्त हुआ। दो ग्राम दूरियों पर बसे हुए थे मुख्य सेवा केन्द्र ग्राम से। शोध निष्कर्षो से ज्ञात हुआ कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त लाभार्थियों की लाभ स्तर में अधिक वृद्धि की जो लाभार्थियों की उच्च स्तरीय गतिशीलता था मासिक आय वृद्धि में परलक्षित होती थी। यद्यपि आर्थिक रूप से लाभार्थी गरीबी रेखा की लाइन से नहीं उभर पाये थे जैसा कि लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया। स्वयं स्वरोजगार की योजना उनके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हुई। इसी

---

1. वसु रूमकी (1996): न्यू इकनोमिक पोलिसीज एण्ड सोसल वेलफैयर प्रोग्राम इन इन्डिया, डी.ए.आई.-ए.61/10 पी-4158 जन,2001।

2. अली शेख मकसूद सिरीवादरदाना सुशील (1996): टू वर्ड ए न्यू पेराडाइगम फोर पोवर्टी इरेडीकेशन इन साऊथ एशिया, जर्नल आफ अरबन अफेयरस 1998, 20,4, 4119-441।

प्रकार मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ने उनकी मासिक आय में वृद्धि की जिसने गरीबी रेखा को समाप्त किया।''[1]

टिटुस मैथियू (1997): डिवलपिंग फाइनेनसियल सरविसेज फोर द अरवन पूअर ने अध्ययन उपरान्त बताया कि, ''गैर सरकारी संगठनों में प्रारम्भिक बाधाऐं- स्वयं सहायता समूहों की गतिशीलता, प्रौन्नति तथा उन्हें क्रियान्वयन करने की है जो लोगों को वित्तीय सेवाऐं प्रदान करते हैं। यथार्थ में, संसाधनों की निपुणता, कार्य-विधियां, तथा सूझ, गरीबों के समुदायों के साथ कार्य करने की तथा उन्हें वित्तीय मदद पहुँचाना। अनुभवों की व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण की प्रक्रिया में पुरौना नव प्रशिक्षण सहभागियों के लिए क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण ईकाई है विशेषकर प्रशिक्षण का व्यय तथा समय कम करने के लिए। यहाँ कुछ मुद्दे अनुभव किए दिल्ली की गैर सरकारी संगठनों में जो यहाँ स्थापित है। भारत जो विकासशील देश है उनको नगर के गरीबों को वित्तीय सेवाऐं कैसे प्रदान की जाये तथा उनको कैसे शामिल किया जाये उन पर विचार विमर्श किया गया।''[2]

वैद्य, के.सी. (1997): ''पोलिटीकल इम्पोवरमेन्ट आफ वूमन एट द ग्रासरूट'' के अपने शोध कार्य में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में बताते हुए कहते है कि, ''कई सामाजिक, आर्थिक, संस्थात्मक तथा प्रकार्यात्मक बाधाऐं आती है जो पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने के लिए महिलाओं को आघात पहुँचाती है।''[3]

खन्ना, एस.के. (1998: 63): ''वूमन एण्ड ह्मन राइट्स'' के अध्ययन में महिलाओं की राजनैतिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुऐ बताया कि, ''राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की राजनैतिक प्रस्थिति सुधार के लिए अधिनियम,

---

1. डी.वी.एल.एन.वी.प्रसाद राव (1997-98): पोवरटी इलावीएशन थ्रू सेल्प इम्पलोयमेन्ट : ऐ केश स्टडी आफ इस्ट नियर डिस्ट्रिक मध्य प्रदेश।
2. टिटुस मैथ्यू (1997): 'डिवलपिंग फाइनेसियल सरविसेज फोर द अरवन पूअर' द सारन एक्सीरियन्स : जनरल आफ सोसल-इकोनोमिक्स, 1996,25,2, सुपर 189-223।
3. वैद्य के.सी. (1997): पोलिटीकल इम्पोवरमेन्ट आफ वूमेन एट द ग्रासरूट कनिष्का पवलीसरस, न्यू दिल्ली।

1990 की रचना की, जो यह सिफारस करता है कि सभी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में, राज्य सरकारों के प्रत्येक विभागों में, पुलिस तथा न्याय सेवा, पब्लिक अन्डर टेकिंगस में, आटोमोनस निकायों में, संघ निकायों में, विश्व विद्यालयों में 30% पद प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाय तथा यह कार्य 10 वर्ष तक किया जाता रहना चाहिए।''[1]

मेहता, आशाकुमान (1999: 56): "ग्लोवलाईजेशन एण्ड वूमन" अपने अध्ययन बताया कि असंगठित क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं विकासशील देश में दोहरा अपने सिर पर बोझ रखती हैं, एक तो गरीबी का तो दूसरा असमानता का। गरीबी और अविकसितपन परिवार के सभी लोगों को- पुरूष-स्त्री तथा बच्चों कुप्रभावित करते हैं। विकास की कीमत या लाभ आदमी तथा स्त्री में असमान बांटा जाता है जो लिंग, आयु तथा सम्बन्ध पर आधारित होता है। परिवार की आयु वृद्धि से महिलाऐं समान रूप से लाभान्वित नहीं होती है। महिलाऐं 70% से अधिक गरीब रहती है। कोई भी गरीबी दूर करने के संकल्प में यह यथार्थ साफ झलकता है। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करनी पडेगी। रोजगार परख आर्थिक विकास से महिला में आत्म सम्मान विकसित होता है।''[2]

शकुन्तला नरसिम्हा (1999): "इम्पोवरिंग वूमन" ने अपने शोध निष्कर्ष में बताया कि, "परम्परागत महिला सशक्तिकरण की पहुँच दोहरी अनुमान पर आधारित होती है। प्रथम तो गरीबी अपने आप ही समाप्त हो जायेगी और महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति में वृद्धि हो जायेगी, दूसरी जब महिलाओं के उत्थान पर तमाम धनराशि व्यय हो जायेगी। गत पांच दशकों का नियोजन कि हमे बताता है कि आर्थिक सहायता से महिलाओं की प्रस्थिति में उन्नयन हो जायेगा। महिलाओं की प्रस्थिति प्रौन्नति में सबसे बड़ा कारक महिलाओं की अज्ञानता,

---

1. खन्ना,एस.के.(1998:63): 'वूमन एण्ड हूमन राइटस, कामनवेल पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।
2. मेहता आशा कपूर (1999:56): 'ग्लोवलाइजेशन एण्ड वूमनः इन राजमोहनी सेठी (एड), ग्लोवलाइजेशन कल्चर एण्ड वूमन्स डवलपमेन्ट, रावत पवलीकेशन जयपुर।

शक्तिहीनता तथा शीघ्र संक्रमण से प्रभावित है। इसके लिए वे महिलाओं की धारणाओं में परिवर्तन उनके सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम सुझावित करती है।''[1]

एम0एन्जूगम एण्ड टी0 अलागुमानी (2000): ''इम्पेक्ट आफ मायक्रो फायनेन्स थ्रू सेल्प-हेल्प ग्रुप के अध्ययन द्वारा बताया, स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का इस प्रकार उल्लेख किया कि, ''लोगों को (सदस्यों ने) बैंकों से प्राप्त कर्ज का सही सदुपयोग किया तथा 100% सहायता राशि का भुगतान किया। स्वयं सहातयता के समूहों में लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि हुयी तथा महिला सदस्यों की निर्णय प्रक्रिया के कौशल में भी सुधार देखा गया। इस केश अध्ययन में स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि यदि स्वयं सहायता समूह का निर्माण सही ढंग से हुआ है तो निश्चित रूप से महिलाओं की प्रस्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा स्वास्थ्य मेंसुधार आयेगा।''[2]

फूलर, तलेरिया रीनी (2000): क्रिशेनिक इलनेश एण्ड डिपरेशन ऐमंग वूमन : द रोल आफ सोसल सपोर्ट : ने अपने अध्ययन के द्वारा यह परीक्षा की कि असाध्य रोगों तथा 'दवाब' के मध्य क्या सम्बन्ध है तथा इसके मध्य सामाजिक समर्थन की क्या भूमिका होती है का निरीक्षण किया। परिणाम बताते है कि, ''असाध्य रोगों व दबाव के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। इसके कुछ विशिष्ट मापदण्ड होने के कारण। इसमें सामाजिक समर्थन की भूमिका की मध्यस्तता उचित रूप से नहीं निभाई जाती। अन्य रूचि पूर्ण निष्कर्ष प्रगट करते हैं कि इसमें अन्य सामाजिक एवं जनांककीय तथ्य असाध्य रोगों तथा दबाव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। महिलाओं के समर्थन में सामाजिक समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ तथा बिना भी होती है। अन्वेषक इन

---

1. नरसिम्हा, शकुन्तला (1999): 'इम्पोवरिंग वूमन' एन आल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फ्रोम रूरल इन्डिया, सेज पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।
2. एम. एन्जूगम एण्ड टी.अलागुमानी (2000): इम्पेक्ट आफ मायक्रो फायनेन्स थ्रू सेल्प-हेल्प ग्रुप-ए केश स्टडी।

निष्कर्षो के प्रभाव के विवेचन में बताया कि महिलाओं के असाध्य रोग तथा दबाव में सामाजिक संरचनात्मक बाधाएँ महत्वपूर्ण रूप से सतत भूमिका प्रदान करती है।''[1]

गुप्ता, एन.एल. (2001): ''इन्डियन वूमन'' अपने अध्ययन में प्रगट करते हैं कि, ''कामकाजी महिलाओं ने अपनी समुदायों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया है। वर्ष 1999 में महिलाओं ने अपनी भूमिका के द्वारा अपनी प्रस्थिति में परिवर्तन किया है, में परीक्षण किया गया था उसमें पाया गया कि भारत में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं ने अत्याधिक जबरजस्त कदम बड़ाया है जिसका देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य में परिवर्तन दिखाई देता है तथा विरुद्ध परम्परावादी मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। भारत में जब भी महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर विचार किया जाय, तब यह विचार रखना चाहिए।''[2]

सेन, माला (2001): ''डेथ वाई फायर'' नामक अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि, ''महिला की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उनका सामाजिक तथा सांस्कृति सशक्तिकरण की आवश्यकता है। उन्होंने फूलन देवी की जीवन कथा पर आश्चर्य किया कि फूलन देवी जो भारत की कुख्यात महिला थी उन्होंने आंतक के दम पर अपनी प्रस्थिति को ऊँचा उठाया। भारत में महिला की भूमिका उसके जीवन मृत्यु के तथ्य होते हैं। उन्होंने बल दिया कि राजनैतिक पृष्ठभूति में आज महिला की प्रस्थिति को पुनः पारिभाषित करना आवश्यक है।

चित्रा बनर्जी (2001): द आवर आफ द गौडेस : अपने अध्ययन में संस्कार के समय पकने वाले भोजनों की स्मृति में बताती हैं कि, ''बंगाल में जब वह लड़की

1. फूलर, तलेरिया रीनी (2000): क्रिशेनिक इलनेश एण्ड डिपरेशन ऐमंग वूमन : द रोल आफ सोसल सपोर्ट :
2. गुप्ता, एन.एल. (2001): ''इन्डियन वूमन'' ट्रेडीसन एण्ड सोसल पनोरमा, मोहित, न्यू दिल्ली।

से महिला बनी तो उसने पाया कि जन्म स्थान तथा भोजन मेंएक सह सम्बन्ध स्थापित किया जो आज के दिन प्रतिदिन की महिला संस्कृति को आकार देती है। भोजन तथा उसके चचेरे, फुफेरे कुछ नहीं अपितु उन्हें वे सिर्फ बंगाली मानती है क्योंकि वे मानसिक तथा संस्कृति से बंगाती थे। कृषि समुदायों की भांति भोजन तथा संस्कारों में तथा सामाजिक प्रथाओं में, भोजन तथा संस्कृति में गहरा सह सम्बन्ध पाया जाता है। महिला विशेषकर भोजन तैयार करने, बनाने-पकाने में लगी रहती हैं। कुछ भोजन खास होता है जिन्हें विधवा महिलाऐं नहीं बना सकती न खा सकती है इस प्रकार महिला की सामाजिक प्रस्थिति का भोजन बनाने व पकाने से सीधा सम्बन्ध होता है।''[1]

गनस्लेवस, (2001:25): ''वूमन एण्ड हूमन राइटस'' में अपने अध्ययन में हिन्दू-मुसलिम समाजों में पाई जाने वाली महिलाओं की प्रस्थिति में असमानता को उल्लेख करते हुए बताते है कि, ''यद्यपि संविधान महिला को समान प्रस्थिति की वकालत करना है। प्रत्येक सभी परसनल लां में, वह आदमी है जो परिवार का मुखिया होता है और वारिस भी पुरूष (बच्चा) ही होगा। परसनल लां के अनुसार पिता ही बच्चे का अभिभावक होगा। महिला की परिवार की सम्पत्ति में बराबर का हक नहीं। उन्हें नहीं मालूम होता कि वे शादी के बाद कहां रहेगी। वे अक्सर भरण-पोषण के लिए मुहताज होती है। हिन्दुओं की संयुक्त परिवार में वह महिला 'कर्ता' नहीं हो सकती और न परिवार की सम्पत्ति की मालिक। विवाहित महिलाओं को माता के परिवारों में भाग नहीं दिया जाता। इस्लाम कानून में, मुसलिम मर्द को चार पत्नियां रखने का अधिकार है परन्तु महिलाओं को पति रखने का अधिकार नहीं। बेटी का भाग बेटी के भाग का आधा माना जाता है। ईसाई समाज में, व्यक्ति यदि उसकी पत्नी बदचलन है तो तलाक दे सकता है परन्तु महिला को

---

1. चित्रा बनर्जी (2001): द आवर आफ द गौडेसः मैमोरी आफ वूमन, फूड एण्ड रिचुलस इन बंगाल, सीगुल कोलकत्ता।

पुरूष के बारे में कई दशा को जैसे बलात्कार, अत्याचार, पशु, मैयन, पागलपन, तलाक के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार परसनल लां में भी महिलाओं के साथ असमानता वरती जाती है।''[1]

हर्कनेश, एस. सुजान जाने (2001): ''वूमन एण्ड वर्क'' डायनेमिक्स आफ द ग्लास सीलिंग एण्ड पब्लिक पालिसी परसपेक्टिवस'' ने अपने शोध अध्ययन के निष्कार्षो का उल्लेख करते हुए बताया तथा सुझाव दिया संगठनात्मक विभेद मुख्य रूप से प्रमाण था और वह शीर्षक सप्तम (सिविल राइटस एक्ट आफ 1960) ने कुछ संरचना में सम्यकताएं प्रदान की। शोध में यह भी पाया गया कि लिंग, महिला की गतिशीलता में तथा रोजगार में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है।''[2]

सावित्री विसनाथ एण्ड डायने एलसन (2001): वूमन इम्पोवरमेन्ट रिविजटेड की रिपोर्ट द्वारा बताती है कि, ''महिलाओं के सशक्तिकरण के उपागमों के श्रृंखला में तीन उपागम अनिवार्य है जिनके प्रयोग से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति का उन्नयन सम्भव है और वे हैं - (1) एकीकृत विकास, (2) आर्थिक विकास तथा (3) महिलाओं की चेतना में वृद्धि करना। ये तीनों उपागम केवल पारस्परिक एक मात्र श्रेणियां नहीं हैं अपितु इनके द्वारा महिलाओं में विभिन्न पायी जाने वाली शक्तिहीनता के कारणों का पता चलेगा तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति सुधार हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप करना सम्भव होगा।''[3]

पाडे, जी. एस. (2001:187-198) पोलिटीकल पार्टीसिपेशन आफ वूमेन इन इन्डिया'' ने अपने अध्ययन में उन कारणों की लिस्ट विकसित की जो महिलाओं का राजनैतिक सहभागिता में कमी लाती हैं -

---

1. गनस्लेवस, (2001:25): ''वूमन एण्ड हूमन राइटस'' ए.पी.एच. पवलिसिंग कोरपोरेशन, न्यू दिल्ली।
2. हर्कनेश, एस. सुजान जाने (2001): ''वूमन एण्ड वर्क'' डायनेमिक्स आफ द ग्लास सीलिंग एण्ड पब्लिक पालिसी परसपेक्टिवस,डी.ए.आई ए. 61/03, पी.1143 सितम्बर, 2000।
3. सावित्री विसनाथ एण्ड डायने एलसन (2001): वूमन इम्पोवरमेन्ट रिविजटेड यूनीफेम-प्रोग्रेस आफ द बल्डस वूमेन वीनियल रिपोर्ट न्यूयार्क।

(1) महिलाएं सामान्यतः लापरवाह होती है, (2) शर्मीली होती है, (3) किसी कार्य के लिए अतत्पर, (4) पर्दाप्रथा, (5) धार्मिक पन, (6) पारवारी सदस्यों से प्रतिक्रिया, (7) घरेलू उत्तरदायित्व, (8) पुरूष के द्वारा उनके कार्य में बाधा, (9) असुरक्षा, (10) सुविधाओं का अभाव, (11) उद्दीपन का अभाव, (12) विकास योजनाओं के वितरण में भेद, (13) राजनीति का अपराधी करण, तथा (14) जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार।''[1]

सहाय, सरिता (2002:172): ट्राइवल वूमन इन द न्यू प्रोफाइल के अध्ययन में बताते हैं कि, ''कहावतें, संस्कृति की वाहक होती है। यहां पर कुछ ऐसी कहावतें हैं जो महिला की निम्न सामाजिक प्रस्थिति की द्योतक हैं यथा- दो भाई साथ-साथ रहते है क्योंकि उनमें रक्त सम्बन्ध का बन्धन होता है यदि वे पृथक होते हैं तो अपनी पत्नि के कारण। कोई परिवार सुखी है क्योंकि उनकी पत्नियां कुलवन्ती है। परिवार यंग हो गया पत्नी के कारण। एक महिला को पति के आधीन रहना चाहिए जैसे बच्चा पिता के, पत्नी पति के तथा वृद्ध पुत्र के। ''महिला को चुन रहना चाहिए, सहन करना चाहिए,स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, परिवार उसका स्वर्ग है। ये कहावतें समाजीकरण की प्रक्रिया बनते है।''[2]

टाइम्स आफ इन्डिया 14 मई, 2003 लिखता है कि, ''गर्भपात अपने आप में निषेध नहीं है परन्तु लिंग पहिचान करना तथा पहिचान कर गर्भ समापन कराना कानूनी जुर्म है। बलात्कार की दशा में, परिवार नियोजन गर्भ निरोध की असफलता के कारण होने वाले गर्भ, मां के स्वास्थ्य व जीवन बचाने की दशाओं में गर्भ समापनों की सिफारिसे की जाती है परन्तु जो महिलाऐं बार-बार गर्भ समापन

---

1. पाडे, जी. एस. (2001:187-198) पोलिटीकल पार्टीसिपेशन आफ वूमेन इन इन्डिया'' इम्पलीमेंन्टेशन आफ 73-74 अमेन्डमेन्टस, न्यूरोयल वुक को. लखनऊ।
2. सहाय, सरिता (2002:172): ट्राइवल वूमन इन द न्यू प्रोफाइलः दिस ए विसदेयर नोन ट्राइवल दुवनि, अनमोल प.दिल्ली।

कराती है उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ ही जाता है साथ ही वे परिवारी जनों वा पड़ोस से अपनी सामाजिक छति धूमिल कर लेती है।''[1]

टाइम्स आफ इन्डिया, 13 मई, 2003 : ने दिल्ली हाई कोर्ट में लीला सेठ के न्यायधीश बनने के बाद अन्य न्यायधीशों की प्रस्थिति की तुलना में उनके साथ असमानता को उल्लेख किया है कि, ''जब किसी तरह लीला सेठ हाई कोर्ट दिल्ली प्रशाषन के शीशे तोड़कर न्यायधीश के रूप में नियुक्त हुई तो वहां कोई ऐसे नियम नहीं थे कि महिला न्यायाधिकारी के साथ असमानता बरती जाये। एक बार लीला सेठ को बताया गया कि वे अपनी मां के उपचार का रूप या सरकार से नहीं ले सकती। कारण दिया गया कि पुरूष न्यायाधिकारी को अपनी मां के उपचार का क्रय दिया जाता है। जब उन्होंने अधिक भुगतान के लिए प्रयास किए तो उन्हें बताया गया कि यदि उनके भाई नहीं है जो अपनी मां का उपचार कराते तो उनके (जज) द्वारा अपनी मां के उपचार का व्यय सरकार से दिया जाता।''[2]

गोयल (2004 : 99-100) : बायलेन्स एण्ड प्रोटेक्टिव मेजरस फोर वूमन डवलपमेन्ट एण्ड इम्पोवरमेन्ट के अध्ययन के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को उनकी सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति के उन्नयन में बाधा मानते है उनके अनुसार, ''वर्ष 1999 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के बढ़ने की रिपोर्ट हुई है वह है 4.1% तथा 3.3% जो अपराध भारतीय दण्ड अधिनियम के विरूद्ध उनके विरूद्ध हुए वे यौगिक रूप से 6.7% है। वर्तमान में उपलब्ध तथ्य बताते है कि जो केश पुलिस स्टेशनों पर पंजीकृति हुए उनका अच्छा खास इजाफा हुआ जिसमें बलात्कार, उत्पीड़न, जबरन सहवास, छेड़ना, छीटा कसी करना। आज पूरे भारत की अपराध दर 14.1%।''[3]

1. टाइम्स आफ इन्डिया, 14 मई, 2003।
2. टाइम्स आफ इन्डिया, 13 मई, 2003।
3. गोयल (2004 : 99-100) : बायलेन्स एण्ड प्रोटेक्टिव मेजरस फोर वूमन डवलपमेन्ट एण्ड इम्पोवरमेन्ट, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।

जी.के. अग्रवाल (2005:195): इम्पलोयमेन्ट आफ वूमन थ्रू रूरल इन्डस्ट्रीयलाईजेशन एन इन्डियन एक्सपीरियन्स, अपने शोध पत्र के निष्कर्ष में बताते है कि, " महिलाओं को आर्थिक प्रगति की मुख्य धार में लाने के लिए उनमें उद्यमता तथा जौखिम उठाने कि उपायों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उनके लिए उन्हें सुयोग्य बनाने हेतु सुविधादायक पर्यावरण का सृजन करना होगा उन सभी कार्यक्रमों तथा नीतियों के अनुवाद में जो उनकी प्रस्थिति में वृद्धि के लिए प्रारम्भ किए गये है तथा देश का आर्थिक विकास होगा। ऋण प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाना, समय पर तथा उपयुक्त साख, कुशलता प्रशिक्षण, सूचना तथा बाजार, नवीन पहुँचों का अधिग्रहण जो स्थानीय महिलाओं की आवश्यकताओं तथा दशाओं के अनुकूल हो आदि को प्रभावी ढंग से करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण कारक है जो संस्थान महिलाओं की प्रस्थिति सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रहे है उन्हें मजबूत करना। इसके लिए मध्य में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों को भी महिलाओं की आर्थिक, प्रास्थिति में प्रौन्नति लाने हेतु ग्रान्ट इन एड का प्राविधान करना होगा। समन्वय सहकारिता तथा नेटवर्किंग समस्त समस्याओं के बीच बेहतर फल प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होगे।"[1]

वी.के. पटनायक (2005:165): जेन्डर इकनोमिक इम्पोवरमेन्ट एण्ड रूरल पोवरटी इलीवियेशन के अध्ययन के उपसंहार में बताते है कि, "महिलाऐं परिवार की गरीबी निवारण में निर्णायक भूमिका प्रदान करती है। महिलाओं को सम्पत्ति के मामलों में सशक्त करना तथा अल्प वचत को उन्हें सुविधा प्रदान करना तथा पूंजी निवेश उनके द्वारा करना आदि परिवार की आय में बहुत कुछ योगदान देता है। अधिक से अधिक महिलाओं का आयु वृद्धि की क्रियाओं में सहभागिता तो लिंग

1. जी.के. अग्रवाल (2005:195): इम्पलोयमेन्ट आफ वूमन थ्रू रूरल इन्डस्ट्रीयलाईजेशन एन इन्डियन एक्सपीरियन्स, पेपर प्रेजेन्टेड एट फस्ट एशियन पेशीफिक सिम्पोजियम ओन रूरल कोलाम्बो, श्री लंका प्रो.-16,18 जुलाई, 1996।

पर के पिता आय की भी वृद्धि करता है। यह सिफारस की जा सकती है कि आप महिला के हाथो द्वारा घर के भोजन, सुरक्षा को अधिक योगदान मिलता है तुलनात्मक पुरूष द्वारा प्रबन्धन करने में। महिला का आर्थिक सशक्तपन केवल महिला की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का ही उत्थान नहीं करता अपितु सामान्य जनों में गरीबी दूर करने पर भी प्रभाव डालना है।''[1]

के.के.तिवारी (2005: 109): वूमेन एजूकेशन एण्ड नेशनल डबलपमेन्ट' के अध्ययन में महिला की प्रस्थिति में सुधार लाने हेतु इन सुझावों को व्यवहार में लाने पर बल देते है कि, ''महिलाओं की प्रस्थिति सुधार में गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, यथा- शिक्षा एवं विकास हेतु समान अवसर वेतन, आर्थिक स्वतंत्रता, अनुकूल कार्य परिस्थितियों का सृजन, जिसमें महिलाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान देना चाहिए उसके योगदान को देखकर, विकास कार्यो में तथा उनको आदर प्रदान होना ही चाहिए।''[2]

रनजय वर्धन (2005:376): स्टेटस आफ वूमन न मोडर्न इन्डिया में महिलाओं की प्रस्थिति बताते हुए प्रगट करते है कि, ''तथ्य यह है कि महिलाओं की प्रस्थिति का परीक्षण पृथम हो सकता, यह तो सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं, राजनैतिक जलवायु तथा संस्कारों, परम्पराओं, मूल्यों, में जो परम्परागत सामाजिक संरचना में असमान रूप से निहित है। ये सभी महिलाओं की प्रस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिकाऐं निवर्हन करते हैं। यद्यपि भारत का संविधान महिलाओं एवं पुरूषों को समाज में सम्यक होने की घोषणा करता है। लगभग 60 वर्ष हो गये परन्तु उन्हें समाज, राज्य तथा अर्थ के क्षेत्र में समानता नहीं आत्मसात हो पाई और आज भी उसके साथ लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। दहेज से

---

1. वी.के. पटनायक (2005: 165): जेन्डर इकनोमिक इम्पोवरमेन्ट एण्ड रूरल पोवरटी इलीवियेशन: स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. एफ-159 राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।
2. के.के.तिवारी (2005: 109): वूमेन एजूकेशन एण्ड नेशनल डबलपमेन्ट' स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि.राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।

होने वाली मृत्युए, बलात अपहरण, घरेलू हिन्सा आदि आँख खोल देने वाले संकेत है, जो स्पष्ट रूप्से संकेते करते है कि समाज की धारणाऐं महिला के प्रति/लिंग अनुपात में गिरावट,कन्या शिशु की उपेक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार में भेद को स्पष्ट करते हैं।''[1]

पटनायक, वी.के. (2005): वूमेन वेलफेयर एण्ड सोसल डवलपमेन्ट ने अपने अध्ययन में महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को ग्रगट किया है, ''महिलाओं को सरकार के अधिशाषी, तथा न्याय क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अभी हाल में उन का वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है परन्तु निर्णय की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में कोई वृद्धि नहीं हैं। महिलाओं का संसद में तथा राज्य विधान मंडलों में 9-10% से आगे नहीं हुआ। अभी उनका ग्राम पंचायतों में आरक्षण दिया गया तो उनकी सहभागिता में तो वृद्धि हुई और वे ग्राम सभाओं की प्रधान चुनी गई परन्तु अपने पति, ससुर, तथा पिता की छाया में/न वे विधायनी क्षेत्र में अपितु न्याय सेवाओं एवं कार्य पालिका सेवाओं में उनका सहभागिता आज भी कम है। बहुत कम संख्या में महिलाऐं भारतीय प्रशाषनिक सेवा पुलिस सेवा तथा अन्य समकक्षीय सेवाओं में आई है। जहां तक न्यायक सेवा का प्रश्न है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में आज भी उनकी संख्या बहुत कम है।''[2]

जे. भाग्यलक्ष्मी (2005 :56): ''वूमन इन डवलपमेन्ट'' ने पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास का उल्लेख करते हुए प्रगट किया कि, ''सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास को महत्व प्रदान किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कल्याणकारी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्तर की महिलाओं के विकास के हेतु 'मंडलो' का संगठन किया गया। तृतीय तथा चतुर्थ

1. रनजय वर्धन (2005:376): फीमेल हैडेड हाऊस होल्ड-ए स्टडी, स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. एफ-159 राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।
2. पटनायक, वी.के. (2005): वूमेन वेलफेयर एण्ड सोसल डवलपमेन्ट: स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. एफ-159 राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।

पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षा को प्रमुख प्राथमिकता प्रदान की गई, पंचम पंचवर्षीय योजना में कल्याण कारिता के स्थान पर विकास पर जोर दिया गया। छटवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास के क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की गई। सातवीं पंच वर्षीय योजना में महिला विकास के कतिपय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गये ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को प्रौन्नति किया जा सके। आठवीं पंच वर्षीय योजना में महिला विकास को महिला सशक्तिकरण में परिवर्तित कर दिया गया। नवी पंच वर्षीय योजना में तो महिला सशक्तिकरण में 9 प्राथमिक उद्धेश्य रखे गये। नवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) में महिला को परिवर्तन एवं विकास का अभिकर्ता के रूप में सशक्त किया गया।''[1]

देश पान्डे, एस. एस. (2005: 60): ''जेन्डर इश्यू इन टेकनोलोजी डवलपमेन्ट एण्ड डिसीमीनेशन ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि, ''विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक वृद्धि को कृषि प्राथमिक यंत्र है अतः महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी सहभागिता में सभी अड़चनों को दूर करना चाहिए ताकि मानव जीवन के प्रति क्षेत्र में पुरूषों की भांति समान दृष्टिगोचर हो। भारत की कृषि विकास महिलाओं में विकास में पर लक्षित होना चाहिए, इस लिए अनुकूल कार्य रणनीतियों को ग्रहण करना चाहिए ताकि तकनीकी परिवर्तन का लाभ महिलाओं को आत्मसात हो जो भारत को आधुनिकीकरण में मदद करेगा।''[2]

♣♣♣

1. जे. भाग्यलक्ष्मी (2005 :56): ''वूमन इन डवलपमेन्ट'' स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि.राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।
2. देश पान्डे, एस. एस. (2005: 60): ''जेन्डर इश्यू इन टेकनोलोजी डवलपमेन्ट एण्ड डिसीमीनेशनः स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि.राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।

अध्याय-3

शोध पद्धति

अध्याय -3

शोध पद्धति

मानव विश्व का सर्वाधिक बौद्धिक, चिन्तनशील एवं जिज्ञासु प्राणी है उसकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं एवं उनके निराकरण के लिये सजग प्रहरी बनकर समाधान खोजने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। यहाँ तक कि समस्या से सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना, नवीन ज्ञान की खोज करना तथा उसका सत्यापन करना, उसके लिये एक जटिल समस्या होती है। समस्या से सम्बन्धित पक्षों के विषय में यथार्थ ज्ञान किन-किन तरीकों तथा प्रविधियों द्वारा किया जाये। ताकि अनुभवसिद्ध तथ्यों को ज्ञात करके निरीक्षण, परीक्षण तथा सत्यापन के आधार पर मानव व्यवहार से सम्बन्धित क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सके एवं विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं एवं नवीन तथ्यों के बीच पाये जाने वाले प्रक्रियात्मक सम्बन्धों की खोज की जा सके। इसके लिये उसे यह सोचना पड़ता है कि ऐसा करने के लिये शोध अध्ययन किस प्रकार किया जाये? ताकि संग्रहीत सूचनाऐं विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त हो सके क्योंकि, "किसी भी अध्ययन विषय का विकास उसकी अध्ययन विधियों के विकास पर निर्भर करता है, न कि विषय सामग्री पर"[1] इसलिये सामाजिक अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख करते हुऐ सर्वश्री सैलटिज जाहोदा तथा कुक ने इन्हें बौद्धिक (नोरमेटिव) तथा व्यवहारिक (एप्लाइड) दो भागों में वर्गीकृत किया है। सामान्य शब्दों में बौद्धिक उद्देश्य को सैद्धन्तिक ज्ञान और व्यवहारिक उद्देश्य को उपयोगितावादी कहा जा

---

1. करलिंगर, एफ.एन., दि फाउण्डेशन ऑफ विहेवियरल रिसर्च, रिनेहार्ट एण्ड विन्सन प्रेस हाल्ट, न्यूयार्क, 1964, पृष्ठ-4

सकता है। इनका स्पष्टीकरण करते हुये प्रोफेसर कपिल ने लिखा है कि बौद्धिक शोध के अन्तर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं तथा प्रघटनाओं के सन्दर्भ में मौलिक सिद्धांतों व नियमों की अन्वेषणा की जाती है, जो इस ओर संकेत करती है कि एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए? जबकि व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत मानव व्यवहार से सम्बन्धित समस्या का गहन अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक सुझाव दिये जा सकें। "स्पष्टतः व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अतिरिक्त (नवीन) ज्ञान की प्राप्ति की जाती है।"[1] परन्तु सर्वश्री करलिंगर एफ. एन. (1964:27) के अनुसार अनुसंधान कार्य प्रायः निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं :-

1. विशुद्ध मौलिक अनुसंधान,
2. क्रियात्मक अनुसंधान,
3. व्यवहारिक अनुसंधान

जिस प्रकार विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि मानव है, उसी प्रकार मानव की सर्वोत्तम सृष्टि मानव समाज व उसकी विचित्र घटनाऐं है। यह मानव बुद्धिजीवी है, जिज्ञासा से भरपूर ज्ञानपिपासु है। इसीलिये यह सच ही कहा गया है कि मानव केवल प्रकृति का ही नहीं स्वयं अपना भी अध्ययन करता है। आकाश, धरती, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी और समुद्र का अध्ययन उसके सम्मुख अनेक आश्चर्यजनक अनुभवों को उपस्थित करता है और उसके ज्ञान-विज्ञान के भण्डार को भरता रहता है, परन्तु स्वयं अपना, अपने समाज का, अपने व्यवहारों का या फिर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन मानव के लिये और भी रोचक, अत्यन्त आश्यर्चजनक अनुभवों से भरपूर और अनेक अनोखेपन से समृद्ध होता है। पर यह अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं अपितु निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग पर आधारित

---

1. Singh, S.D., (1980), Vaigyanik Samajik Anusandhan Avan Aarvekahan Ke Mool Tatva, Kamal Prakashan, Indoure (M.P.) Page-59.

वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किये जाने पर ही सत्य को ढूँढा जा सकता है। सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोध है।

"मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरन्तर खोज है। परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक होते है जिनमें वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्व विद्यमान हों - इनमें से प्रथम तत्व है निरीक्षण- इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम कतिपय तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा तत्व है- कारण दर्शाता - जिसके द्वारा इन तथ्यों का अर्थ, उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका सम्बन्ध निश्चित किया जाता है।"[1] यही दोनों तत्व यदि सामाजिक तथ्यों के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान में विद्यमान हैं तो उसे सामाजिक शोध कहते हैं।

इस दृष्टि से सामाजिक शोध किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने या किसी उपकल्पना की परीक्षा करने, नवीन घटनाओं को खोजने या कतिपय घटनाओं के बीच नवीन सम्बन्धों को ढूँढने के उद्देश्य से किसी यथार्थ विधि का उपयोग है। यह यथार्थ विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक शर्तो का पूरा करती हो तथा जिसकी सहायता से अनुसंधान किये गये विषय का सत्यापन सम्भव हो। दूसरे शब्दों में सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक विधि सामाजिक शोध है।

अतः स्पष्ट है कि सामाजिक शोध वैज्ञानिक नियमानुसार, उसे मानवीय क्रियाकलाप की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन में हमारे ज्ञान की वृद्धि सम्भव होती है तथा अनेक घटनाओं व उनके कारणों में पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में हम नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं। सामाजिक

---

1. मुखर्जी, आर.एन.(2001), अष्टम संस्करण, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, मातृ आशीष तिलक कालोनी, सुभाष नगर,बरेली, पृष्ठ-1

शोध के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति की वह विधि है जो कि निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्षीकरण की सामान्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है यदि उसी पद्धति के द्वारा न केवल अज्ञात सामाजिक घटनाओं को खोजा जा सकता है परन्तु ज्ञात सामाजिक घटनाओं की भी विवेचना या विश्लेषण किया जाता है। इस अर्थ में सामाजिक शोध "एक वैज्ञानिक योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्तः सम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।"[1] इसीलये श्री मौसर (1961:3) ने ठीक ही कहा है कि, "सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये किये गये व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं।"[2]

सामाजिक अनुसंधान कोई सरल व सीधा कार्य नहीं है और इसलिये प्रत्येक व्यक्ति इसे कर भी नहीं सकता। केवल कुछ पुस्तकीय ज्ञान ही शोध कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिये अन्य अनेक बाहय तथा आन्तरिक गुणों का होना आवश्यक है। इसका कारण भी स्पष्ट है। सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित होता है और सामाजिक घटनाऐं अमूर्त, परिवर्तनशील, जटिल तथा व्यक्ति प्रधान होती है। इसीलिये इनका अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से कहीं अधिक कठिन होता है। सबसें बड़ी बात यह है कि समाजिक घटनाओं के अध्ययन का तात्पर्य वास्तव में मानव द्वारा मानव के लिये विषय में अध्ययन है जैसा कि इस शोध का विषय है - "महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।"

---

1. Pauline V. Young, Scientific Social survey & research, Asia Publishing House, Bombay,1960,p-44
2. C.A. Moser, Survey Methods in social Investigation, Hieneman, London, 1961. p-3

सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता और न ही काल्पनिक घोड़ा दौड़ाकर अथवा दार्शनिक विचारों का सहारा लेकर किसी यथार्थ और प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है। श्री अगस्त काम्टे का यह निश्चित मत था कि "वैज्ञानिक अध्ययन में सट्टेबाजी का कोई स्थान नहीं होता।" दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक व दार्शनिक चिंतन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य या काल्पनिक होना संयोग की बात है और उनके सत्य-असत्य का निर्णय अगर असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। कुछ भी हो वैज्ञानिक अध्ययन संयोग या अनुमान पर कदापि निर्भर नहीं हो सकता और न ही होना चाहिये। इसलिये प्रत्येक विज्ञान अपने प्रयोगसिद्ध अध्ययन कार्य के लिये एक या एकाधिक निश्चिय व व्यवस्थित अध्ययन प्रणालियों को अपनाता है। इन्हीं को शोध पद्धति कहते है और ये विधियां ही वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार हैं। ये पद्धतियाँ आधारभूत रूप में सभी विज्ञानों में समान या एक जैसी होती है, केवल अध्ययन वस्तु की प्रकृति के अनुरूप इनके रूप या स्वरूप में कुछ आवश्यक परिवर्तन प्रत्येक विज्ञान में कर लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पद्धति वह प्रणाली है जिसके अनुसार कार्य का संगठन, तथ्यों की विवेचना तथा निष्कर्षो का निर्धारण किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड संभाग के झाँसी शहर में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति पर आधारित है। झाँसी उ०प्र० के दक्षिण-पश्चिमी पठारी भाग में स्थित है। यह 24°11से 25°57 उत्तरी अक्षांश में तथा 78°10 से 79°25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जनपद झाँसी के पूर्व में मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, पश्चिम में उ.प्र. का ललितपुर जिला, उत्तर में जिला जालौन तथा दक्षिण में जनपद बाँदा स्थित है।

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी है जो कि उत्तर प्रदेश की कुल भूमि 204411 वर्ग किमी का 0.7 प्रतिशत है।

झाँसी मण्डल का जनपद झाँसी पथरीला जनपद है जिसके कारण इसके आकार में कोई विशेष परिवर्तन ज्ञान नहीं हुआ है। यह जनपद झाँसी जनपद की पांच तहसीलों तथा आठ विकासखण्डों को मिलाकर बना है जो कि आकार की दृष्टि से बड़ा है। किन्तु जनसंख्यात्मक दृष्टि से छोटा है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार झाँसी की जनसंख्या 1306054 है। कृषि योग्य क्षेत्र 31100 हेक्टेयर में से मात्र 36 प्रतिशत सिंचित है। जहाँ की प्रमुख नदियाँ बेतवा, धसान पहूज, सपरार, उर, सुखनई, लखेरी आदि हैं। प्रमुख जलाशय पारीछा, सुकवाँ-ढुकवाँ, कमलासागर, स्यावरी झील, पहूज बाँध, बरूआसागर, लहचूरा बाँध आदि हैं। झाँसी उत्तर मध्य रेल्वे का प्रमुख स्टेशन है जो मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई आदि नगरों से सम्बद्ध है।

अनुसंधान का प्रारूप :-

समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिये किये जाते हैं, कुछ का लक्ष्य उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी उपकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों का पता लगाना तथा कुछ का सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन क प्रभावशीलता का पता लगाना और समाज कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन में योगदान करना है। इन विभिन्न लक्ष्यों या प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक शोध कार्य किया जाता है।

प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती तब तक योजनाबद्ध रूप में शोधकार्य का प्रारम्भ नहीं किया गया हो। इसी योजना की रूपरेखा की शोध प्ररचना कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक सामाजिक शोध की समस्या या उपकल्पना जिस प्रकार की होगी, उसी के अनुसार शोध प्ररचना का निर्माण किया जाता है जिससे शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके और शोधकर्ता इधर-उधर से बच जाये।

जैसा कि पहले ही कहा गया है कि कोई भी सामाजिक शोध बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है। इस लक्ष्य का उद्देश्य विकास और स्पष्टीकरण शोधकार्य की अवधि में नहीं होता, अपितु वास्तविक अध्ययन प्रारम्भ होने के पूर्व ही इसका निर्धारण कर लिया जाता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न विषय के कतिपय पक्षों को उद्घाटित करने के लिये पहले से ही बनाई गई योजना की रूप रेखा को शोध प्ररचना कहते हैं।

श्री एकॉफ ने प्ररचना का अर्थ समझाते हुऐ लिखा है कि "निर्णय क्रियात्मक करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते है।"[1]

अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध प्ररचना के अनेक प्रकार हैं और शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इनमें से किसी एक प्रकार का चयन कर लेता है और वह कौन सा प्रकार है यह ज्ञात होते ही शोधकार्य की प्रकृति व लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे, यदि हमें यह ज्ञात हो जाये कि शोध प्ररचना अन्वेषणात्मक है तो स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी सामाजिक घटना के अन्तर्निहित कारणों की खोज करना ही उस शोध का उद्देश्य

---

1. K. L. Ackoff, Design of Social Research, p-5

है । इस प्रकार शोधकार्य तथ्यों का विवरण मात्र होगा अथवा नवीन नियमों को प्रतिपादित किया जायेगा, उसका उस शोध कार्य में परीक्षण व प्रयोग का अधिक महत्व होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसी को शोध प्ररचना कहते हैं।

समस्त शोधों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। परन्तु इस ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है और उसी के अनुसार शोध प्ररचना का स्वरूप भी अलग-अलग होता है । समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक तथा परीक्षणात्मक शोध प्ररचनाओं को प्रयोग लाया जाता है । प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना के बारे में श्री सेलटिज व उनके साथियों ने लिखा है "अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान के हेतु सम्बद्ध उपकल्पना के निरूपण में सहायक होगा।"[1]

इसी प्रकार के विचार श्री हंसराज ने अभिव्यक्त करते हुऐ प्रगट किये हैं, "अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिये उपकल्पना का निर्माण करने तथा उससे सम्बन्धित अनुभव प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।"[2]

मान लीजिये हमें किसी विशेष सामाजिक स्थिति में तलाक प्राप्त व्यक्तियों में यौन व्यभिचार के विषय में अध्ययन करना है तो उसके लिये सबसे पहले उन कारकों का ज्ञान आवश्यक है जो इस प्रकार के व्यभिचार को उत्पन्न करते हैं। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना इन्हीं कारकों को खोज निकालने की एक योजना बन जाती है।

---

1. Seltiz, Jahoda, Dautach, cook-Research Methods in social Relations, p-33
2. Hansraj – Theory and Practice in social Research, p-69

शोधकर्ता द्वारा अपनाई गई इस शोध प्ररचना की सफलता के लिये शोधकर्ता ने :-

1. सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन किया,
2. अनुभव सर्वेक्षण- उन सभी व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित किया जिनके विषय में उसे यह सूचना मिली कि शोध विषय के सम्बन्ध में उनको पर्याप्त अनुभव या ज्ञान है। ऐसे लोगों का व्यवहारिक अनुभव शोधकर्ता के लिये पथ-प्रदर्शक बना, तथा
3. अन्तर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण जिससे शोधकर्ता की अध्ययन वस्तु के सम्बन्ध में व्यवहारिक अन्तर्दृष्टि पनपी तथा शोध में अधिक सहायता मिली। प्रत्येक समुदाय के जीवन में दृष्टि आकर्षक, कुछ अत्यन्त सरल व स्पष्ट, कुछ व्याधिकीय, कुछ व्यक्तिगत विशिष्ट गुण सम्बन्धी घटनाऐं होती हैं जो कि अर्न्तदृष्टि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती है।

'कुछ' को देखकर या परीक्षण कर 'सब' के बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को निदर्शन कहते हैं। इस प्रविधि की आधारभूत मान्यता यह है कि इन 'कुछ' की विशेषताऐं 'सब' की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि 'कुछ' का चुनाव ठीक तरह से किया जाये। 'सब' की परीक्षा करना या देखना असुविधाजनक, धनसापेक्ष और समय सापेक्ष हो सकता है।''[1] प्रतिनिधित्व करने वाले निदर्शनों का अध्ययन ही श्रेयस्कर है। शोध में निदर्शन प्रविधि का प्रयोग अत्यन्त लोकप्रिय है और वह इस अर्थ में कि रोज के जीवन में एक अनाड़ी आदमी भी इसका डटकर प्रयोग करता है। बाजार में गेहूँ, चावल अथवा दाल खरीदते समय बोरियों को खुलवाकर उनका एक-एक दाना कोई

---

1. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ(2001)सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन 7यू.ए.जवाहर नगर, दिल्ली,पृ- 279

नहीं परखता अपितु बोरी में से एक मुट्ठी भर दाने निकालकर उनकी जाँच कर ली जाती है और फिर उस मुट्ठी भर दाने का मूल्यांकन होता है। वह सम्पूर्ण गेहूँ, चावल अथवा दाल के लिये होता है। पर हम उस मुट्ठी भर दाने को लेने में सावधानी बरतते हैं, ढेर या बोरी के भीतर हाथ डालकर मुट्ठी भर लेते हैं ताकि दुकानदार द्वारा ऊपर ही ऊपर सजाया हुआ माल ही केवल हाथ न लगे क्योंकि वह माल सम्पूर्ण ढेर या बोरी में रखे हुऐ माल का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इसलिये सावधानी की आवश्यकता है और इस कार्य में हम जितना सफल होंगे उतना ही माल खरीदने में हमें कम धोखा होगा। यही व्यवहारिक सामाजिक शोध की निदर्शन प्रविधि है जिसका प्रयोग परिशुद्ध रूप में वैज्ञानिक शोध करने मे किया जाता है। अनुसंधान कार्य मोटे तौर पर दो पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है। यदि हम केवल अध्ययन विषय की जनसंख्या या इकाईयों को ही पद्धति के चुनाव का आधार बनाये। ये दोनों पद्धतियाँ जनगणना पद्धति एवं निदर्शन पद्धति हैं। जनगणना पद्धति को हम (Census) तथा निदर्शन पद्धति को (Sampling Method) कहते हैं। जैसे एक स्कूल के बच्चों का सामाजिक अध्ययन करना है तो स्कूल के प्रत्येक बच्चे से पूछताछ करेंगे। निदर्शन पद्धति में प्रत्येक कक्षा के कुछ छात्रों को प्रतिनिधि चयन कर पूछ-ताछ करेगे। निदर्शन के बारे में श्री याटन का मत है कि "निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी समग्र चीज की इकाईयों के एक सेट या भाग के लिये किया जाना चाहिये जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा।"[1] इसी प्रकार के विचार गुडे एवं हाट (1952:209) ने प्रगट किये हैं- एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है।"[2] शोध कार्य में निदर्शन प्रविधि ही कई तरह से अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है क्योंकि इसके प्रयोग से समय की बचत, श्रम

1. Frank yaton.
2. William J.Goode &Poul K.Hatt (1952), Methods in social Research, Mac Graw-Hill Book co.Inc.NewYork, p 209

की बचत, अधिक गहन अध्ययन की सम्भावना, निष्कर्षों की परिशुद्धता तथा अन्य अनेक लाभ होते है।

निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षों के लिये यह अतिआवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिये निदर्शन चुनाव का काम मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने दैव निदर्शन विधि की अनियमित अंकन प्रणाली का उपयोग निदर्शितों के चयन हेतु किया है क्योंकि दैव निदर्शन विधि द्वारा अथवा पूर्वाग्रह की संभावना नहीं होती है एवं प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर मिलता है। जिससे निदर्शनों का उचित प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन सुनिश्चित होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने जनपद झांसी में कार्यरत महिला कर्मचारियों का चयन किया गया जिसको निम्न तालिका में दिया गया है :-

चयनित निदर्श अभिकल्प का विवरण

क्र. सं.	महिला कर्मचारी	चयनित निदर्श	कुल महिला कर्मचारी	चयनित निदर्श प्रतिशत में
1.	प्रायमरी महिला अध्यापिकाऐं	100	157	63.69%
2.	क्षेत्रीय महिला कर्मचारी व पर्यवेक्षक	100	302	33.11%
3.	महिला लिपिक	100	400	25.00%

निदर्शन चुनाव में शोधकर्ता द्वारा जिन चरणों का पालन किया गया है वे क्रमशः हैः-

1- समग्र को निश्चित करना। 2- निदर्शन इकाई का निर्धारण।

3- इकाइयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के साधन सूची बनाना।

4- निदर्शनों के आधार। 5- निदर्शन पद्धति का चुनाव।

6- निदर्शन का चुनाव इत्यादि।

तथ्यों के स्रोत

वास्तविक सूचना या तथ्यों के बिना सामाजिक अनुसंधान या शोध वास्तव में एक अपंग प्राणी की भाँति है। अनुसंधान की सफलता इसी बात पर निर्भर रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कितने वास्तविक निर्भर योग्य सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता है। यह सफलता सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अतः सूचना या तथ्यों के स्रोत के महत्व को सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कम नहीं किया जा सकता। साथ ही, ये सूचनाऐं या तथ्य एक ही प्रकार के नहीं होते है। इनमें भी कई प्रकार के भेद हैं और इन प्रकारों के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान का होना एक सफल शोधकर्ता के लिये आवश्यक है। किस स्रोत से किस प्रकार की सूचना उसे प्राप्त हो सकती है, इस बात की स्पष्ट जानकारी न होने पर अनुसंधानकर्ता केवल इधर-उधर भटकता ही रहेगा और उसका काफी समय तथा श्रम व्यर्थ चला जायेगा। अतः सूचना या तथ्यों के प्रकार तथा स्रोतों के बारे में ज्ञान अति आवश्यक है।

सामाजिक शोध में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -(1) प्राथमिक तथ्य या सूचनाऐं तथा (2) द्वितीयक तथ्य या सूचनाऐं। प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाऐं या आंकड़े होते है जो कि एक शोधकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल में जाकर विषय या समस्या से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके

अथवा अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से एकत्र करता है अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करता है जैसा कि श्री पामर (1928:57) ने अपने विचार प्रगट किये है, "ऐसे व्यक्ति न केवल एक विषय की विद्यमान समस्याओं को बताने की योग्यता रखते है अपितु एक सामाजिक प्रक्रिया में अन्तर्निहित महत्वपूर्ण चरण व निरीक्षण योग्य झुकावों के सम्बन्ध में भी संकेत कर सकते हैं।"[1]

श्रीमती यंग (1960:127) ने सूचनाओं के स्रोतों को दो मोटे भागों में विभाजित किया है :- 1. प्रलेखी स्रोत तथा, 2. क्षेत्रीय स्रोत।

इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने झाँसी शहर में कार्यरत महिला कर्मचारियों को इकाई मानकर प्राथमिक तथ्यों के स्रोत का चयन किया तथा स्वयं के क्षेत्रीय अवलोकन को भी केन्द्र बनाया। शोध अध्ययन में द्वितीयक स्रोत- सम्बन्धित पुस्तकें, जीवन इतिहास, प्रतिवेदन, समाचार पत्रों में प्रकाशित विषय वस्तु को भी प्रमाण के तौर पर प्रयोग में लाया गया क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ की सांख्यिकीय सामग्री प्राप्त करने के स्रोत तथा साधन सीमित व दोषपूर्ण है, जनगणना प्रतिवेदनों को नहीं नकारा जा सकता है। इन प्रतिवेदनों द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में विश्वसनीय आंकड़े व सूचनाऐं प्राप्त हो जाती है। जैसे- अपने देश में परिवार का आकार, स्त्री-पुरूष का अनुपात, जाति व धर्म के समर्थकों की संख्या, विभिन्न पेशों में लगी श्रम शक्ति, शिक्षा का स्तर, आयु का वर्गीकरण, जन्म व मृत्युदर, वैवाहिक स्तर तथा जनसंख्या आदि। इसका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक बहुत महत्व होता है।

किसी भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के सम्बन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष कोई अटकलपच्चू

---

1. पालमार, वी.एम.(1928)फील्ड स्टडी इन सोशियोलोजी, यूनितरसिटी आफ शिकागो,पृष्ठ-57

निष्कर्ष नहीं अपितु वास्तविक तथ्यों (Actual Facts) पर आधारित यथार्थ (Exact) व निश्चित निष्कर्ष होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध की बुनियादी शर्त अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों का संकलन करना है।

तथ्य संकलन

वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक ढंग से एकत्र नहीं किया जा सकता । इसके लिये तो कुछ प्रमाण सिद्ध तरीकों का होना आवश्यक है । सामाजिक अनुसंधान के लिये आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्र करने के लिये काम में लाये गये निश्चित व प्रमाण सिद्ध तरीकों को ही तथ्य संकलन की प्रविधि कहते है । वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिये जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्र करने के लिये शोधकर्ता जिस विधि या तरीके को अपनाता है वही उसके लिये प्रविधि होती है । प्रो० मोसर (1961:271) ने लिखा है कि, "प्रविधियां एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिये वे मान्य तथा सुव्यस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन में विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिये उपयोग में लाता है ।"[1]

इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाने से पूर्व अनुसूची का क्षेत्र में परीक्षण किया गया तथा बाद में अनुसूची की त्रुटियों को दूर किया गया । तत्पश्चात् साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाया गया। क्योंकि व्यक्तियों की भावनाओं, मनोवृत्तियों और उद्वेगों का अध्ययन कैसे किया जाये, साक्षात्कार प्रविधि ही इसका निदान प्रस्तुत करती है । सामाजिक अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों में सम्भवतः इस प्रविधि का स्थान सर्वोपरि है । प्रो० आलपोर्ट ने इस प्रविधि की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि, "यदि हम यह जानना चाहते है कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और

---

1. C. A. Moser and C. Kalfon,(1961) survey methods in social investigation, p-271

क्या याद रखते हैं, उनकी भावनाऐं व उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते''? साक्षात्कार प्रविधि पर प्रकाश डालते हुए श्री वी. एम. पालमर (1928:170) ने कहा है कि, ''साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है, जिसमें अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर-प्रत्युत्तर करते रहें । यद्यपि साक्षात्कार में सामाजिक शोध के उद्देश्य से सम्बन्धित पक्षों से अध्ययन विषय के सम्बन्ध में काफी कुछ उत्तर प्राप्त होने चाहिये ।''[1]

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने परिस्थितियों से रूबरू होने के लिये निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग किया । जिसके बारे में प्रो० गुड एण्ड हाट (1952:119) ने लिखा है कि, ''विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है और फिर सत्यापन के लिये अन्तिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना पड़ता है ।''[2] वास्तव में कोई भी शोधकर्ता किसी भी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका अपनी इन्द्रियों से निरीक्षण न कर लें।

सामाजिक विज्ञानों के बारे में भी यह तथ्य सत्य है। कोई भी शोधकर्ता तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । जब तक शोध में निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया गया हो । इसी निरीक्षण प्रविधि का समाज वैज्ञानिक द्वारा अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यदि संक्षिप्त में कहा जाये तो निरीक्षण कार्य कारण अथवा पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के लिये स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है।

---

1. पालमार, वी.एम.(1928)फील्ड स्टडी इन सोशियोलोजी,पृष्ठ-170
2. विलियम, जे.गुड एण्ड पौल, के हाट (1952) मैथड इन सोसल रिसर्च मैकग्रोहिल बुक कम्पनी न्यूयार्क पृष्ठ-15

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन का कार्य किया है। शोधकर्ता ने अनुसूची में अधिकांशतः संयोजित प्रश्न तथा दोहरे प्रश्नों का ही निर्माण किया तथा खुले प्रश्नों को नहीं रखा गया क्योंकि उनके वर्गीकरण में तथा सारणीकरण में पर्याप्त समय तथा धन की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिये उसने साक्षात्कार की निम्न प्रक्रिया को अपनाया :-

1. साक्षात्कार :- साक्षात्कार में सामाजिक अन्तः क्रिया के द्वारा शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से अध्ययन से सम्बन्धित सूचनाएें प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार किया। शोध की परिशुद्धता बनाये रखने के लिये शोधकर्ता ने स्वयं साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार निदर्शनों से आमने-सामने की परिस्थिति में बैठ कर तथ्यों को एकत्र किया तथा किसी उत्तरदाता के अनुपस्थित होने पर दूसरे उत्तरदाता का चयन करके सूचनाएें एकत्र की।

2. सहयोग की याचना :- शोधकर्ता ने शोध के उद्देश्य को निदर्शनों के सम्मुख स्पष्ट किया तथा सहयोग की प्रार्थना की तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि उन के द्वारा दी गई सभी सूचनाएें अत्यन्त गोपनीय रखी जायेंगी और यह भी बताया कि आपके सहयोग के बिना झाँसी शहर में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितियों का अध्ययन असम्भव है।

3. साक्षात्कार का प्रारम्भ :- सहयोग की याचना के बाद शोधकर्ता ने साक्षात्कार प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम शोधकर्ता ने प्राथमिक प्रश्नों नाम, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि पूछे उसके बाद अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे। वास्तव में निदर्शनों से सूचना प्राप्त करना साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है।

4. उत्साहवर्धक वाक्यों का प्रयोग :- शोधकर्ता ने साक्षात्कार प्रक्रिया की अवधि में "आपकी सूचनाएें महिला कर्मचारियों की समस्याएें हल करने में काफी

सहायक है'' तथा '' आपने कई नई बातें बताई जो महत्वपूर्ण है'' ऐसे वाक्यों को बीच-बीच में दोहराकर साक्षात्कारदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

5. स्मरण कराना :- शोधकर्ता को जब भी ऐसा लगा कि साक्षात्कारदाता अपने अनुभवों व भावना में बह गया है और मुख्य विषय से दूर हो गया है तो शोधकर्ता ने उसे मुख्य विषय का ध्यान दिलाया।

6. सूचना को नोट करना :- साक्षात्कार की स्वतन्त्र प्रक्रिया में शोधकर्ता ने निदर्शनों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को अनुसूची के प्रश्नों के सम्मुख नोट भी किया ताकि सूचनादाता से वार्तालाप में कोई विघ्न न पड़े।

शोधकर्ता को तथ्यों को एकत्र करने में साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान कुछ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ा :-

1. उत्तरदाता का घर पर न मिलना।
2. कुछ उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार के लिये मना कर देना।
3. अधिक समय लगाना तथा
4. व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाना आदि।

शोधकर्ता ने जो उत्तरदाता घर पर नहीं मिले उनके स्थान पर अगले उत्तरदाता का चयन कर लिया। जिन उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के लिये मना कर दिया उनके सम्बन्धियों से हस्तक्षेप कराकर राजी कर लिया गया। व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाने की समस्या को उनकी प्रशंसा करके तथा ''उनके अनुभव बहुमूल्य है'' कहकर उन्हें यथार्थ व्यक्त करने हेतु प्रेरित किया।

तथ्यों का वर्गीकरण :-

सामाजिक अनुसंधान, शोध का आधार अध्ययन विषय से सम्बधित वास्तविक तथ्य है। इन तथ्यों को निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली की सहायता से एकत्र किया जाता है, परन्तु इस प्रकार एकत्र तथ्यों के ढेर से कुछ

भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता और न ही विषय के सम्बन्ध में कुछ भी जाना जा सकता है। तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं कहता जब तक उसे कुछ व्यवस्थित स्वरूप न प्रदान किया जाए और इसके लिये तथ्यों का वर्गीकरण आवश्यक होता है । जब हम तथ्यों को उसमें पाई जाने वाली समानता या भिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हैं, तो वह वर्गीकरण कहलाता हैं ।

तथ्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालते हुऐ श्री कोनोर (1936:18) ने लिखा है कि, ''वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गो में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाईयों की भिन्नता के बीच पाये जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है ।''[1]

श्री एलहान्स ने तथ्यों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये है -''सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूहों एवं वर्गो में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है।''[2]

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का अत्यन्त महत्व है क्योंकि इसके द्वारा जटिल, बिखरे हुऐ, परस्पर असम्बद्ध तथ्यों को थोड़े से, समझने योग्य तथा तर्कसंगत समूह में रखना पड़ता है । इकाइयों की समानता तथा असमानता वर्गीकरण के द्वारा स्पष्ट होती है । वर्गीकरण के द्वारा दो वर्गो के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य सरल हो जाता है । वर्गीकरण के द्वारा संकलित की गई सूचनाऐं जब वर्गो में रखी जाती है तो वह स्वतः प्रगट हो जाती है । वर्गीकरण तथ्यों को विश्लेषण व व्याख्या के लिये सरल बनाता है तथा वर्गीकरण के द्वारा संकलित तथ्य संक्षिप्त तथा बोधगम्य हो जाते है ।

---

1. कोनोर, एल.आर.(1936) ए स्टैटिस्टिक्स इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, पृष्ठ-18
2. एलहान्स, डी. एन. फण्डामेण्टल ऑफ स्टेटिसटिक्सं, पृष्ठ-56

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सूचनाओं को एकत्र कर शोधकर्ता ने उन्हें गुणात्मक अर्थात् सरल या विभेदात्मक और बहुगुणी वर्गीकृत किया । उसके साथ-साथ गणनात्मक वर्गीकरण में खण्डित श्रेणी के अनुसार भी तथ्यों का वर्गीकरण किया है । ऐसा करने से सूचनाओं को समझने में बुद्धि पर अनावश्यक जोर नहीं देना पड़ा और इस प्रकार वर्गीकरण सांख्यिकीय दृष्टि से भी शुद्ध हो गया ।

तथ्यों का सारणीयन :-

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् सामग्री को और भी स्पष्ट तथा बोधगम्य करने के लिये तथ्यों का सारणीयन किया जाता है। वास्तव में, सारणीयन वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण कार्य में अगला कदम होता है। इसके माध्यम से तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आती है और गणनात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर प्रदर्शन के योग्य बन जाते है। इसके अन्तर्गत तथ्यों को विभिन्न स्तम्भों (Columns) तथा पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। जिससे तथ्यों को समझाने में सुविधा व सरलता हो। सर्वश्री जहोदा, ज्यूड्स, कुक आदि ने लिखा है कि, "जिस प्रकार संकेतन (Coding) को तथ्यों के श्रेणीबद्ध करने की प्राविधिक पद्धति कहा जाता है, उसी प्रकार सारणीयन को सांख्यिकीय तत्वों के विश्लेषण की प्राविधिक प्रक्रिया का अंग माना जाता है।"[1] यही कारण है कि श्री राबर्ट ई0 चाड्डाक (1925:43) ने लिखा है कि, "सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में एक परिस्थिति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं तथा उन कारकों में अत्यधिक भिन्नताऐं भी होती है।"[2]

---

1. जहोडा डच एण्ड डब्लू रिसर्च मैथड इन सोसल इनवेस्टीगेशन पृष्ठ-270
2. रोवर्ट, इ. चन्ढोक (1925) प्रन्शीपल एण्ड मैथड ऑफ स्टेटिक्स, होगटन मिफिन कम्पनी वोस्टन पृष्ठ-43

सारणीयन के बारे में एम0 के0 घोष तथा एस0 सी0 चतुर्वेदी (1950:94) ने लिखा है कि, "दो दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों तथा स्तम्भों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है।"[1] सारणीयन का सामान्य उद्देश्य तथ्यों को सुस्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना, उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करना, तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना तथा तथ्यों को तुलनात्मक बनाना है। इसलिये श्री सैक्रिस्ट ने लिखा है कि, "सारणी वह साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा समान व तुलनात्मक इकाई को उचित स्थान पर रखा जाता है।"[2] यही कारण है कि पी0वी0 यंग ने सांख्यिकीय सारणी को सांख्यिकीय की आशुलिपि (Shorthand) कहते हुऐ बताया कि इससे उनमें आकर्षकता, समुचित आकार, तुलना की सुविधा, स्पष्टता तथा सरलता, उद्देश्य के अनुकूल तथा वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है। प्रो0 थॉमसन ने ठीक ही लिखा है कि, "एक जंगल को साफ करके उसके स्थान पर एक 'महानगरी' बनाने से सभ्यता व संस्कृति के तत्वों को जिस भांति सुस्पष्टता व सुनिश्चितता प्राप्त होती है, उसी प्रकार संकलित तत्वों के ढेरों का सारणीयन कर लेने से उनके अन्तर्निहित गुण प्रगट हो जाते हैं और सम्पूर्ण विषय के सम्बन्ध में एक सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सारणीयन आवश्यक नहीं अनिवार्य है।"

इस शोध अध्ययन के प्रतिवेदन में शोधकर्ता ने तथ्यों को बोधगम्य बनाने के लिये आवृत्ति सारणी (Frequency Tables) तथा सरल सारणी (Simple Tables) का प्रयोग ही नहीं किया अपितु शोधकर्ता ने सारणी निर्माण के आवश्यक नियम तथा सावधानियाँ भी बरतीं जैसे :-

1. सारणी का शीर्षक लिखना,

---

1. घोष, एम. के. तथा चतुर्वेदी, एस. सी. (1950) स्टेटिक्स थ्योरी एण्ड प्रक्टिस पृष्ठ-94
2. होरेश, सैक्रिष्ट सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, पृष्ठ-273

2. सारणी के स्तम्भों का आकार उस पेज के आकार के रूप में रखना जिस पर सारणी बनाई गई है,
3. अनुशीर्षक Captions (कालम विशेष में किन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है)
4. पंक्तियों में सूचना लिखना,
5. स्तम्भों का विभाजन,
6. स्तम्भों को क्रम में लिखना,
7. कुल योग तथा
8. टिप्पणियाँ आदि।

सारणीयन से समस्त संकलित तथ्य एक तर्क पूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, सारणीयन में तथ्यों को एक सरल तथा स्पष्ट स्वरूप मिल जाता है। इससें सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत मदद मिलती है, सारणीयन तुलनात्मक अध्ययन कार्य को सरल बना देता है, सारणीयन से समय तथा स्थान की बचत होती है तथा सारणीयन वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के कार्य को सरल बनाता है।

<u>तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या :-</u> श्रीमती पी0वी0 यंग (1960:509) ने लिखा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व रहस्योदघाटक (Revealing) और कुछ भी है, यदि सुव्यवस्थित तथ्यों को सम्पूर्ण अध्ययन से सम्बन्धित किया जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रगट हो सकता है जिसके आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्यायें प्रस्तुत की जा सकती है।''[1] इस कथन का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य में केवल तथ्यों का पहाड़ एकत्र कर लेने से ही अध्ययन विषय का वास्तविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक उन एकत्र तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या न की जाये। प्रख्यात फ्रैन्च गणितशास्त्री श्री प्लेवेन केयर ने उचित ही लिखा है कि, ''जिस प्रकार एक मकान

1. यंग, पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे, पृष्ठ -509

पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है, पर केवल तथ्यों का एक संकलन उसी भाँति विज्ञान नहीं है जैसा पत्थरों का एक ढेर मकान नहीं है।''[1]

अतः विज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि एकत्र तथ्यों का एक संकलन सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या की जाये ताकि विषय के सम्बन्ध में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति सम्भव हो।

तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या की आधारभूत आवश्यकता यह है कि यदि ऐसा न किया गया तो संकलित तथ्य अर्थहीन ही बने रहेंगे और उनसे अध्ययन का कोई भी परिणाम निकालना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। इस अर्थ में तथ्यों के विश्लेषण तथा व्याख्या के बिना शोध कार्य अपूर्ण ही रह जायेगा। यही कारण है कि श्रीमती यंग (1960:309) ने वैज्ञानिक विश्लेषण को ''शोध का रचनात्मक पक्ष'' कहा है।[2]

सामाजिक शोधकर्ता किसी भी चीज या घटना को स्वयं सिद्ध नहीं मान लेता। यह तो संकलित तथ्यों, विद्यमान आदर्शो तथा अन्तर्निहित सामाजिक दर्शन को सामयिक मानता है और इसलिये कोई भी प्रयोगसिद्ध परिणाम निकालने के लिये संकलित तथ्यों की सावधनीपूर्वक जाँच, उनके पारस्परिक सम्बन्धों तथा उनका सम्पूर्ण घटना के साथ सम्बन्ध के सन्दर्भ में करना उसके लिये आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण करने के दौरान ही वह पुरानी अवधारणाओं की परीक्षा करने अथवा नवीन चुनौती देने वाली अवधारणाओं को ढूँढ़ निकालने में सफल हो सकता है। साथ ही, इस प्रकार के विश्लेषण से उसे विषय के सम्बन्ध में जो अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है उसी के आधार पर वह अवधारणाओं की पुर्नपरीक्षा करता है और इस प्रकार तथ्यों की व्याख्या के

---

1. प्लेवेन केयर.
2. पी. वी. यंग (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे, पृष्ठ -309

लिये एक अधिक ठोस आधार को प्राप्त करता है। अतः तथ्यों के उचित विश्लेषण के बिना अध्ययन, विषय की वास्तविक व्याख्या सम्भव नहीं और तथ्ययुक्त व्याख्या के बिना शोधकार्य का कोई परिणाम निकल ही नहीं सकता है।

श्रीमती यंग (1960:310) के अनुसार, "क्रमबद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस बौद्धिक भवन के विचार के एक संगठन का निर्माण करना है जो कि एकत्रित तथ्यों को उनके उचित स्थान तथा सम्बन्धों को प्रस्थापित करने में सहायक होगा ताकि उनसे सामान्य निष्कर्षो को निकाला जा सके।"[1]

इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण के बिना किसी भी विषय या घटना के कार्यकारण सम्बन्ध की व्याख्या सम्भव नहीं है और इस प्रकार की व्याख्या के बिना न तो विज्ञान की कोई उन्नति सम्भव है और न ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर ही वास्तविक वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित किया जा सकता है। पुराने सिद्धान्तों या नियमों की परीक्षा करने, नवीन सिद्धान्तों या नियमों को प्रतिपादित करने अथवा पुराने सिद्धान्तों या नियमों को गलत प्रमाणित करने के लिये एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या आवश्यक है। स्वयं तथ्य मूक होते हैं वे कुछ नहीं कहते पर उनका क्रमबद्ध विश्लेषण व व्याख्या करके उन्हें मुखरित किया जाता है।

इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने उपरोक्त सभी मार्ग दर्शनों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर एकत्र तथ्यों को वर्गीकृत कर उनको सारणीबद्ध करके अभिवृत्तियों को प्रतिशतों में विश्लेषण किया है जो सरस, सरल तथा सुबोध भी हो गया। विश्लेषण की व्याख्या जैसी समाज शास्त्र के शोध प्रतिवेदनों में प्रस्तुत की जाती है उसी प्रकार इसमें भी की गई है।

---

1. यंग, पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे, पृष्ठ -310

तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन :-

सांख्यिकीय विज्ञान का मुख्य कार्य सांख्यिकीय तथ्यों को सरलतम रूप प्रदान करना है । जिससे कि उन तथ्यों को शीघ्र एवं सरलता से समझा जा सके और उनके विषय में निष्कर्ष निकाला जा सके । प्रायः यह देखा गया है कि तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन कर लेने से बिखरे हुऐ संकलित तथ्यों के ढेर को क्रमबद्ध, व्यवस्थित व संक्षिप्त रूप मिल जाता है जिसके कारण उन्हें समझना सरल हो जाता है। परन्तु इन संकलित तथ्यों का और भी प्रभावशाली रूप इस का चित्रमय प्रदर्शन है। आधुनिक समय में संख्यात्मक तथ्यों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन एक विस्तृत कला बन गई है और इस दिशा में निरन्तर प्रगति करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशीलता भी बढ़ती जा रही है। इसका कारण भी स्पष्ट है, साधारण व्यक्ति के लिये संख्याऐं या आंकड़े प्रायः नीरस, जटिल तथा अरूचिकर होते है। इसलिये संख्या की ओर न तो वह ध्यान देता है और न ही संख्याओं में उसकी कोई रूचि होती है। इसके विपरीत चित्र स्वतः ही आकर्षक होते हैं और उन्हें देखकर वह प्रभावित हुऐ बिना नहीं रह सकता है। चित्रों द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन की यही सार्थकता और यही चित्रों की बढ़ती हुई लोकप्रियता का रहस्य है। इसलिये वेडिंग्टन को लिखना ही पड़ा कि, " भली प्रकार से रचित एक चित्र आंखों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को भी, क्योंकि चित्र उन व्यक्तियों के लिये व्यवहारिक, स्पष्ट तथा शीघ्र समझने योग्य होता है जो प्रदर्शन की पद्धति से अनभिज्ञ होते है।"[1]

यथार्थ सारणीयन तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या में अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। फिर भी साधारण जनता के लिये सारणीयन में दिये गये अंक विशेष अर्थ नहीं रखते । ऐसे व्यक्तियों के लिये सारणी में उल्लेखित तथ्यों

1- Bodington,Statiatics and its application to commerce, P-140

की अन्तर्निहित प्रकृति व परिणामों को समझना बहुत कठिन होता हैं। इसके विपरीत इन्हीं अंकों का चित्र में प्रदर्शन करने पर तथ्यों की वास्तविकताओं को समझने में देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, चित्रों द्वारा तथ्यों का तुलनात्मक महत्व जितना स्पष्ट रूप में प्रगट होता है उतना ही किसी और साधन द्वारा सम्भव नहीं। इसलिये सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन की कला से परिचित होना आवश्यक है। श्री वाउले ने ठीक ही कहा है कि, ''चित्र आँख के सहायक और समय बचाने के साधन मात्र हैं।''

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन किया है। जिसमें सरल छड़ चित्र (Simple Bar Diagram), बहुगुणी छड़ चित्र (Multiple Bar Diagram) तथा पाई चित्र मुख्य हैं ताकि

1. तथ्यों का आकर्षण तथा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन सम्भव हो,
2. तथ्य सरल तथा समझने योग्य बने,
3. समय की बचत हो सके,
4. आसानी से तथ्यों की तुलना हो सके,
5. एक ही दृष्टि में तथ्य स्पष्ट हो जाये,
6. शोध के लिये उपयोगी सिद्ध हो तथा
7. भविष्य की ओर संकेत प्रदान कर सकें।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण :-

प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण अथवा सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक पद्धति व प्रविधियों द्वारा तथ्यों को संकलित किया जाता है तत्पश्चात् उनका वर्गीकरण व सारणीयन किया जाता है। परन्तु वर्गीकरण व सारणीयन बिना विश्लेषण व व्याख्या के निरर्थक है। विश्लेषण व व्याख्या की प्रक्रिया भी व्यर्थ चली जायेगी यदि निष्कर्षो को लिखित रूप न दिया

जाये। इस दृष्टि से प्रतिवेदन किसी भी शोध कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अन्तिम सोपान है। अनुसंधान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का संयुक्त परिणाम प्रतिवेदन में निहित रहता है। प्रतिवेदन में प्रारम्भ से अन्त तक की सर्वेक्षण प्रक्रिया, शब्दों तथा धारणाओं की परिभाषा, प्रयुक्त विधियों तथा प्रणालियों का परिचय, आंकड़ों का प्रदर्शन आदि तथा सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिये जाते है। प्रतिवेदन ही सर्वेक्षण की सफलता तथा असफलता का आधार है।

शोधकर्ता द्वारा महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति तथा उनके समाधान हेतु उनके विचार जानने की जिज्ञासा एवं इस समस्या के प्रस्तुतिकरण हेतु 'अन्वेषणात्मक पद्धति' को अपनाया गया है ताकि मौलिक निष्कर्ष तार्किक रूप में प्राप्त किये जा सके। चूंकि संकलित प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्यों का निर्वाचन करना शोध का वह आवश्यक तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो विश्लेषण के द्वारा परिणाम निकालने से सम्बन्ध रखता है। ऐसा करने के लिये शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित प्राथमिक/क्षेत्रीय आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रकरणतः "मास्टर शीट" निर्मित कर "सांख्यिकीय पद्धति" द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का सारणीयन विश्लेषण तथा तथ्यसम्बन्धित निर्वाचन करके शोध परक वैज्ञानिक निष्कर्ष उद्घाटित किये है। अध्ययन के प्रस्तुतीकरण को सरल, सुगम, ग्राह्मय, तार्किक तथा वैज्ञानिक बनाने के लिये शोध प्रबन्ध में आंकड़ों के यथास्थान आरेखीय चित्र भी दिये गये हैं। शोधकर्ता को आशा ही नहीं बल्कि यह पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन, "महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन" विषय-विशेषज्ञों तथा शोध अध्येताओं को तो रूचिकर लगेगा ही, साथ ही समाजशास्त्रीय सन्दर्भो में "महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति" जिन्हें वे लोग वास्तव में अनुभव कर रहे हैं तथा

भोग रहे हैं, उनके निराकरण समाधान के लिये सुझाये गये व्यवहारिक सुझाव उपयोगी तथा सार्थक सिद्ध तो होंगे ही, साथ ही यह शोध अध्ययन समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र के लिये विभिन्न नवीन उपयोगी आयाम भी उदघाटित करेगा तथा महिला कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा।

अध्याय-4

उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषतायें

अध्याय -4

उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषतायें

यदि हम धूम्रपान तथा हृदय कैन्सर के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना चाहे तो हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी औषधि या टीके के प्रभाव की जानकारी करना चाहते हैं, हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम समाज की किसी भी समस्या की जानकारी करना चाहते हैं तब भी हमें सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है।[1]

प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं में निवास करने वाले प्राणियों से सम्बन्धित होता है अतः उसे समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का बोध होना चाहिये जैसे- उनका स्वभाव आकार तथा सम्पूर्ण जनसंख्या में उनका वितरण आदि। किस प्रकार ये समस्याऐं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं और वे एक समयावधि में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिवश परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार की किसी भो समीक्षा के लिये कुछ निश्चित मापक अनिवार्य होते हैं। यही सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय तथ्य कहलाते हैं जो जन्म, मृत्यु, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय तथा आय से सम्बन्धित होते हैं जो सामुदायिक जीवन में विद्यमान होते हैं। यथार्थ रूप से सम्पादित वर्गीकृत तथा विश्लेषित घटनाऐं समाज की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को मापने के यंत्रों का कार्य करते हैं।" सर्व श्री तिलारा, के0एस0 (1990:132) ने अपनी पुस्तक व्यवहारिक समाजशास्त्र : समस्याऐं एवं सामाजिक विधान में लिखा है कि, "मनुष्य एक चिन्तनशील तथा जिज्ञासु

1. Society for social Medicines (1966): Evidences submitted to the Royal common social medical Education, Beit, Pre. Soc. Medi, 20,158

सामाजिक प्राणी है, जिसका जीवन समाज में ही पनपता है और निकटवर्ती भौतिक परिवेश तथा सामाजिक पर्यावरण के मध्य अन्तःक्रियाएं करते हुऐं समाज के ढांचे एवं व्यवस्था में जीवनयापन करता हैं, जिसे सामाजिक पर्यावरण से कदापि पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण एक प्रकार का ताना है जिसमें प्राणी रूपी वाना डालने के समाज के "सजीवस्त्र" का निर्माण है।"[1] सुस्पष्ट है कि मानव तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक पहलू है । लवानिया, एस.एम. (1967:203) अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि, "सम्पूर्ण रूप से यही 'सजीव वस्त्र' मनुष्य मात्र के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि है जो वंशानूक्रम तथा पर्यावरण से निर्धारित होती है ।"[2] सारस्वत, रमेश.पी. (1993:157) ने अपनी पुस्तक में विवरण दिया है कि, "सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस समूदाय की सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है जिसमें कि वह सामाजिक प्राणी रहा होता है ।"[3] सुप्रसिद्ध समाजविद् प्रो. रयूटर एण्ड हार्ट (1960:320) ने अपनी रचना, एन इन्ट्रोडक्शन टू सोशियालोजी में सामाजिक व्यवस्था के मध्य सामाजिक प्राणी के रहन-सहन की दशा व्यवस्थापन के संदर्भ में लिखा है कि, "समाज में मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होती है जिसमें कि व्यक्ति रह रहा होता है या फिर रह चुका होता है ।"[4] मिश्रा पी.के. (1997:37) ने 'मानव समाज की रूप रेखा' में लिखा है कि-"चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसकी आकांक्षाऐं तथा आवश्यकताऐं अनन्त हैं, इन आकांक्षाओं व आवश्यकताओं के प्रति उसकी क्रियाशीलता, सफलता-असफलता, उसके सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की

---

1. तिलेरा,के.एस.(1990): प्रक्टीकल सोशियोलाजी, प्राबलम्स एण्ड सोसल एक्टस प्रकाशन केन्द्र लखनऊ, पृष्ठ-132
2. लावानिया एस.एम.(1967), इण्डियन सोसल प्रोब्लम, कृष्णा बुक स्टोर प्रकाशन, शिकोहाबाद उ.प्र. पृष्ठ-203
3. शारस्वत आर.पी.,(1993), इण्डियन सोसल सिस्टम,भदौरिया पबलीकेशन एण्ड बुक सेंटर प्राइ. लि.इटावा उ.प्र.,157
4. रयूटर एम.आर. एण्ड हार्ट पी.आर.,(1960), एन इन्ट्रोडक्शन टू सोसलोजी, मेक,ग्रो हील बुक कम्पनी, न्यूयार्क पृ.320

पृष्ठभूमि को निर्धारित करती है।"[1] श्री वास्तव (1990:13) ने कहां यह सर्व स्वीकार तथ्य है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी की सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका के निर्धारण में इस प्रकार की पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही कारण है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में यह आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है कि अध्ययन की इकाईयों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को जानकर उनका गहन तथा सूक्ष्मतः अध्ययन किया जाये क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्धारण कई कारकों से मिलकर होता है।"[2] प्रोफेसर अग्रवाल (1998:30) ने अपनी पुस्तक "श्रमिकों में सामाजिक व्यावसायिक गतिशीलता के विविध आयाम" में लिखा है कि, "मानव केवल एक जैवकीय प्राणी नहीं है अपितु उसके अतिरिक्त भी कुछ और है और अतिरिक्त वह जो भी है, उसी के कारण उसके व्यवहार, आचार-विचार, चिन्तन तथा जीवन शैली आदि प्रभावित होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी सार्थक रूप में करना चाहते है तो हमें उस समय तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उसके सम्बन्ध में उसकी सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सम्पूर्ण परिदृश्य को न जान लिया जाय, जिसमें कि वह पला है, एवं वर्तमान समाज, समुदाय, परिवाद तथा पर्यावरण जिसमें कि वह रह रहा है तथा वह वर्तमान में रह रहा है।" सामान्यतः व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को मूलतः निम्न दो रूपों में ग्रहण किया जाता है-

1. वंशानुक्रम　　　　2. संगति या सहचार्य

जहां व्यक्ति को शरीर रचना (आंख, नाक, नक्स, रंग-रूप, आदि वंशानुक्रम से प्राप्त होते है, वही शिक्षा, संस्कार, जीवनमूल, व्यवसाय, व्यवहार, आदतें लगाव आदि पर्यावरण से प्राप्त होते है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन कारकों

---

1. मिश्रा पी.के. (1997) : मानव समाज की रूपरेखा विकास पबलीकेशन, जवाहर नगर, न्यू दिल्ली, पेज -37
2. अग्रवाल भारत (1981): 'भारतीय समाज' अतीत से वर्तमान तक, मनमोहनदास पुस्तक मन्दिर प्रा.लि.भरतपुर (राज), पृष्ठ- 103

में से किसी भी कारक को नहीं नकारता है। सत्येन्द्र, के. एण्ड भटनागर, पी.के. (1992:89) के अनुसार, "विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में सूचनाओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक दशाओं की अहम भूमिका होती है।"[1] सिन्हा, ए.पी.के (1974:43) ने इसी प्रसंग में लिखा है कि, "महिलाओं का अध्ययन करने में उनकी लिंग, जाति, आयु, शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरचना, आवास तथा आवासीय दशाऐं आदि का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इन से सब कुछ वह प्राप्त होता है जिसकी शोधार्थी को आवश्यकता पड़ती है।"[2]

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में शोधार्थी ने यह अनुभव किया कि प्रस्तुत महिला कर्मचारियों के सामाजिक के सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है कि निदर्शितों की सामाजिक-जनाककीय पृष्ठभूमि का अध्ययन गहनता के साथ किया जाय। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु उत्तरदाताओं के विभिन्न चरों यथा धर्म, लिंग, जाति, आयु, शिक्षा, वैवाहिक, आर्थिक तथा व्यवसायिक स्थिति, परिवार की रचना, प्रकार तथा आवासीय दशाऐं आदि के आधार पर किया है ताकि महिला कर्मचारियों का अध्ययन करना सम्भव हो सके। निम्न तालिकांए स्वतंत्र चरों के सापेक्ष न्यादर्शी के विवरण तथा निर्धारण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

आयु : "प्रत्येक समाज में महिला की कोई भी स्थिति प्रदान करते समय उसकी आयु का विशेष ध्यान रखा जाता है। आयु का सम्बन्ध मानसिक परिपक्वता औश्र अनुभव से है। कम महत्वपूर्ण स्थिति एक सामान्य आयु के व्यक्ति को भी दी जा

1. श्री सतेन्द्र (1992:49)
2. सिन्हा, ए.पी.के (1974:43)

सकती है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण पदों के लिए व्यक्ति को एक निश्चित आयु का होना आवश्यक होता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में तो आयु का महत्व इतना अधिक है कि परिवार, व्यवसाय और सम्पूर्ण समूह में महिला की सामाजिक प्रस्थिति उसकी आयु पर ही सबसे अधिक निर्भर है।" सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्नतालिका प्रकाश डालती है :-

तालिका - 1

महिला-कर्मचारियों का आयुवार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	आयु समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21-25	11	3.67%
2.	26-30	34	11.33%
3.	31-35	50	16.67%
4.	36-40	64	21.33%
5.	41-45	80	26.67%
6.	46-50	41	13.67%
7.	> 50	20	6.66%
	योग	300	100.00

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तथा तत्सम्बधिन्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 80 उत्तरदाताओं (26.67%) की आयु 41-45 आयु वर्ग की थी, 64 उत्तरदाता (21.33%) 36-40 आयु वर्ग के, 50 उत्तरदाता (16.67%) 31-35 आयु वर्ग के, 34 उत्तरदाता (11.33%)

26-30 आयु वर्ग के, 20 उत्तरदाताओं (6.66%) 50 वर्ष के ऊपर के तथा 11 उत्तरदाताओं (3.67%) का आयु वर्ग 21-25 था।

यह सच है कि सामाजिक प्रस्थिति सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन एवं व्यक्ति की सोच तथा क्रियाओं में आयु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है यही कारण है कि शोधार्थिनी ने झाँसी नगर की महिला कर्मचारियों की प्रस्थिति का अध्ययन करने के लिए चयनित उत्तरदाताओं की आयु संरचना को जानने का प्रयास किया।

जाति : भारत में जाजि सामाजिक प्रस्थिति तथा भूमिका का सबसे प्रमुख आधार हैं समाज में महिला को मिलने वाला पद उसकी जातिगत सदस्यता से निर्धारित होता है। निम्न जाति की कोई महिला चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली और साधन सम्पन्न क्यों न हो लेकिन सामाजिक व्यवस्था में साधारणतया उसे ऊंचा स्थान नहीं मिल पाता।'' यद्यपि यह सच है कि भारत में जाति प्रथा के बन्धन बहुत कम जोर पड़ गये हैं लेकिन इसके बाद भी जाति का मनोवैज्ञानिक आज भी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे है। यही कारण है कि महिला के सामाजिक पद का निर्धारण करते समय उसकी जाति और वंश का ध्यान अवश्य रखा जाता है।

तालिका -2

उत्तरदाताओं का जाति वार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मुसलिम जाति	30	10.00%
2.	सवर्ण जाति	100	33.33%
3.	पिछड़ी जाति	66	22.00%
4.	अनु.जाति	104	34.67%
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 104 उत्तरदाताऐं अनुसूचित जाति की थी, 100 उत्तरदाताऐं (33.33%) सवर्ण (ब्राह्मण-क्षत्रि-वैश्य) जाति की, 66 उत्तरदाताऐं (22.00%) अन्य पिछड़े वर्ग की थी तथा शेष 30 उत्तरदाताऐं (10.00%) मुसलिम जाति की थी।

उपरोक्त संयोग प्रदेश में जातिवार प्रतिशत के अनुसार ही जो जिसका कारण महिलस कर्मचारी होना ही था।

धर्म : धर्म एक कारक है जो मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। हमारा समाज अनेक धर्मो में विभाजित हैं। भारत हिन्दू, मुसलिम, सिख, ईसाई, जैन एवं वौद्ध मतावलम्बी रहते हैं। हिन्दू पुनः अनेक मतों को मानते दिखते हैं।'' यही कारण है कि शोधार्थी ने उत्तरदाताओं का गहन अध्ययन करने के लिए उनके धार्मिक पृष्ठभूमि के अध्ययन करने का प्रयास किया है। सर्वे से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं पर निम्न तालिका प्रकाश डालती है।

तालिका -3

उत्तरदाताओं का धर्मवार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	270	90.00%
2.	मुसलिम	30	10.00%
3.	ईसाई	--	--
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 270 उत्तरदाताऐं (90.00%) हिन्दू धर्म के अनुयाई थे तथा 30 उत्तरदाता मात्र (10.00%) इस्लाम

धर्म को मानने वाले थे । सर्वाधिक उत्तरदाता इसलिए हिन्दू धर्म मानने वाले थे क्योंकि भारत यथार्थ में हिन्दुस्तान कहलाता है क्योंकि यह हिन्दू सर्वाधिक है ।

शिक्षा : कुछ समाज ही इस प्रकृति के नहीं होते जहां अर्जित प्रस्थितियों का महत्व अधिक होता है, अपितु कुछ प्रस्थितियों की प्रकृति स्वयं इस प्रकार की होती है जिन्हें व्यक्तिगत योग्यता तथा कुशलता के आधार पर केवल अर्जित ही किया जा सकता है । कोई सामाजिक व्यवस्था अपने आप किसी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती उसको तो व्यक्ति केवल अपने प्रयत्नों से अर्जित करता है । जैसाकि, वीरस्टीड लिखता है कि शिक्षा का सामाजिक प्रस्थिति से सकारात्मक सम्बन्ध है ।''[1] डेविस ''आफिस, स्थिति-संकुल तथा स्तर की प्राप्ति शिक्षा द्वारा स्वीकार करते है ।''[2],,

निम्नतालिका महिला कर्मचारियों की शैक्षिक स्थितियों पर प्रकाश डालती है।

तालिका संख्या -4

उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर वार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	शैक्षिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	जू.हा.	21	7.00%
2.	हा. स्कूल	45	15.00%
3.	इन्टर	140	46.66%
4.	स्नातक	63	21.00%
5.	स्नात्कोत्तर	31	10.34%
	योग	300	100.00

1. वीर स्टीड : 'द सोसल ओडर'', पृष्ठ -211।
2. किंगसले डेविस : ''ह्मन सुसाइटी'' पृष्ठ- 73-77 ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 140 उत्तरदाता () इन्टर उत्तीर्ण थे, 63 उत्तरदाता स्नातक थे, 45 उत्तरदाता हाई स्कूल थे, 31 उत्तरदाता (10.34%) परास्नातक तथा 21 उत्तरदाता (7.00%) जूनियर हाई स्कूल थे।

व्यवसाय : व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति निर्धारित करता है कार्यालयों में तथा क्षेत्रीय कार्य में लिपिको, कार्य निरीक्षकों, अध्यापक तथा अधिकारियों का व्यवसाय चपरासी, मजदूर तथा कृषकों से ऊँचा माना जाता है। हार्टन एण्ड हट के अनुसार, "एक सामाजिक पद (व्यवसाय) जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्दा के द्वारा प्राप्त करता है वह उसकी अर्जित आय का साधन तथा जीविका उपार्जन का साधन बन जाता है।" निम्न तालिका में उत्तरदाताओं के व्यवस्था की पहिचान की गई है।

तालिका संख्या -5

उत्तरदाताओं का व्यवसाय वार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	लिपिका	67	22.33%
2.	निरीक्षक	34	11.33%
3.	क्षेत्रीय कार्यकत्री	101	33.67%
4.	अधिकारी	--	--
5.	अध्यापिकाऐं	98	32.67%
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं के व्यवसाय पर प्रकाश डालती है जिससे विदित होता है कि सर्वाधिक 101 उत्तरदाताओं का व्यवसाय (33.67%) सरकारी नौकरी में 'क्षेत्रीय कार्यकर्ता' का था, 98 उत्तरदाता अध्यापिकाऐं थी, 67

उत्तरदाता (22.33%) लिपिक थी तथा 34 उत्तरदाताऐं (11.33%) निरीक्षक/पर्यवेक्षक थी। समस्त उत्तरदाता संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे। जैसाकि शोध विषय : महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का एक समाजशास्त्री अध्ययन था।

मासिक आय : "मासिक आय एक महत्वपूर्ण निधारक व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर का। व्यय का स्वभाव, भोजन जो उपभोग किया जाता है तथा सेवाएं जो हम प्राप्त करते हैं, मनोरंजन जो व्यक्ति जीवन करता है वह सब व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है।"

निम्न तालिका में उत्तरदाताओं की मासिक आय पर प्रकाश डाला गया है।

तालिका संख्या -6

उत्तरदाताओं की मासिक आय वार वर्गीकरण का विवरण

क्र.	मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	रु0 3001-3500	--	--
2.	रु0 3501-4000	--	--
3.	रु0 4001-5000	--	--
4.	रु0 5001-6000	32	10.67%
5.	रु0 6001-7000	67	22.33%
6.	रु0 7001-8000	22	7.33%
7.	रु0 8001-9000	101	33.67%
8.	रु0 9001-10,000	44	14.67%
9.	रु0 > 10,000	34	11.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 101 उत्तरदाताओं (33.67%) की मासिक आय रू0 8000-9000 से थी, 67 उत्तरदाताओं (22.33%) की आय रू0 6001-7000 थी, 44 उत्तरदाताओं (14.67%) का रू0 9001-10,000, 34 उत्तरदाताओं की (11.33%) की आय रू0 10,000 से अधिक थी, 32 उत्तरदाताओं (10.67%) की आय रू0 5001-6000 थी तथा 22 उत्तरदाताओं की आय रू0 7001-8000 थी।

विवाह : मजूमदार और मदान ने ठीक ही व्यक्त किया है कि विवाह संस्था का सम्बन्ध एक विशेष सामाजिक स्वीकृति से है जो साधारणतया कानूनी स्वीकृति अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है और जो विषम लिंग के व्यक्तियों को यौनिक सम्बन्धों को स्थापित करने और उनसे सम्बन्धित सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों का उन्हें अधिकार देती है।

तालिका संख्या -7

उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्तर के वर्गीकरण का विवरण

क्र.	वैवाहिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	190	63.33%
2.	विधवा	62	20.67%
3.	त्याज्य	19	6.33%
4.	अविवाहित	29	9.67%
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 190 उत्तरदाता (63.33%) विवाहित थी, 62 उत्तरदाताएं (20.67%) विधवाऐं त्याज्य थी। सर्वविदित है कि

ग्राफ सं. -1

उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्तर के वर्गीकरण का विवरण

समाज में विवाह महिला-पुरूषों को एक सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

तालिका संख्या -8

उत्तरदाताओं की जीवित सन्तान सम्बन्धी विवरण

क्र.	जीवित सन्तानें	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	शून्य	10	3.33%
2.	एक	06	2.00%
3.	दो	29	9.67%
4.	तीन	183	61.00%
5.	चार	51	17.00%
6.	> चार	21	7.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 183 उत्तरदाताओं (61.00%) के जीवित बच्चों की संख्या 3 थी, 51 उत्तरदाताओं (17.00%) के 4 सन्तानें थी, 29 उत्तरदाता (9.67%) 2 बच्चों की माताऐं थी, 21 उत्तरदाता (7.00%) के 4 संतानों से अधिक सन्तानें थी, 10 ऐसे थे जिनकी 1 जीवित सन्तान थी। औसतन 3 से अधिक जीवित सन्तानों वाले उत्तरदाता थे इससे विदित होता है कि आज भी यौगिक प्रजनदर 3.7 ही है।

परिवार का स्वरूप : परिवार का स्वरूप व्यक्ति की संस्कृति से सम्बन्धित होता है साथ ही परम्परा से होता है। आधुनिक का प्रभाव भी परिवार के स्परूप को

निश्चित करता है। परिवारों का एकांकी स्वरूप प्रगति का प्रेरक होता है। निम्न तालिका में परिवार के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है जो निम्न प्रकार है -

तालिका संख्या -9

उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप का विवरण

क्र.	परिवार की प्रकृति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	एकांकी	261	87.00%
2.	संयुक्त	28	9.33%
3.	विस्तृत	11	3.67%
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 261 उत्तरदाता (87.00%) एकांकी परिवारों में रहते थे, 28 उत्तरदाताओं के परिवारों का स्वरूप संयुक्त था तथा शेष 11 उत्तरदाताओं (3.67%) विस्तृत परिवार के स्वरूपों में रहते थे। बुन्देलखण्ड उ0प्र0 के अन्य मंडलों से पिछड़ा क्षेत्र है यही कारण है कि नगर क्षेत्र में भी आज लोग संयुक्त एवं विस्तृत परिवारों के स्वरूप में जीवन यापन करते है।

आवासीय स्थिति : आवासी स्थिति व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक कुशल क्षमता का मापक होती है। मकान की पक्की स्थिति स्वास्थ्य का द्योतक होता है तथा सभ्यता का प्रतीक होता है। निम्न तालिका में उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है तो निम्नवत है -

तालिका संख्या -10

उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति का विवरण

क्र.	आवास स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पक्का	259	86.33%
2.	कच्चा	10	3.33%
3.	मिश्रित	31	10.34%
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 259 उत्तरदाताओं (86.33%) की आवासी स्थिति पक्की थी, 31 उत्तरदाताओं (10.34%) आधा पक्का तथा आधा कच्चा आवासीय स्थिति में रहते थे तथा 10 उत्तरदाताओं (3.33%) कच्ची आवासीय स्थिति में रहते थे। आवासीय स्थिति व्यक्ति की आर्थिक प्रस्थिति का निर्धारक होता है। इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति का उन्नयन भी होता है क्योंकि उत्तरदाता महिला कर्मचारी थे इस लिए सर्वाधिक आवासीय स्थिति पक्की थी।

आवासीय सुविधाऐं : आवास में बिजली, पृथक से भौजनालय, शौचालय तथा आंगन की सुविधाऐं जीवन स्तर की श्रेणी का द्योतक होती है। इससे परिवर की स्वच्छता पर्यावरण भी विदित होता है। तालिका में उत्तरदाताओं की आवासीय सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया है -

तालिका संख्या - 11

उत्तरदाताओं की आवास में सुविधाओं का विवरण

क्र.	आवासीय सुविधाएँ	हाँ	नहीं	योग (%)
1.	बिजली	278 (92.67%)	22 (7.33%)	300 (100.00%)
2.	शौचालय	290 (96.67%)	10 (3.33%)	300 (100.00%)
3.	आंगन	288 (96.00%)	12 (4.00%)	300 (100.00%)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 278 उत्तरदाता (92.67%) के घरों में विद्युत आपूर्ति थी, 288 उत्तरदाता (96.00%) के घरों में पृथक से आंगन की सुविधा थी तथा 290 उत्तरदाताओं (96.67%) के घर शौचालयों की सुविधा थी।

अग्रलिखित तालिका में उत्तरदाताओं के आवासों में जलापूर्ति के साधनों पर प्रकाश डाला गया है -

तालिका संख्या - 12

उत्तरदाताओं के यहाँ जलापूर्ति के साधनों सम्बन्धी विवरण

क्र.	जलापूर्ति के साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	टेप	265	88.33%
2.	हैण्डपम्प	25	8.33%
3.	कूप	10	3.34%
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 265 उत्तरदाताओ (88.33%) के घरों में टेप वाटर जलापूर्ति का साधन था, 25 उत्तरदाताओं (8.33%) के आवासों में हैण्डपम्पों (सरकारी) जलापूर्ति की जाती थी तथा 10 उत्तरदाता (3.34%) घरों में स्थिति कूपों का पानी प्रयोग में लाते थे।

अग्रलिखित तालिका में उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डाला गया है -

तालिका संख्या - 13

उत्तरदाताओं के यहाँ मनोरंजन के साधन सम्बन्धी विवरण

क्र.	मनोरंजन के साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	रेडियों	10	3.33%
2.	टी.वी.	270	90.00
3.	रेडियो, टी.वी.	280	93.33%
4.	सिनेमा, टी.वी.,रेडियों	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 300 उत्तरदाता (100.00%) टी.वी.-रेडियो-सिनेमा घरों को मनोरंजन के साधनों के रूप में प्रयोग में लाते थे, 280 उत्तरदाताओं (93.33%) लोग रेडियों व टी.वी. दोनों का प्रयोग में लाते थे, 270 उत्तरदाता (90.00%) केवल टी.वी. को मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे तथा 10 उत्तरदाता (3.33%) केवल रेडियों को ही मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 100% उत्तरदाताओं के पास आधुनिक मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे।

♣♣♣

अध्याय-5

महिला कर्मचारियों की सामाजिक प्रस्थिति

अध्याय -5

महिला कर्मचारियों की सामाजिक प्रस्थिति

हम इस बात को समझ चुके हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी पूर्ण सहभागिता समानता के आधार पर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, उनके सहभागिता का निर्णय लेने की प्रक्रिया में जोड़ते हुए और अधिकार प्राप्त करने तक पहुँच बनाने में आदि सभी उनके सशक्तिकरण विकास तथा शान्ति के लिए आधारभूत तत्व है। - अनुच्छेद-13. वीजिंग घोषणा, 1995

महिला, पुरूष के प्रभुत्व में एक लम्बे रास्ते को पार करती हुई आई है और अब उसे पुरूष के बराबर प्रस्थिति प्राप्त करने के लिए भी एक लम्बे रास्ते से गुजरना पड़ेगा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे अहम तत्वों से। मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार, "महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया की सहभागिता से जुड़ी है। सहभागिता की सीमा या स्तर लिंग सशक्तिकरण का मापक कहा जाता है। भारत में लिंग समानता का कार्य बड़ी मंद गति से चल रहा है। यह मामला बड़ा निराक्षा जनक है कि महिलाऐं राष्ट्रीय आय में केवल 19% ही योदान करती है।

प्रारम्भ में ही यह लाभदायक होगा कि संक्षिप्त में प्रस्थिति शब्द का आशय समझ लिया जाय। अंग्रेजी के शब्द कोष के अनुसार प्रस्थिति का अर्थ है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, दूसरों की तुलना में अर्थात् सम्बन्धित महत्ता। ऐतिहासिक रूप से प्रस्थिति की अवधारणा में -सुविधाऐं, ही मजबूत तथा निर्योग्यताऐं जो जन्म से ही किसी परिवार, जनजाति में तथा भूगोलिक क्षेत्र में चलने लगता है आदि। जहाँ, परम्पराओं के अनुसार, "कुछ निश्चित सुविधाऐं एवं

निर्योग्यताऐं प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होती हैं, उस समूह के सदस्य होने के नाते। इस प्रकाश में हम महिला की प्रस्थिति पर विचार करे तो हमे महिला की भारतीय समाज में पुरूष की प्रस्थिति से विपरीत दिखाई देती है, पर विचार विमर्श तथा इसका परीक्षण करना ही पड़ेगा।

परम्पराओं के रूप में महिला को सदैव पैरों तले रखा गया जैसे गृह लक्ष्मी या देवी के रूप में गृह स्वामी के द्वारा। प्राचीन काल में समाज चार वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य तथा शूद्र में वटी हुयी थी। तथा विशिष्ट कार्य करने की उनका उत्तरदायित्व था। उसी नाड़ी से रोटी कमाने तथा गृह से बाहर के कार्य कलाप पुरूष द्वारा सम्पन्न लिए जाते थे और सम्पूर्ण ग्रह कार्य-प्रजनन, बच्चों का पालन-पोषण, रोटी बनाना, सफाई आदि सभी महिला का करना पड़ता था।

बस गृह स्वामी से इतनी भर आशा की जाती थी कि परिवार के कार्य के लिए महिला को अपनी कमाई दे दे।

इसके बाद भी, महिला का परम्परागत रूप से पुरूष की सामाजिक प्रस्थिति से निम्न सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त थी। हिन्दूवाद में उसे वेद की शिक्षा नहीं दी जाती थी, वह पूजा-पाठ में भाग नहीं ले सकती थी। कहा तो यहां तक जाता है कि प्रथम बार आग्रह पर महिलाओं को संघ में प्रव्रजित करने से बुद्ध ने भी मना कर दिया था। जैन शास्त्रोंनुसार महिला मोक्ष नहीं पा सकती। और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे एक बार पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा।

मनु के अनुसार स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं करना चाहिए अपितु उसे अपने बचपन में पिता की आधीनता में, युवा में अपने पति की आधीनता में तथा वृद्धावस्था में अपने पुत्र ककी आधीनता में रहना चाहिए। आज दिन प्रतिदिन के जीवन में धर्मानुसार उसको कतिपय ढंगों से रहना पड़ता है। इस्लाम धर्म में वह मुल्ला नहीं हो सकती है। उसे बुरका पहिनना अनिवार्य है तथा वह सामाजिक सहभागिता नहीं

कर सकती। पुरूषों को इस्लाम में कई विवाह करने की छूट है उसे नहीं तथा पति को एक और से उसे तलाक देने का अधिकार है। इसके विपरीत ईसाईयों, पारसी तथा हिन्दुओं में एक विवाह का चलन पाया जाता है।

शिक्षा शास्त्रीयों तथा समाज सुधारकों ने नागरिक जीवन में समानता लाने की आवश्यकता को पहिचाना तथा डा० अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 44 को "राज के नीति-निर्देशक सिद्धांत" के रूप में जोड़ा ताकि भारत की सीमा में रहने वाले सभी पुरूष तथा महिला में नागरिक प्रस्थिति समान हो सके तथा महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए अनेक सामाजिक विधान- सती प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, विधवा पुर्न विवाह, दत्तक पुत्र रखने का स्वत्व, पोषण का अधिकार, विवाह करने का अधिकार तथा तलाक देने का अधिकार सम्बन्धी विधान स्वतंत्र भारत में पारित किये गये। परन्तु आज भी स्थास्थिति पसन्द व्यक्ति महिलाओं की समान सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करने में रूचि नहीं रखते।

सामाजिक सुधारकों- राजाराम मोहन राय, रानाडे, ईश्वरचन्द्र, ज्योतिवा फूले, गांधी जी तथा डा० अम्बेडकर आदि ने अपने समय में भारत की परम्पराओं को परिवर्तन करने के लिए कार्यक्रम चलाये। इसके अतिरिक्त 20 वीं शताब्दी में सुधार आन्दोलन ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज तथा थियोसोफीकल सुसाइटी द्वारा चलाये समाज में उन परम्पराओं बाल विवाह, विधवा विवाह न करने आदि के विरूद्ध, जो समाज द्वारा आचरण की जाती थी। राजाराम मोहनराय ने सती प्रथा तथा ईश्वर चन्द्र विद्या सागर ने विधवा विवाह न करने के विरोध में आन्दोलन चलाये। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 पारित हुआ जिसमें बाल विवाह करना अपराध घोषित किया गया तथा कानून के उलंघन पर सजा तथा दण्ड देने का प्रविधान किया गया। मुसलिम परसनल लां के अनुसार लड़की को शादी करने की स्वतंत्रता थी। भारत जैसे

परम्परागत समाज में इन अधिनियमों का कम प्रभाव पड़ा। आज भी बाल विवाह हो रहे है। बाल विवाह को तो महिला शिक्षा द्वारा ही उन्मूलन किया जा सकता है, साथ ही इसके विकारों को समझाकर । बाल विवाह पर पूर्ण नियंत्रण मात्र विवाह पंजीकरण द्वारा सम्भव है। इस प्रसंग में अभी उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को अधिनियम बनाने को सीमित सफलता प्राप्त हुई है, दहेज जैसी बुराई को दूर करने के लिए समजा के आचरण से। समाचार पत्रों के पाठन से ज्ञात होता है कि जो माता-पिता कम दहेज देते है उनकी लड़कियों के साथ ससुराल वाले अनेक प्रकार के अत्याचार- मारना, पीटना, जलाना, जहर दे देना करते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त दहेज में धनराशि या सामान प्राप्त नहीं हुआ। ग्रह मंत्रालय इस प्रकार की रिपोर्ट अक्सर प्रकाशित करता रहता है।

प्रस्तुत इस शोध के अध्याय में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि झाँसी नगर की महिला कर्मचारियों की वर्तमान समय में कैसी सामाजिक प्रस्थिति है। उनकी सामाजिक प्रस्थिति में कितनी प्रौन्नति हुई है अथवा दशा उसी तरह की है जैसी पहले थी। महिला सामाजिक प्रस्थिति सम्बन्धी सूचनाओं को तालिकाओं में रख, विश्लेषण तथा विवेचन निम्न प्रकार किया गया है -

तालिका संख्या -14

उत्तरदाताओं द्वारा परिवार में भूमिका निवर्हन सम्बन्धी स्वरूप का विवरण

क्र.	भूमिका निवर्हन में प्रस्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	प्रत्यक्ष	61	20.33%
2.	अप्रत्यक्ष	166	55.33%
3.	अवसर वादी	73	24.34%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं द्वारा परिवार में भूमिका निवर्हन के स्वभाव पर प्रकाश डालती है । सर्वाधिक 166 उत्तरदाता (55.33%) उत्तरदाताओं द्वारा परिवार में भूमिका निवर्हन का स्वरूप अप्रत्यक्ष था । 73 उत्तरदाताओं (24.34%) ने बताया कि उनकी भूमिका का निवर्हन अवसरों पर आधारित होता था । केवल 61 उत्तरदाता (20.33%) ही परिवार में कार्य का निष्पादन प्रत्यक्ष रूप से करते थे अर्थात वे स्वतंत्र प्रभारी थे ।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की उनके परिवार में भूमिका निवर्हन के स्वरूप का सामाजिक प्रस्थिति असमान ही थी ।

तालिका संख्या - 15

उत्तरदाताओं को घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता का स्वभाव

क्र.	बाहर जाने की स्वतंत्रता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णस्वतंत्रता	60	20.00%
2.	आंशिक स्वतंत्रता	180	60.00%
3.	नहीं	60	20.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं को घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालती है । जिससे ज्ञात होता है कि 180 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (60.00%) को घर से बाहर जाने की आंशिक स्वतंत्रता थी तथा 60 उत्तरदाताओं (20.00%) को बिल्कुल नहीं ।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति पुरूषों की भाँति समान न थी न वे अपनी इच्छा से बाहर जाने में स्वतंत्र थे ।

तालिका संख्या - 16

उत्तरदाताओं को बच्चों के विवाह के निर्णय की प्रक्रिया में सहभागिता की पूंछ की स्थिति

क्र.	बच्चों के विवाह की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बार-बार	59	19.67%
2.	कभी-कभी	182	60.66%
3.	नहीं	59	19.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 182 उत्तरदाता (60.66%) अपने बच्चों के विवाह-शादी के निर्णय की प्रक्रिया में कभी-कभी सहभागिता करते थे, 59 उत्तरदाता (19.67%) थे जो 'हर बार' सहभागिता करते तथा 59 उत्तरदाताओं को अपने बच्चों की शादी व्यवहार की किस तरह तथा कितना दहेज लेना-देना है उसमें उन्हें नहीं पूंछा जाता था।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति पुरूषों के बराबर न होना ही प्रमाणित करता है।

तालिका संख्या - 17

उत्तरदाताओं द्वारा लड़की हेतु वर तथा लड़के हेतु वधु देखने में सहभागिता की प्रकृति का विवरण

क्र.	सहभागिता की प्रकृति	लड़की हेतु वर		लड़के हेतु वधु	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हमेशा	64	21.34%	210	70.00%
2.	कभी-कभी	36	12.00%	10	3.34%
3.	नहीं	200	66.66%	80	26.66%
	योग	300	100.00%	300	100.00%

उपरोक्त तालिका, लड़की हेतु वर तथा लड़के हेतु वधू देखने में महिला कर्मचारियों द्वारा कितनी बार सहभागिता की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। सर्वाधिक 200 उत्तरदाता (66.66%) लड़की हेतु वर देखने को कभी नहीं पूंछा जाता था और इसके विपरीत 210 उत्तरदाता (70.00%) को अपने लड़के हेतु वधू देखने के लिए 'हमेशा' सहभागिता करने हेतु पूंछा जाता था।

अग्र तालिका उत्तरदाताओं द्वारा नवीन कार्य का स्वयं चुनाव करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है -

तालिका संख्या - 18

उत्तरदाताओं द्वारा नवीन कार्य का स्वयं चुनाव करने की प्रवृत्ति की प्रकृति

क्र.	नव कार्य के चुनाव की प्रकृति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हमेशा	65	21.67%
2.	कभी-कभी	172	57.33%
3.	नहीं	63	21.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 172 सर्वाधिक (57.33%) उत्तरदाता नवीन कार्य का स्वयं चुनाव 'कभी-कभी' करते थे। 65 उत्तरदाताओं (21.67%) ने बताया कि वे नवीन कार्य का चुनाव स्वयं हतेशा करते थे तथा 63 उत्तरदाता (21.00%) नवीन कार्य का स्वयं चुनाव नहीं करते थे।

तालिका संख्या - 19

उत्तरदाताओं की सामाजिक संस्थाओं में सदस्यता का विवरण

क्र.	सदस्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समूह की	31	10.33%
2.	समिति की	18	6.00%
3.	संस्था की	13	4.33%
4.	किसी की नहीं	238	79.34%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं की सामाजिक संस्थानों में सदस्यता पर प्रकाश डालती है। 238 सर्वाधिक उत्तरदाता (79.34%) ने बताया कि वे समाज में न किसी समूह, न समिति न संस्था के सदस्य है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की सर्वाधिक रूप से सामाजिक प्रस्थिति नहीं थी।

तालिका संख्या -20

उत्तरदाताओं में परिवार नियोजन अधिग्रहण हेतु स्वीकृति दाताओं का विवरण

क्र.	प0नि0 स्वीकृति दाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पति से	185	61.67%
2.	सास-ससुर	21	7.00%
3.	स्वयं	94	31.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका परिवार नियोजना अधिग्रहण हेतु घर में किससे स्वीकृति प्रदान करते थे। तालिका से ज्ञात होता है कि 185 सर्वाधिक उत्तरदाता (61.67%) अपने पति से स्वीकृति लेते थे, 94 उत्तरदाता (31.33%) किसी की स्वीकृति नहीं लेते थे तथा 21 उत्तरदाताओं ने बताया कि 'सास' से स्वीकृति लेते थे। इससे विदित होता है कि उनके स्वयं के मामले में भी पति तथा उनकी सास, मां की चलती थी जो निम्न प्रस्थिति का सूचक थी।

तालिका संख्या -21

उत्तरदाताओं को वार्ड में स्थिति सेवा ईकाईयों की जागरूकता सम्बन्धी विवरण

क्र.	वार्ड में स्थिति संस्थाओं की जागरूकता	हाँ	नहीं	प्रतिशत
1.	बैंक	273 (91.00%)	27 (9.00%)	300 (100.00%)
2.	डाकघर	247 (82.33%)	53 (17.67%)	300 (100.00%)
3.	थाना	277 (92.33%)	23 (7.67%)	300 (100.00%)
4.	नगर निगम	300 (100.00%)	-- --	300 (100.00%)
5.	आंगनबाड़ी केन्द्र	105 (35.00%)	195 (65.00%)	300 (100.00%)
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	188 (62.67%)	112 (37.33%)	300 (100.00%)

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं की अपने ही पर्यावरण में स्थिति विभिन्न प्राशाषनिक ईकाईयों के बारे में जागरूकता पर प्रकाश डालती है। शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं का नगर निगम की स्थिति, 277 उत्तरदाताओं (92.33%) को पुलिस थाना, 273 उत्तरदाताओं (91.00%) को "बैंक", 247 उत्तरदाताओं (82.33%) का 'डाकघर' 188 उत्तरदाताओं (62.67%) को स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 105

उत्तरदाताओं (35.00%) को आंगनवाड़ी केन्द्र की जानकारी थी अर्थात उत्तरदाताओं की सामान्य ज्ञान उत्तम था।

तालिका संख्या -22

उत्तरदाताओं का सामाजिक कार्यों में सहभागिता का विवरण

क्र.	समाजकार्य के निर्णय में सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अक्सर	14	4.67%
2.	कभी-कभी	34	11.33%
3.	नहीं	252	84.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका उत्तरदाताओं के सामाजिक कार्य में सहभागिता पर प्रकाश डालती है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 252 सर्वाधिक (84.00%) उत्तरदाता सामाजिक कार्य में सहभागिता नहीं करते थे। 34 उत्तरदाता (11.33%) 'कभी-कभी' तथा 14 उत्तरदाता (4.67%) 'अक्सर' सहभागिता करते थे।

उपरोक्त अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरदाताओं सामाजिक प्रस्थिति सामान्य नहीं थी। पूंछने पर बताया गया कि सरकारी कार्य की अधिकता।

तालिका संख्या -23

उत्तरदाताओं की घर के प्रभुत्व में प्रतिशतता का विवरण

क्र.	घर में प्रभुत्व की दर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	25%	106	35.34%
2.	50%	160	53.33%
3.	75%	34	11.33%
4.	100%	--	--
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका ग्रह में प्रभुत्वता पर प्रकाश डालती है। जब उत्तरदाताओं से पूंछा गया कि आपकी घर में कितने प्रतिशत चलती है तो 160 सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी (53.33%) चलती है। इसके विपरीत 106 उत्तरदाताओं (35.34%) ने बताया 25% चलती है तथा 34 उत्तरदाता (11.33%) ऐसे थे जिन्होंने घर में अपने प्रभुत्व का 75% आंका।

भारतीय सामाजिक ढांचे एवं व्यवस्था को देखते हुए उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति अच्छी होना प्रमाणित करता है परन्तु ये उत्तरदाता महिला कार्मचारी थे जो घर की अर्थ व्यवस्था में योगदान करते थे।

अध्याय-6

महिला कर्मचारियों की आर्थिक प्रस्थिति

अध्याय -6

महिला कर्मचारियों की आर्थिक प्रस्थिति

हम पक्का इरादा कर चुके है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार को जोड़ते हुए तथा सतत बड़ते हुए गरीबी के बोझ को कम करने के लिए महिला के ऊपर जो संरचनात्मक रूप से गरीबी के कारण हैं, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाकर, सभी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उन्हें भी जोड़ते हुए, एक वेसिक विकास के अभिकर्ता के रूप में उत्पादक संसाधनों से, सुविधाओं से तथा जन सेवाओं से''

-अनुच्छेद 26, वीजिंग घोषणा, 1995

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वित्तीय आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण मापक होता है। इससे व्यक्ति का जीवन स्तर में वृद्धि ही नहीं होती अपितु उसकी छवि में भी चार-चांद लग जाते हैं। गरीबी से भुखमरी विश्व की घटना है। हम जानते है कि भारतीय महिलाओं के साथ कैसा घटित हो रहा है, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संघर्ष में। कुछ प्रगति हुई परन्तु वह तनिक ही परिवर्तित हुई है। जो तथ्य हैं वे अधिक आशावादी नहीं है। राष्ट्रीय परसपैक्छिव योजना स्वीकार करती है कि एक वर्ष में संरचनात्मक बहुत कम परिवर्तन आया है, भारत के रोजगार प्रतिमानों में।

1. देश में मात्र 14% महिलाऐं पूर्ण कालिक रोजगार हैं,
2. लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में हैं उनमें से 83% कृषि क्षेत्र में तथा भवन निर्माण में
3. 8% से कम संगठित क्षेत्र में कार्यरत है तथा

4. कामकाज महिलाओं की संख्या, यौगिक महिलाओं की संख्या में बहुत कम है तथा दो गत दशकों में और भी कम हुई हैं। यह तथ्य पूर्ण हैं कि संगठित क्षेत्र में भी 90% महिलाऐं काम काजी हैं अकुशल तथा अर्द्धकुशल कार्यों में। भारत के संगठित क्षेत्र में जिसमें जन क्षेत्र तथा अकृषि, प्राइवेट क्षेत्र स्थापित हैं में बहुत कम प्रतिशत में वे लगी हुयी हैं।

वर्तमान परिदृश्य : "महिलाओं की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में सहभागिता, उप्पादकों तथा उपयोगता के रूप में बहुत ही सीमित है। या तो उनका आर्थिक योगदान शुद्ध विकास लाभ में उपेक्षा की जाती है अथवा वह दर्शनीय नहीं है। विकास अनुश्रवण के प्रसंग में कम आंका जाता है, देश की अर्थ व्यवस्था में उनके योगदान को"[1] (चन्द्रा, 2001)।

जबकि राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर महिलाओं की आर्थिक विकास में भूमिका पर विचार करते हैं तो हमें उनके यथार्थ तथा मानव विकास पर जोर देना चाहिए बजाय मा आर्थिक विकास की अवधारणा पर। "महिलाऐं समाज की रीढ़ होती हैं तथा उन्हें भले-बुरे को परखने वाली भी। वे नैतिक तथा सांस्कृति मूल्यों को जीवित रखती हैं। उनमें उत्तरदायित्व का सुहड ध्यान होता है और वे कहल व झगड़ों को शान्त करने में अपने कल्याण को दांव पर रख देती हैं। वे सहज ही गृह कार्य तथा अर्थ के क्षेत्र में कार्य कर रही है। विकास लिंग का मित्र नहीं है, यह तो पूर्वा ग्रसित है लिंग के मामले में। यथार्थ में विश्व ने प्रगति की है तथा कुछ लाभ महिला को भी प्राप्त हुआ है परन्तु उन्हें निम्न कोटि का काम सभी समाजों में आवंटित किया गया है सुमन पमेचा (2002) महिलाओं से जुड़े योगदान उनकी आय, रोजगार, अबाजार को कार्य, उनकी मजदूरी कार्य में सहभागिता तथा समय सारणी परीक्षण के बाद उपरोक्त विचार व्यक्त किये।"

---

1. चन्द्रा सुसमिता (2001): वूमन एण्ड इकोनोमिक डवलपमेन्ट, ए केश स्टडी उ.प्र., बी.आर.पवलिसिंग को. न्यू दिल्ली।

नविन्दर, के. सिंह (2001) ने चाय बांगानों में कार्यरत महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रकार्यात्मक जीवन के चित्र उतारे हैं उनसे विदित होता है कि महिलाऐ चाय उद्योग की रीढ़ है। सिंह ने परिस्थितियों का विश्लेषण किया विशेषकर प्रजवन श्रमिकों की भर्ती पर आसाम में जहां पाया कि वे दुख भोग रहे थे तथा उनका शोषण किया जा रहा था विशेषकर महिला श्रमिकों का। बागांनों में काम काजी महिलाओं की प्रस्थिति, बाबजूद अनेक कल्याणकारी उपयों के, में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। वे पुरूष प्रधान सामाजिक तथा प्रकार्यात्मक मूल्यों के कारण पुरूषों के द्वारा शोषित हो रही हैं। उपेक्षा, दुर्व्यवहार तथा असमानता के वे झूले में झूल नहीं हैं। ये महिलाऐं बिखरी हुई एक अवसर की तलाश में जो मात्र उन्हें केवल शिक्षा तथा सामाजिक शक्तिकरण द्वारा मिलना सम्भव है।''

सांख्यकीय से विदित होता है कि महिलाओं की उत्पादन व्यवस्था में सहभागिता निरंतर घटी है। लगभग 34% महिला जन संख्या कार्मिकों के रूप में वर्ष 1971 में 12% से कम काम करती पाई गई। यह सामान्य कल्पना है कि शैक्षिक तथा आर्थिक विकास युगल हैं कानूनी बाधाऐं दूर करने के लिए तभी महिलाओं की प्रस्थिति में वृद्धि होती है और उसी के परिणाम स्वरूप समाज में सुधार होता है। अनेक अन्दाज में की गई व्याख्याऐं समय-समय पर इस प्रकार की रूझान को समझने के लिए प्रयास किए गये। कुछ मानते है कि महिलाओं का घर से बाहर कार्य परम्पराओं के विरूद्ध है। अथवा आर्थिक तंगी को दूर करने महिला का रोजगार एक बूंद के समान है। दूसरों का मत है कि संरक्षक श्रम कानून, विशेषकर मातृत्व लाभ ने महिला को अधिक अपव्ययी बना दिया है, नियोक्ता के विचार से।

''आधुनिक अर्थ व्यवस्था पर परिवर्तन का प्रभाव का आशय महिला की बढ़ती संख्या प्रत्यक्ष सहभागिता से उत्पादन की प्रक्रिया में जो अब कुशल बन चुकी हैं तथा अधिक विशेषज्ञ हो चुकी है । बहुतायत उनकी है जिनके साथ सहभागिता में समानता का उपचार किया जाता है, रोजगार की सुरक्षा है तथा मानवीय कार्य दशाऐं हैं । उनका अधिक संख्या में वे शोषण के विषय हैं अनेक रूपों में। उनमें सुरक्षा की भी कमी है समाज की ओर से तथा राज्य की ओर से ''(पचौरी, 1999: 115-116)

''यह भी अभिलेखित किया गया है कि महिलाओं की कार्य में सहभागिता की दर निरक्षर से साक्षर में कम हुई है । मिडिल स्तर की शिक्षा पर और बढ़ी है जूनियर से हाई स्कूल स्तर पर । सैकन्डरी तथा हायर एजूकेशन जो नगर क्षेत्र की घटना है का बराबरी का फर्क पुरूष तथा महिला कार्य की सहभागिता में''(खन्ना, 1998:65) महिलाओं की श्रम शक्ति में सहभागिता शिक्षा संसाधनों में अधिकतम वर्वादी है और महिला शिक्षा पर निवेश अनार्थिक ही है''(कृष्णा राज, 1991:233)।

''लड़की को माता-पिता की जुम्मेदारी समझा जाता है जो परम्पराओं, मूल्यों, सामाजिक आदर्शो तथा सामाजिक संस्थानों जैसे परिवार, रिस्तेदारी तथा विवाह से रोजगार का प्रकार लड़कियों के लिए लिंग भेद करता है। परिवार के कार्यो में लड़की के लिए उपेक्षा बरती जाती हैं उसके बचपन से ही। ये मुद्दे मानवाधिकार से जुड़े हुए है। रेडी एण्ड रमेश (2000) बताते है कि, ''लड़की (वाल) किस प्रकार प्राइमरी शिक्षा से महरूम रहते हैं और वे वालश्रम में फस जाते हैं। उन्हें जौखिम भरे कार्यों में लगा दिया जाता है और फिर उनका शोषण तथा लेंगिक रोहन किया जाता है। उन्हें बेसिक अधिकार प्रदान करने से मना किया जाता है श्रम के रूप में

नहीं अपितु मानव के रूप में। सरकार को चाहिए कि प्रायमरी शिक्षा उनके लिए अनिवार्य करे ताकि लड़की को शिक्षा तथा सतत गरीबी से बचाया जा सके।

अनगिनत समय से महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न पाई जाती है, घर के प्रबन्ध के कार्य के अतिरिक्त। भारत में, महिलाऐं कृषि श्रमिकों में 46% है। उनकी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी होने के बाबजूद भी उनके योगदान को कम आंका जाता है तथा उन्हें मजदूरी भी प्राप्त होती है, फिर भी उनके हाथ लिखित में कही नहीं दिखाई देते। उनके हाथ चट्टान तोड़ते है, रोटी कमाव व रोटी पकाते उनके साथ ऐसे उपचार किया जाता है कि वे अस्तित्व में ही न हो। पूनम कुमारी बताती हे कि, "किसी राष्ट्र की समवृद्धि तथा वृद्धि उस राष्ट्र की महिलाओं की प्रस्थिति में विकास से मापी जाती है जैसाकि वे जनसंख्या की आधी होती हैं और शेष बची अर्द्ध जन संख्या को भी प्रभावित करती है।"

महिलाओं की आर्थिक क्रियाऐं जो नहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे तो वे अभिलेख लायक है। महिलाए गृह कार्य के लिए उत्तरदाई होती हैं। जो राष्ट्रीय लेखा द्वारा मापा नहीं जाता वर्तमान व्यवस्था में। पूरा समय एक व्यक्ति के द्वारा काम पर बिताया जाता है प्रतिदिन और वह अपनी पूरी जिन्दगी पर काम पर लगी रहती है। लेकिन महिला का कार्य समय लोच लिए होता है कभी हल्का तो कभी भारी जिसका मजदूरी की दृष्टि से मापनीय नहीं होता जिससे गृहकार्य तथा बच्चों का पालन-पोषण शामिल होता है 2/3 या 3.15 घन्टे तो घरेलू ही कार्य होता है जिसे एक महिला प्रतिदिन करती है। कुछ देशों में तो एक महिला एक सप्ताह में 30 घन्टे कार्य पर रहती है। जबकि पुरूष उन देशों में 10 घन्टे ही काम करता है। गृह कार्य में उसका कार्य परिभाषित है। कुछ लोग कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, विस्तर ठीक करते हैं और कपड़ों पर प्रेस करते हैं और अधिकतर महिलाएं काम करती हैं।(राव एण्ड लाथा, 1999:22)।

प्रस्तुत अध्याय, "महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति" में शोधार्थिनी द्वारा अनेक प्रयत्न किए गये है, झाँसी नगर की महिला की स्थिति करने की समीक्षा करने। जो पूंछतांछ की गई उनके उत्तरों को वर्गीकृत कर तालिकाओं में रख, विश्लेषण सामान्य प्रतिशत में कर तथ्यों को विवेचन किया गया है जो इस प्रकार है-

तालिका संख्या -24

उत्तरदाताओं के घर में सामिग्री क्रय कर्ता के सम्बन्ध में विवरण

क्र.	क्रेता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पति	165	55.00%
2.	स्वयं	101	33.67%
3.	पुत्र/पुत्री	34	11.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका ग्रह सामिग्री क्रेता सम्बन्धी विवरण पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करती है कि 165 सर्वाधिक (55.00%) उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्रह सामिग्री का क्रेता उनका प्रति था। 101 उत्तरदाता (33.67%) ने स्वयं को घर के सामान का खरीदार बताया तथा 30 उत्तरदाता (11.33%) ने बताया कि उनके पुत्र/पुत्रियाँ स्वयं का सामान खरीदार थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति सम्यक नहीं थी। ऐसा उत्तरदाताओं ने बताया कि परम्परा व महिला के शैर-सपाटा को समाज में बुरा माना जाता है के कारण था।

अग्रलिखित तालिका ग्रह सम्पत्ति करते समय उत्तरदाता को पूंछने के स्वभाव पर प्रकाश डालती है -

तालिका संख्या -25

उत्तरदाताओं की ग्रह सम्पत्ति के क्रय के समय पूंछ के स्वभाव का विवरण

क्र.	ग्रह सम्पत्ति के क्रय में पूंछ	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हमेशा	172	57.33%
2.	कभी-कभी	96	33.00%
3.	नहीं	32	10.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 172 सर्वाधिक उत्तरदाता (57.33%) ने बताया कि ग्रह सम्पत्ति के क्रय के समय उनसे हमेशा पूंछा जाता था । 96 उत्तरदाता (32.00%) ने बताया कि कभी-कभी पूंछा गया तथा 32 उत्तरदाता ऐसे थे उन्होंने बताया कि ग्रह सम्पत्ति क्रय करते समय उनसे नहीं पूंछा जाता ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की उनके परिवार में हमेशा ग्रह सम्पत्ति क्रय करते समय पूंछा जाता था ।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है-

तालिका संख्या -26

उत्तरदाताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता का विवरण

क्र.	वस्त्रों की गुणवत्ता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	नये वस्त्र	76	25.33%
2.	परेड वाले	46	15.33%
3.	दोनों प्रकार के	178	59.34%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 178 सर्वाधिक (59.34%) उत्तरदाताओं ने बताया कि वे नये तथा परेड पर विकने वाल दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। 76 उत्तरदाता (25.33%) ऐसे थे जो केवल नये वस्त्र ही प्रयोग करते थे तथा 46 उत्तरदाता (15.33%) ने बताया कि वे परेड पर विकने वाले वस्त्रों को प्रयोग में लाते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति सामान्य ही थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं में ऋणग्रस्ता की स्थिति पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -27

उत्तरदाताओं में ऋणग्रस्ता की स्थिति का विवरण

क्र.	ऋणग्रस्तता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	123	41.00%
2.	नहीं	177	59.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 177 सर्वाधिक उत्तरदाता (59.00%) ने बताया कि वे किसी के ऋणग्रस्त नहीं थे परन्तु 123 उत्तरदाताओं (41.00%) ने स्वीकार किया कि वे ऋणग्रस्त थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर्मचारी भी ऋणग्रस्ता से अछूते नहीं थे जो उनकी कमजोर आर्थिक प्रस्थिति का ही द्योतक थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं की मासिक बचत पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -28

उत्तरदाताओं में मासिक बचत के सम्बन्ध में विवरण

क्र.	मासिक बचत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	224	74.67%
2.	नहीं	76	25.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 224 सर्वाधिक (74.67%) उत्तरदाता मासिक बचत करते थे। 76 उत्तरदाताओं (25.33%) ने बताया कि घर का व्यय अधिक तथा वेतन कम प्राप्ति के कारण मासिक बचत नहीं करते थे।

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति सामान्य सी ही थी।

तालिका संख्या -29

उत्तरदाताओं में अल्प बचत के माध्यमों का विवरण

क्र.	अल्प बचत के माध्यम	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बीमा	30	10.00%
2.	किसान विकास पत्र	20	6.67%
3.	डाकघर में खाता	42	14.00%
4.	बैंक में बचत खाता	127	42.33%
5.	शेयर कार्य	10	3.34%
6.	कोई माध्यम नहीं	71	23.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 127 उत्तरदाताओं (42.33%) का बैंक में बचत खाता, कार्यालय के अलावा था। 71 उत्तरदाताओं (23.67%) का कोई बचत खाता कहीं नहीं था, 42 उत्तरदाता (14.00%) का बचत खाता डाकघर में था, 30 उत्तरदाता (10.00%) बीमा कराये हुए थे, 20 उत्तरदाता (6.67%) वर्ष के अन्त में किसान विकास पत्र खरीदते थे तथा 10 उत्तरदाता (3.34%) शेयर खरीदते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से तो उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति सामान्य ही थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं की सामाजिक सुरक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -30

उत्तरदाताओं की सामाजिक सुरक्षा (बीमा) स्थिति का विवरण

क्र.	मासिक बचत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	30	10.00%
2.	नहीं	270	90.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 270 सर्वाधिक (90.00%) उत्तरदाता बीमा धारक नहीं थे अर्थात उनका प्राइवेट किसी अभिकरण द्वारा सामाजिक सुरक्षा नहीं थो । परन्तु कर्मचारी होने के कारण सभी अपनी श्रेणी/वर्गानुसार गर्वमेन्ट इनशोरेन्स स्कीम में रू0 कटाते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य ही थी।

अग्रलिखित तालिका वस्तु क्रय करने से पूर्व अनुमति कौन प्रदान करता है के सम्बन्ध में प्रकाश डालती हैं :-

तालिका संख्या -31

उत्तरदाताओं को क्रय करने की पूर्व अनुमति प्रदान कर्ताओं का विवरण

क्र.	क्रय की पूर्वअनुमति कर्ता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पति की	185	61.67%
2.	स्वयं	66	22.00%
3.	बच्चों की	49	16.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 185 सर्वाधिक (61.67%) उत्तरदाता घर में नवीन वस्तु क्रय करने से पूर्व पति से अनुमति लेते थे, 66 उत्तरदाता (22.00%) ने बताया कि वे स्वयं वस्तु क्रय करते थे तथा किसी से अनुमति नहीं लेते थे। 49 उत्तरदाताओं (16.33%) ने बताया कि पुत्रों से अनुमति लेकर नई वस्तु क्रय की जाती थी।

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति स्वतंत्र नहीं थी, उन्हें ग्रह कार्य में प्रयोग आने वाल वस्तु को क्रय करने की 'पति' से पूर्व अनुमति लेना पड़ता था।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा सन्तुलित आहार ग्रहण करने पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -32

उत्तरदाताओं द्वारा सन्तुलित आहार ग्रहण के स्तर का विवरण

क्र.	सन्तुलित आहार का प्रयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हमेशा	100	33.33%
2.	कभी-कभी	138	46.00%
3.	अज्ञात	62	20.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 138 सर्वाधिक (46.00%) उत्तरदाता घर में सन्तुलित आहार का प्रयोग "कभी-कभी" करते थे, 100 उत्तरदाताओं (33.33%) ने बताया कि वे "हमेशा" सन्तुलित आहार ग्रहण करते हैं तथा 62 उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाता सन्तुलित आहार का कभी-कभी प्रयोग करते थे क्योंकि उनमें सन्तुलित आहार हमेशा प्रयोग करने की आर्थिक सार्मथ नहीं थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं के घरों में बालश्रम के अभ्यास पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -33

उत्तरदाताओं के घरों में बालश्रम की स्थिति का विवरण

क्र.	बालश्रम	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	32	10.67%
2.	नहीं	268	89.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 268 उत्तरदाता (89.33%) के बच्चे बालश्रम करने नहीं जाते थे। 32 उत्तरदाता (10.67%) ऐसे थे जिनके बच्चे बालश्रम के लिए जाते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति ठीक थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं के उपचार व्यवहार पर प्रकाश डालती है:-

तालिका संख्या -34

उत्तरदाताओं में उपचार व्यवहार सम्बन्धी विवरण

क्र.	उपचार व्यवहार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	तुरन्त	31	10.34%
2.	प्रतीक्षा करके	76	25.33%
3.	काम में बाधा आने पर	193	64.33%
4.	विस्तर पकड़ने पर	--	--
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 193 सर्वाधिक उत्तरदाता (64.33%) काम में बाधा आने पर ही रोग उपचार कराते थे। 76 उत्तरदाताओं (25.33%) ने बताया कि वे रोग बढ़ने/घटने की प्रतीक्षा करने के बाद ही रोग उपचार ग्रहण करते थे। 31 उत्तरदाता ने बताया कि वे थोड़ी ही शिकायत होने पर रोग उपचार ग्रहण करते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं में स्वास्थ्य चेतना का अभाव था साथ ही उपचार व्यय के कारण वे ऐसा करते थे। यहां उनकी आर्थिक प्रस्थिति सम्यक दृष्टि गोचर नहीं होती।

♣♣♣

अध्याय-7

महिला कर्मचारियों की राजनैतिक व स्वास्थ्य स्थिति

अध्याय -7

महिला कर्मचारियों की राजनैतिक व स्वास्थ्य स्थिति

महिलाओं की राजनैतिक प्रस्थिति किसी राष्ट्र में उसकी राजनैतिक सहभागिता की स्वतंत्रता के स्तर से परिलक्षित होती है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार महिलाओं को राजनैतिक समानता का आस्वासन प्रदान किया गया है वह भी सारभौमिक रूप से तथा युवा मताधिकार के रूप में। एक क्रांतिकारी कदम, परम्परागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए। यह प्रयास राजनैतिक उद्विकास के लिए एक बड़ा ही था। राजनैतिक समानता में प्रारम्भ से ही उन्हें वोट देने का अधिकार अत्याधिक उत्तम था।

इस क्रांतिकारी कदम की जड़ें उस प्रक्रिया में विद्यमान थी जिनमें एकीकृत होकर महिलाओं के विकास के लिए प्रयास किए गये थे तथा 19 वीं शताब्दी के सुधारवादी आन्दोलन में जो शक्तिया कार्य कर रही थी। प्रारम्भ में यह आन्दोलन अभिजात पहुँच के माध्यम से किए गये जिसमें महिला शिक्षा की दिशा में प्रयास करने की स्वीकृति बनी। इसके द्वारा महिला की घरेलू प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ा। इस काल में महिलाओं को घर की सम्पत्ति में अधिकार दिए गये, विधवा पुर्नविवाह के हेतु उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ तथा वाल विवाह का उन्मूलन किया गया आदि। 20 वीं शताब्दी में कुल प्रगति का दर्शन होने लगा, महिला शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे उनकी जागरूकता में वृद्धि हुयी। इसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा सामाजिक संगठनों को खड़े होने में दिखाई दी जैसे-अखिल भारतीय महिला संघ तथा राष्ट्रीय महिला परिषद आदि। वर्ष 1917 में श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में विट्रिस संसद में महिला फ्रेंचायज को प्रस्तुत किया गया।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिला के मताधिकार का विशिष्ट रूप से समर्थन आत्मसात हुआ जिसने महिलाओं की योग्यता तथा क्षमता की प्रसंशा की विशेषकर 'सत्याग्रह' तथा सामाजिक पुर्नस्थापन के क्षेत्र में वह भी पुरूषों की तुलना में अधिक। इस घटना ने, अन्य क्षेत्र की महिलाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। जैसाकि आधुनिक युग को राजनैतिक समानता के लिए, तथा स्वयं मताधिकार का प्रयोग, सरकारी भारत अधिनियम 1935 ने भारत में फ्रें विशेषाधिकार ने भारतीयों को औसतन स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को दिया विशेषकर शिक्षा तथा सम्पत्ति की दशाओं में।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ, भारतीय महिलाओं को पुरूषों के बराबर समानता प्राप्त हुई। कुछ भी हो, यह आम रूप से कहा जाता है कि भारत में अधिकांश भाग गरीबी तथा अशिक्षा का है, सामाजिक प्रस्थिति देश में जाजि के सोपान पर निर्भर करती है और महिलाओं को पुरूषों की तुलना में शारीरिक, मानसिक तथा वौद्धिक रूप से निम्न स्तर का माना जाता है; इसलिए उनके लिए राजनैतिक समानता मूल्यहीन हैं। इस प्रकार का तर्क उस तथ्य की अवहेलना करता है जिसमें समान कानून तथा राजनैतिक अधिकार समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रारम्भ से जुडे हुए है विशेषकर महिलाओं को अवसर प्रदान करने में, जो सामाजिक न्याय दिलाने तथा शोषण मुक्त करता है।

राजनैतिक क्रिया-कलापों में, जो देश में किए जाते हैं, महिलाओं की सहभागिता में संविधान द्वारा प्रदत्त उन्हें अधिकारों ने प्रगति की है। यद्यपि जो महिलाए उच्च पदों पर आसीन हुई हैं वह भी उच्चतम नहीं है जबकि उनकी योग्यता तथा क्षमता प्रशाषनिक संगठनों में पहिचानी गई है तथा साथ ही स्वीकार की गई हैं। वर्ष 1952 से महिलाऐं केन्द्रीय मंत्रमंडलों में मंत्री तथा प्रधान मंत्री भी बनी। राज्य सभा की अध्यक्षा भी रही, वे राज्यपाल भी बनी, राज्यों की मुख्य मंत्री भी बनी तथा

लोक सभा की अध्यक्ष एवं उपाध्या भी बनी। विधायका में अपने औसतन संख्या में, आज महिलाए राजनैतिक दलों के उच्च पदों पर पदाशीन है।

सामान्यतः कहने में, महिला विधायकों ने पुरूषों की तुलना में बेहतर भूमिका निभाई, उनकी राजनैतिक क्षेत्र में वृद्धि हुई परन्तु राजनैतिक निर्णयों में उनकी भूमिका कम ही रही। ऐसा सम्भवतः इसलिए कि राजनैतिक रूप से वे कम परिपक्त होती है। फिर भी उनके द्वारा महिलाओं की असमानता सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की पहुँच तेज विसंगतियां दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार उनका जनसंख्या में बराबर संख्या होने पर भी भारतीय महिलाऐं एक लघु समुदाय ही हैं तीन प्रसंगों में - (1) वर्ग आधारित आर्थिक संरचना में असमानता, (2) प्रस्थिति की असमानता उनकी विचित्र सामाजिक स्थिति के कारण जैसी कि (3) राजनैतिक शक्ति की असमानता। यह व्यवहार के मूल्यों में (परम्परागत मामलों में) और नयी सामाजिक व्यवस्था जो संविधान में उल्लेखित है, आज भी उनमें आवश्यकता कि उन्हें हल किया जाय।

भारत में, सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना महिला अधिकारों के बारे में, समान राजनैतिक अधिकारों की है जिनको सरोजनी नायडू के जत्थों द्वारा प्रकाश में लाया गया था वर्ष 1917 में विट्रिस संसद के अधिवेशन में। इस प्रकार राजनैतिक सहभागिता को नागरिकता वृद्धि प्रक्रिया के रूप में माना गया। आज केन्द्रीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता की भूमिका किस प्रकार हो उनके परम्परागत भूमिकाओं में, परिवार में, रिस्तेदारियों में और किस सीमा तक उनकी भूमिकाऐं राजनैतिक व्यवस्था में कानून बनाई जाये क्योंकि राजनैतिक सहभागिता मात्र महिलाओं द्वारा वोट डालने में नहीं है, वोट डालने के अलावा अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिनमें उन्हें सहभागिता करनी होगी, यथा- राजनैतिक दलों की सदस्या वृद्धि के लिए अभियान चलाना, निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग लेना, रेलियों

का नियोजन संगठन तथा क्रियान्वयन, अधिकारियों तथा नेताओं से सम्पर्क करना विशेषकर समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तथा वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी सम्पर्क करना, आवश्यक होता है । उपरोक्त सभी कार्य राजनैतिक सहभागिता के लिए अनिवार्य होते हैं।

एक सारणी के अनुसार, राजनैतिक सहभागिता की रचना तीन तत्वों से होती है (अ) वोट डालना, (ब) राजनैतिक सूचनाऐं तथा (स) राननैतिक उन्मादता व रूचि। राजनैतिक घटनाओं की सूचनाऐं वोट से सम्बन्धित होती हैं उनके बीच जो वोट डालते हैं। समाज में एक तवका राजनैतिक घटनाओं से जागरूक होता है, यह वर्ष 1971 तथा 1980 में किए गये अध्ययनों से विदित होता है। राजनैतिक जुड़ाव, मनोवैज्ञानिक भावनाओं, रूचियों जिनसे प्रेरित होकर जन राजनीति में भाग लेते है से सम्बन्धित होता है । निर्वाचन पांच प्रकार का होता है-(1) नोन वोटरस (2) अप्रत्यक्ष वोटरस, (3) सूचित वोटरस, (4) दल से जुड़े वोटरस तथा (5) प्रत्यक्ष वोटरस/सहभागी। जो बिना सूचना के तथा जुड़ाव के वोट डालते हैं वे अप्रत्यक्ष वोटर होते हैं जबकि प्रत्यक्ष वोटर वे होते हैं जो सूचित तथा अधिक अनुरागी होते हैं। सूचित सहभागी जो ज्ञान के आधार पर, जबकि जुड़े वोटर, रूचि रखने वाले न कि सूचित। महिलाओं की राजनैतिकी प्रस्थिति में वृद्धि प्रत्यक्ष, जागरूक एवं रूचि लेने से ही प्रौन्नति होती है । प्राय देखा गया है कि पुरूष एवं महिला के निम्न सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताए राजनैतिक सहभागिता को निश्चित करते है-(1) आयु, (2) शिक्षा, (3) परिवार की आय, (4) जाति, (5) धर्म, (6) व्यवसाय, (7) भूमिदारी तथा (8) नगर दृष्टिकोण।

तालिका-अ

उत्तर प्रदेश के प्रशाषन एवं राजनीति में महिला की प्रस्थिति का विवरण

क्र.	महिला प्रस्थितियाँ	उत्तर प्रदेश		प्रतिशत
		महिला	पुरूष	
1.	केन्द्रीय मंत्रालय	01	29	3.45
2.	राज्य मंत्री	06	33	15.38
3.	भारतीय प्रशाषनिक सेवाएं	51	484	10.53
4.	भारतीय पुलिस सेवा	10	381	26.24
5.	सांसद	44	495	8.88
6.	राज्य विधान सभा	20	404	4.95
7.	पंचायती राज्य	299025	-	38.8
8.	जिला पंचायत	1122	-	41.6
9.	न्यायधीश उच्चन्यायलय में	04	77	41.6

प्रस्तुत शोध अध्याय के प्रथम भाग में महिलाओं की राजनैतिक प्रस्थिति की समीक्षा जो शोध क्षेत्र में थी उसको प्रस्तुत निम्न तालिकाओं, उनके विश्लेषण तथा विवेचनाओं द्वारा की गई है-

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाता का वोटर लिस्ट में नाम होने के बारे में प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 35-अ-1

उत्तरदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम का पंजीकरण विवरण

क्र.	वोटर स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	237	79.00%
2.	नहीं	63	21.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 237 सर्वाधिक (79.00%) उत्तरदाताओं का नाम निर्वाचनवली में अंकित था और वे मतदान में सहभागी बनती थी। 63 उत्तरदाता (21.00%) ऐसे थे जिनका नाम निर्वाचनवली में अंकित नहीं था जिसके कारण वे वोट नहीं डाल पाये। वोटर लिस्ट से कटवा दिया। फिर भी उत्तरदाताओं की प्रस्थिति को सन्तुष्ट पूर्ण ही कहा जायेगा।

तालिका संख्या- 36-अ-2

श्रम संगठनों के उत्तरदाताओं निर्वाचन अभियान में सहभागिता की प्रकृति का विवरण

क्र.	सहभागिता की प्रकृति	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हमेशा	212	70.67%
2.	कभी-कभी	29	9.66%
3.	नहीं	59	19.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 212 सर्वाधिक उत्तरदाता (70.67%) श्रम संगठनों का निर्वाचन अभिदान में सहभागिता करते थे, 29

उत्तरदाता (09.66%) निर्वाचन अभियान में 'कभी-कभी' तथा 59 उत्तरदाता (1967%) निर्वाचन अभियान में 'नहीं' सहभागिता करते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाता की श्रम संगठनों की गतिशीलता अधिक थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं का दलवार वोट डालने के रुझान पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 37-अ-3

उत्तरदाताओं का दलवार वोट डालने के रुझान का विवरण

क्र.	दल के प्रति रुझान	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	भा.जा.पा.	63	21.00%
2.	बा.सा.पा.	151	50.33%
3.	स.पा.	66	22.00%
4.	कॉंग्रेस	20	6.67%
5.	अन्य	-	-
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 151 सर्वाधिक (50.33%) उत्तरदाताओं ने वोट डालने के अपने रुझान को बहुजन समाज पार्टी की ओर अभिव्यक्त किया, दूसरे स्थान पर 66 उत्तरदाताओं (22.00%) का रुझान समाजवादी पार्टी, तृतीय स्थान पर 63 उत्तरदाताओं (21.00%) का रुझान भारतीय जनता पार्टी तथा 20 उत्तरदाताओं (6.67%) ने कांग्रेस को वोट डालने का अपना रुझान बताया।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं का राजनैतिक दल की सदस्यता होने पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 38-अ-4

उत्तरदाताओं का किसी राजनैतिक दल की सदस्यता का विवरण

क्र.	सदस्यता	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	271	90.33%
2.	नहीं	29	9.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 271 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (90.33%) ने बताया कि वे राजनैतिक दलों से समर्पित श्रम संगठनों के थे। परन्तु 29 उत्तरदाता (9.67%) राजनैतिक दलों से समर्पित श्रम संगठनों के सदस्य नहीं थे।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा किये जाने वाले सामुदायिक नेतृत्व पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 39-अ-5

उत्तरदाताओं की सामुदायिक नेतृत्व करने सम्बन्धी विवरण

क्र.	नेतागिरी	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	117	39.00%
2.	नहीं	183	61.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 183 सर्वाधिक 183 उत्तरदाता (61.00%) सामुदायिक नेतृत्व नहीं करते थे। 117 उत्तरदाता (39.00%) ने स्वीकार किया कि वे सामुदायिक नेतृत्व जब आवश्यकता पड़ती है तब नेतागिरी करते है।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की राजनैतिक प्रस्थिति सामान्य थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा किसी राजनैतिक दल से जुड़ने हेतु प्रेरणा पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 40-अ-6

उत्तरदाताओं द्वारा किसी श्रम संगठन से जुड़ने हेतु प्रेरणा का विवरण

क्र.	दल में जोड़ने के प्रेरक	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हमेशा	37	12.33%
2.	कभी-कभी	63	21.00%
3.	नहीं	200	66.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 200 सर्वाधिक (66.67%) उत्तरदाता किसी को किसी विशेष श्रम संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरणा कार्य नहीं करते थे। 63 उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने (21.00%) ने किसी विशेष श्रम संगठन से जुड़ने की प्रेरणा की थी, 37 उत्तरदाता ऐसे थे जो किसी को किसी भी श्रम संगठन से जुड़ने की प्रेरणा नहीं की।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा वोट डालने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 41-अ-7

उत्तरदाताओं को वोट देने के प्रेरको समबन्धी विवरण

क्र.	वोट प्रेरक	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	पति के	46	15.33%
2.	मित्र के	224	74.67%
3.	स्वयं पसन्द के	30	10.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 224 सर्वाधिक (74.67%) उत्तरदाता वोट डालने के लिए अपने मित्रों से पूंछते थे या वे उस श्रम संगठन का अपना अमूल्य वोट उसे प्रदान करते थे जिसके बारे में उनके मित्र चाहते थे। 46 उत्तरदाता अपने पति के अनुसार वोट डालते थे तथा 30 उत्तरदाता (10.00%) ही ऐसे थे जो स्वयं पसन्द उम्मीदवार को वोट डालते थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाता की श्रम संगठनों में प्रस्थिति स्वतंत्र नहीं थी। क्योंकि वे 90% या तो मित्रों या पति की प्रेरणा से वोट डालते थे न कि स्वयं के चयन से।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा जनता समस्या समाधान हेतु आने की प्रकृति पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 42-अ-8

उत्तरदाताओं के पास महिला कर्मचारियों की समस्या समाधान हेतु आने की प्रकृति का विवरण

क्र.	समस्या हल	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हमेशा	30	10.00%

ग्राफ सं. -3

उत्तरदाताओं को वोट देने के प्रेरकों समबन्धी विवरण

2.	कभी-कभी	59	19.67%
3.	नहीं	211	70.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 211 सर्वाधिक (70.33%) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास विभागीय समस्या समाधान करने हेतु कोई नहीं आता था। 59 उत्तरदाता (19.67%) ने बताया कि विभाग के लोग 'कभी-कभी' समस्या हल के लिए उनके पास आते-जाते थे तथा 30 उत्तरदाता ने बताया कि उनके पास (10.00%) कर्मचारी महिलाएं समस्या हल के लिए आती थी।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं का विभागीय समस्या समाधान हेतु आने वालों की प्रकृति नगण्य ही थी।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा कर्मचारी कल्याण समितियों के चुनाव लड़ने पर प्रकाश डालती हैं :-

तालिका संख्या- 43-अ-9

उत्तरदाताओं द्वारा समिति/संस्था का चुनाव लड़ने सम्बन्धी का विवरण

क्र.	समिति/संस्था का चुनाव	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	27	9.00%
2.	नहीं	273	91.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 273 सर्वाधिक (91.00%) उत्तरदाताओं ने कभी-कभी समिति का पदाधिकारी बनने के लिए कोई चुनाव नहीं

लड़ा। 27 उत्तरदाता (9.00%) ऐसे थे जिन्होंने अपने सेवा काल में सरकारी कल्याण समितियों के संगठनात्मक प्रबन्धन में चुनाव लडा।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में राजनैतिक चेतना का अभाव था।

(ब) स्वास्थ्य प्रस्थिति :-

भारतीय नियोजकों ने सदैव स्वास्थ्य को महिला विकास का क्षेत्र स्वीकार किया है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस बात की आवश्यकता की पहिचान की, कि महिलाओं को समुचित कल्याणकारी सेवाऐं प्रदान की जाय ताकि वे इस योग्य हो कि विधिय अपनी भूमिका को परिवार तथा समुदाय में निभा सके और अधिक शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को पहिचाने और उसे मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रविधानों से कम कर सके तथा परिवार नियोजन अपनाए।

महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति पर तमाम पंच बर्षीय योजनाओं पुर्नविचार किया गया। बहुत से सतत स्वास्थ्य समस्याए जो महिलाओं की निम्न स्वास्थ्य प्रस्थिति से सम्बन्धित है उनकी पहिचान की गई ताकि समस्या समाधान में उन्हें प्राथमिकताऐं प्रदान की जा सके। वे प्राथमिकताऐं मुख्य रूप से निम्न प्रकार थी :-

1. कुपोषण - जिनका कारण उनकी गरीबी, अधिक कार्य तथा बार-बार प्रसव धारण करने से होता है, उसकी निर्भरता, कम शिक्षा स्तर तथा सामाजिक प्रस्थिति के लिये निर्णायक परिणाम होते हैं
2. स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख में उच्चतम लिंग भेद, आज भी, सेवाऐं उपलब्ध होने पर, किया जाना,
3. असमुचित प्राथमिक देखभाल तथा बचाव की सेवाऐं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, किया जाना,
4. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का असमुचित विकास तथा

5. ग्रामीण आंचलों में कम मातृत्व स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या।

मुख्य जनसंख्यात्मक स्वरूप जिसे महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर के संकेतों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वे हैं- जनसंख्या में लिंग अनुपात, जीवन प्रत्याशादर, मृत्युदर, प्रजननदर, शिशु मृत्यु दर महिला मृत्यु दर तथा रोग दर। इन सबका विश्लेषण महिला के आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता, साक्षरता, शिक्षा, पोषण तथा प्रजनन से सम्बन्धित है।

महिला विकास, जो वर्ष 1980 में प्रथम बार देश में प्रगट हुआ, उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य विकास में निम्न कर्मियों की पहिचान की गई :-

1. बार-बार महिलाओं द्वारा गर्भधारण करना,
2. शारीरिक काम का बोझा,
3. शिक्षा का अभाव तथा
4. आर्थिक स्थिति में निर्भरता।

इसके लिए, महिला स्वास्थ्य स्थिति सुधार के लिए त्रिमार्गीय रणनीति तय की गई :-

1. आर्थिक आत्मनिर्भरता में प्रौन्नति,
2. शिक्षा तथा
3. परिवार नियोजन। इस त्रिमार्गी रणनीति के द्वारा यह आशा की गई कि इनके द्वारा नकारात्मक जनांककीय नकारात्मक लक्षणों को, अधिक शिशु मृत्यु दर को गिरते लिंग अनुपात को, शिक्षा के महिलाओं में निम्न स्तर को, कम किया जा सकेगा।

इसके तुरन्त बाद महिला स्वास्थ्य प्रस्थिति प्रौन्नति के लिए बुचारेस्ट सम्मेलन में एक सारभौमिक नीति निर्धारित की गई जनसंख्या समस्या को हल

करने हेतु नीति अनुसार, बाल विवाह अधिनियम 1978 में विवाह की आयु 18 वर्ष लड़की तथा 21 वर्ष लड़के की निश्चित की गई, जुनियर हाई स्कूल में जनसंख्या शिक्षा प्रदान करने हेतु बजट का आवन्टन किया गया, राज्यों से संसद के लिए महिलाओं को निर्वाचन में राजनैतिक दलों द्वारा टिकट देना, गर्भ समापन सेवाएं अधिनियम 1971, गर्भ निरोध को गर्भो की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने हेतु संसाधनों में विस्तार करना शामिल था।

इस शोध प्रबन्ध के इस अध्याय के भाग (ब) में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा हेतु उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र की गई जिन को निम्न तालिकाओं में रखकर, विश्लेषण करके विवेचन किया गया है जो निम्नलिखित है-

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा प्रसव कराने के स्थानों पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 44-अ-10

उत्तरदाताओं द्वारा प्रसव कराने के स्थान सम्बन्धी का विवरण

क्र.	प्रसव स्थान	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	घर पर	75	25.00%
2.	चिकित्सालय	191	63.67%
3.	नर्सिग होम	34	11.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 191 सर्वाधिक उत्तरदाता (63. 67%) अपना प्रसव चिकित्सालय में कराते थे, 34 उत्तरदाता (11.33%) नरसिंग

होम में तथा 75 उत्तरदाता (25.00%) ऐसे थे जिसके प्रसव घर पर सम्पन्न कराये गये थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य प्रस्थिति बहुत उत्तम थीं।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं द्वारा परिवार नियोजन की विधियों के प्रयोग पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 45-अ-11

उत्तरदाताओं का परिवार नियोजन विधि प्रयोग सम्बन्धी विवरण

क्र.	परिवार नियोजन विधि	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	नसबन्दी	71	23.67%
2.	लूप	59	19.67%
3.	कन्डोम/गोली	60	20.00%
4.	कोई नहीं	110	36.66%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 110 सर्वाधिक उत्तरदाता (36.66%) परिवार नियोजन की कोई विधि का प्रयोग नहीं कर रहे थे। परन्तु 190 उत्तरदाता (63.34%) उत्तरदाता परिवर नियोजन की विधियाँ - 71 उत्तरदाता (23.67%) नसबन्दी करा चुके थे, 60 उत्तरदाता (20.00%) कन्डोम/खाने वाली ओरल पिल्स का प्रयोग कर रहे थे, 59 उत्तरदाता (19.67%) लूप/कापर टी लगवाये हुए थे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का अधिग्रहण उत्तरदाताओं में अच्छा था।

अग्रलिखित तालिका उत्तरदाताओं की अवधि में टेटनस से बचाव के होने वाले टीकारण पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- 46-अ-12

उत्तरदाताओं द्वारा टेटनस के विरूद्ध टीकारण का विवरण

क्र.	टेटनस टीकाकरण	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	277	92.33%
2.	नहीं	23	7.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 277 सर्वाधिक (92.33%) ने बताया कि उन्होंने गर्भावस्था की अवधि में टेटनस से बचाव के लिए टीकाकरण कराया था, 23 उत्तरदाताओं (7.67%) ने टेटनस के बचाव हेतु टीका नहीं लगवाया था। ये वे उत्तरदाता थे जिनके प्रसव घर पर कराये गये थे। सब मिलाकर उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी ही थी।

अध्याय-8

महिला कर्मचारियों की प्रस्थिति से जुड़े मुद्दे

अध्याय -8

महिला कर्मचारियों की प्रस्थिति से जुड़े मुद्दे

मुद्दे वे जन विषय हैं जिनका पूरे समाज पर या समाज की बड़ी संख्या पर प्रभाव पड़ता है । राव और सेल्जानिक (1959:32) का कहना है कि सामाजिक मुद्दा, "मानव सम्बन्धों की वह समस्या है जो समूह को संकट में डालती है या कई लोगों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को प्राप्त करने में रूकावट पैदा करती है।" हर्वर्ट बलूमर (1971:19) लिखते हैं कि, "सामाजिक मुद्दों में वे कार्य और व्यवहार के संरूप आते हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग समाज के प्रति घातक मानते है या सामाजिक प्रतिमानों का उल्लेख समझ है और जिन्हें सुधारना वे सम्भव और वांक्षनीय मानते है । कलेरेन्स मार्सल (1976:310) ने कहा है कि, "सामाजिक मुद्दा एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जो समाज के सुयोग्य पर्यवेक्षकों की बड़ी संख्या का अपनी ओर आकर्षित करती है और उनसे अनुरोध करती है कि वे उसका पुर्न व्यवस्थापन करे या किसी न किसी प्रकार की सामाजिक कार्यवाही से उसे ठीक करे ।" हार्टन और लेस्ले (1970:4) बताते है कि सामाजिक मुद्दा एक स्थिति है जो व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को ऐसे तरीको से प्रभावित करती है जो अवांक्षनीय समझ जाये और यह सोचा जाता है कि सामूहिक सामाजिक क्रिया के द्वारा उसके बारे में कुछ किया जा सकता है ।" फुलर और मैयर्स (1941:320) ने सामाजिक मुद्दा की परिभाषा देते हुए कहा है कि, "यह वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदड़ों से विचलन मानती है ।" रेनहार्ट (1952:14) ने मुद्दा को यह कह कर प्रभावित होता है कि वह "स्थिति है जिससे समाज का एक खण्ड प्रभावित होता है और जिसके ऐसे हानिकारक परिणाम हो सकते है जिनका सामूहिक रूप से समाधान सम्भव है ।"

एक समाजशास्त्री का लक्ष्य यह जानना होता है कि समाज की संरचनाओं के कार्य निर्वाह में ये मुद्दे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। वह (समाजशास्त्री) समाज में आपसी सम्बन्धों के विभिन्न स्वरूपों की कार्य प्रणाली का तथा लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, का अध्ययन करता है। वह इन मुद्दों के समाधान के लिए यह देखता है कि सामाजिक संरचनाओं का किस प्रकार पुर्नगठन हो सकता है एवम् सामाजिक व्यवस्थाओं की किस प्रकार पुनः रचना हो सकती है। सिद्धांत को प्रयोग से जोड़ने के फलस्वरूप मुद्दे के समाधान के लिए उसे एक वैज्ञानिक प्रिप्रेक्ष्य मिल जाता है।

वेनवर्ग (1960:4) ने मुद्दों को समझने के लिए उनकी छः विशेषताऐं बताते हुए उनका उल्लेख किया हैं -(1) सामाजिक मुद्दे वे हैं जिन्हें समाज के कई सदस्य आपत्तिजनक मानते हैं तथा उन पर वाद-विवाद करते हैं, उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं और उसे नियंत्रण में रखने के लिए किसी सुधार कार्य की रूप रेखा बनाते है तो उसे सामाजिक मुद्दे का दर्जा प्राप्त हो जाता है। (2) सामाजिक मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दशकों पूर्व महिला रोजगार को सामाजिक मान-मर्यादा से जोड़कर देखा जाता। और लोग महिलाओं को रोजगार नहीं करने देते थे। आज महिला रोजगार के लिए आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। (3) सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र और महत्ता के बारे जागरूकता उत्पन्न करने में जन संचार माध्यम- अखवार, दूरदर्शन, रेडियों, पत्रिकाऐं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, (4) मुद्दे समाज के मूल्यों और संस्थाओं के सन्दर्भ में देखे जाने चाहिए, उदाहरणार्थ अमेरिका में प्रजातीय प्रतिद्वन्दु की समस्या भारत की छुआछूत के मुद्दे से भिन्न है, (5) सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण उन पर सामूहिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक सम्बन्धों से पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए

तथा (6) सामाजिक मुद्दे एतिहास के साथ बदलते रहते हैं । इसलिए महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दे पूर्व से समकालीन मुद्दों से भिन्न है।''

इसके अलावा सामाजिक मुद्दों में निम्न प्रकार विशेषताएँ पाई जाती है -

1. सामाजिक मुद्दे 3आदर्श स्थिति से विचलन है, (2) इनकी उत्पत्ति का कोई समान आधार नहीं होता, (3) इनके मूल में समाज होता है, (4) ये अर्न्त संबन्धित होते हैं, (5) सभी सामाजिक मुद्दों के परिणाम सामाजिक होते हैं यानि वे समाज के सभी खण्डों पर प्रभाव डालते हैं तथा (6) इनका दायित्व सामाजिक है तथा इनके निवारण के लिए एक सामूहिक उपागम की आवश्यकता होती है । फुलर और मैयर्स (1941:320-28) ने महिला कर्मचारियों सम्बन्धी मुद्दे के विकास में तीन चरणों का उल्लेख किया है जिनसे होकर मुद्दे पारिभाषित होने और उनके निवारण होने की प्रक्रिया से गुजरते हैं :-

1. जागरूकता : प्रथम चरण मे, व्यक्तियों को विश्वास हो जाता है कि मुद्दा विद्यमान है, स्थिति अवाक्षनीय है और इसके निवारण के लिए कुछ किया जा सकता है। प्रारम्भ में कुछ ही लोग प्रश्न उठाते हैं परन्तु शनैः-शनै और लोग भी मुद्दों के बारे में जान जाते है।

2. नीति निर्धारण : समाज के बड़े भागों को जैसे-जैसे मुद्दो की जानकारी प्राप्त होती है वैसे-वैसे उसके सम्भव समाधनों पर वहस छिड़ जाती है, जैसे भारत में महिला अपराध और विवाह अधिनियम-1978, विवाह विघटन अधिनियम, दत्तक पुत्र भरण पोषण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भ समापन अधिनियम-1971, तथा कारखाना अधिनियम-1948 में पारित महिला पुलिस, थाने तथा आपत्ति संचार कोष्ठ का प्राविधान । इस प्रकार दूसरे चरण में क्या करना चाहिए की अपेक्षा इसे कैसे करना चाहिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

3. सुधार : समाधानों एवं नीतियों को जैसे ही निर्धारण हो जाता है, कार्यवाही करने का चरण का चरण आ जाता है। उदाहरण के लिए महिला कर्मचारियों की कार्य स्थान तथा कार्य दशाओं में सुरक्षात्मक कदम उठाना। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इस चरण को कार्यान्वित की स्थिति कहते हैं, ना कि निर्णय लेने का चरण।

रेनहार्ट (1952:12) ने सामाजिक मुद्दों के विकास में तीन तत्वों का उल्लेख निम्न वाक्यों में किया है- (1) स्वार्थों और क्रियाओं विभेदीकरण और गुणन अर्थात एक मशीन या जीवित प्राणी में जितने अधिक भाग होते हैं उनबी ही अधिक उसके भागों में असन्तुलन की सम्भावनाऐं होती है, मानव समाजों पर लागू होता है जहाँ विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों संस्थाओं और व्यवस्था के स्वार्थो में टकराव के अवसर अधिक होते हैं। अस्पृश्यता, सामप्रदायिक दंगे तथा राजनैतिक अपराध ऐसे ही मुद्दे है जो विभिन्न जातियों और वर्गो के स्वार्थो के संघर्ष में उत्पन्न होते हैं। (2) सामाजिक परिवर्तन और सभ्यता के विकास की आवृत्ति को त्वरित करना- ऐसा वैज्ञानिक नवाचारों के बाहुल्य से सम्भव हुआ हैं। जैसे नवाचारों से रोजगार के कई पुराने ढांचों को समाप्त कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को प्रवास करना पड़ा और इससे विभिन्न वर्गो में संघर्ष उत्पन हुए। इस प्रकार क्रांतिकारी आविष्कारों से उत्पन्न हुए संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक कुसमायोजन कई सामाजिक मुद्दों को जन्म देते है। (3) वैज्ञानिक विश्लेषण करने की मानव की अर्न्तदृष्टि - जब से मानव ने प्रकृति की गति विधि का अध्ययन करने के लिए सामाजिक अर्न्तदृष्टि विकसित की है उसके फलस्वरूप वे विषय जो पहले साधारण समझे जाते थे, अब कई प्रकार की उन प्राकृतिक स्थितियों के कारण वस आवश्यक समझे जाते है जो मानव और समाज को प्रभावित करते हैं।

राम आहूजा (2002:238): ''आजकल शायद ही कोई विषय सामाजिक विज्ञानों में शोध कर्ताओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, योजना दलों और सुधारकों

का इतना आकृष्ट करता हो जितना कि महिलाओं की समस्याऐं । महिला समस्याओं के अध्ययन के उपागम जरा विज्ञान (वृद्ध होने की प्रक्रियाओं का अध्ययन) के अध्ययन से लेकर मनोयोग विज्ञान और अपराध विज्ञान तक होते है। परन्तु महिलाओं से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण समस्या जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता और जिससे अक्सर बचा गया है वह है महिला के प्रति दुर्व्यवहार की समस्या।''

अब हम निम्न पक्तियों में महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डालेगें।

1. बलात्कार : यद्यपि बलात्कार की समस्या सभी देशों में गम्भीर मानी जाती है फिर भी सांख्यकीय रूप में भारत में यह काम-काजी महिलाओं के साथ घरेलू महिलाओं की तुलना कम नहीं होता। अमेरिका में बलात्कार के अपराधी की प्रति लाख प्रति वर्ष दर लगभग 26 है, कनाडा में यह लगभग 8 है और इग्लैंण्ड में यह प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 5.5 है। यदि देश में 1996 और 1998 के बीच हुए बलात्कार के मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक चार घन्टों में सात बलात्कार होते हे या प्रतिवर्ष 15,000 मामले होते है। क्राइम इन इन्डिया (1998:156) रिपोर्ट के अनुसार, ''केन्द्रीय सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध- प्रत्येक 40 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है इस गणित से एक माह में 1275 तथा एक वर्ष में 15,300 बलात्कार होते है जिसमें महिला कर्मचारियों के साथ 464 अर्थात 33 प्रतिशत। इस में मध्यम वर्ग की महिला मरीजों के साथ मालिकों द्वारा, केदी महिलाओं के साथ जेल अधिकारियों, अपराध संदिग्ध महिलाओं के साथ पुलिस अधिकारियों महिला मरीजों के साथ अस्पताल कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी महिलाओं के साथ ठेकेदारों और विचौलियों द्वारा।

2. पारिवारिक हिंसा : यह अनुमान ही था कि रोजगार प्राप्ति के बाद महिला कर्मचारी की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में परिवर्तन आता है तथा आयोग परन्तु महिला कर्मचारियों के साथ भी दहेज का भूत चिपटा रहता है। रोजगार लड़की की शादी में पिता को दहेज देना पड़ता है

3. पत्नी को पीटना : भारत में पत्नी चाहे वह महिला कर्मचारी हो या ग्रहणी विवाह के सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। विवाह महिला की सामाजिक प्रस्थिति में प्रौन्नति का कारक होता है। पति जिसके लिए वह समझा जाता है कि वह पत्नी से प्रेम करेगा उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे वह पीटता है वह भी अपने पति द्वारा जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती है। पीटने में चाटे मारना, लात मारना, हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश करना। भारतीय संस्कृति में हम विरले ही पत्नी द्वारा पुलिस के पीटने के मामले की शिकायत करने की बात सुनते है। वह मौन रहकर अपमान सहती है और उसे वह अपना भाग्य मानती है। यदि वह विरोध करना चाहती है तो वह नहीं कर सकती क्योंकि उसे डर होता है कि उसके अपने माता-पिता विवाह के बाद उसे अपने घर पर स्थाई रूप से रखने को मना कर देगें।

4. महिला से छेड़-छाड़ : महिला कर्मचारियों की छेड़-छाड़ का मामला स्कूली/कॉलेजी लड़कियों से कम नहीं होता। महिला के साथ कार्मिक महिला से उनके कार्य दशाओं में, प्रशिक्षण हेतु बाहर जाने में, सोपानों में चढ़ते समय, एकांत पाकर उनके साथ, सीटी बजाकर, अश्लील गाने गाकर, हाथों, आंखों के संकेत करके तथा अन्योक्ति का प्रयोग कर उनके साथ छेड़कानी बदन छूकर, कन्धे पर हाथ रखकर, नितम्बों में चुटकी लेकर करते देखे-सुने जाते हैं। जिसकी महिला कर्मचारी शिकायत न घर जाकर न कार्यालयाध्यक्ष से करती है क्योंकि उसे अपनी सामाजिक प्रस्थिति के क्षय होने का भय होता है।

5. उत्पीड़न : महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न करना कोई नवीन नहीं है। भारतीय समाज में महिलाऐं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है। जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है। आज शनै-शनै महिलाओं पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थ पूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है, परन्तु विचार धारणाओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी पनप रहे है। स्वाधीनता के पश्चात हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों में महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुयी आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद लाखों महिलाऐं अब ही उत्पीड़न की शिकार है जिनको जला दिया जाता है, पीटा जाता है, अपहरण किया जाता है तथा उनकी हत्या कर दी जाती है।

6. महिला कर्मचारियों के प्रति विद्वेष : महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रतिवेदन मामालों में कुछ ऐसे है जिनमें आक्रमणकारी किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं होते और वे उनके विरूद्ध बड़ी क्रूरता से विद्वेष पूर्ण कार्य करने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनमें से कुछ में महिलाओं के प्रति घृणा एवं द्वेष की भावनाऐं इतनी गहरी गड़ी है कि उनके हिंसापूर्ण कार्य का मूल उद्देश्य महिलाओं को अपमानित करने के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। विद्वेष की भावना को कार्यालय की परिस्थिति में जिन सीटों पर महिलाऐं बैठती है उन सीटों को ढेड-मेड़ा रख देना, उनके पैरों के नीचे पटाखे रख देना, मरी छपकली, रख देना। उनकी फाइलों का तितर-बितर कर देना, उनके नाम गलत पत्र भेज देना, अफसर से अक्सर उनकी कमियों की मौखिक शिकायत करना, उनकी प्रौन्नति में बांधा डालना, उनके बारे में अपमान करने हेतु अर्नगल बार्ताऐं करना, उन्हें देख रिमार्क पास करना, उनके

देयकों के भुगतान में विलम्ब करना आदि। फिर यदि परिस्थिति ही केवल प्रेरणा का कारक होती तो यह समझना कठिन हो जाता कि जब अधिकांश अपराधी सामान्य व्यक्ति समझे जाते है तो वे हिंसक कार्य करने को क्यों बाध्य होते है ? कदाचित ऐसे प्रकरणों में महिला को अपमानित करने व तंग करने से जो खुशी की अनुभूति होती है उसे प्राप्त करने की इच्छा उनमें अधिक प्रबल होती है।

महिला कर्मचारियों के मुद्दों पर प्रतिक्रियाऐं : वर्तमान में महिला समस्याओं के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न प्रतिक्रियाऐं होती है । ये भिन्नताऐं निम्नालिखित चार कारकों से समझाई जा सकती है :

1. उदासीनता का रूख : कई लोग किसी समस्या के प्रति यह सोचकर उदासीन रहते है कि उनको वह प्रभावित नहीं करती । कभी-कभी पारिवारिक तनाव और नौकरी के दवाब जैसी उनकी अपनी समस्याऐं उन्हें इतना व्यस्त रखती है कि दूसरों को प्रभावित करने वाली बातों में रूचि लेने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। वे उसी समय उत्तेजित होते है और समस्या में रूचि लेना प्रारम्भ करते हैं जब उनके स्वार्थ फसते हैं।
2. भाग्यवाद : कुछ लोग भाग्यवाद में इनता विश्वास करते हैं कि वे सब बातों के लिए भाग्य को उत्तरदाई मानते हैं । महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं को वे दुर्भाग्य और पिछले कार्यो का फल मानते हैं। इसलिए वे दुर्भाग्य को सदैव चुपचाप सहते रहते हैं और किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं।
3. निहित स्वार्थ : कुछ लोग महिला कर्मचारियों की समस्याओं में इस लिए रूचि नहीं लेते क्योंकि उनके रहते हुए उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। वे अपने स्वाथ्र से प्रेरित होकर समस्या को हल करने से परे बताते हैं और उसके निवारण के लिए प्रयत्न करने को समय का अपव्यय कहते हैं।

4. विशेषज्ञ ज्ञान का अभाव : कुछ लोग महिला कर्मचारियों की समस्याओं से चिन्तित होते हुए भी उनमें यह सोचकर रूचि नहीं लेते कि जब तक लोग अपनी मनोवृत्तियों और मूल्यों को नहीं बदलते तब तक उसका निवारण असम्भव है। परिवर्तन करने से पहले क्योंकि दृष्टिकोण परिवर्तन होना आवश्यक है, वे उस समस्या के हल की वैकल्पिक सम्भावनाओं को ढूढने के प्रति उदासीन रहते है।

सामाजिक मुद्दों के कारण :

सामाजिक परिवेश में पायेजाने वाले कारणों को अहूजा (2000) ने चार की संख्या में उल्लेख किया है -(1) सामाजिक व्यवस्थाओं में विरोधाभास, (2) आर्थिक व्यवस्थाओं में कार्यात्मक खराबियां, (3) धार्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन का अभाव तथा (4) राजनैतिक व्यवस्थाओं के दोषपूर्ण कार्य।

महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दों के कारण : यह आवश्यक होगा कि महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दों के कारणों की व्याख्या की जाये जो निम्नलिखित है :-

(अ) नशा : बलात्कार के मामलों में सहकर्मियों द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ बलात्कार उस समय किया जब उन्होंने इतनी शराब पी लेते है कि वे नशे और भावात्मक उत्तेजना की हालत में होते है। वे अपना आतमसंयम खो चुके होते है और उनके आक्रमण स्वप्न चित्र कामवासना से प्रगाड रूप से आपस में मिल जाते है जिन्होंने बाद में अनुत्तरदायी कार्यो का रूप धारण किया। मदिरा से सम्बन्धित यौन अपराध समय, स्थान और परिस्थितियों की अविवेचित उपेक्षा का उदाहरण देते है। हिल्बरमैन और मनसन (1978:46-771) ने इसे 93.0% प्रकरणों में पाया, बुल्फगैंग (1978) ने 67.0% प्रकरणों में, टिकिंल वर्ग (1973) ने 71.0% प्रकरणों में पाया।

(ब) परिस्थिति बस प्रेरणा : इस श्रेणी में उन प्रकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है जहां अपराध न तो महिला कर्मचारियों के व्यवहार के कारण किया जाता है और न ही अपराधी के मनोयोग व्यक्तित्व के कारण, अपितु आकस्मिक कारकों के कारण, जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते है जिनके अनुसार अपराध होता है। उदाहरणार्थ कार्यालय के भडार रूप में अकेला पाकर उसका सहकर्मी फायदा उठाता है। इस प्रकरण में अपराधी ने अपराध की पहले से कोई योजना नहीं बनाई परन्तु जब उसे परिस्थिति सहायक या उकसाने वाली लगी तो उसने बदसलूकी की।

(स) व्यक्तित्व की विशेषताऐं : महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का व्यक्तित्व की विशेषता भी एक प्रमुख कारक होता है। यह कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य दशाओं में महिला कर्मचारियों के साथ कार्य करने वाले वे लोग होते है जो अत्यधिक वासनामय, व्यभिचारी तथा भावात्मक रूप से अशान्त होते है एलफैरो (1978) चेपमेन, जे.के.एण्ड गेटस, मारग्रेट (1976), और फैगन, विलसन, एलजावेथ (1983) ने भी हिंसात्मक पुरूषों और उनके बच्चों पर किए गये अपने आनुभाविक अध्ययनों में भी इस प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है । इस प्रकार हम कह सकते है क महिला कर्मचारियों से साथ दुर्व्यवहार वे सहकर्मी ही करते है जिनका व्यक्तित्व प्रारम्भ से ही विकृत होता है तथा जिनको अपराधिक कार्यो का कभी दण्ड नहीं मिला।

(द) महिला द्वारा चुनौती : कभी-कभी महला कर्मचारी छोटी-छोटी बातों को लेकर अपने पुरूष सहकर्मियों का चिनौती तक दे देती है तो पुरूषत्व के अभिमान में स्त्री को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वे उसके साथ दुर्व्यवहार कर बैठते है। अहूजा (2001) ने दुर्व्यवहारियों से ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया, "मैरे पीछे साथियों से मैरी बुराई करती थी, मैरे मित्रों का अपमान करती थी, अभद्र

तरीके से बोलती थी, कुछ लोगों से अवैध सम्बन्ध थे। मैरे कार्य में हस्तक्षेप करती थी। उसने मुझे लैगिंक सम्बन्धों के लिये खुली चुनौती दे रखी थी। इस कारण उस सहकर्मी (पुरूष) ने महिला कर्मी का शोषण किया।

हर्वर्ट ब्लूमर (1971:290-309) ने एक सामाजिक मुद्दे के निवारण में पांच चरणों का उल्लेख किया है : (1) समस्या का प्रगट होना, (2) समस्या का वैधीकरण, (3) कार्यवाही को गतिशील बनाना, (4) सरकारी योजनाओं को प्रतिपादित करना और (5) सरकारी योजना को क्रियान्वित करना। वे कहते है कि एक चरण से दूसरे चरण में पहुँचाना स्वतः ही नहीं होता अपितु कई संयोगों पर निर्भर होता है।

आहूजा (1998) महिला कर्मचारियों के मुद्दों का निवारण तभी सम्भव है जब समाज के व्यक्ति चार निम्नलिखित भावनाऐं रखते हो- (1) स्थिति सुधारी जा सकती है, (2) स्थिति सुधार के लिए दृड़ संकल्प, (3) लोगों में विश्वास और यह धारणा कि उनकी वुद्धिमत्ता और प्रयासों से असीमित उन्नति हो सकती है और (4) स्थिति को सुधार ने के लिए प्रौद्योगिकी और वुद्धि संगति ज्ञान और निपुणता के प्रयोग की आवश्यकता।

महिला कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान उन कष्टप्रद उन सामाजिक स्थितियें के कारणों के पता लगाने पर निर्भर है जो समस्या को उत्पन्न करते हैं। जौसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्येक सामाजिक मुद्दा अनेक कारणों से उदभव होता है फिर भी उसके प्रमुख कारणों, सहायक कारणों और छोटे-उत्तेजित करने वाले कारणों का पता लगाना सम्भव है जो इस समस्या की उत्पत्ति या विकास के लिए उत्तरदाई है। प्रत्येक मुद्दा सम्भवतः अनूठा होता है और उसमें संभवतया कुछ ऐसी अपनी विशेषताऐं होती है जिनसे वह दूसरे मुद्दों से भिन्न लगता है। प्राय सामाजिक मुद्दे की प्रकृति ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण करना

कठिन होता है । अपने समाज में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार रोकने के लिए और उनके विरुद्ध समस्याओं को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए । यह सुझाव वैध तथा तर्क संगत हो सकता है कि महिला का सामान्य प्रतिष्ठा यदि शिक्षा, प्रभावी वैधानिक उपायों और परीक्षण और रोजगार के अवसर सुधारी जा सकती है तो वह महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार को कम करेगी, परन्तु यह एक व्यापक सुझाव है ।

इसी प्रकार यह सुझाया जा सकता है कि जन संचार माध्यमों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकरणों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । यद्यपिज जन संचार माध्यमों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सेन्सर करने के नैतिक और मानववादी कारण है परन्तु हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसी कार्यवाही से आवश्यकताओं से हिंसा में कमी आयेगी । यही अपराध कर्ताओं को निवारक दण्ड देने और उसके सम्बन्धियों द्वारा उसका सामाजिक बहिष्कार करने के बारे में भी सही है । ये उपाय उनके सामाजिक प्रभावों के लिए वांक्षनीय हो सकते है परन्तु हमे विश्वास हो सकता कि वे किसी सीमा तक महिलाओं के शोषण को कम कर देगे । यह मालूम करने के कोई प्रमाण नहीं कि कौन सी नीतियों को प्राथमिकता दी जाये फिर भी ऐसे कई उपाय है जिनके लिए जाने से महिलाओं का उत्पीड़न कम हो सकता है ।

पहले हम उस प्रकरण को लेते हैं जो पहले से कई महिला संगठनों और राजकीय एवं निजी सार्वजनिक संस्थाओं का ध्यानाकर्षण कर रहा है । यह है पीड़ितों की सुरक्षा, मदद और सलाह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना । सभी महिलाओं को जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह है 'आश्रम' । महिलाऐं जो ताना साह/सासु/ससुर व शराबी पतियों के साथ रह नही हैं, अस्थाई अथवा स्थाई रूप से अपना घर छोड़ देगी यदि उनके पास कोई आश्रय उपलब्ध हो । स्वयं

सेवी संगठनों को जो महिलाओं को ऐसी आवास मुहैया कराते है, अपनी परियोजनाओं का प्रचार करना चाहिए। महिला संगठन कई महिलाओं के दुखों के उपशमन में योग दान देगी यदि वे उन्हें अल्प कालिक आवास की सुविधा प्रदान करती है, और अन्ततः स्थाई मकान दिलाने में मदद करती है, विशेष रूप से विवाहित स्त्रीयों को कष्ट में बलात्कार, भगाये जाने पर , मार डालने की कोशिश जैसी हिंसा की शिकार हैं।

दूसरा पीड़ित महिलाओं को इसकी भी आवश्यकता है कि उनकी रोजगार ढूढने, बच्चों के देखभाल की सुविधाऐं उपलब्ध कराने, और अस्थाई रूप से वित्तीय सहायता दिलवाने में सहायता की जाये। इस उद्देश्य के लिए परामर्श केन्द्र किसी केन्द्रीय स्थान पर खोले जा सकते है, परन्तु वे नारीग्रह से दूर होने चाहिए जिससे कि उनका अच्छा प्रचार हो सके और ग्रह के रहने वालों की सुरक्षा को भी खतरा न हो।

तीसरा, महिलाऐं जो शोषण की शिकार है, की सहायता के लिए सस्ती और कम औपचारिक अदालतों की स्थापना भी एक उपाय हो सकता है। इस सुझाव का यह आशय नहीं है कि अदालतें केवल महिलाओं के मामले ही निपटायेगी। इनका कार्य क्षेत्र और बड़ा होना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में पारिवारिक अदालतों की प्रणाली कुछ राज्यों में है। परन्तु इन अदालतों का प्रमुख रूप से उद्देश्य शादियों को टूटने से रोकना है। इन अदालतों का कार्यक्षेत्र बढाना चाहिए और उसमें महिलाओं की सब प्रकार की घरेलू तथा कार्य दशाओं की समस्याओं को सम्मिलित करना चाहिए। यदि ऐसी अदालते स्थापित की जाये जिसमें जज और वकील महिलाओं के मामलों की जानकारी और उनमें रूचि रखते हो, तो यह और भी अच्छा होगा। इससे कानून के व्यवसाय में स्त्रीयों की संख्या बढ जायेगी। कई महिलाओं को अदालतें और कानून कम डराबने और अधिक सुगम्य लगेगे यदि

उन पर आदमी कम छाये हुए होंगे । महिला जज और वकील अपने पुरुष प्रतिरूपी से अपनी मनोवृत्तियों, विश्वासों और कानून की व्याख्या में बहुत अधिक भिन्न नहीं होगी, फिर भी पीड़ित महिलाऐं दूसरी महिलाओं के समक्ष उपस्थिति होने में यह आशा करके अधिक प्रसन्न हो सकती है कि उनमें स्त्रीयों की समस्याओं की अधिक समझ होगी।

चौथा, स्वयं सेवी संगठनों को, जो महिलाओं की निजी समस्याओं के बारे में उनके ससुराल वालों से या पुलिस या अदालतों से या सम्बन्धित व्यक्ति से बात कर सके, सशक्त बनाना उनकी संख्या बढ़ाना भी इतना ही आवश्यक है । यह इसलिए कि एक अकेली महिला की बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता है । वास्तव में वह, यदि वह अपने अधिकार मांगती है या मौलिक विचार रखती है या अपने विचारों को व्यक्त करती है और अपनी उठकन्ठाओं को उजागर करती है, तो उस पर स्पष्टवादी होने का आरोप लगाया जाता है । परन्तु यदि महिलाओं का एक समूह एकत्र होता है और स्त्री के दुख के विरुद्ध आवाज उठाता है तो वे अपने विचारों को दृडता पूर्वक व्यक्त कर सकती है और प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

पांचवाँ, ऐसे संगठनों का प्रचार होना चाहिए जो महिलाओं का निशुल्क कानूनी सहायता देते हैं जिससे ग्रहणी तथा संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाऐं उनके पास जाकर सहयता मांग सकें।

षष्ठम्, महिला कर्मचारियों के बारे में उनके सास-ससुर, माता-पिता के विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है । माता-पिता अपनी पुत्रियों, बहुओं जब उनके पति उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पति के घर में रहने के लिए क्यों वाध्य करते ? जब माता-पिता अपनी पुत्री के उत्पीड़न के बारे में मालूम होता है तो वे उसे थोड़े समय के लिए, जब तक कि वह अपना प्रबन्ध न करले, अपने साथ रखने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहते । उन्होंने

सामाजिक कलंक के लिए इनता चिन्तित क्यों होना चाहिए और अपने परिवार के लिए अपनी पुत्री का वलिदान क्यों करना चाहिए ?

महिला कर्मचारियों को भी अत्याचारों के आगे क्यों झुकना चाहिए। वे क्यों नहीं समझती कि उनमें अपनी और अपने बच्चों की देखरेख करने की क्षमता है? उनके यह समझ में क्यों नहीं आती कि उन्हें दी जा रही यातनाऐं उनके बच्चों को भी भावात्मक आघात पहुँचाता है। उनको अपने अधिकार पर दृढ़ रहना और अपने लिए नई भूमिकाऐं स्वीकार करना सीखना है । उन्हें जीवन की ओर एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

पारिवारिक मुद्दे : महिला कर्मचारी हो अथवा ग्रहणी उसका पति व सासु-ससुर तथा ननद आदि सगे सम्बन्धी उसको दूसरों के साथ सामाजिक अन्तक्रिया करने का निषेध करते हैं। यदि वह उसकी उनकी आज्ञापालन नहीं करती जो सभी उसे आचरण हीन की संज्ञा प्रदान कर देते है। । यही प्रतिक्रिया उसके मायके वाले परिवर द्वारा पिता-माता तथा बड़े भाईयों द्वारा की जाती है । इस प्रकार उसके चाल-चलन पर उगंली उठाई जाती है। घर की दहलीज पर बैठी सासु उसके घर से बाहर जाने पर उसे रोकती है अथवा उसे पड़ोस में भी जाने की उससे अनुमति लेती पड़ती है। कार्यालय के समय को छोड़कर कामकाजी महिलाओं से न पूछा जाय पर कार्यालय से बिलम्ब लौटने की बात उससे परिवारी जनों द्वारा अवश्य पूंछी जाती है। पुरूष लिंगों पर यह नियम अथवा आचरण सहिंता लागू नहीं होती क्योंकि सर्वागनीय स्वतंत्रता उन्हें ही प्राप्त हुई है। बच्चों के पारिग्रहण के मामलों में भी उससे अपने [illegible]ों के बारे में [illegible]रा नहीं किया जाता। ऐसा लगता है कि पुरूषों ने ठेका ले रखा है। [illegible] बोलती है तो [illegible] जाता है। वह पति की अनुपस्थिति में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने नहीं जा सकती। बच्चों द्वारा त्यौहार नहीं भेज

सकती। यह निर्णय भी पति द्वारा लिया जाता है। जिसमें वह आवासित होती है वह उसके लिए एक अच्छी कारागार है जिसमें वह ग्रह कार्यशाला चलाती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के इस अध्याय में महिला कर्मचारियों से जुड़े कतिपय मुद्दों की पहिचार करने का शोधार्थिनी द्वारा प्रयास किया गया है। उसके निष्कार्षो तथा अवलोकनों को निम्न तालिकाओं के तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है जो इस प्रकार है :-

तालिका संख्या- 47

उत्तरदाताओं की महिला कर्मचारियों की कार्यदशाओं में सुरक्षा का मुद्दा

क्र.	सुरक्षा का मुद्दा	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	153	51.00%
2.	नहीं	95	31.67%
3.	कह नहीं सकते	52	18.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 153 उत्तरदाता (51.00%) ने स्वीकार किया कि उन्हें ऐसी कार्य दशाओं-क्षेत्रीय कार्य तथा सिदूर में जाकर कार्य का निष्पादन करना पड़ता है जिनमें अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती हैं। भारत जैसे विकास शील देश में जिसे विभिन्न जातियें व प्रजातियों का अजायवघर कहा जाता है वहां महिला सदैव असुरक्षित रही है। यहां घर में भी वह संरक्षित नहीं।

तालिका संख्या- 48

महिला कर्मचारियों के चरित्र प्रत्यक्षीकण सम्बन्धी मुद्दा

क्र.	चरित्र का मुद्दा	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	संदिग्ध	257	85.67%
2.	कुछ कह नहीं सकते	19	6.33%
3.	सामान्य	24	8.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 257 उत्तरदाता (85.67%) ने बताया कि पुरूष प्राय कर्मचारी महिलाओं को चरित्र के सम्बन्ध में शंका की दृष्टि से देखते हैं। 12 उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया तथा 24 उत्तरदाताओं (8.00%) ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है।

तालिका संख्या- 49

महिला कर्मचारियों को उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका सौपने में उपेक्षा का मुद्दा

क्र.	उत्तरदायी भूमिका सौंपने में उपेक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	259	86.33%
2.	नहीं	14	4.67%
3.	कुछ कह नहीं सकते	27	9.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 259 उत्तरदाता (86. 33%) ने बताया कि कार्यालय में प्रशाषनिक उत्तरदायित्व का अधिकारी द्वारा

वितरण करते समय पुरूषों की तुलना में महिला कर्मचारियों को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य नहीं सौंपे जाते। प्राय कह दिया जाता है कि वहां पर या इस पद पर अधिक कार्य को निष्पादित करने हेतु नहीं दिया गया। यद्यपि 27 उत्तरदाताओं ने (9.00%) उपरोक्त प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तथा 14 उत्तरदाताओं (4.67%) ने मना किया।

तालिका संख्या- 50

महिला कर्मचारियों द्वारा घर व कार्यालय में दोहरी भूमिका का मुद्दा

क्र.	दोहरी भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हाँ	271	90.33%
2.	नहीं	--	--
3.	सामान्यतः	29	9.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 271 उत्तरदाताओं (90.33%) ने बताया कि महिला कर्मचारी को दोहरी भूमिका-एक उसके अपने परिवार में ग्रहणी की तथा दूसरी कार्यालय, स्कूल तथा क्षेत्रीय कार्य में लिपिक, अध्यापक तथा कृषि-स्वास्थ्य कर्मी के रूप में। दोनों ही परिस्थितियां एक दूजे से भिन्न होती हैं। यद्यपि 29 उत्तरदाताओं (9.67%) ने दोहरी भूमिका निवर्हन को मुद्दा नहीं माना परन्तु दोहरी भूमिका की समस्या से मना नहीं किया जाता। दोनों भूमिकाओं में वह अपना तथा पराया पन अनुभव करती है।

तालिका संख्या- 51

महिला कर्मचारियों का घर वालों द्वारा शोषण का मुद्दा

क्र.	घर वालो द्वारा शोषण	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	195	65.00%
2.	कभी-कभी	92	30.67%
3.	नहीं	13	4.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 195 उत्तरदाताओं (65.00%) ने बताया कि उनके साथ घरवालों पति, सास व ससुर द्वारा सामाजिक व आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है अर्थात उनकी गाढ़ी कमाई को उनकी मर्जी के विरुद्ध व्यय कर दी जाती है। ऐसा उनके साथ अक्सर व कभी-कभी (95.67%) तक होता है।

तालिका संख्या- 52

महिला कर्मचारी द्वारा तलाक लेने सम्बन्धी मुद्दा

क्र.	तलाक का मुद्दा	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	48	16.00%
2.	कभी-कभी	99	33.00%
3.	नहीं	153	51.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 99 उत्तरदाताओं (33.00%) ने बताया कि उनके पति उनसे या वे स्वयं अपने पति से इतनी अजीज आ जाती है कि कभी-कभी विवाह विच्छेद की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसाकि घरेलू महिला के साथ परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। पूंछने से पता चला ऐसा उसके विलम्ब से घर लैटने, तथा उसके ऊपर संका तथा भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार करने पर होता है। 48 उत्तरदाताओं ने (16.00%) ने तो तलाक की समस्या को अक्सार के रूप में मूल्यांकित किया।

तालिका संख्या- 53

महिला कर्मचारियों के साथ छेड़-छाड सम्बन्धी मुद्दा

क्र.	छेड़-छाड़ मुद्दा	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	100	33.33%
2.	कभी-कभी	130	40.33%
3.	नहीं	70	23.34%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 130 उत्तरदाता (43.33%) बताया कि उनके साथ पुरूष वर्ग कभी-कभी छेड़-छाड़, रिमार्क पास करना, का दुर्व्यवहार करते थे। 100 उत्तरदाता (33.33%) ने तो उनके साथ मजाक। ताहना मारने को 'अक्सर' रूप से होना स्वीकार किया। यदि दोनों तथ्यों को एक साथ अवलोकन करे तो 230 उत्तरदाता (76.67%) ने अपने साथ छेड़-छाड़ के मुद्दे को स्वीकार किया।

तालिका संख्या- 54

महिला कर्मचारियों से बच्चों की देखभाल में उपेक्षा होती है।

क्र.	बच्चों की देखभाल में उपेक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	181	60.33%
2.	कभी-कभी	87	29.00%
3.	नहीं	32	10.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 181 उत्तरदाता (60.33%) ने बताया कि उनके द्वारा बच्चों की देखभाल में 'अक्सर' उपेक्षा हुई। 87 उत्तरदाताओं ने इस उपेक्षा को (29.00%) कभी-कभी बताया। उपरोक्त अवलोकन के अवलोकन से यही तथ्य स्पष्ट हुआ कि (89.33%) बच्चों के साथ कामकाजी महिला होने के कारण उपेक्षा बरती जाती है, यह मुद्दा बालक के समाजीकरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है जो व्यक्तित्व विकास के लिए जौखिम भरा मुद्दा है।

तालिका संख्या- 55

महिला कर्मचारी नौकरी को जीवन संघर्ष मानकर करती है।

क्र.	नौकरी जीवन संघर्ष	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	190	63.33%
2.	कभी-कभी	89	29.67%
3.	नहीं	21	7.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 190 उत्तरदाता (63.33%) ने बताया कि वे नौकरी को "जीवन संघर्ष" समझ कर अक्सर मानती थी। 89 उत्तरदाता (29.67%) थी जो नौकरी को 'कभी-कभी' जीवन संघर्ष के समान मानती थी। वे नौकरी करने को एक आवश्यक बुराई समझती थी। वे नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी तथा उसको करने में समस्याएं भी बताती थी।

तालिका संख्या- 56

महिला कर्मचारी नौकरी को जीवन संघर्ष मानकर करती है।

क्र.	विलम्ब से विवाह	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	189	63.00%
2.	कभी-कभी	66	22.00%
3.	नहीं	45	15.00%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक 189 उत्तरदाता (63.00%) ने स्वीकार किया कि 'अक्सर' महिला कर्मचारी नौकरी लग जाये के बाद जब उनका कौमार्य समाप्त हो जाता है अर्थात 30 वर्ष के बाद विवाह सूत्र में बन्धन करती है। 66 उत्तरदाताओं (22.00%) ने उपरोक्त मुद्दे का 'कभी-कभी' बताकर स्वीकार किया। 45 उत्तरदाताओं (15.00%) ने मना किया जो मूल्य हीन ही था।

तालिका संख्या- 57

महिला कर्मचारियों के देयकों का बिलम्ब से भुगतान

क्र.	देयको का बिलम्ब से भुगतान	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	अक्सर	159	53.00%
2.	कभी-कभी	97	32.33%
3.	नहीं	44	14.67%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 159 उत्तरदाता (53.00%) ने बताया कि उनके देयकों का भुगतान 'अक्सर' विलम्ब से किया जाता है। फिर चाहे उनके नकदीकरण, यात्रा भत्ता का भुगतान या बढ़ी हुई वेतन या महगाई का भुगतान विलम्ब कर निकाला जाता है। इससे वे वाध्य होकर उत्कोच की शिकार हो जाती है। 97 उत्तरदाता (32.33%) ने विलम्ब से देयकों के भुगतान के मुद्दे को कभी-कभी के रूप में स्वीकार किया। परन्तु यह मुद्दा था।

तालिका संख्या- 58

महिला के प्रति पुरूषों की विद्वेष भावना के मुद्दे का विवरण

क्र.	पुरूषों की विद्वेष भावना	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	हमेशा	216	72.00%
2.	कभी-कभी	53	17.67%
3.	नहीं	31	10.33%
	योग	300	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 216 उत्तरदाता (72.00%) ने बताया कि हमेशा पुरूष वर्ग समाज में या उनके कार्य दशाओं में उनके साथ विद्वेष की भावना रखते थे/हैं। यथा- अब तो महिला किसी से कम नहीं। 53 उत्तरदाता (17.67%) ने अपने साथ पुरूषों द्वारा किए गई विद्वेष के मुद्दे का उजागर किया। तालिका अवलोकन पूर्ण रूपेण स्पष्ट करता है कि पुरूषों की विद्वेष भावना उनके साथ रहती थी।

ग्राफ सं. -4

महिला कर्मचारियों से सम्बन्धी मुद्दे

अध्याय-9

शोध अध्ययन का सारांश एवं निष्कर्ष

अध्याय -9

शोध अध्ययन का सारांश एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन : "महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन झाँसी शहर के सन्दर्भ में था। जिसके अध्ययनार्थ शोधकत्री ने उत्तर प्रदेश के झाँसी जनपद में झाँसी शहर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों-कार्यालयों में, प्रायमरी स्कूलों में तथा क्षेत्र में 300 कार्यरत महिलाओं को निदर्शन विधि की अनिमित प्रणाली द्वारा चुना ताकि विविध व्यवसाय एवं स्तर/श्रेणी की महिला कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति की समीक्षा सम्भव हो सके। शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे :- (1) महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्राथमिक विशेषताओं का अध्ययन करना, (2) महिला कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक तथा स्वास्थ्य प्रस्थिति की समीक्षा करना, (3) महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, (4) महिला कर्मचारियों को उनके उन्नयन हेतु सरकारी प्रयासों के बारे में उनकी जागरूकता-धारणाए तथा आचरण का पता लगाना तथा, (5) महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दों का अध्ययन करना। इस शोध अध्ययन में शोधार्थिनी द्वारा अन्वेषणात्मक शोध प्रारचना को प्रयोग में लाया गया जिसकी विस्तृत प्रतिवेदन की विषय वस्तु 9 अध्याय में प्रस्तुत की गई है- (1) शोध विषय की प्रस्तावना एवं उद्देश्य, (2) साहित्य का पुर्नावलोकन, (3) शोध विधि, (4) महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्य, (5) महिला कर्मचारियों की सामाजिक प्रस्थिति, (6) महिला कर्मचारियों की आर्थिक प्रस्थिति, (7) महिला कर्मचारियों की राजनैतिक व स्वास्थ्य प्रस्थिति, (8) महिला कर्मचारियों से जुडे मुद्दें, (9) शोध अध्ययन का सारांश एवं निष्कर्ष।

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष अग्रलिखित है :-

1.0 उत्तरदाताओं से सम्बन्धित प्राथमिक सूचनाऐं :-

1.1 आयु समूह : सर्वाधिक 80 उत्तरदाता (26.67%) 41-45 आयु वर्ग के थे, 64 उत्तरदाता (21.33%) 36-40 आयु वर्ग के, 50 (16.67%) उत्तरदाता 31-35 आयु वर्ग के, 41 (13.67%) 46-50 आयु वर्ग के, 34 (11.33%) उत्तरदाता 26-30 आयु वर्ग के, 20 (6.66%) झ50 वर्ष के तथा 11 (3.67%) उत्तरदाता 21-26 आयु वर्ग के थे।

1.2 जाति : सर्वाधिक 104 उत्तरदाता (34.67%) अनुसूचित जाति के, 100 उत्तरदाता (33.33%) सामान्य जाति के, 66 उत्तरदाता (22.00) पिछड़ी जाति के तथा 30 उत्तरदाता (10.00%) मुसलिम जाति के थे।

1.3 धर्म : सर्वाधिक 270 उत्तरदाता (90.00%) हिन्दू धर्म को तथा मात्र 30 उत्तरदाता (10.00%) इस्लाम धर्म को मानने वाले थे।

1.4 शैक्षिक स्तर : सर्वाधिक 140 उत्तरदाता (46.66%) का शैक्षिक स्तर इन्टरमीडिएट, 63 उत्तरदाता (21.00%) स्नातक, 45 उत्तरदाता (15.00%) हाईस्कूल, 31 उत्तरदाता (10.34%) स्नोकोत्तर तथा 21 उत्तरदाता (7.00%) जूनियर हाईस्कूल तक पढ़े-लिखे थे।

1.5 व्यवसाय : सर्वाधिक 100 उत्तरदाता (33.33%), 100 क्षेत्रीय कार्यकत्री (33.33%) अध्यापिकाऐं तथा 100 उत्तरदाता कार्यालय में लिपिक वर्ग की महिलाऐं थी।

1.6 मासिक आय : सर्वाधिक 101 उत्तरदाताओं (33.67%) की मासिक आय रू0 8000 से 9000 के बीच में, 67 उत्तरदाताओं (22.33%) रू0 6000-7000, 44 उत्तरदाताओं (14.67%) रू0 9000-10000, 34 उत्तरदाताओं (11.33%) की आय >रू0 10000, 32 उत्तरदाताओं

(10.67%) की आय रू0 5000 से 6000 तथा 22 उत्तरदाताओं (7.33%) की मासिक आय रू0 7000-8000 की मध्य थी।

1.7 वैवाहिक स्तर : सर्वाधिक 190 उत्तरदाता (36.33%) विवाहित थे, 62 उत्तरदाताऐं (20.67%) विधवाऐं, 29 उत्तरदाताऐं अविवाहित थी तथा 19 उत्तरदाताऐं (6.33%) त्याज्य थी।

1.8 जीवित सन्तान : सर्वाधिक 183 उत्तरदाताओं (61.00%) के 3 बच्चे जीवित सन्तानें थी, 41 उत्तरदाताओं (13.67%) के 4 जीवित सन्तानें, 29 उत्तरदाता (9.66%) के कोई बच्चे नहीं थे (अविवाहित), अन्य 29 उत्तरदाताओं (9.67%) के दो जीवित सन्तानें, 12 उत्तरदाताओं (4.00%) के 4 से अधिक बच्चे थे तथा 6 उत्तरदाता (2.00%) ऐसे थे जिनका 1 बच्चा जीवित सन्तान थी।

1.9 परिवार का स्वरूप : सर्वाधिक 261 उत्तरदाता (87.00%) के परिवार का स्वरूप एकांकी था, 28 उत्तरदाता (9.33%) संयुक्त परिवार के थे तथा 11 उत्तरदाता (3.67%) विस्तृत परिवार में रहते थे।

1.10 आवासीय स्थिति : सर्वाधिक 259 उत्तरदाता (86.33%) की आवासी स्थिति पक्के मकानों की थी, 31 उत्तरदाताओं के मकान कच्चे-पक्के (मिश्रित) तथा 10 उत्तरदाता (3.33%) पुराने कच्चे मकानों में रहते थे।

1.11 आवासी सुविधाऐं : सर्वाधिक उत्तरदाताओं में (94.00%) के आवासों में विद्युत, शौचालय तथा पृथक से आंगन की सुविधाऐं थी।

1.12 जलापूर्ति : सर्वाधिक 265 उत्तरदाताओं (88.33%) के घरों में नल द्वारा जलापूर्ति होती थी, 25 उत्तरदाता (8.33%) हेण्डपम्प से पानी लेते थे तथा 10 उत्तरदाता (3.34%) घरों में उपलब्ध कुओं से पानी प्रयोग करते थे।

1.13 मनोरंजन के साधन : शत प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास आधुनिक मनोरंजन के साधन थे। जिनमें (3.33%) के पास रेडियों, (90.00%) के

पास टेलीविजन, (93.33%) के पास रेडियों, टी.वी. दोनों तथा 300 उत्तरदाता सिनेमा-रेडियों तथा टी.वी. तीनों मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते थे।

2.0 उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सम्बन्धी निष्कर्ष :

2.1 भूमिका स्वरूप : सर्वाधिक 166 उत्तरदाता (55.33%) परिवारों में अपनी भूमिका प्राय अप्रत्यक्ष रूप से ही निभाती थी। सामाजिक प्रस्थिति अच्छी नहीं थी।

2.2 वाहय स्वतंत्रता : सर्वाधिक 180 उत्तरदाता (60.00%) को घर से बाहर जाने की आंशिक स्वतंत्रता थी। सामाजिक प्रस्थिति उत्तम नहीं थी।

2.3 शादियों के निर्णय में सहभागिता : सर्वाधिक 182 उत्तरदाता (60.67%) अपने बच्चों की शादियों के निर्णयों में 'कभी-कभी' सहभागिता करती थी।

2.4 वर-वधू देखने में सहभागिता : सर्वाधिक 236 उत्तरदाता (78.67%) 'लड़की हेतु वर'' देखने में सहभागिता नहीं करती थी। इसके विपरीत 'लड़के हेतु वधू' को देखने जाने में 210 उत्तरदाता (70.00%) देखने में सहभागिता करती थी।

2.5 कार्यचयन में प्रवृत्ति : सर्वाधिक 172 उत्तरदाता (57.33%) द्वारा नवीन कार्य स्वयं चयन 'कभी-कभी' करने की प्रवृत्ति की प्रकृति रखती थी। जो अच्छी सामाजिक प्रस्थिति का सूचक नहीं थी।

2.6 सामाजिक संस्थाओं में सदस्यता : सर्वाधिक 220 उत्तरदाता (79.34%) किसी भी सामाजिक समूह-समिति तथा संस्था की सदस्यता नहीं थी। सामाजिक प्रस्थिति ठीक नहीं थी।

2.7 परिवार नियोजन अधिग्रहण : सर्वाधिक 185 उत्तरदाता (61.67%) परिवार नियोजन विधियों व गर्भ निरोधकों का ग्रहण अपने पति की स्वीकृति से करती थी। जो निर्भर सामाजिक स्थिति का द्योतक है।

2.8 बार्ड की सेवा इकाईयों का ज्ञान : सर्वाधिक 273 उत्तरदाताओं (91.00%) को बार्ड की वैक स्थिति, 277 उत्तरदाताओं (92.33%) को पुलिस थानों, 247 उत्तरदाता (82.33%) को डाकघरों तथा 188 उत्तरदाताओं (62.67%) को स्वास्थ्य केन्द्र का ज्ञान था। 195 उत्तरदाताओं (65.00%) को आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थिति का ज्ञान नहीं था। सब मिलाकर उनका सामान्य ज्ञान उत्तम था।

2.9 सामाजिक सहभागिता : सर्वाधिक 252 उत्तरदाताओं (84.00%) ने बताया कि वे सामाजिक कार्यो में सहभागिता नहीं करते थे। इस प्रकार उनकी प्रस्थिति सामान्य थी।

2.10 घर में प्रभुत्व की दर : सर्वाधिक 160 उत्तरदाता (53.33%) ने बताया कि उनकी पारिवारिक मामलों में 50 फीसदी चलती है। जो उनकी सामाजिक प्रस्थिति में उन्नयन दर्शार्ती है।

3.0 उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति सम्बन्धी निष्कर्ष :

3.1 गृह सामिग्री क्रेयता : सर्वाधिक 199 उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके घर की सामिग्री उनके पति व पुत्र/पुत्री द्वारा क्रय की जाती है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती।

3.2 गृह सम्पत्ति क्रय में पूंछ : सर्वाधिक 172 उत्तरदाताओं (57.33%) का गृह सम्पत्ति के क्रय के समय उन्हें 'हमेशा' पूंछा जाता था जो उनकी आर्थिक प्रस्थिति की प्रगति का सूचक है।

3.3 वस्त्रों की गुणवत्ता : सर्वाधिक 178 उत्तरदाता (59.34%) नये व परेड पर विकने वाले "दोनों प्रकार" के वस्त्र धारण करते है। जो उनकी मध्य वर्ग की प्रस्थिति का बोध कराती है।

3.4 ऋणग्रस्ता : सर्वाधिक 177 उत्तरदाता (59.00%) सर्वे के समय ऋणग्रस्त नहीं थे ये उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति का सूचक है।

3.5 मासिक बचत : सर्वाधिक 224 उत्तरदाता (74.67%) मासिक बचत करते थे। यह आर्थिक प्रस्थिति सुधरने का बोध कराती है।

3.6 अल्प बचत के माध्यम : सर्वाधिक 127 उत्तरदाताओं (42.33%) ने बैंक, (20.67%) ने डाकघर तथा (3.34%) ने शेयमा का बचत का माध्यम चुना जिससे उनक अच्छी आर्थिक प्रस्थिति का प्रमाण थी।

3.7 सामाजिक सुरक्षा : सर्वाधिक 270 उत्तरदाताओं (90.00%) की सामाजिक सुरक्षा की स्थिति ठीक थी क्योंकि वे राज्य नियमों से समूह बीमा योजनाओं में आती थी।

3.8 क्रय की अनुमति : सर्वाधिक 185 उत्तरदाता (61.67%) वस्तुओं को वस्तु क्रय करने की पूर्व अनुमति अपने पति से लेनी पड़ती थी जो उनकी निर्भर आर्थिक प्रस्थिति का प्रमाण था।

3.9 सन्तुलित आहार : सर्वाधिक 138 उत्तरदाता (46.00%) कभी-कभी तथा (33.33%) हमेशा सन्तुलित आहार ग्रहण करते थे जो उनकी बेहतर आर्थिकप्रस्थिति का सूचक थी।

3.10 घर में बालश्रम की स्थिति : सर्वाधिक 268 उत्तरदाता (89.33%) के घरों में बालश्रम का अभ्यास नहीं था। जो अच्छी आर्थिक स्थिति का प्रमाण थी।

3.11 उपचार व्यवहार : सर्वाधिक 193 उत्तरदाता (64.33%) काम में बाधा आने पर ही उपचार ढूंढते थे। यह उनकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति थी।

4.0 राजनैतिक एवं स्वास्थ्य प्रस्थिति सम्बन्धी शोध निष्कार्ष :

(अ) राजनैतिक प्रस्थिति :

4.1 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (79.00%) का नाम वोटर लिस्ट में अंकित था।

4.2 सर्वाधिक 212 उत्तरदाताओं (70.67%) द्वारा श्रम संगठनों के निर्वाचन अभियान में सहभागिता करते थे।

4.3 सर्वाधिक 151 उत्तरदाताओं (50.33%) का बहुजन समाज पार्टी समर्थक श्रम संगठन के प्रति वोट देने का रूझान पाया गया।

4.4 सर्वाधिक 271 उत्तरदाता (90.33%) राजनैतिक दलों से समर्थित श्रम संगठनों के सदस्य थे।

4.5 सर्वाधिक 183 उत्तरदाता (61.00%) ने बताया कि वे सामुदायिक नेतृत्व नहीं करते थे।

4.6 सर्वाधिक 200 उत्तरदाताओं (66.67%) ने बताया कि वे किसी विशेष श्रम संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरणा कार्य नहीं करते थे।

4.7 सर्वाधिक 224 उत्तरदाताओं (74.67%) ने बताया कि वे श्रम संगठनों का अपना अमूल्य वोट मित्रों (सहकर्मी) के कहने पर डालते थे।

4.8 सर्वाधिक 211 उत्तरदाताओं (70.33%) ने बताया कि उनके पास विभागीय समस्या समाधान हेतु कोई नहीं आता था।

4.9 सर्वाधिक 273 उत्तरदाताओं (91.00%) कभी किसी श्रम संगठन को चुनाव नहीं लड़ा।

(ब) उपरोक्त की भांति उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य प्रस्थिति का निष्कर्ष :-

4.10 सर्वाधिक 191 उत्तरदाताओं (63.67%) अपना प्रसव चिकित्सालय में कराते थे।

4.11 सर्वाधिक 190 उत्तरदाता (63.33%) परिवार नियोजन की स्थाइ/अस्थाई विधि अपना रहे थे।

4.12 सर्वाधिक 277 उत्तरदाता (92.33%) गर्भावस्था की अवधि में टेटनस से बचाव का टीकाकरण कराते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य प्रस्थिति अच्छी थी।

5.0 महिला कर्मचारियों की प्रस्थिति से जुड़े मुद्दे सम्बन्धी निष्कर्ष :-

5.1 सर्वाधिक 153 उत्तरदाता (51.00%) ने अपनी कार्य दशाओं में सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे को स्वीकार किया।

5.2 सर्वाधिक 257 उत्तरदाताओं (85.67%) ने बताया कि चरित्र के प्रसंग में पुरूषों का प्रत्यक्षीकरण उनके बारे में संदिग्ध रहता है।

5.3 सर्वाधिक 259 उत्तरदाताओं (86.33%) ने बताया कि उनके पुरूष पर्यवेक्षक उनको उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका सौपने में उपेक्षा करते है।

5.4 सर्वाधिक 271 उत्तरदाताओं (90.33%) ने बताया कि उनको घर पर ग्रहणियों तथा कार्यालय/क्षेत्र में दोहरी भूमिका निवर्हन करना पड़ता है।

5.5 सर्वाधिक 195 उत्तरदाताओं (65.00%) ने बताया कि उनका 'अक्सर' घर वालों द्वारा शोषण किया जाता है।

5.6 सर्वाधिक 153 उत्तरदाताओं (51.00%) ने बताया कि उनके द्वारा पतियों से तथा पतियों द्वारा उनसे विवाह विच्छेद का कोई मुद्दा न ही था।

5.7 सर्वाधिक 100 उत्तरदाताओं (33.33%) ने 'अक्सर' तथा 130 (43.33%) ने 'कभी-कभी' अपने साथ 'छेड़-छाड़' के मुद्दे को स्वीकार किया।

5.8 सर्वाधिक 181 उत्तरदाताओं (60.33%) ने बताया कि उनके काम-काजी होने के कारण बच्चों की देख भाल में उपेक्षा का मुद्दा है।

5.9 सर्वाधिक 190 उत्तरदाताओं (63.33%) ने बताया कि वे 'नौकरी को जीवन संघर्षमारकर करती है।

5.10 सर्वाधिक 189 उत्तरदाताओं (63.00%) ने बताया कि वे 'अक्सर' कौमार्य आयु समाप्त होने के बाद अपना विवाह रचाया था।

कठिनाईयाँ एवं समाधान

शोध अध्ययन करते समय शोधकर्त्री को कतिपय कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि उन कठिनाईयों का समाधान शोधकर्त्री द्वारा कर लिया गया था। इन कठिनाईयों एवं उनके समाधानों का उल्लेख निम्नवत् है :-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन "महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" 300 महिला कर्मचारी, जो कि झाँसी शहर में रह रहे थे, से सम्बन्धित था। इन 300 महिला कर्मचारियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली द्वारा किया गया था। इस प्रकार निदर्शित महिला कर्मचारियों का आकार कम था अर्थात् पर्याप्त निदर्शन का अभाव था। इसी कारण से इस शोध अध्ययन के परिणाम सामुदायिक अध्ययनों के क्षेत्र में ही सत्य साबित हो सकते हैं। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा ऐसे निदर्शितों का चयन किया गया जो समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिये इस शोध अध्ययन के परिणाम महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में भी सत्य साबित हो सकते है।

2. शोधकर्त्री के सामने शोध अध्ययन से सम्बन्धित साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से चुने गये उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण के समय घर पर नहीं मिलना भी एक कठिनाई थी। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा चयनित अनुपस्थिति उत्तरदाताओं के स्थान पर समान विशेषताओं वाले उत्तरदाताओं का चयन करके शोधकार्य पूर्ण किया गया। साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान चयनित कुछ उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार देने से मना कर देना भी एक कठिनाई बनकर शोधकर्त्री के सामने आयीं। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा उनके सम्बन्धियों से हस्तक्षेप कराकर राजी कर लिया गया।

3. चूँकि शोध अध्ययन महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति से सम्बन्धित था, अतः शोध अध्ययन हेतु बनाई गयी साक्षात्कार अनुसूची पर्याप्त लम्बी थी। साक्षात्कार के दौरान कई उत्तरदाता थोड़े समय बाद ऊबने लगे तथा कई उत्तरदाता भावावेश में अधिक समय लगाने लगे, जिससे शोधकर्त्री को दोनों स्थितियों में कठिनाई का सामान करना पड़ा। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा धैर्यपूर्वक उत्तरदाताओं की बातों में रूचि लेकर तथा उनकी प्रशंसा करके एवं साक्षात्कार प्रक्रिया को रोचक बनाकर इन कठिनाईयों का उचित समाधान किया गया।

4. शोधकर्त्री के सम्मुख एक कठिनाई यह भी आयी कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन का कार्य पूर्णतया निदर्शित उत्तरदाताओं की सूचनाओं पर आधारित था एवं प्राथमिक सूचनाओं के लिये उत्तरदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता से सही परिणाम पाना मुश्किल था क्योंकि कई उत्तरदाता सही सूचना नहीं दे पाये तथा व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाया। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा उत्तरदाताओं की दी गई सूचनाओं की पुष्टि स्वयं उत्तरदाताओं से तथा उनके पास-पड़ोसियों से की गई एवं उन्हें प्रशंसनीय वाक्य यथा - "आपने बिल्कुल ही नई बात बताई है," "आपके अनुभव बहुमूल्य हैं, आदि कहकर उन्हें यथार्थ सूचनाऐं देने हेतु प्रेरित किया गया।"

5. तथ्यों के संकलन के समय द्वैतीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के सन्दर्भ में भी शोधकर्त्री को कठिनाई का सामान करना पड़ा सम्बन्धित सरकारी विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग शोध अध्ययन में अपेक्षित आंकड़ों तथा दस्तावेजों को गोपनीय बताकर आसानी से उपलब्ध नहीं कराते थे। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा सम्बन्धित कार्यालयों के लिपिकों के

साथ कुछ देर बैठकर, चाय-पानी करके तथा पारस्परिक सम्पर्कों द्वारा सम्बन्धित आंकड़े व दस्तावेजों को प्राप्त किया गया।

ग्रन्थावली

ग्रन्थावली

- ✓ अग्रवाल, गोपाल कृष्णा (1986:338) :मानव समाज,आगरा बुक स्टोर, आगरा।
- ✓ अग्रवाल भारत (1981): 'भारतीय समाज' अतीत से वर्तमान तक, मनमोहनदास पुस्तक मन्दिर प्रा.लि.भरतपुर (राज), पृष्ठ- 103।
- ✓ अली शेख मकसूद सिरीवादरदाना सुशील (1996): टू वर्ड ए न्यू पेराडाइगम फोर पोवर्टी इरेडीकेशन इन साऊथ एशिया, जर्नल आफ अरवन अफेयरस 1998, 20,4, 4119-441।
- ✓ आगवर्न एण्ड निमकॉफ (1957:208) : ए हेण्डबुक आफ सोशियोलोजी।
- ✓ इलियट एण्ड मैरिल (1985:9): सामाजिक विघटन।
- ✓ एम. एन्जूगम एण्ड टी.अलागुमानी (2000): इम्पेक्ट आफ मायक्रो फायनेन्स थ्रू सेल्प-हेल्प ग्रुप-ए केश स्टडी।
- ✓ एलहान्स, डी. एन. फण्डामेण्टल ऑफ स्टेटिसिटक्स, पृष्ठ-56।
- ✓ कोनोर, एल.आर.(1936) ए स्टैटिस्टिक्स इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, पृष्ठ-18।
- ✓ किंग्स्ले डेविस : ह्यमन सुसाईटी।
- ✓ कवीर नैला (1995): टारगैटिंग वूमन और ट्रान्सफारमिंग इन्सटीट्यूशन? पोलिसी लेशनस फ्रोम एन जी ओ एन्टी पोवर्टी ऐफर्टस, न्यूडायरेक्शन फोर प्रोग्राम एवाल्यूशन : 1995,65 फाल, 27-37 किंगसले डेविस : ''ह्यमन सुसाइटी'' पृष्ठ- 73-77।
- ✓ के.के.तिवारी (2005: 109): वूमेन एजूकेशन एण्ड नेशनल डबलपमेन्ट' स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि.राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।
- ✓ करलिंगर, एफ.एन., दि फाउण्डेशन ऑफ विहेवियरल रिसर्च, रिनेहार्ट एण्ड विन्सन प्रेस हाल्ट, न्यूयार्क, 1964,पृष्ठ-4।
- ✓ खन्ना,एस.के.(1998:63): 'वूमन एण्ड ह्यूमन राइटस, कामनवेल पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।
- ✓ गुप्ता, एन.एल. (2001): ''इन्डियन वूमन'' ट्रेडीसन एण्ड सोसल पनोरमा, मोहित, न्यू दिल्ली।
- ✓ गनस्लेवस, (2001:25): ''वूमन एण्ड ह्यूमन राइटस'' ए.पी.एच. पवलिसिंग कोरपोरेशन, न्यू दिल्ली।
- ✓ गोयल (2004 : 99-100) : बायलेन्स एण्ड प्रोटेक्टिव मेजरस फोर वूमन डवलपमेन्ट एण्ड इम्पोवरमेन्ट, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।
- ✓ घोष, एम. के. तथा चतुर्वेदी, एस. सी. (1950) स्टेटिक्स थ्योरी एण्ड प्रक्टिस पृष्ठ-94
- ✓ चित्रा बनर्जी (2001): द आवर आफ द गौडेस: मैमोरी आफ वूमन, फूड एण्ड रिचुलस इन बंगाल, सीगुल कोलकत्ता।
- ✓ चन्द्रा सुसमिता (2001): वूमन एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेन्ट, ए केश स्टडी उ.प्र.,बी.आर. पवलिसिंग को. न्यू दिल्ली।

✓ जी.के. अग्रवाल (2005:195): इम्पलोयमेन्ट आफ वूमन थ्रू रूरल इन्डस्ट्रीयलाईजेशन एन इन्डियन एक्सपीरियन्स, पेपर प्रेजेन्टेड एट फस्ट एशियन पेशीफिक सिम्पोजियम ओन रूरल कोलाम्बो, श्री लंका प्रो.-16,18 जुलाई, 1996।

✓ जे. भाग्यलक्ष्मी (2005 :56): ''वूमन इन डवलपमेन्ट'' स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि.राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।

✓ जलाली, रीता (1990): द ग्रास रूटस वूमेन मूवमेन्ट इन इन्ठिया।

✓ जहोडा डच एण्ड डब्लू रिसर्च मैथड इन सोसल इनवेस्टीगेशन पृष्ठ-270।

✓ टालाकॉट पारसन्स (1952:182) द सोसल स्सिटम, द फ्रीप्रेस, गिलीनको इलीओयस।

✓ टाइम्स आफ इन्डिया, 14 मई, 2003।

✓ टाइम्स आफ इन्डिया, 13 मई, 2003।

✓ टिटुस मैथ्यू (1997): 'डिवलपिंग फाइनेसियल सरविसेज फोर द अरवन पूअर' द सारन एक्सीरियन्स : जनरल आफ सोसल-इकोनोमिकस, 1996,25,2, सुपर 189-223।

✓ डी.वी.एल.एन.वी.प्रसाद राव (1997-98): पोवरटी इलावीएशन थ्रू सेल्प इम्पलोयमेन्ट : ऐ केश स्टडी आफ इस्ट नियर डिस्ट्रिक मध्य प्रदेश।

✓ तिलेरा,के.एस.(1990): प्रक्टीकल सोशियोलाजी, प्राबलम्स एण्ड सोसल एक्टस प्रकाशन केन्द्र लखनऊ, पृष्ठ-132।

✓ देश पान्डे, एस. एस. (2005: 60): ''जेन्डर इश्यू इन टेकनोलोजी डवलपमेन्ट एण्ड डिसीमीनेशनः स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।

✓ दुर्गा, कनका वी. प्रसाद, राव, एण्ड डी.एल (1992:112): जेन्डर आइड लोजी-ए कम्परेटिन एनालेसिस आफ ट्राइवल एण्ड नोन ट्राइवल वूमन इन चेतन काल बाग, डिसकवरी पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।

✓ नरसिम्हा, शकुन्तला (1999): 'इम्पोवरिंग वूमन' एन आल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फ्रोम रूरल इन्डिया, सेज पवलीकेशन, न्यू दिल्ली।

✓ पाडे, जी. एस. (2001:187-198) पोलिटीकल पार्टीसिपेशन आफ वूमेन इन इन्डिया'' इम्पलीमेंन्टेशन आफ 73-74 अमेन्डमेन्टस, न्यूरोयल वुक को. लखनऊ।

✓ प्रसाद, सी. सिंह, आर पी. एण्ड कृष्णन, के.एस. (1988): रिव्यू आफ रिसर्च स्टडीज ओन वूमेन इन एग्रीकल्चर इन इन्डिया, आई.-सी.ए. आर न्यू दिल्ली।

✓ पी0 जिस्टवर्ट (1959:306): फन्डामेन्टल ऑफ सोशियोलोजी, ओरिन्ट लोगमेन्स बोम्बे

✓ पटनायक, वी.के. (2005): वूमेन वेलफेयर एण्ड सोसल डवलपमेन्टः स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. एफ-159 राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।

✓ पालमार, वी.एम.(1928)फील्ड स्टडी इन सोशियोलोजी,पृष्ठ-170।

✓ पालमार, वी.एम.(1928)फील्ड स्टडी इन सोशियोलोजी, यूनितरसिटी आफ शिकागो,पृष्ठ-57।

✓ पी. वी. यंग (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -309।

- ✓ फूलर, तलेरिया रीनी (2000): क्रिशेनिक इलनेश एण्ड डिपरेशन ऐमंग वूमन : द रोल आफ सोसल सपोर्ट।
- ✓ बेसिन, एफ.एच. (1962): व्यवहारिक विज्ञानों में साहित्य समीक्षाऐं, मैकमिलन कम्पनी (प्रा.लि.)मद्रास,पृष्ठ-40।
- ✓ मुखर्जी, आर.एन.(2001), अष्टम संस्करण, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, मातृ आशीष तिलक कालोनी, सुभाष नगर,बरेली, पृष्ठ-1।
- ✓ मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ(2001)सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन 7यू.ए.जवाहर नगर, दिल्ली,पृ- 279।
- ✓ मेहता आशा कपूर (1999:56): 'ग्लोवलाइजेशन एण्ड वूमनः इन राजमोहनी सेठी (एड), ग्लोवलाइजेशन कल्चर एण्ड वूमन्स डवलपमेन्ट, रावत पवलीकेशन जयपुर।
- ✓ मिश्रा पी.के. (1997) : मानव समाज की रूपरेखा विकास पबलीकेशन, जवाहर नगर, न्यू दिल्ली, पेज -37।
- ✓ यंग, पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -509 ।
- ✓ यंग, पी.वी. (1960): साईन्टीफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊस, बोम्बे,पृष्ठ -310।
- ✓ रोवर्ट, इ. चन्ढोक (1925) प्रन्शीपल एण्ड मैथड ऑफ स्टेटिक्स, होगटन मिफिन कम्पनी वोस्टन पृष्ठ-43।
- ✓ रनजय वर्धन (2005:376): फीमेल हैडेड हाऊस होल्ड-ए स्टडी, स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. एफ-159 राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।
- ✓ रयूटर एम.आर. एण्ड हार्ट पी.आर.,(1960), एन इन्ट्रोडक्शन टू सोसलोजी, मेक,ग्रो हील बुक कम्पनी, न्यूयार्क पृ.320।
- ✓ लावानिया एस.एम.(1967), इण्डियन सोसल प्रोब्लम, कृष्णा बुक स्टोर प्रकाशन, शिकोहाबाद उ.प्र. पृष्ठ-203।
- ✓ विलियम, जे.गुड एण्ड पौल, के हाट (1952) मैथड इन सोसल रिसर्च मैकग्रोहिल बुक कम्पनी न्यूयार्क पृष्ठ-15।
- ✓ वीर स्टीड : 'द सोसल ओडर'', पृष्ठ -211।
- ✓ वी.के. पटनायक (2005: 165): जेन्डर इकनोमिक इम्पोवरमेन्ट एण्ड रूरल पोवरटी इलीवियेशनः स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्टिया, दीप एण्ड दीप पवलीकेशन, प्रा.लि. एफ-159 राजौरी गार्डन, न्यूदिल्ली।
- ✓ वसु, अल्का (1992:53): द कल्चर; द स्टेटस आफ वूमन एण्ड डेमोग्रफिक विहेवीयर,किलेरन्ड प्रेस, लन्दन।
- ✓ वसु रूमकी (1996): न्यू इकनोमिक पोलिसीज एण्ड सोसल वेलफैयर प्रोग्राम इन इन्डिया, डी,ए.आई.-ए.61/10 पी-4158 जन,2001।
- ✓ वैद्य के.सी. (1997): पोलिटीकल इम्पोवरमेन्ट आफ वूमेन एट द ग्रासरूट कनिष्का पवलीसरस, न्यू दिल्ली।
- ✓ वोर्ग, जी.वी. (1963): सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में साहित्य का सिंहावलोकन, जैन ब्रदर्स एण्ड संस पवलीसर्स एण्ड डिस्ट्री ब्यूटरस बाम्बे, पृष्ठ-48।

✓ शारस्वत आर.पी.,(1993), इण्डियन सोसल सिस्टम,भदौरिया पबलीकेशन एण्ड बुक सेंटर प्राइ. लि.इटावा उ.प्र.,157।
✓ सिन्हा, ए.पी.के (1974:43)।
✓ सहाय, सरिता (2002:172): ट्राइवल वूमन इन द न्यू प्रोफाइलः दिस ए विसदेयर नोन ट्राइवल दुवनि, अनमोल प.दिल्ली।
✓ सर्वश्री स्टॉउफर सेम्युल रिब्यू (1962:73): ए मैजर स्टैप आफ इन्वेस्टीगेशन इन सोसल साइन्सेज,अमेरिकन सोशियोलोजीकल रिव्यू अंक 23, पृष्ठ-73
✓ सिरादेन, माइकिल (1991): बुक इम्पलोयमेन्ट एण्ड सोसल बैलफैयर पालिसी।
✓ सावित्री विसनाथ एण्ड डायने एलसन (2001): वूमन इम्पोवरमेन्ट रिविजटेड यूनीफेम-प्रोग्रेस आफ द बल्डस वूमेन वीनियल रिपोर्ट न्यूयार्क।
✓ हर्कनेश, एस. सुजान जाने (2001): "वूमन एण्ड वर्क" डायनेमिक्स आफ द ग्लास सीलिंग एण्ड पब्लिक पालिसी परसपेक्टिवस,डी.ए.आई ए. 61/03, पी.1143 सितम्बर, 2000।
✓ होरेश, सैक्रिष्ट सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च, पृष्ठ-273।
✓ Bodington,Statiatics and its application to commerce, P-140
✓ C.A. Moser, Survey Methods in social Investigation, Hieneman, London, 1961. p-3
✓ C. A. Moser and C. Kalfon,(1961) survey methods in social investigation, p-271
✓ Frank yaton.
✓ Hansraj – Theory and Practice in social Research, p-69
✓ K. L. Ackoff, Design of Social Research, p-5
✓ Pauline V. Young, Scientific Social survey & research, Asia Publishing House, Bombay,1960,p-44
✓ Seltiz, Jahoda, Dautach, cook-Research Methods in social Relations, p-33
✓ Singh, S.D., (1980), Vaigyanik Samajik Anusandhan Avan Aarvekahan Ke Mool Tatva, Kamal Prakashan, Indoure (M.P.) Page-59.
✓ Society for social Medicines (1966): Evidences submitted to the Royal common social medical Education, Beit, Pre. Soc. Medi, 20,158
✓ William J.Goode &Poul K.Hatt (1952), Methods in social Research, Mac Graw-Hill Book co.Inc.NewYork, p 209

♣♣♣

साक्षात्कार अनुसूची

महिला कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(झाँसी नगर के संदर्भ में)

साक्षात्कार अनुसूची

क्रमांक संख्या........................ शोधार्थी : रश्मि वर्मा

1.0 उत्तरदाताओं के सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना सम्बन्धी प्रश्न :–

1.1 नाम...

1.2 पता ....

1.3 आयु : 16–20 ☐ 21–25 ☐ 26–30 ☐ 31–35 ☐
36–40 ☐ 41–45 ☐ 46–50 ☐ 50 से ऊपर ☐

1.4 जाति : सामान्य ☐ पिछड़ी ☐ दलित ☐

1.5 धर्म : हिन्दू ☐ मुसलिम ☐ ईसाई ☐

1.6 शैक्षिक स्तर : निरक्षर ☐ साक्षर ☐ प्राइमरी ☐ जूनियर हाईस्कूल ☐
हाईस्कूल ☐ इण्टर ☐ स्नातक ☐ स्नात्कोत्तर ☐

1.7 व्यवसाय : मजदूरी ☐ गृह कार्य ☐ बीड़ी बनाना ☐

1.8 घर की मासिक आय : रू.< 2000 ☐ रू.2001–2500 ☐ रू 2501–3000 ☐ रू. 3001–3500 ☐
रू.3501–4000 ☐ 4001–4500 ☐ 4501–5000 ☐ >रू. 5000 ☐

1.9 वैवाहिक स्तर : विवाहित ☐ विधवा ☐ त्याज्य ☐

1.10 जीवित बच्चों की संख्या : लड़का ☐ लड़की ☐ योग ☐

1.11 परिवार की प्रकृति : एकांकी ☐ संयुक्त ☐ विस्तृत ☐

1.12 आवास की स्थिति : पक्का ☐ कच्चा ☐ मिश्रित ☐

1.13 आवासीय सुविधाऐं :
1. बिजली हाँ ☐ नहीं ☐
2. शौचालय हाँ ☐ नहीं ☐
3. आँगन हाँ ☐ नहीं ☐
4. कमरों की संख्या 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1.14 जलापूर्ति के साधन : टेंक ☐ हैण्डपम्प ☐ कूप ☐

1.15 मनोरंजन के साधन : रेडियो ☐ टी.बी. ☐ सिनेमा ☐

2.0 उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति ज्ञात करने सम्बन्धी प्रश्न :–

2.16 आप परिवार में किस प्रकार की भूमिका प्रदान करती है ?

प्रत्यक्ष ☐ अप्रत्यक्ष ☐

2.17 आपको घर से बाहर जाने की कितनी स्वतंत्रता है ?

पूर्ण ☐ आंशिक ☐ नहीं ☐

2.18 आपको बच्चों की शादी के निर्णय में कितनी बार पूछा जाता है ?

बार–बार ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

2.19 आपको लड़की हेतु वर तथा लड़के हेतु वधू देखने को कब–कब जाती हैं?

हमेशा ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

2.20 आप नवीन कार्य का कितना स्वयं चुनाव करती हैं?

हमेशा ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

2.21 आप निम्न में से किसकी सदस्या है ?

समूह की ☐ समिति की ☐ संस्था की ☐

2.22 परिवार नियोजन के लिए आपको किससे आज्ञा लेनी पड़ती है ?

पति की ☐ सास/ससुर ☐ स्वयं ☐

2.23 आपको अपने वार्ड के निम्न में से किस संस्था की जानकारी है ?

1. बैंक हाँ ☐ नहीं ☐
2. डाकघर हाँ ☐ नहीं ☐
3. थाना हाँ ☐ नहीं ☐
4. नगर निगम हाँ ☐ नहीं ☐
5. आंगन वाडी केन्द्र हाँ ☐ नहीं ☐
6. स्वास्थ्य केन्द्र हाँ ☐ नहीं ☐

2.24 आपको मुहल्ले के सामाजिक कार्यों में कब–कब बुलाया जाता है ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

2.25 घर में आपकी कितनी चलती है ?

25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100% ☐

3.0 उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति ज्ञात करने सम्बन्धी प्रश्न :–

3.26 आपके घर के लिए सामान का कौन क्रयकर्ता है ?

पति ☐ पत्नि ☐ लड़के/लड़की ☐

3.27 क्या घर हेतु सम्पत्ति क्रय में आपको कब–कब पूछा जाता है ?

हमेशा ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

3.28 आप निम्न में से किस प्रकार के वस्त्र पहिनती हो ?

नये ☐ ठेले वाले ☐ पुराने ☐

3.29 क्या आप वर्तमान में ऋणग्रस्त हो ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3.30 क्या आप मासिक बचत करती हो ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3.31 क्या आपका अल्प बचत खाता बैंक/डाकघर में है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3.32 क्या आपका बीमा है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3.33 क्या आपको व्यय करने के लिए किसकी आज्ञा लेनी पड़ती है ?

पति की ☐ स्वयं की ☐ बच्चों की ☐

3.34 क्या आप सन्तुलित आहार ग्रहण करती हो ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3.35 क्या आपका बच्चा काम पर जाता है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3.36 आपका रोग का उपचार कब कराया जाता है ?

1. तुरन्त ☐ 2. प्रतीक्षा करके ☐
3. काम में बाधा आने पर ☐ 4. विस्तर पकड़ने पर ☐

4.0 उत्तरदाताओं की राजनैतिक एवं स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी प्रश्न :–

4.37 क्या आप वोटर है ? हाँ ☐ नहीं ☐

4.38 आप श्रम संगठनों के निर्वाचन अभियान में कब–कब सहभागिता करती है ?

हमेशा ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

4.39 आप किस राजनैतिक दल समर्पित श्रम संगठन को वोट डालती है ?

1. बा.सा.पा. समर्पित ☐ 2. स.पा. समर्पित ☐
3. भा.जा.पा. समर्पित ☐ 4. कांग्रेस समर्पित ☐

4.40 क्या आप किसी श्रम संगठन दल की कार्यकर्ता है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

4.41 क्या आप अपने समुदाय की नेतागिरी करती है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

4.42 क्या आपने किसी को अपने दल में आने को प्रेरित किया है ?

हमेशा ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

4.43 आप किसके कहने पर वोट डालती हो ?

पति के ☐ मित्र के ☐ स्वयं पसन्द के ☐

4.44 क्या आपको अपनी समस्या समाधान हेतु कब–कब आते हो ?

हमेशा ☐ कभी–कभी ☐ नहीं ☐

4.45 क्या आपने कभी किसी समिति/संस्था/समूह से चुनाव लड़ा है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

4.46 आप प्रसव कहां कराती हो ?

घर पर ☐ नर्सिंग होम ☐ चिकित्सालयों में ☐

4.47 आपने परिवार नियोजन की कौन सी विधि अपनायी है ?

नसबन्दी ☐ लूप ☐ कण्डोम/गोली/कोई नहीं ☐

4.48 आपने गर्भावस्था में टिटनस का टीका लगवाती हो ?

हाँ ☐ नहीं ☐

5.0 उत्तरदाताओं में सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति की प्रौन्नति में बाधाऐं ज्ञात करने सम्बन्धी प्रश्न :–

5.49 क्या आप महिला कर्मचारियों का कार्यदशाओं में सुरक्षा का मुद्दा मानती हो?

हाँ ☐ नही ☐ कह नहीं सकते ☐

5.50 क्या सहकर्मी महिला कर्मचारियों के चरित्र को संदिग्ध पूर्ण ढंग से देखते हैं?

हाँ ☐ नहीं ☐ अज्ञात ☐

5.51 क्या महिला कर्मचारियों द्वारा दोहरी भूमिका का एक मुद्दा है ?

हाँ ☐ नहीं ☐ अज्ञात ☐

5.52 महिला कर्मचारियों का घर वालों द्वारा शोषण की कैसी प्रवृत्ति होती है ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

5.53 महिला कर्मचारियों के साथ पुरूषों द्वारा छेड़–छाड़ की कितनी घटनाऐ घटती हैं ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

5.54 महिला कर्मचारियों द्वारा बच्चों की देखभाल में कितनी उपेक्षा की जाती है ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

5.55 महिला कर्मचारी नौकरी को कितना जीवन संघर्ष मानती है ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

5.56 क्या कौमार्य आयु समाप्त होने पर महिला कर्मचारी विवाह करती है ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

5.57 क्या कार्यालयों / क्षेत्रों में महिलाओं का सम्मानीय भूमिका प्रदान करने में उपेक्षा की जाती है ?

हाँ ☐ नहीं ☐ अज्ञात ☐

5.58 क्या महिला कर्मचारियों के देयकों के भुगतान विलम्व से किया जाता हैं ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

5.59 क्या पुरूष वर्ग महिला कर्मचारियों के प्रति विद्वेष रखते है ?

अक्सर ☐ कभी–कभी ☐ हमेशा ☐

अन्वेषक

दिनांक :..

स्थान :...............................